राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम् सत्र का ३३ वां दिवस [संख्या २७

शुक्रवार दिनांक 10 अप्रेल, 1970

विधानसभा की बैठक म.प. 11–01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(नियुक्ति, राजस्व विद्युत्, खनिज, कृषि, पर्यटन, आयुर्वेद, उद्योग, सहकारिता, पशुपालन, उपनिवेशन–विभाग)

प्रश्न संख्या 640

श्री अध्यक्ष : श्री किशनलाल वर्मा

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री माथूराम बागोडोरा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ से ही आवश्यक हो गया।

नैक्स्ट, श्री नथमल चौहला

ग्राम कुमास में धारा 91 के तहत मामले

*641. **श्री नथमल चौहला** (लक्ष्मणगढ़ सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिला अन्तर्गत तहसील लक्ष्मणगढ़ ग्राम कुमास में लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत किस किस व्यक्ति पर कितने वाड़ों का केस तहसील लक्ष्मणगढ़ से चल रहा था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा दिनांक 11-11-68 को सब वाड़ों को पुराना मानकर वाड़ा कायम रखने का निर्णय दिया था ?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा अपने पूर्व निर्णय को बदल कर उनमें से सात बाड़ों को बेदखल करने का दिनांक 19-6-69 को फैसला किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि मिसल नं. 128 दिनांक 22-6-63 रिपोर्ट पटवारी व सि. लादूराम पुत्र खमाणराम जाट साकिन कुमास को वाड़ा करने का नाजायज कब्जा की इस अनवान फाईल को तहसील से गायब करदी है ? यदि हां, तो कब ?

(श्री नथमल चौहला)

(5) क्या उपरोक्त घटना की जांच करवाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) ग्राम कुमास (तहसील लक्ष्मणगढ़) के 24 व्यक्तियों पर राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत मामले चल रहे हैं। सूची संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) यह सही नहीं है। पत्रावली तहसील कार्यालय में उपलब्ध है।

(5) आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

नथ चौहला : यह सही नहीं बताया है कि यह निर्णय नहीं बदला तो उसकी सर्टीफाइड कापी है, मेरे पास।

श्री गंगाराम चौधरी : आप देंगे तो जांच करवा लेंगे।

श्री नथमल चौहला : मैं कापी पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : क्या है कापी ?

श्री नथमल चौहला : जांच करने के बाद में उनको सजा क्या देंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : जो भी नियमानुसार होगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री केसरीसिंह हाड़ा।

ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

642. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में वर्ष 1969-70 में ग्रामीण विद्युतिकरण के लिये कितने ग्राम लिये जाने की योजना थी और कितने गांवों को विद्युत् दी गई ?

(2) जिला भीलवाड़ा में किस किस ग्राम में विद्युत् दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या यह सत्य है कि इस जिले के 100 ग्रामों को विद्युत् दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखे।

(3) जिला बूंदी में वर्ष 1969-70 में किस किस ग्राम में विद्युत दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्राम टीकड़ में कितने कनेक्शन काश्त के लिए, कितने कनेक्शन मकानों के लिए और कितने कनेक्शन चक्की व आरा मशीन के लिए दिए गए ?

(5) क्या यह सत्य है कि आसीदं पंचायत समिति में बिजली का उद्घाटन करते हुए मुख्य मंत्रीजी ने इस बात पर जोर दिया था कि जिन ग्रामों में कुओं से सिंचाई की जाती है उनमें ज्यादा से ज्यादा कुओं पर बिजली दी जाये ?

(6) क्या यह सत्य है कि ग्राम ठीकरदा पंचायत समिति हिन्डोली के करीब 30 काश्तकारों ने अपने कुओं पर बिजली

Page No 3

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

लगाने के लिए बूंदी के सहायक अभियन्ता विद्युत् को प्रार्थनापत्र दिये थे ?

(7) क्या सरकार यह चाहती है कि जहां पर सिंचाई के साधन कुए हैं वहां ज्यादा से ज्यादा कुओं पर विद्युत् दी जाये ?

(8) यदि हां, तो ठीकरदा, सुवूर, बड़ोदिया, उमर व नया बाग को अब तक विद्युत् क्यों नहीं दी गई जब कि देवली की लाइन इन ही ग्रामों पर गुजर रही है ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री खेतसिंह) : (1) 1969-70 की योजनानुसार राजस्थान में करीब 490 ग्रामों का विद्युतिकरण स्वीकृत हुआ एवं करीब 450 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है ।

(2) जिला भीलवाड़ा के विद्युतिकृत ग्रामों की सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है । अब तक इस जिले के 108 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है ।

(3) वर्ष 1969-70 में जिला बूंदी में जिन आठ ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया उसकी सूची 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) ग्राम टीकड़ में दो कनेक्शन काश्त के लिये और एक कनेक्शन पब्लिक लाइन के लिए दिये जा चुके हैं । मकान, चक्की व आरा मशीन के कोई कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ।

(5) इस आश्वासन की जानकारी मण्डल को नहीं है ।

(6) ग्राम ठीकरदा विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत नहीं होने से ऐसे प्रार्थना पत्रों पर सहायक अभियन्ता द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

(7) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल यथा सम्भव अधिक से अधिक कुओं को बिजली देने के लिए प्रयत्नशील है ।

(8) इन ग्रामों के पास से बूंदी-देवली 33 के. वी. लाइन निकलती है, जिसको हर जगह टेप करना सम्भव नहीं है ।

(कृपया पृष्ठ 2 देखिये)

श्री केसरीसिंह हाड़ा : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामपुर जो आपकी सूची के चौथे नम्बर पर है और ग्राम टीकड़ जो आपकी सूची में 106 नम्बर पर है, यह बताने की कृपा करें कि इनकी जनसंख्या कितनी कितनी है और कितने कितने कुओं में आपने कनेक्शन दिये ?

श्री खेतसिंह : यह तो बिल्कुल अलग से प्रश्न है । आपने हर गांव में कितने कुए हैं और कितनों को कनेक्शन दिया गया है यह सूची नहीं मांगी थी । आपने मांगा था कि कितने गांवों का विद्युतिकरण हुआ है । यह लिस्ट मैंने दे दी है ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय मुझे कहते हुए बड़ा खेद होता है कि जिला भीलवाड़ा में विद्युत विभाग द्वारा 108 गांवों का विद्युतिकरण किया गया जब कि योजना 490 की राजस्थान में है और इसमें से 450 गांवों का विद्युतिकरण किया गया जिसमें अकेले भीलवाड़ा के 108 गांव हैं और बूंदी में केवल इनकी सूची के अनुसार 8 ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया ।

Page No 4

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

तो अध्यक्ष महोदय, मेरे निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि बूंदी जिले में सब जगह तो गुढ़ा की नहर नहीं पहुंचती, सब जगह चम्बल की नहर नहीं पहुंचती बहुत से ऐसे स्थान हैं कि जहां कुओं से सिंचाई होती है। जब राज्य सरकार की यह नीति है कि ग्रामों का जहां विद्युतिकरण हो सके करना चाहिए फिर क्या कारण है कि आपने ठीकरदा के अन्दर जब कि 30 कुओं के लिए प्रार्थनापत्र पहुंच चुके हैं, उनका विद्युतिकरण क्यों नहीं किया ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कुछ इसमें गलतफहमी रह गयी है। इन्होंने खुद ने सवाल पूछा है कि आज तक भीलवाड़ा जिले के कितने गांवों का विद्युतिकरण हुआ तो शुरु से लेकर आज तक 108 गावों का हुआ है और गतवर्ष में सिर्फ 18 गांवों का ही हुआ है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : बूंदी में भी आज तक सिर्फ 8 गावों का ही हुआ है।

श्री खेतसिंह : सुनिये। आपका खयाल है कि लास्ट ईयर 450 गावों का विद्युतिकरण हुआ है और उसमें से 108 गांव भीलवाड़ा के लिए गए हैं, यह कतई गलत है। उस हिसाब से आपके जिले के अन्दर 8 गांवों का हुआ। भीलवाड़ा के अन्दर टोटल गांवों की संख्या 1600 है और आपके यहाँ केवल 770 गांव हैं, इसलिए भीलवाड़ा और बूंदी का कोई मुकाबला नहीं है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहूंगा कि जो सूचि इन्होंने दी है, वह 1970 तक की दी है तो 108 भी इसमें शामिल हो जाते हैं।

श्री खेतसिंह : आप ऊपर पढ़िये "Names of localities electrified upto 31st December, 1969 and in 1969-70."

इसका मतलब यह है कि पूरी लिस्ट है और आपके यहां गत वर्ष में 8 गांवों का विद्युतिकरण हुआ है। परसेन्टेज के हिसाब में भी आपके बूंदी और भीलवाड़े में कोई फर्क नहीं है केवल 1 परसेन्ट का फर्क है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : बूंदी की सूची में भी उन्हीं दिनों का है और भीलवाड़ा की सूची में भी उन्हीं दिनों का है। 108 और 8 में 100 का फर्क है।

श्री खेतसिंह : बूंदी की टोटल लोकेलिटीज इलेक्ट्रिफाई हो चुकी है 42 और लास्ट ईयर 8 हुई है और पहले हो चुकी हैं। 42 लोकेलिटीज आपके यहां इलेक्ट्रिफाइड हैं।

श्री आईदानसिंह : (भीनमाल) मन्त्री महोदय ने कहा कि 33 के. वी. लाईन गांवों के ऊपर से होकर जा रही है। गांवों को बिजली लेना तो जरूर है लेकिन बिजली नहीं दे रहे हैं। यही असन्तोष है कि ऊपर से लाइन जा रही है और बिजली नहीं दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं क्या अर्ज करूं। माननीय सदस्य को विद्युत् की जानकारी नहीं है टेक्नीकल आदमी नहीं हैं। 33 के. वी. की लाइन है उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है, फिर ट्रान्सफार्मर

(श्री खेतसिंह)

लगाकर उसको 11 के. वी. में बदलना पड़ता है ।

श्री आईदानसिंह : आप बहुत टेक्नीकल हैं, ठीक है लेकिन स्टेप डाउन करके तो दे दो ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : टीकड़ ग्राम में जो इलैक्ट्रिसिटी दी है वहां जो बिजली गयी है उसी से दी या किसी और लाईन से ?

श्री खेतसिंह : 33 के. वी. से दी है या नहीं इतनी तो जानकारी नहीं है ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : मंत्री महोदय बिलकुल सत्य से परे हैं । 33 के0वी0 लाइन से ही स्टेप डाउन करके टीकड़ गांव को दी है जहां दो कुओं को कनेक्शन दिया है ।

श्री अध्यक्ष : इनको जानकारी नहीं है ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : इनको जानकारी तो किसी की भी नहीं है सिवाय अपने वेतन के । वहां दे दी तो दूसरी जगह जहां सम्भावना है, कुओं पर जरूरत है, उमर में माइनिंग के लिए जरूरत है तो वहां स्टेप डाउन करके देने में क्या कष्ट हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिला दें ।

श्री खेतसिंह : 9-2-70 को टिकड़ के अन्दर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है । इसमें जितने कनेक्शन लगने वाले हैं वे लगाये जाते हैं ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा - वहां की खानों में मकराना का पत्थर निकलता है और वह पालिश के लिए बाहर जाता है । अगर वहां पर बिजली मिल जाय तो वह मकराने का पत्थर वहीं पालिश होने लग जाय ।

श्री विजयसिंह (मकराना) **:** प्रश्नकर्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ।

प्रश्न संख्या 643

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 644

श्री सांवरमल वासोतिया ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

क्रम संख्या 645

श्री मोतीलाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सुआलाल चौधरी ।

मौजा सेवा में भूमि का आवंटन

646. **श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मौजा सेवा तहसील दूदू में खसरा नं० 1527, 1528, 2173, 2945, 786, 2338, 265, 3548, 273, 3329, 1398, 148, 246, 249, 638, 265 का खसरा गिरदावरी में किसकी खातेदारी में है ? इसकी किस्म जमीन क्या है, क्या उक्त नम्बर किसी को *आवंटित*

(श्री सुवालाल चौधरी)

किये गये हैं ? अगर हां, तो किसको और कब ? क्या जिन्हें यह भूमि दी गयी वे उस भूमि पर काश्त करते हैं ? क्या उक्त नम्बरों में गोचर भूमि के नम्बर भी हैं जो काश्त के उपयोग में आते हैं ? अगर हां, तो काश्त कौन करता है व आज तक कितना लगान जमा कराया गया है ?

(2) उक्त नम्बरों में संवत् 2009 से संवत् हाल की रवी में किस किस व्यक्ति ने क्या-क्या काश्त किया है, उसका नाम व जिन्स का नाम अंकित किया जाकर सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) उक्त नम्बरों में यदि कोई नम्बर आवंटित किया गया है तो किस तारीख को व किस किस सदस्य के हस्ताक्षरों से व किसको आवंटित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। श्री सालोदिया।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह आश्वासन दिया जाय कि इस सवाल का जवाब कब दे देगें ?

श्री सुआलाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा।

श्री विजयसिंह : जिनके बारे में पूछा गया है वह पी० सी० सी० के मेम्बर हैं इस वजह से स्थगित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह रवैया ठीक नहीं है। इस बारे में कल भी वाकआउट किया गया था। अगर आप वाकआउट चाहते हैं तो हम चले जायं।

श्री अध्यक्ष : यह आपकी मर्जी है। मैं क्या करूं ?

श्री विजयसिंह : मैं वाकआउट करता हूं।

(श्री विजयसिंह द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सुवालाल चौधरी : मैं चाहूंगा कि इसका जवाब दिया जाय। इसको इसी सेशन में ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : देख लेंगे। श्री सालोदिया।

सेवा निवृत अधिकारियों की पुर्ननियुक्ति

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में निर्धारित सेवा-काल पूरा हो जाने के बाद किन किन अधिकारियों को रिएम्प्लायमेंट किया गया और क्यों ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखेंगे।

(2) क्या राज्य की बेकारी की समस्या को ध्यान में रख कर इस प्रकार रिएम्प्लायमेंट को भविष्य में बन्द करने का सरकार विचार रखती है।

Page No 7

उप मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जून सन् 1967 से अधिवार्षिकी आयु 58 से घटाकर 55 की गई है। उक्त समय से लेकर अब तक जिन जिन जिन अधिकारियों को पुनर्नियुक्त किया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राज्य शासन ने समय-समय पर पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी नीति जनहित तथा शासन की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित की है जिसके अनुसार सार्वजनिक हित में ही पुनर्नियुक्ति दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि आपकी नीति और कार्य को देखते हुए सवर्णों को पुनर्नियुक्त किया जाता है। इनको रिटायर करने के बाद दूसरे आदमी नहीं मिल सकते हैं अच्छे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो मैं ने सूची पेश की है उसमें आप देखेंगे कि वहां डाक्टर्स अधिक हैं उसके अन्दर और राजस्थान में डाक्टरों की काफी कमी है। उस कमी को मद्दे नजर रखते हुए इस प्रकार के डाक्टरों को पुनर्नियुक्त किया गया है। उनके अलावा कुछ अधिकारी हैं जिनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर कुछ स्पेशल केसेज में और उनके कुछ ऐसे कार्य हैं तो उसकी वजह से नियुक्त किया गया है। और प्रशासन की सुविधा के लिए और उनकी योग्यता को मद्दे नजर रखते हुए किया गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : योग्य आदमी और राजस्थान में नहीं मिलते हैं क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह - मैंने डाक्टरों के लिए कहा है--

श्री जयनारायण सालोदिया : डाक्टर कुछ हैं, वे टेक्निकल हैण्ड हैं, यह मैं मानता हूं, लेकिन डाक्टरों के अलावा हर विभाग में दो-दो, तीन-तीन आदमियों को पुनर्नियुक्तियां दी हैं, तो उनका क्या कारण है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया कि गवर्नमेंट की प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से होता है। यहां पर 3-4 केसेज टीचर्स के लिये हैं तो गवर्नमेंट ने तय किया है कि स्टेट एवार्ड जिन टीचर्स को मिलता है तो उसकी वजह से उसकी आयु रिटायरमेंट की बढ़ जाती है। वे टीचर्स जो पाकिस्तान से डिसप्लेस्ड होकर आये हैं--

श्री अध्यक्ष : टीचर्स का मान लेते हैं। दूसरों को दीजिये।

नेक्स्ट श्रीमती मदन कौर।

बालोत्तरा में औषधालय

648. **श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)**: क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बालोत्तरा स्थित आयुर्वेदिक औषधालय किस श्रेणी में आता है ? इस श्रेणी के औषधालयों में कितना स्टाफ किस ग्रेड का रहता है और कितनी धन-

Page No 8

(श्रीमती मदनकौर)

राशि की दवाइयां वर्ष भर के लिए दी जाती हैं।

(2) क्या बालोत्तरा की जनसंख्या को देखते हुए इस औषधालय को अपग्रेड करने का सरकार का विचार है। यदि हां, तो क्या इसी वर्ष ?

(3) बालोत्तरा के मौजूदा औषधालय में चालू वर्ष (1969-70) में कितना रुपया स्टाफ पर और दवाइयों पर अलग-अलग स्वीकृत किया गया और इसमें से कितना खर्च कर दिया और कितना-कितना देना शेष है ?

(4) क्या उक्त औषधालय में मौजूदा स्वीकृत बजट पर्याप्त समझा जाता है।

उपमन्त्री, आयुर्वेद विभाग (श्री समरथलाल) : (1) सी. श्रेणी में। सी. श्रेणी में निम्नलिखित स्टाफ, उनके सम्मुख अंकित ग्रेड रहता है :—

1. वैद्य सी. श्रेणी—180-10-220-15-385-20-425।

2. उपवैद्य 1—75-4-116-5-140।

3. चतुर्थ श्रेणी 1—60-1-65-2-85।

रु. 1200-00 की औषधियां दी जाती हैं।

(2) जी नहीं, अर्थाभाव के कारण।

(3) विवरण निम्नांकित है :—

स्टाफ	स्वीकृत राशि	व्यय	शेष
1. वैद्य	8000-00	8376-00	—
1. उप-वैद्य			
1. चतुर्थ श्रेणी			
औषध	1200-00	1211-00	—

(4) जी हां।

प्रश्न संख्या 649

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह शेखावत।

रिग्स की खरीद

650. **श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा 1969-70 में कितने रिग्स कब कब किस मूल्य पर किस-किस फर्म से खरीदे गये ?

(2) इस क्रय हेतु कब-कब निविदा आमन्त्रित किये गये, इन निविदाओं पर कब-कब निर्णय लिया गया और इस रिग्स को खरीदने की सम्बन्धित फर्म्स को कब कब सूचना दी गई और कब कब यह रिग्स प्राप्त हुई हैं।

(3) क्या इन रिग्स के आपरेट करने में आवश्यक सामान का भी क्रय किया गया है ? यदि हां, तो क्या-क्या कब-कब और किस-किस मूल्य के ?

Page No 9

(श्री भैरोंसिंह)

(4) उपरोक्त खरीद की राज्य सरकार द्वारा कब-कब स्वीकृति दी गई है ?

उप मंत्री, कृषि (श्री खेतसिंह) : (1) सन् 1969-70 में राजस्थान भूजल मंडल द्वारा 10 परक्यूशन एवं 5 ड्रिलिंग रिगों का आर्डर क्रमशः मैसर्स आर. एन. गुप्ता एण्ड कं. लुधियाना तथा मैसर्स लार्सन एण्ड टुवरो कं. नई दिल्ली को 26-12-69 एवं 1-1-70 को दिये गये। प्रति परक्यूशन एवं रोटरी रिंग का मूल्य क्रमशः 1,61,000 रु. एवं 3,25,500 रु. (विक्रय कर एवं अन्य करों के अतिरिक्त) है।

(2) इस क्रय के लिए निविदा अप्रेल 1969 में आमंत्रित की गई तथा उसकी अन्तिम तिथि 26-5-69 थी। इन निविदाओं पर 10-6-69 एवं 17-6-69 को निर्णय लिये गये। इस क्रय के लिए सम्बन्धित फर्म्स को क्रमशः 11-6-69 तथा 17-6-69 को रिगों के आरक्षण हेतु सूचित किया गया था तथा रिग्स के क्रय आदेश फर्म को 26-12-69 को दिये गये। रिग्स निम्न तिथियों को प्राप्त हुई :—

1. परक्यूशन रिंग 31-12-69 को, 2. परक्यूशन रिंगें 2-1-70 को, 1 परक्यूशन रिंग 20-3-70 को एवं 1 रोटरी रिंग 29-1-70 को प्राप्त हुई। इस वर्ष अब तक आर्डर के अनुसार उपरोक्त 5 रिग्स ही प्राप्त हुई है।

(3) कुछ आपरेटिंग इक्विपमेंट रिग्स के साथ ही खरीदे गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनका मूल्य ऊपर दर्शाये गये रिंग के मूल्य में शामिल है।

(4) उपरोक्त खरीद की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति रिलीफ विभाग के आदेश सं. एफ 4 (1) आर. जी. । वाटर।69-70। 51466-69 से 24-12-69 को प्राप्त हुई।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि राज्य सरकार की स्वीकृति होने से पूर्व ही रिग्स के परचेज आर्डर्स इश्यू कर दिए गए थे।

श्री खेतसिंह : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अभी आपने बताया है। आपकी जानकारी से ही तो मैं पूछ रहा हूं। आपने जानकारी बताई है कि 24-12-69 को आदेश सं. एफ आदि जो आपने बताया उस आर्डर के अन्दर जो तारीख दी हुई है, वह गवर्नमेंट की सेन्क्शन की है और आपने बताया है और आपने यह बताया है कि अप्रेल में टेण्डर इन्वाइट कर लिए गए थे और जून के महीने में फाइनल कर दिए गए थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि परचेजेज के गवर्नमेंट सेन्क्शन होने से पूर्व ही टेण्डर इन्वाइट कर लिए गए। यह सही है न ?

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : तारीख दी हुई है, इसमें अन्तिम तिथि 25 मई थी।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : सुनाई नहीं दिया।

Page No 10

श्री शोभाराम : 26-12-

श्री भैरोंसिंह : यही तो मैं कह रहा हूं। मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या यह सही है कि 29-12-69 को राज्य सरकार की स्वीकृति होने से पूर्व टेण्डर्स आमन्त्रित कर लिए गए थे और परचेज आर्डर इश्यू कर दिए गए थे ?

श्री शोभाराम : आदेश प्राप्त किया है उसके बाद में दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश प्राप्त होने के बाद में परचेज किए गए हैं, पहले नहीं किए गए है।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी बताया है कि 29-12-69 को राज्य सरकार की सेन्क्शन हुई है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि सेन्क्शन से पहले ही टेण्डर्स आमन्त्रित कर लिए गए थे और परचेज आर्डर इश्यू कर दिए गए थे। यह बात सही है ना ?

श्री शोभाराम : इतना कहा गया था कि रिजर्व कर लिये जायं, क्योंकि यह जरूरी था। इसके मायने यह हुए कि राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं होती तो यह स्थिति नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह : यह रिजर्वेशन करने और टेण्डर इन्वाइट करने में अन्तर क्या समझते हैं ?

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं कि इसकी कान्ट्रेक्चुअल पोजीशन में फर्क है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह मानते हैं कि कोई भी सरकारी अधिकारी जब तक राज्य सरकार की फाइनल सेन्क्शन परचेज के बारे में नहीं हो जाय, उस समय तक टेण्डर आमन्त्रित नहीं करे ?

श्री शोभाराम : परचेज नहीं कर सकता है और न कान्ट्रेक्ट कम्पलीट कर सकता है। रिजर्व करने के लिए कहा था इस कन्डीशन पर कि अगर राज्य सरकार मन्जूर नहीं करती है तो परचेज नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि 29-12-69 से पहले अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा परचेज आर्डर इश्यू कर दिए गए थे।

श्री शोभाराम : आर्डर इश्यू नहीं किए गए थे। रिजर्व करने के लिए आर्डर दिए गए थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि 29-12-69 से पहले राजस्थान अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने परचेज के लिए आर्डर दे दिए थे ?

जो डेट्स दी गई हैं उनमें आप यह देखेंगे कि 31-12-69 से पहले रिग्स परचेज हुए थे। उसके बाद में राज्य सरकार ने परचेज किये हैं। एक रिग 31-12-69 को, 22 परक्यूशन रिग 2 जनवरी को, 1 20 मार्च को और एक रोटरी रिग 29-1-70, इस तरह से ये सब पहले से आर्डर दिए हुए थे और उनके लिए राज्य सरकार ने टेण्डर आमन्त्रित कर लिये थे और विभाग ने आर्डर दे दिया था।

श्री शोभाराम : मशीन में जरूरत पड़ी तो कार्यवाही में डिले होने की सम्भावना होती है तो फर्म से कन्टेक्ट करना पड़ता

Page No 11

(श्री शोभाराम)

है। तो इस तरीके से उन्होंने कार्यवाही की।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन यह नहीं है। आप इसको एस्केप नहीं करें, मेरा क्वेश्चन यह था कि क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने टेन्डर्स आमन्त्रित कर लिए और इस प्रकार से उनको रिजर्व करने के लिए आदेश दिए थे सरकार की तरफ से।

श्री शोभाराम : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर आप कहेंगे तो दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि आपकी जानकारी के विना इस प्रकार के आर्डर्स दिये जाते हैं और टेन्डर्स इन्वाइट कर लिये जाते हैं लाखों रुपयों की सम्पत्ति के ?

श्री शोभाराम : यह फाइनेन्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है। फाइनेन्स डिपार्टमेंट इसकी मन्जूरी देता है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने प्रश्न फाइनेन्स डिपार्टमेंट से नहीं पूछा। आपके डिपार्डमेंट से पूछा है, आपकी जानकारी थी या नहीं कि लाखों रुपयों के पर्चेज विना टेण्डर इनवाइट किये और विना मंजूरी किये की जाती है।

श्री शोभाराम : पर्चेज के बारे में कान्फीडेंस में लिया है, लिया गया है—उस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : नहीं साहब, एक क्वेश्चन और। क्या गवर्नमेंट की सेंक्शन नहीं थी और रिग्स पर्चेज करली गई ?

श्री शोभाराम : रिग्स पर्चेज नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह : रिजर्व की हैं।

श्री शोभाराम : इसकी भाषा को देखेंगे तो मालूम होगा कि मजूर नहीं किया है टेण्डर।

श्री भैरोंसिंह : आप पढ़ दीजिये। आप कह रहे हैं कि रिजर्व करायी है तो वह पढ़ लीजिये।

श्री शोभाराम :

श्री भैरोंसिंह : पूरा पढ़ दीजिये।

श्री शोभाराम : इसमें पर्चेज शब्द नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह शब्द नहीं है Subject to approval of the Government ?

श्री शोभाराम : यह इम्पलाइड है यह वतला दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : जिस फर्म को रिग्स को रिजर्व करने के लिए पत्र लिखा है, टेण्डर इन्वाइट करते समय कमिटमेंट किया है और उसके बेसिस पर आप कहते हैं कि

Page No 12

(श्री भैरोंसिंह)

यह सब चीजें Subject to Approval of the Gost थीं ?

श्री शोभाराम : यह टेण्डर इण्वाइट किये गये तो अब तक उनकी मंजूरी नहीं करते हैं यह कह कर कि तुम्हारा टेण्डर मंजूर कर लिया गया है—तब तक उसका लीगल कमिटमेंट नहीं है सिवाय इसके कि रिजर्व कर दे, गवर्नमेंट मंजूरी कर रही है उसके बाद में फाइनल आर्डर देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और। टेण्डर इन्वाइट करने में रुपया फेमिन डिपार्टमेंट से लगा है तो क्या भारत सरकार से अनुमति ले ली गई थी।

श्री शोभाराम : फेमिन डिपार्टमेंट का सवाल था कि किस किस प्रकार कितना फण्ड अलाट हुआ है। बहुत से मामलों में कर देते हैं, भारत सरकार की ओर से कई काम किये हैं और फण्ड का इन्वेस्टमेंट कर दिया है और बाद में मंजूरी ली है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री भैरोंसिंह : पैसा भारत सरकार का है, तो मुख्य मन्त्री से जानकारी करना चाहूंगा कि पर्चेज आर्डर करने से पहले, पर्चेज करने के पहले क्या भारत सरकार से इस स्कीम को एप्रूव करा लिया था ? क्या भारत सरकार ने अनुमति दे दी थी कि रिग्स खरीदी जायं ?

श्री शोभाराम : यह फेमिन डिपार्टमेंट का सवाल है, क्योंकि फेमिन डिपार्टमेंट के फंड्स इन्वाल्व्ड हैं। उनकी फाइल में यह मंजूरी होगी, अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री परसराम गंगाराम।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और। क्या यह सही है कि रिग्स अभी तक काम में नहीं ली जा रही हैं।

श्री शोभाराम : मैंने आपसे कहा कि रिग्स कई 20 मार्च, फरवरी तक आई हैं और डेढ़ महीने उपयोग हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : अब आई हैं उनका उपयोग हुआ नहीं है। आपने पर्चेज करलीं लेकिन उसके पार्टस् नहीं मंगवाये इसलिए पर्चेज करली रिग्स, वह काम में नहीं आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 651

श्री परसराम गंगाराम !

(अनुपस्थित. कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 652

श्री देवीलाल बुरासिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 653

Page No 13

प्रश्न संख्या 653

श्री रामानन्द अग्रवाल :

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये):

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न रह गया, कमीशन एजेन्ट कौन है जिसके माध्यम से यह चीज पर्चेज की गई।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

654. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ईंटों के भट्टे लगाने व पेट्रोल पम्प लगाने हेतु राजकीय भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा क्या प्रणाली अपनाई जा रही है ? ऐसे आवंटन हेतु कौन अधिकारी है ?

(2) दी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (ब्रिक क्लिन लिजेज इन नोन-प्रोजेक्ट एरिया) कन्डीशन्स रूल्स, 1960 कब बने थे और राजस्थान उच्च न्यायालय ने किस तिथि को इन्हें अवैध घोषित किया ?

(3) उक्त नियमों को अवैध घोषित किये जाने के पश्चात् नये नियम बनाने हेतु राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है और नये नियम न बनने तक ऐसे आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्तियों को जो असुविधा हो रही है उसके निवारण हेतु राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ।

(4) पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु राजकीय कृषि अथवा अकृषि भूमि आवंटन किये जाने हेतु राज्य सरकार ने अब तक कोई नियम नहीं बनाये इसका क्या कारण है ? और सरकार कब तक ऐसे नियम बनाने का विचार रखती है और अब तक जो आवंटन हुए हैं क्या वे नियमित हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे अनियमित आवंटन के लिए कौन दोषी है ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) ईंटों के भट्टे लगाने व पेट्रोल पम्प लगाने हेतु नियम राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(2) राजस्थान लेंड रेवेन्यू (ब्रिक-क्लिन लिजेज इन नोन-प्रोजेक्ट एरिया) कन्डीशन्स नियम, 1960 में बने थे और राजस्थान उच्च न्यायालय ने इन्हें 27-7-66 को अवैध घोषित किया ।

(3) उक्त नियमों को अवैध घोषित करने के पश्चात् नियमों के संशोधन हेतु कार्यवाही विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने खातेदार या गैर खातेदार द्वारा अपनी जोत पर 150 वर्ग गज की भूमि पर ईंटों का भट्टा लगाने को डेट्रीमेन्टल टू एग्रीकल्चर नहीं माना है ।

(4) पेट्रोल पम्प स्थापित किये जने हेतु नियम राज्य सरकार के विचाराधीन है तथा शीघ्र ही इनको अन्तिम रूप दे दिया जायेगा । अब तक जो आवंटन हुए हैं वे आरजी तौर पर हुए हैं और उनमें यह शर्त है, भविष्य में जो भी नियमों में इस सम्बन्ध में प्रावधान रखा जायेगा उससे आवंटित वाध्य होगा ।

Page No 14

श्री **मूलचन्द डागा** : यह विचाराधीन की क्या सीमा है ? विचाराधीन सरकार के सामने कितने समय से है ? 1960 मे हाई कोर्ट का यह जजमेंट हो गया, इतने साल के बाद भी निर्णय क्यों नहीं हुआ ?

श्री **देवीदत्त गाड़िया** : विचाराधीन ऐसा ही जैसा मुख्यमन्त्री जी ने आपको मन्त्रिमन्डल में लेने के लिए विचाराधीन रखा था।

श्री **मूलचन्द डागा** : गाड़ियाजी, बीच में कूदें नहीं।

राजस्व मन्त्री (श्रीरामकिशोर व्यास) : उच्च न्यायालय ने ईंटों के भट्टे के संबंध में नियमों को अल्ट्रा वायरस डिक्लेअर कर दिया, इसलिए कानूनी पेचीदगी होने के नाते यह मामला एक्जामिनेशन में है। विधि विभाग की राय आने पर अन्तिम रूप दिया जाकर नियम बनायेंगे।

श्री **मूलचन्द डागा** : नियमों के न होते हुए भी पेट्रोल पम्प के लिए जमीन दे दी, ईंटों के भट्टे के लिए दे दी—यह किस कानून के अन्तर्गत दी ?

श्री **रामकिशोर व्यास** : 102 (ए) आफ राजस्थान लेंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत अधिकार है, अगर नियम नहीं हो तो कर सकती है सरकार। राजस्थान सरकार ने कुछ शर्तों पर आवंटन किया है, शर्तों में यह शर्त भी है कि अन्तिम रूप से नियम बन जायेंगे तो उनके अन्तर्गत जो शर्त होगी उसकी आवंटिति पर पाबन्दी होगी।

श्री **हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : जिन धाराओं का उल्लेख किया है उसमें यह भी नियम बनना चाहिए कि राज्य सरकार इन धाराओं का प्रयोग करेगी ?

श्री **मूलचन्द डागा** : लेंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 102 बताई. उसका नियम बनने के बाद ही पूरा उपयोग किया जा सकता है, उससे पहले नहीं।

श्री **रामकिशोर व्यास** : ईंटों के भट्टे के बारे में बात है, इसमें हाईकोर्ट ने यह फैसला कर दिया था कि यह माइनर और मेजर कन्सेशनल रूल्स में आता है। अब जो कानूनी पोजीशन आई थी वह हल हो गई। अब नियम तैयार हैं। इसके भी, ईंटों के भट्टे के भी एक दो माह में तैयार हो जायेंगे।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट ! श्री गंगासहाय।

सरकारी समितियों की सदस्य संख्या

655. श्री **गंगासहाय** (कठूमर सु.) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में ऐसी सहकारी समितियां कितनी हैं जिनकी सदस्य संख्या 15 से कम है ?

(2) क्या यह सहकारी समितियां 1965 के सहकारी अधिनियम के अनुसार रही है ? यदि नहीं, तो इन सहकारी समितियों को अवसायन में क्यों नहीं लाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन सरकारी समितियों के सम्बन्ध में आडिटरों

(श्री गंगासहाय)

ने समय पर यह रिपोर्ट विभाग को दी है कि ये सहकारी समितियां अवैध हैं इन्हें अवसायन में लाया जावे ?

उपमन्त्री, सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : (1) 2213 सहकारी समितियां हैं।

(2) जी हां अवसायन में लाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जी हां । किन्तु उपरोक्त स्थिति में इनको अवसायन में लाना आवश्यक नहीं है ।

श्री **गंगासहाय** : क्या यह सही है कि पन्द्रह से कम सदस्य सहकारी समिति में होते हैं उसको अवसायन में लिया जाना चाहिए–ऐसा नियम है ?

श्री **रामदेवसिंह** : इस तरह का नियम नहीं है, 53 के अनुसार 10 मेम्बर जरूरी थे और जब दूसरा सन् 65 में अमेंडमेंट हुआ तो उस धारा 78 (2) के तहत आवश्यक नहीं कि रजिस्ट्रेशन के समय दस मेम्बर से कम की सहकारी समिति को अवसायन में लिया जाय ।

श्री **गंगासहाय** : क्या यह सही है कि आडिटर ने आडिट करने के बाद यह रिपोर्ट दी है कि अवसायन में लिया जाना चाहिए।

श्री **रामदेवसिंह** : आडिट ने रिपोर्ट जरूर दी है लेकिन कानूनन जरूरी नहीं है ।

श्री **गंगासहाय** : जो आडिटर ने रिपोर्ट दी है कि सहकारी समिति को अवसायन में लिया जाय ।

श्री **रामदेवसिंह** : हो सकता है उसको कानून का पता नहीं हो ।

श्री **गंगासहाय** : आडिटर का रिमार्क क्या है ? जिन्होंने कहा कि अवसायन में लिया जाय उसका रिमार्क क्या है ?

श्री **रामदेवसिंह** : इंडिविजुअल सोसाइटी के बारे में रिमार्क के बारे में यहां कहना सम्भव नहीं है ।

श्री **हरजीराम बुरडक (लाडनूं)** मौजूदा कानून में व्यवस्था है कि पन्द्रह से कम किसी सहकारी समिति में सदस्य हों तो वह आटोमेटिकली अवसायन में मानी जायगी ?

श्री **गंगासहाय** : जिन आडिटर्स को नियमों का ज्ञान नहीं है उनको आडिटर क्यों रखा गया ?

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर ! नेक्स्ट !

श्री **नत्थीसिंह** (**भरतपुर**) जिनकी पन्द्रह से कम सदस्य संख्या है, क्या राज्य सरकार उनके रजिस्ट्रेशन को वैद्य मानती है ?

श्री **रामदेवसिंह** : माननीय सदस्य को शायद मेरे से भी ज्यादा मालूम होगा कि राजस्थान में सूक्षम इकाई बनाने का एक अभियान चल रहा है ।

श्री **नत्थीसिंह** : वह बिल्कुल अलग बात है, उसका ताल्लुक नहीं है । कानून में लिखा

Page No 16

(श्री नत्थीसिंह)

हुआ है कि पन्द्रह सदस्य से कम की सोसाइटी नहीं होगी। सक्षम इकाई में सौ, दो सौ सदस्य हों—वह अलग बात है, लेकिन अभी पन्द्रह से कम की नहीं रह सकती।

सहकारिता मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) अध्यक्ष महोदय, जवाब दिया था, पहले के एक्ट के माफिक, 53 के माफिक जिन सोसायटी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद जब 1965 में एक्ट बना तो उनको मान लिया गया। इस वजह से जो सोसाइटियां रजिस्टर्ड हैं उनको वैधानिक समझा गया। अब माननीय सदस्य को अच्छी तरह से मालूम है कि अमलगमेशन की स्कीम चल रही है। इसका मतलब यह है कि पंचायतों की तरह इस यूनिट को भी वाइएवल बनाना चाहते हैं और उसके तहत छोटी सोसाइटी बड़ी सोसायटी में मिलाई जा रही है। और कई मिल चुकी हैं। माननीय सदस्य को पता नहीं है।

श्री **हरजीराम बुरडक** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को टाल रहे हैं।

मंत्री महोदय।

श्री **नत्थीसिंह** : क्या यह सही है कि अमल्गमेटेड सोसायटी, वायेबल सोसायटी के सम्बन्ध में जो आपका अन्तिम लक्ष्य था, उसकी तिथि निकल चुकी है, उसके बाद भी आप 15 सदस्य संख्या से कम वाली सोसायटीज को मान्यता दे रहे हैं?

श्री **रामदेवसिंह** : अलग से प्रश्न है।

श्री **नत्थीसिंह** : अलग से प्रश्न तो नहीं है।

श्री **अमृतलाल यादव** : उन सोसायटीज का अमलगमेट किया गया है, कार्यवाही पूरी हो चुकी है, आप जो फरमा रहे हैं वह हमारे नोटिस में नहीं है।

श्री **नत्थीसिंह** : नोटिस में तो सब है।

श्री **अध्यक्ष** : स्थगित प्रश्न। श्री मूलचन्द डागा।

श्री **मूलचन्द डागा** : प्रश्न संख्या 656।

श्री **अध्यक्ष** : स्थगित प्रश्न। समय अवशेष होने पर मैं वापिस ले लूंगा। प्रश्न संख्या 440।]

श्री **देवीदत्त गाडिया** (बांरा) : अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत से प्रश्न रह गये हैं, आधा घंटा स्थगित प्रश्नों के लिये।

श्री **अध्यक्ष** : छोटी छोटी बातें मत उठाइये। 440

स्थगित प्रश्न

(1-4-70)

राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

440. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन सम्बन्धी मामलों में राज्य सरकार अथवा

(श्री मूलचन्द डागा)

राजस्व मण्डल द्वारा गत 3 वर्षों में कितने राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? ऐसे अधिकारियों के नाम व अन्य विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2) ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब से जांच विचाराधीन है और 6 माह से अधिक किन किन मामलों में समय लगा और उसका क्या कारण है ?

(3) किन किन अधिकारियों को ऐसे मामलों में गत 3 वर्षों से दंड किस रूप में दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) गत 3 वर्षों में ऐसे मामलों में अधिकारी के अनियमित कार्य की सर्व प्रथम जानकारी किस तिथि को हुई और उसके विरुद्ध जांच किस तिथि को आरम्भ हुई ? विभागीय जांच आरम्भ करने में यदि कोई देरी हुई तो उसका कारण बताये जाने की कृपा करें।

(5) क्या राज्य सरकार यह अनुभव नहीं करती कि आवंटन सम्बन्धी अधिकारी जो नियमों के अन्तर्गत तहसीलदार को दिया गया है उसका बहुत दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार किसी अन्य अधिकारी को आवंटन सम्बन्धी अधिकार देना आवश्यक समझती है ?

उपमन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसे स्थगित किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : देखिये साहब स्थगित को फिर स्थगित ?

इन्र्जन किये हुए को फिर इन्र्जन किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : वह हुकम में देख लूंगा।

स्थगित प्रश्न 456।

स्थगित प्रश्न

(1-1-70)

परमवीर चक्र, महावीरचक्र आदि प्राप्त व्यक्तियों को सुविधाएं

456. श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान प्रान्त में किन किन व्यक्तियों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीरचक्र, अशोक चक्र, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा उनके या उनके वारिसों के प्रार्थनापत्र देने पर क्या क्या सुविधाएं नकद, सिंचित या असिंचित भूमि के रूप में किन किन को किन किन स्थानों में किस प्रकार प्रदान की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि श्री परताबा ड्राइवर, उत्तरी रेलवे जोधपुर डिवीजन

(श्री बृद्धिचन्द जैन)

निवासी बाड़मेर श्री चेतनराम भूतपूर्व पी. डब्लू. आई. निवासी ग्राम खडीन तहसील बाडमेर को अशोक चक्र श्रेणी 2 एवं अशोक चक्र श्रेणी तीन क्रमशः प्राप्त हुए ? यदि हां, तो क्या उन्हें नकद एवं भूमि सिंचित असिंचित राज्य सरकार की ओर से प्रदान की गई ? अगर नहीं तो देरी के क्या कारण हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार उन्हें जल्दी से जल्दी नकद एवं भूमि के रूप में सुविधाएं प्रदान कर उनके अधिकारों की रक्षा करेगी ?

उपमन्त्री राजस्व (श्री खेतसिंह) :

(1) राजस्थान राज्य में जिन व्यक्तियों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोकचक्र, प्रथम द्वितीय, तृतीय श्रेणी प्राप्त हुए हैं उनकीसूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उनके या उनके वारिसों के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर जो जो सुविधाएं दी गई हैं वे भी उपरोक्त सूची में उल्लिखित है।

(3) जी हां, यह सही है कि श्री प्रतापा को अशोक चक्र श्रेणी दो व श्री चेतनराम को अशोक चक्र श्रेणी तीन प्रदान किये गये हैं। राज्य सरकार के वर्तमान नियमों के अनुसार श्री प्रतापाराम के राजस्थान के निवासी न होने के कारण वे कोई सुविधा के भागी नहीं हैं। श्री चेतनराम को भूमि आवंटन हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

(4) राज्य सरकार इस मामले की छानबीन करके आवश्यक कदम अतिशीघ्र उठायेगी ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री बृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह प्रतापाराम ड्राइवर बाड़मेर के रहने वाले हैं मैंने अपने प्रश्न में भी स्पष्ट किया है कि बाड़मेर के रहने वाले हैं, आपने भी जो सूची दी है, उसमें प्रतापाराम ड्राइवर के लिये विचाराधीन लिखा है. फिर कैसे कन्सीडर नहीं किया जायगा ? यह बाड़मेर के ही रहने वाले हैं, फिर कैसे उनका केस रिजैक्ट कर दिया जायगा ?

श्री खेतसिह : बाड़मेर के जिलाधीश ने लिखा है कि श्री प्रतापाराम राजस्थान के निवासी नहीं हैं। अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बाड़मेर के रहने वाले हैं तो फिर से जानकारी करवा ली जायगी और वे बाड़मेर के रहने वाले हैं तो उनको वे सुविधाएं दी जायेंगी ।

श्री बृद्धिचन्द्र जैन : कब तक सुविधाएं प्रदान कर देंगे, सिंचित भूमि और राशि कब तक दे दी जायेगी ?

श्री खेतसिह : अशोक चक्र वालों को नियमों के अन्दर कोई राशि प्रदान करने का प्रावधान नहीं है, भूमि देने का प्रावधान है, वह कार्यवाही जल्दी से जल्दी कर दी जायगी ।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : श्री पूनमसिंह की माता को पेन्शन देने का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है ?

श्री खेतसिह : पेन्शन का निर्णय लेना भारत सरकार के आधीन है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : श्री पूनमसिंह पुलिस विभाग के थे, इसलिये उनका पेन्शन का निर्णय राजस्थान सरकार को ही लेना है।

श्री खेतसिंह : तो पुलिस विभाग से पूछिये।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मुख्यमन्त्री ने श्री सेतानसिंह के भाई को कहा था कि नौकरी दूंगा लेकिन उनको कई दिन जोधपुर और जयपुर के बीच में चक्कर लगाने पड़े और कुछ नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री विजयसिंह : सेतानसिंह वह व्यक्ति थे जिन्होंने चीन और भारत की लड़ाई में भारत की नाक रखी थी, मुख्यमन्त्री ने आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाडिया (बांरा) मुख्य मंत्री तो जहां भी जाते हैं कुछ न कुछ आश्वासन देकर आते हैं, कहीं मेडिकल कालेज का आश्वासन दे आते हैं कहीं और कुछ आश्वासन दे आते हैं, मुख्य मंत्रीजी आदत से लाचार हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

(शोरगुल-अश्रव्य)

491 प्रोफेसर केदार।

श्रीमती मदनकौर : 483 आपने पुकारा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पुकारा था, फिर ले लूंगा।

उपनिवेशन मन्त्री।

पोंग बांध के विस्थापितों के सम्बन्ध में समझौता

491. **प्रो० केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) पंजाब सरकार से पोंग बांध के विस्थापितों को राजस्थान केनाल पर बसाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कब समझौता किया ? समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इन विस्थापितों को कुल कितना रकबा अलॉट किया गया ?

(3) आज तक इन विस्थापितों के कुल कितने परिवार आकर राजस्थान केनाल क्षेत्र पर बसे हैं ?

राज्य मन्त्री, उपनिवेशन (श्री मनफूलसिंह) : (1) निदेशन कमेटी की नवीं बैठक दिनांक 4-11-65 में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार विस्थापितों के लिये राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में 3.25 लाख एकड़ भूमि आरक्षित करेगी। उक्त अवतरण के आइटम संख्या 3 की प्रतिलिपि संलग्न है। मुख्य मन्त्रियों की प्रथम बैठक दिनांक 10-7-68 में सचिवों की कमेटी की सिफारिश पर राज्य सरकार ने घोषणा की प्रथम स्टेज 1970-71 तक विस्थापितों को 1.9 लाख एकड़ भूमि अलॉट की जा सकेगी।

Page No 20

(श्री मनफूलसिंह)

(2) उन विस्थापितों को कुल 6372 एकड़ रकबा अलॉट किया गया है।

(3) पुख्ता तौर पर अभी तक कोई परिवार वहां पर विस्थापित नहीं हुआ है। रबी एवं खरीफ फसल के लिये हो आते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने केनाल पर उन लोगों को बसाने की जिम्मेदारी ली थी जो 1960-61 में ओल्ड सेटलर्स हैं पोंग डेम में।

उपनिवेशन मन्त्री, (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय अध्यक्षजी, असल में आउस्टीज की डेफिनेशन क्या हो, यह मामला विचाराधीन है, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है वही प्रस्ताव हमारा है डेफिनेशन तय करने में। डेफिनेशन तय होने पर माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी।

श्री केदारनाथ : कितने परिवारों को बसाया जायगा, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का कमिटमेंट क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 12 हजार विस्थापित परिवारों को।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार) : क्या यह सही है कि योजना जब प्रारम्भ में बनी थी, उस समय 12,000 विस्थापितों को बसाने का सवाल था ?

श्री मनफूलसिंह : मुख्य मन्त्रियों की मीटिंग में यह निर्णय ले लिया गया था कि 12 हजार परिवारों को बसाया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : पहले यह निर्णय लिया गया था क्या ?

श्री मनफूलसिंह : दुबारा निर्णय लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : यही तो मैं पूछ रहा हूं। क्या यह सही है कि पहले जो निर्णय लिया गया था, उसमें 5000 परिवारों को बसाने का कमिटमेंट किया गया था न कि 12,000 विस्थापित परिवारों को बसाने का ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शुरू में प्रतापसिंह कैरो चीफ मिनिस्टर पंजाब के थे तो उन्होंने आंकड़े भेजे थे, उसको काफी अर्सा हो गया है और पोपुलेशन यानि फैमिलीज के पर्सन्स बढ़ जाते हैं, पोपुलेशन बढ़ गये हैं। और एक कम्पलीट सर्वे, और हाइट भी ऊंची लेने का निर्णय हुआ इसलिये वे आंकड़े सही नहीं हैं। हमारा उनको यह कहना है कि सही आंकड़े प्रस्तुत हों, ताकि पता चल सके कि कितनों को बसाना है, फैमिलीज की संख्या का सवाल नहीं है। पोंग डेम और दूसरों से अफेक्टेड के लिये 3 लाख 25 हजार एकड़ जमीन राजस्थान केनाल एरिया में सुरक्षित रखी है, एज पर डिसिजन।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या पोंग डेम से आये हुए ऐसे विस्थापितों को आप जमीनें देंगे जो पेशे से एग्रीकल्चरिस्ट् नहीं हैं और दूसरे धन्धों में लगे हुए हैं ? क्या दूसरे धन्धों में लगे हुए लोगों को उन दूसरे धन्धों में नहीं बसाया जायगा ?

Page No 21

श्री शोभाराम (कृषि मन्त्री) : यह एग्रीमेंट हुआ है कि जिनकी वहां जमीनें थीं, चाहे उनका एग्रीकल्चर का प्रोफेशन था या नहीं था, उनको जमीनें देंगे, इस आधार पर तय किया गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो भूमिहीन विस्थापित होंगे, उनको भूमि वहां देंगे या नहीं।

श्री शोभाराम : जितने आयेंगे, चाहे वे दूसरा धन्धा करने वाले हों, यह फैसला किया गया था कि 15 बीघा से जितनी जमीनें कम थीं, उनको 15 बीघा जमीन दी जायगी और जिनके पास 15 बीघा से ज्यादा जमीन थी, उसको 25 बीघा जमीन दी जायगी। जो इस प्रकार से काम कर रहे थे, उनके लिए आउटसाइट प्रबन्ध किया है, जमीनें देने का नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो जो भूमिहीन लोग हैं क्या सरकार की नीति जब राजस्थान में इस प्रकार की है जहां पर भी ऐसा प्रश्न उठता है, भूमिहीनों को पहले देना है तो वहां जो भूमिहीन विस्थापित होंगे, उन लोगों को जमीन देंगे और केवल प्रापर्टी के आधार भी लोग चाहे काश्त करते हों तो जो आपके समाजवाद का दृष्टिकोण है।

श्री शोभाराम : यह पता लगाना मुश्किल है फिर तो डूप्लिकेट जमीन देनी होगी। किसी के पास 10 बीघा जमीन है 4 मजदूर काम करते हैं तो फिर रिकार्ड की चीज है जिसकी काश्त थी उस आधार पर समझौता हुआ है।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो दूसरा है। जो यहां भूमिहीन हैं और जो खेत मजदूर हैं, सब हट रहे हैं तो सरकार की नीयत नहीं कि उन लोगों को जमीनें देने में प्राथमिकता दी जाय ?

श्री शोभाराम : उनके लिए ऐसा प्रावधान नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार इस सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : श्री गोरधन सोनी

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या यह सही है कि बाड़मेर में फेयर रेंज के विस्थापितों के लिए एक एकड़ जमीन भी सुरक्षित नहीं की गई है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने कभी यह प्रश्न हिमाचल प्रदेश सरकार से या केन्द्रीय सरकार से उठाया है कि ऐसे लोग जिनकी कि वहीं की जमीन हो लेकिन खुद काश्त करते नहीं हों, उनको जमीन देने को वाध्य न करें और जो खेती का धन्धा करते हैं ऐसे लोगों को जमीन दी जाय, इसके अनुसार चलना चाहिए, यह सवाल उठाया था या उठाने का विचार रखते हैं।

श्री शोभाराम : यह अलग से प्रश्न है विचारणीय पोइन्ट यह है कि जो कुछ

(श्री शोभाराम)

बातें गंगानगर के सिलसिले में, वहां के आदमियों को 25 बीघा से नीचे डिफीशियेन्सी पूरा करने की बातें आपके सामने आई, उनको पूरा करने के बाद 3,25, 800) से अनोपगढ़ शाखा एक लाख रुपए तक की कमिटमेंट हुई, उसको ही पूरा करना मुश्किल हो रहा है। अब तो सवाल आता है कि कमिटमेंट पूरी नहीं हुई और एग्रीकल्चर लेबर जिनका पजेशन है काश्त का. वह महरूम हो जाते हैं। जबकि गंगानगर के लोगों को जमीन देना अनिवार्य हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गोरधन सोनी।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री बालसिंह सोढा : जैसलमेर के विस्थापितों के लिये राज्य सरकार ने घोषणा की थीं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोरधन सोनी।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास 10 सवाल बाकी हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। मंत्री महोदय को एक मिनट भी नहीं लगेगा। क्या यह सही है कि सरकार के आश्वासन के विपरीत जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज के ऐरिया में विस्थापितों को कोई भी जमीन देने की यहां पर व्यवस्था नहीं की गई है ?

श्री मनफूलसिंह (राज्य मंत्री) : कार्यवाही चल रही है और जैसलमेर के जो विस्थापित हैं उनको जमीन दी जायगी, इसके लिए कार्यवाही चल रही है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : 1966 में उनको गाँवों से निकाला गया, आज तक सरकार ने उनको बसाने की व्यवस्था नहीं की है। इस संबंध में मन्त्री महोदय ने दो बार आश्वासन दिया है। मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बालसिंह सोढा : अकाल से पीड़ित मवेशी मर गए हैं, खाने के लिए कुछ उनके पास नहीं हैं, राज्य सरकार उनको बसाने के लिए व्यवस्था नहीं करती।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : (मुख्य मंत्री) इस संबंध में निवेदन कर दूं कि शायद माननीय सदस्य जानते हैं कि इस एरिया के लिए भारत सरकार के समक्ष रिप्रेजन्टेशन्स किए गये हैं कि इस एरिया को फायरिंग रेंज में न रखा जाय इसको एक्सक्लूड करके फायरिंग रेंज का और तरह का नक्शा बने उस सम्बन्ध में जब फाइनल्टी हो जाती है, काम्पेन्सेशन का फैसला हो जाता है, उसके बाद ही उसको दूसरी जगह रीहैबिल्टेड करने की बात सोची जायगी।

श्री बालसिंह सोढा : जिनको बेदखल किया है. उनका क्या होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब रेंज चेंज हो जाता है तो बेदखली का सवाल नहीं होता है, आज काम्पेन्सेशन पैटर्न्स चल रहे है, उनके बारे में ऐसी बात चल रही है।

श्रीबालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कोई सवाल नहीं, आर्डर प्लीज।

Page No 23

श्री बालसिंह सोढ़ा : जो गांव उजड़ गए हैं, उनको कम्पेन्सेशन देने की राज्य सरकार ने व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोरधन सोनी ।

(स्थगित प्रश्न)

(201-70)

कृषि फार्मरिया

476 **श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाम ग्राम रीयां (नागौर) का कृषि फार्म व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने पंचायत समिति को दे रखा है ?

(2) क्या यह सही है कि यह कृषि फार्म निरन्तर घाटे में चल रहा है ? कृपया अब तक का हर वर्ष के नफे नुकसान का व्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि कृषि फार्म पर पम्पिग सैट एवं ट्रैक्टर भी हैं ? कृपया ट्रैक्टर के तेल एवं मरम्मत के प्रति वर्ष के खर्चे की लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि कृषि फार्म से गड़बड़ी व घोटाले की शिकायत राज्य सरकार को की गई ? केस भी बना एवं राज्य सरकार ने उसे पुनः हस्तगत करने के आदेश भी दिए परन्तु अब तक पुनः हस्तगत नहीं किया गया ?

उप मन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां ।

(2) तालिका संलग्न है ।

(3) जी हां । ट्रैक्टर के तेल वं मरम्मत के प्रति वर्ष के खर्चे की तालिका संलग्न है ।

(4) कृषि विभाग में इस सम्बन्ध में शिकायत आई थी । जिसके सम्बन्ध में सतर्कता आयोग ने अपने पत्र दिनांक 1-8-69 तो यह सूचित किया है कि कोई अभियोग सिद्ध नहीं होता है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

श्री गोरधन सोनी : क्या वजह है कि 1961 से 1968-69 तक निरन्तर घाटे में चलने के बाद भी राज्य सरकार इस फार्म को हस्तगित नहीं कर रही है ?

श्री हरिसिंह : सूची में आंकड़े दिए गए हैं. निरन्त लोसेज हुए हैं । तब राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि पंचायत समिति से वापस कृषि विभाग के कन्ट्रोल में आ जाना चाहिए । उसके लिए लिख दिया गया है और शीघ्र ही कृषि विभाग अपने नियन्त्रण में ले लेगा ।

श्री गोरधन सोनी : आज तक क्यों नहीं लिया ? 90 हजार का घाटा हुआ है । 250-260 बीघा जमीन के फार्म में लोग लाखों रुपए कमाते हैं और आप इतने बड़े फार्म में घाटा दिखाते हैं । इस फार्म की तमाम आमदनी का अधिकतर हिस्सा प्रधान स्वयं काम में लेता है और बेचकर खा जाता है और फार्म को नुकसान में दिखाता है ।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ।

श्री हरिसिंह : इस विषय में सन् 1959 के अन्दर कुछ फार्मस लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के आधार पर कुछ पंचायत समितियों को कृषि विभाग द्वारा दिये गये और उद्देश्य यही रहा है कि ठीक प्रकार से चलायें और स्वावलम्बी संस्थायें बनें, परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण कार्य को ठीक प्रकार से मैनेज नहीं कर सके । इसलिए कृषि विभाग ने सन् 1966 में सबसे पहले जोधपुर के उपनिदेशक ने कहा और उन्होंने कार्यवाही वापस कृषि विभाग को ट्रांसफर करने की चालू की । आज परिस्थिति यह है कि अभी तक वह पंचायत समिति के अन्तर्गत है, उसको लेने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये जायेंगे और राज्य सरकार के जितने फार्म्स हैं, उनको मुनाफे में चलाने के लिए हमने अलग-अलग नार्म्स बनाए हैं, कैटेगोराइजेशन किया है और ठीक प्रकार से चलें, उसके लिए पालिसी मैटर्स में परिवर्तन किया है ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि यह प्रधान नाथूराम मिर्धा के दामाद हैं ? क्या नाथूराम मिर्धा ने यह फार्म अपने दामाद को दहेज में दिया है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गोरधन सोनी यह सही है, नाजायज फायदा पहुँचाने के लिए अभी तक वह फार्म सरकार ने हस्तगत नहीं किया है ।

श्री विजयसिंह : यह महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

श्री विजयसिंह : पंचायत समिति के अन्तर्गत जो फार्म....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पेनेल के सभापति महोदय ।

श्री विजयसिंह : जब सभापति महोदय खड़ा हो, तो आपको बैठ जाना चाहिए ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : रिश्वत खाना और पैसे का गबन करना, यह गम्भीर आरोप है, क्या मन्त्री महोदय जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : सहकारिता मन्त्री ।

स्थगित प्रश्न

(2-4-70)

सहकारी समितियों में प्रशासक

494. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान को किस किस स्तर की व किन किन सहकारी समितियों से कब से प्रशासक नियुक्त किए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) शासक नियुक्त करने के बाद उक्त संस्था में क्या क्या सुधार हुए हैं ? प्रशासक नियुक्त करने से पूर्व व अब की तुलना के आंकड़े समिति वार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप मन्त्री सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया स्थगित किया जाय।

श्री नत्थीसिंह : यह प्रश्न पहले भी स्थगित किया गया। यह जानकारी तो विभागों के हाथों में होनी चाहिए, यह आपकी खूबी है, बताइए।

श्री अमृतलाल यादव (सहकारिता मन्त्री) : आपने प्रश्न के भाग (2) में पूछा है 'प्रशासन नियुक्त करने के बाद संस्थाओं में क्या क्या सुधार हुए हैं ? प्रशासक नियुक्त करने से पूर्व व अब की तुलना के आंकड़े समिति वार सदन की मेज पर रखें।' तो सारे राजस्थान की समितियों के सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े रखना कठिन है।

श्री नत्थीसिंह : सारे राजस्थान में प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं क्या ? थोड़ी जगह होंगे।

श्री अध्यक्ष : पोस्पोन्ड।

श्री श्रवणलाल :

आयरन एवं स्टील की खरीद

496. **श्री श्रवणलाल (हिंडौन) :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि आइरन एण्ड स्टील सन् 1965-66 में राधावल्लभ एण्ड सन्स जयपुर से खरीदा गया था ? यदि हां, तो कितना और कितनी कीमत तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि उसका सप्लीमेंटरी भुगतान करीब 40 हजार रुपए का जून, 1968 में किया गया ? यदि हां, तो क्यों और कितनी कितनी राशि का बिल भुगतान किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सच है कि मूल बिलों के साथ इसका भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और 3 साल बाद भुगतान करने का क्या औचित्य है ?

(4) उपरोक्त माल कब कब कितना खर्च हुआ है और कितना इस समय बचा हुआ है ?

उप मन्त्री कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां। कुल माल 1264.095 मैट्रिक टन खरीदा गया है और इसका मूल्य रु० 12,08,214.24 पैसे हैं।

(2) जी हां। सप्लीमेंटरी बिलों का कुल भुगतान रु० 40,467)29 पैसे 16 बिलों के द्वारा किया गया है, जिसकी तालिका सदन की मेज पर संलग्न है। यह भुगतान स्पेसीफिक लेन्थ के कारण किया गया है।

(3) जी हां, 3 जिलों में से स्पेसीफिक लेंड का पैसा काट दिया था, क्योंकि माल की स्पेसीफिक लेंथ उस समय नापी नहीं जा सकी थी क्योंकि माल बहुत मात्रा में था। बाकी स्पेसीफिक लेंथ के बिल फर्म ने देर से दिए और उसका भुगतान 1968 में किया गया है। यह भारत सरकार की जे० पी० सी० के सरक्यूलर नं० 22 दिनांक 23 अगस्त, 1965 के अन्तर्गत किया गया है।

(श्री हरिसिंह)

(4) तालिका 'ब' पर संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

श्री श्रवणलाल : यह तो आपने स्पेसीफिक लेंथ बताई है, वह आप किस आधार पर मानकर चलते हैं ?

श्री हरिसिंह : स्पेसीफिक लेंथ, जैसे वहां वर्कशाप के अन्दर आवश्यकता होती है, एक तो वैसे ही नाट में देते हैं और दूसरी ओर जितनी लेंथ की आवश्यकता होती है, उस लेंथ का आर्डर देते हैं, उसी लेंथ में सप्लाई करते हैं और जे० पी० सी० द्वारा निर्धारित रेट्स के अलावा 50) प्रति टन लेने की फर्म अधिकृत है।

श्री श्रवणलाल : यह तो आपने बताया कि माल बनाने के लिये खरीदा जाता है। जो माल खरीदा गया तो उसको इस बात को ध्यान में न रख कर चाहे जैसा ही खरीद लिया।

श्री हरिसिंह : मैंने बताया कि लेंथ माफिक खरीदा गया ?

श्री श्र [illegible]ल : 40 हजार के आस पास आपने भुगतान किया। तीन साल के बाद भुगतान किया। साइज क्या थी उसको ध्यान में न रखते हुए तीन साल के बाद यह मालूम पड़ा कि लम्बाई कम थी।

श्री हरिसिंह : मालूम तो उस समय ही पड़ गयी थी। मेटिरियल राउन्डेड था और अनवील्डी हो गया था। हजारों केसेज एक दम हमारे सामने आये उसकी एक आदमी द्वारा नपती करना सम्भव नहीं था। बिल्स में भी क्लेम नहीं किया। स्पेसीफिक लेंथ को तो उसकी नपती करना विभाग के लिए सम्भव नहीं था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री किशनलाल वर्मा : प्रश्न संख्या 502।

श्री श्रवणलाल : यह बड़ा गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : खतम हो गया।

श्री श्रवणलाल : यह राधावल्लभ एण्ड सन्स जो कम्पनी है..

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 502।

सहकारिता मन्त्री।

श्री गंगासहाय (कठूमर) **:** नियमों की अवहेलना हुई है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सहकारिता मन्त्री।

श्री गंगासहाय : बिलों पर यह लिखा था कि सप्लाई कर रहे हैं। 50) किलो दिया जावेगा। यह नहीं था ?

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री रामदेवसिंह (उप मन्त्री, सहकारिता) : (1) जी हां।

Page No 27

श्री गंगासहाय : यह घोटाला हो रहा है।

श्री हरिसिंह : घोटाले का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री श्रवणलाल : उन्होंने यह बताया है : 1,264 टन उन्होंने खरीदा। एक एक साल के अन्दर 660 टन खरीदा और 466 टन खर्च किया। इस माल की इतनी जरूरत नहीं थी तो क्यों खरीदा गया था ?

श्री हरिसिंह : 466 टन तो शेष बचा हुआ है। 797 मैट्रिक टन खर्च हुआ है। 25 परसेन्ट हो रहा है। उसकी लैंग्थ और गेज अलग तरह की चाहिये। जब यह बनाते थे तो उसकी आवश्यकतानुसार ही खरीदा गया था।

श्री गंगासहाय : क्या यह सही है कि किलो पर यह लिखा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आॅर्डर। कुछ भी सही नहीं है।

श्री श्रवणलाल : वह माल नहीं है।

गलत रूप से पेमेन्ट किया है। जांच होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। ओर्डर प्लीज। ओर्डर। माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : तीन साल के बाद में जाकर पेमेन्ट किया है।

श्री अध्यक्ष : सहकारिता मन्त्रीजी।

हर प्रश्न पर खड़े होकर प्रश्न का उत्तर दिलाना पड़ रहा है।

श्री श्रवणलाल : लाखों रुपयों का माल खरीदा जाय और जांच न हो।

सही तौर से पेमेन्ट किया है। यह कहते हैं तो जांच करायें या तो आप स्तीफा दे दें या मैं दे दूं।

श्री अध्यक्ष - जांच के सम्बन्ध में आप इसको दूसरे रूप में उठा लीजिये। मैं विचार कर लूंगा। वरना सारा समय ही इसी प्रकार लग जायगा।

श्री श्रवणलाल। गलत उत्तर दिया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सहकारिता मन्त्रीजी।

स्थगित प्रश्न

(3-4-70)

502, **श्री किशनलाल वर्मा** (सिकराय, सु.) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिकन्दरा बहुधन्धी सहकारी समिति, पंचायत समिति सिकराय, जिला जयपुर के विरुद्ध 50,000 रु. गबन करने, पैसे का दुरुपयोग करने एवं अनियमिततायें होने के सम्बन्ध में जांच के वास्ते शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में कब कब शिकायतें की गई और उसके बारे में क्या जांच की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या इस सहकारी समिति के खिलाफ जांच किये जाने के सम्बन्ध में

(श्री किशनलाल वर्मा)

सहकारिता मन्त्री ने आदेश दिये थे ? और यदि आदेश देने पर जांच की गई है तो अब तक प्रबन्धकारिणी के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(3) इस सहकारी समिति के गबन किये जाने, अधिकारों तथा पैसे का दुरुपयोग किये जाने सम्बन्धी जांच किये जाने के सम्बन्ध में किस अधिकारी को कब नियुक्त किया गया ? जांच करने का समय जो बढ़ाया गया क्या उसके सम्बन्ध में जांच अधिकारी से स्वीकृति ली ?

(4) इस सहकारी समिति की जांच करने में तथा उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने में इतना लम्बा समय क्यों लिया गया ? क्या यह बात सही है कि इस सहकारी समिति के विरुद्ध गबन सिद्ध हो चुका है ? यदि गबन सिद्ध हो चुका है, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी इस सहकारी समिति के प्रबन्धक सदस्यों से मिले हुए हैं ? यदि नहीं, तो प्रबन्धकारिणी को क्यों नहीं भंग किया गया ?

(6) क्या यह सही नहीं है कि इस सहकारी समिति के प्रबन्धकारिणी के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने से अनियमिततायें बढ़ी हैं जिनके सम्बन्ध में जनता की तरफ से तथा स्थानीय विधायक की तरफ से शिकायत की गई है ?

(7) क्या यह सही है कि इस सहकारी समिति के मन्त्री श्री नारायण के लड़के राधामोहन जोशी, कनिष्ठ लिपिक को सन् 1964 में उप रजिस्ट्रार द्वारा इस समिति ने धन के दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया था ? यदि नहीं, तो कौन सी वजह से उनको निलम्बित किया गया था और अब बाद में उनको किस प्रकार बहाल करके नौकरी पर पुनः लगाया गया ? कृपया उस समय की उप रजिस्ट्रार द्वारा की गई जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे ।

उप मन्त्री सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : (1) जी हां । शिकायतें वर्ष 1963 व 1964 में तथा 1968 में प्राप्त हुई । दो शिकायतें अप्रैल, 1970 में भी प्राप्त हुई हैं । इन शिकायतों के बारे में फरवरी मार्च, 1964 व जुलाई अगस्त, 4964 में जांच की गयी । विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां । जांच पूर्ण नहीं हुई है । किन्तु दिनांक 4-11-69 को निरीक्षण किया जाकर उसके आधार पर प्रबन्धकारिणी समिति को भंग किये जाने के लिये राजस्थान सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दिये जा चुके हैं ।

(3) जांच अधिकारी निम्न प्रकार नियुक्त किए गये :

(1) श्री डी. आर. जैन, चिफ आडीटर, सहकारी समितियां दिनांक 25-2-64 को ।

(2) श्री लालसिंह चौधरी, उप रजिस्ट्रार (विस्तार) दिनांक. 23-7-64 को ।

(श्री रामदेवसिंह)

(3) श्री प्रतापनारायण भार्गव, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर दिनांक 13-9-68 को ।

सर्वश्री डी. आर. जैन व लालसिंह ने जांच रिपोर्ट समय पर पेश कर दी थी ।

श्री प्रतापनारायण भार्गव द्वारा श्री राधामोहन को नोटिस दिए जाने के बावजूद भी जांच के लिये निश्चित समय पर मौके पर उपस्थित न होने के कारण जांच पूर्ण नहीं की जा सकी तथा उन्होंने समिति का दिनांक 4-11-69 को निरीक्षण किया ।

(4) उपरोक्त खण्ड (3) में दिये गये उत्तर से विलम्ब की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। सर्वश्री नारायण रेवड़ व राधामोहन के विरुद्ध समिति के कुल 4136.75 पैसे दुरुपयोग के मामले सिद्ध हुए जिसके बारे में राजस्थान सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है । श्री राधामोहन 1200) रु. पूर्व में ही जमा कर चुके थे तथा श्री श्रीनारायण से 1283) रु. वसूल हो चुके हैं । शेष रकम की वसूली की कार्यवाही जारी है ।

(5) जी नहीं । प्रबन्धकारिणी को भंग किये जाने के लिये नोटिस जारी किये जा चुके हैं ।

(6) उपरोक्त खण्ड (1) से (5) में दिये गये उत्तर से स्पष्ट है कि समय समय पर आवश्यक कार्यवाही की गई । इस उपखण्ड में अंकित शिकायत का प्राप्त होना रिकार्ड में नहीं पाया जाता है ।

(7) जी हां । नियमित जांच के पश्चात् श्री राधामोहन की दो वार्षिक वेतन वृद्धि तीन वर्ष के रोके जाने के आदेश दिये जाकर उनको बहाल किया गया तथा दिनांक 1-3-69 से वे अब राज्य सेवा में नहीं हैं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत की जाती है ।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री किशनलाल वर्मा : पदाधिकारियों के खिलाफ गबन के आरोप सिद्ध हुए हैं, क्या उनकी कार्यवाही पुलिस को दी जावेगी ?

श्री रामदेवसिंह : जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं, उनमें से बहुत से सिद्ध हो चुके हैं ।

श्री किशनलाल वर्मा : जिन अधिकारियों के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गये हैं, तो उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही करायी जावेगी ?

श्री रामदेवसिंह : विभाग स्वयं करेगा ।

श्री किशनलाल वर्मा : पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाने के लिये कह रहा हूं ।

श्री रामदेवसिंह : दुरुपयोग किया है । गबन नहीं ।

श्री किशनलाल वर्मा : गबन सिद्ध करने का बताया । सिद्ध हो चुका ।

श्री अध्यक्ष : गबन नहीं किया, दुरुपयोग किया ।

Page No 30

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि बेईमानी करते हैं, उनको पद्मश्री और दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य : श्री पदमदान ने 300 मुरब्बा जमीन पर कब्जा कर लिया और उसको पद्मश्री दे रखी है । जानबूझ कर बेईमानी की । उसकी जमीन केन्सिल होनी चाहिये । वापिस छीननी चाहिये ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : कांग्रेस के एम. एल. एज. की जबान बन्द है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

प्रश्न कर्ता । पूछिये ।

श्री किशनलाल वर्मा : सन् 63 से 70 तक 7 साल हो गये । अब तक क्यों कार्यवाही नहीं की गई । इसका क्या कारण है ?

श्री रामदेवसिंह : वैसी बात नहीं है । इसमें 1283 रुपये वसूल कर लिये गये हैं । और बाकी की वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री किशनलाल वर्मा : प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री रामदेवसिंह : विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

श्री किशनलाल वर्मा : पदाधिकारियों के खिलाफ इस बारे में क्यों नहीं कार्यवाही की गई ? क्या राज्य सरकार प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही करने का इरादा नहीं रखती है ?

श्री रामदेवसिंह : कानूनी तौर से जो हो सकेगा, देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री किशनलाल वर्मा : इसकी कार्यवाही नियमानुसार की जाना आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष : यह कहां है वे नहीं चाहते हैं अन्दर ही अन्दर ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इनका मामला भी चैनाराम जैसा होगा ।

प्रश्न संख्या 507

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रकुमार ।

(अनुपस्थित. कृपया आगे देखिये)

(प्रश्न संख्या 508)

श्री रामनारायण ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल :

स्थगित प्रश्न

(3-4-70)

आयरन स्टील की खरीद के लिये आमन्त्रित टेण्डर

520. **श्री श्रवणलाल** (हिंडौन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 31

(श्री श्रवणलाल)

(1) क्या यह सत्य है कि कृषि विभाग द्वारा सन् 1968 में आइरन स्टील की खरीद के लिये टेण्डर लिये गये थे ।

(2) उपरोक्त टेण्डरों में लोएस्ट किस पार्टी का किस किस आइटम में था ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त टेण्डरों में से लोएस्ट पार्टियों से न खरीद कर के सारी खरींद राधावल्लभ एण्ड सन्स से की गई ?

(4) यदि हां, तो क्यों और इसमे सरकार को कितना घाटा हुआ है ?

(5) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त माल का रेलवे फेयर चार्ज आर्डर के अनुसार 10) रुपये फी टन के हिसाब से था, परन्तु वह 50 रुपये फी टन के हिसाब से चुकाया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

(6) क्या यह सच है कि '50) रुपये फी टन दर्ज करने पर भी इस पार्टी की दरों से दूसरी पार्टियों की दर कम पड़ती है ? यदि हां, तो क्यों ऊंची दरों से खरीद करने पर सरकार से स्वीकृत की गई है ?

उप मन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : सूचना एकत्रित की जा रही है । पहले भी निवेदन किया था । अब इसमें 10-12 दिन और लगेंगे ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय फिर प्रश्न को टाल रहे हैं । चूंकि यह राधावल्लभ एण्ड सन्स का मामला है और इसमें घोटाला हुआ है । इसलिए मंत्री महोदय इस प्रश्न को टालते जा रहे है ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, तो लोएस्ट टेण्डर है उसको तो स्वीकार नहीं किया गया और जो हायर टेण्डर था उसको इसमें स्वीकार किया गया है । हजारों रुपयों का इसमें घोटाला है । इसको छिपाने के लिये मन्त्री महोदय समय बढ़ा रहे हैं ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, इसका निराकरण क्या है ?

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन किया गया ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, यह इन इसी सेशन में लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : सेशन लम्बा हुआ तो अवश्य लिया जायेगा ।

श्री श्रवणलाल : इसमें घोटाला अध्यक्ष महोदय ।

श्र देवीदत गाड़िया (वारां) : विधान सभा आकस्मिक रूप से स्थगित कर दिया जाता है । राजस्थान की विधान सभा अन्य विधान सभाओं से सबसे कम चलती है । मुख्यमन्त्री महोदय चाहें तो देख लें, वे इसको आकस्मिक रूप से स्थगित करायेंगे और प्रश्न रह जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : अभी कोई विचार नहीं है । ज्यादा नहीं । माननीय सदस्य... (शोरगुल)...

कृषि मन्त्री महोदय ।

Page No 32

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा क्या निर्णय लिया गया।

श्री अध्यक्ष : मेरे द्वारा, मैंने कहा है प्रश्न स्थगित किया गया। इसके द्वार बन्द हैं। 12 दिन के लिये। नवां, दसवां और 12-वां है इसका। इसको वापिस ले लेंगे। अब आगे चलिये।

श्री विजयसिंह : आपने कहा था, मौके पर उठाना। मौके पर उठा रहे हैं और आप उठाने नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर मौका आने पर उठा लीजिये। चलाइये गाड़ी आगे मन्त्री महोदय।

स्थगित प्रश्न

(3–4–70)

नागौर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत भू-संरक्षण

526. श्री **रामसिंह कुड़ी** (जायल) : **क्या** कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे** :—

(1) क्या नागौर जिले में वर्ष 1966-67 में अकाल राहत कार्यों में भू-संरक्षण विभाग ने कार्य किया ? यदि हां, तो कितने गांवों में एवं उन पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में मेड़ता पंचायत समिति के प्रधान श्री रामचन्द्रजी के गांव हरसोलाव में तत्कालीन भू-संरक्षण अधिकारी ने मजदूरों को पानी पिलाने का व्यय किन्हीं व्यक्तियों के नाम से व्यय होना बताया है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ? किस किस व्यक्ति को कितनी राशि ? अन्य किन किन गांवों में मजदूरों को पानी पिलाने हेतु टंकियों आदि का व्यय दिखाया है ? उन गांवों व व्यक्तियों की नामों की सुविधा मय रकम जो चुकारा की गई मय तिथियों जिनमें कि यह व्यय बताया गया है बताने का कष्ट करें ?

(3) क्या तत्कालीन भू-संरक्षण अधिकारी ने इस कार्यक्रम में कोई गलत व्यय किया जिसकी शिकायत जिला परिषद नागौर ने की ? क्या इस व्यय का आडिट डिपार्टमेंट द्वारा हुआ ? यदि हुआ तो दोनों प्रकार की आडिट रिपोर्टों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखी जावे। यदि कोई जांच विचाराधीन हो तो वे किस किस मुद्दे पर किस अधिकारी के पास कब से विचाराधीन है।

उप मन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। निम्न दो व्यक्तियों के नाम से।

(i) पूनाराम पुत्र रामसुख 144-00

(ii) हेमा पुत्र भेरा 202–50 इसके अतिरिक्त अन्य गांवों की टंकियां सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां। इससे सम्बन्धित भू-संरक्षण कर्मचारियों को सस्पेन्ड किया जा

(श्री हरिसिंह)

चुका है और भूसंरक्षण अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नियुक्ति विभाग को लिखा जा चुका है। आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा कार्यालय में रखी गई)

श्री रामसिंह कुड़ी भू-संरक्षण अधिकारी को किस गबन के केस में सस्पेण्ड किया गया है ? किस केस के बारे में आपने किसको सस्पेण्ड किया है।

श्री हरिसिंह : क्या कहा ?

श्री रामसिंह कुड़ी : आपने अभी बताया है कि भू संरक्षण अधिकारी को सस्पेण्ड किया गया है। यह अभी बताया है।

श्री हरिसिंह : नियुक्ति विभाग को लिख दिया गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चार्जेज क्या हैं ?

श्री हरिसिंह : आपने अभी यह नहीं बताया है कि भू-संरक्षण अधिकारी को सस्पेण्ड कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : सस्पेण्ड किया है या नहीं ?

श्री हरिसिंह : अधिकारी को नहीं किया गया है। जो नान-गजेटेड हैं, उनको किया गया है। जो गजेटेड अधिकारी है उसके लिये नियुक्ति विभाग को पहले लिखना पड़ता है।

उसको सस्पेण्ड करने के पहले जो प्रक्रिया है, वह पूरी होने के बाद किया जायेगा।

श्री रामसिंह कुड़ी : कब लिखा है ?

श्री अध्यक्ष : कब लिखा साहब ?

कुछ दिन पहले लिखा है।

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को यह जानकारी दूंगा कि मिनिस्टर साहब के आदेश देने के बाद भी विभाग के संचालक महोदय ने नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष : यह बता दिया है 22-12-69 को।

श्री रामसिंह : यह गलत है ? कृषि विभाग के कार्यालय ने नहीं लिखा है। कृषि विभाग के कार्यालय से जी. ए. डी. विभाग को नहीं गया है।

श्री हरिसिंह : डिप्टी डाइरेक्टर ने लिख दिया है। फाइनल रिपोर्ट प्राप्त हुई है दिनांक 10-8-69 को और रिपोर्ट के प्राप्त होते ही 22-12-69 को नियुक्ति विभाग को लिख दिया गया है। इसके पहले जो नान गजेटेड स्टाफ इसमें इन्वाल्वड था उसको सस्पेण्ड कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक सीरियस बात कह रहे हैं। कृषि मन्त्रालय ने लिख दिया है किन्तु उसकी कोपी जी. ए. डी. विभाग को नहीं पहुँची है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री हरीसिंह : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह जानकारी में आ सकता है ?

श्री हरिसिंह : जानकारी करली जावेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : विभाग ने कब लिखा है ?

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता को निबट लेने दीजिये। आप पूछिये साहब।

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय, इन्हीं अधिकारी के विरुद्ध एक दूसरी जांच के सिलसिले में मैंने प्रश्न पूछा था और उसमें सरकार की ओर से यह कहा गया था कि उनके खिलाफ उनको सस्पेण्ड करने के लिये सरकार को लिख दिया गया है। परन्तु जब मैंने इसकी जानकारी की तो मालूम हुआ कि यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : कहिये साहब, क्या गलत है ?

श्री हरिसिंह : सस्पेन्ड तो कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : वे तो गजेटेड आफिसर की पूछ रहे हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी : मैं गजेटेड आफिसर के बारे में ही पूछ रहा हूं।

श्री हरिसिंह : मैंने गजेटेड आफिसर के बारे में नहीं कहा है। उन नान-गजेटेड कर्मचारियों के बारे में कहा है कि उनको सस्पेण्ड कर दिया गया है।

श्री रामसिंह कुड़ी : जो प्रश्न आया था सदन में, यह चाहा था कि इन आफिसरों को आप सस्पेण्ड करें, क्लर्क को सस्पेण्ड करने से कोई मकसद नहीं निकलता। और जब यह जानकारी दी गई थी कि आफिसर को सस्पेण्ड करने के लिये जी. ए. डी. विभाग को लिख दिया गया है : मैंने उक्त विभाग से जानकारी की तो पता लगा कि उनके पास अभी तक यह पत्र नहीं पहुँचा है।

श्री हरिसिंह : मैंने निवेदन किया है कि निश्चित तौर पर लिख दिया गया है। प्रक्रिया पूरी होने पर ही आवश्यकता होगी तो सस्पेन्ड कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथ !

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल से यह मामला पेन्डिग है। इसमें हजारों रुपयों का गबन हुआ है और इसको सरकार टाल रही है कार्यवाही करने से और विभागीय संचालक भी नाजायज तौर से इस अधिकारी को संरक्षण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह हो गया। समाप्त हो गया। चलिये आगे।

श्री शोभाराम (कृषि मन्त्री) : आप इस प्रश्न को ही पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, मैंने तो समाप्त कर दिया है।

(श्री अध्यक्ष)

नेक्स्ट । प्रश्न संख्या 532.

स्थगित प्रश्न

(3-4-70)

ट्रैक्टर का कारखाना

532. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जोधपुर शहर में ट्रैक्टर का कारखाना स्थापित करने की घोषणा कर दी है ?

(2) क्या इस सिलसिले में कोई एक्सपर्टस की राय ली गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) इस कारखाने में कितनी राशि खर्च होगी ?

उप मन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) यह सही है कि राज्य में ट्रैक्टर का कारखाना खोलने का निर्णय ले लिया गया है। स्थान का प्रश्न विचाराधीन है।

(2) जी हाँ।

(3) अनुमानित मशीन व बिल्डिंग में 60-70 लाख रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

श्री केदारनाथ : एक्सपर्ट कमेटी कब बनी थी। उसने रिपोर्ट कब दी ?

श्री हरिसिंह : जापान के कोलोबोरेशन से यह तय हुआ था, वहां के एक्सपर्ट आये, उन्होंने यह ओपीनियन दी है, उस पर विचार कर रहे हैं। वैसे राज्य स्तर पर कमेटी नियुक्ति नहीं की गई।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : मुख्यमन्त्रजी ने यह भी घोषणा की थी कि यह कारखाना जोधपुर में खोला जायगा, क्या सरकार उस पर कायम है ?

कृषि मन्त्री (श्री शोभाराम) : बजट स्पीच में भी कहा गया था कि यह कारखाना जोधपुर में लगाया जायेगा। लेकिन जो रिनाउन्ड कम्पनी है उसने वहाँ जाकर सभी तरह की व्यवस्था देखकर के निर्णय नहीं लिया है। सरकार द्वारा तो जोधपुर में लगाने की स्वीकृति है।

श्री रामसिंह कुड़ी : इस घोषणा के अनुसार जोधपुर में ट्रैक्टर का कारखाना लगाने में कम्पनी को कोई आपत्ति है क्या ?

श्री शोभाराम : यह कोलोबोरेशन से स्थापित किया जाने वाला है। हमने अपनी सम्मति उनको दे दी है वे अब उस स्थान को एक्सपर्टस की दृष्टि से देख रहे हैं उनकी अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आयी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जोधपुर के अलावा और भी कोई स्थान आपके ध्यान में है क्या ?

श्री केदारनाथ : राज्य सरकार ने यह जो सिफारिश की है, क्या जोधपुर को ही इसके लिये प्रोपर प्लेस माना गया ?

श्री शोभाराम (कृषि मन्त्री) : जोधपुर उपयुक्त स्थानहै, वहाँ पर मैकेनिकल आदमी

Page No 36

(श्री शोभाराम)

अच्छे अच्छे मैकनिक्स भी हैं। जोधपुर में बड़ी बड़ी फैक्टरीज भी चल रही हैं, ड्राइवर्स, वैल्डर्स आदि सभी वहां रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री किशनलाल वर्मा : प्रश्न संख्या 640

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकि प्रश्नोत्तर

नई नियुक्तियां पर रोक

640. श्री किशनलाल वर्मा: (सिकराय) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकारी विभागों में नई नियुक्तियां आदि पर जो बेन लगा रखा है उसको कब हटाया जायेगा ?

(2) क्या सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए इस बेन की पाबन्दी को हटाने का कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 28% सुरक्षित स्थान देने की जो घोषणा राजस्थान सरकार ने की है उसका बेन लगने से कोई उपयोग नहीं हो रहा है। यदि हां, तो इस घोषणा को कब से कार्यान्वित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) सरकारी सेवाओं में नई नियुक्तियों पर जो रोक लगाई गई थी, उसमें कुछ छूट और शिथिलता देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, (**प्रति संलग्न है**) और जिन पदों के लिये सरप्लस कर्मचारी उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है, उनके लिये भी सामान्य प्रशासन (ग) विभाग द्वारा–अनुउपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है, और उन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं।

(2) प्रश्न नं. 1 के उत्तर की दृष्टि से अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिये इस मामले में कोई पृथक आदेश की आवश्यकता नहीं है। परन्तु जिन पदों के लिये सामान्य प्रशासन (ग) विभाग द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी होने पर नियुक्तियाँ की जाती हैं उसमें निर्धारित अनुपात के अनुसार नियुक्तियां की जानी चाहिये।

(3) उपरोक्त प्रश्न की उत्तर की दृष्टि में रोक (बैन) लगाने के अनुसूचित जाति एवं जन जाति को अनुपातानुसार जिन पदों के लिये छूट दे दी गई है, यह एन. ए. सी. दे दी जाती है, उन पदों पर नियुक्ति करने में कोई बाधा नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 19 देखिये)

बीजोलिया क्षेत्र की पत्थर की खानों पर मजदूरों को सुविधाएं

643. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ तहसील के बिजोलियां क्षेत्र में पत्थर की खानों में हजारों मजदूर काम करते हैं ? यदि हां, तो मजदूरों की कुल संख्या कितनी है ?

(2) क्या इन मजदूरों की सेवा के लिये खानों के मध्य कोई डिस्पेन्सरी है ? यदि नहीं हैं तो क्या सरकार यह उपयुक्त नहीं समझती कि हजारों मजदूर तथा उनके परिवार की सेवा के लिये डिस्पेन्सरी खुलना अत्यन्त जरुरी है ? यदि हां, तो अब वहां डिस्पेन्सरी कब तक खुलवा दी जावेगी ?

(3) क्या मजदूरों के बच्चों के आमोद प्रमोद के लिये भी सेन्टर खुले हुये हैं ? यदि नहीं खोले गये है तो क्या सरकार भविष्य में सेन्टर खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। मजदूरों की निश्चित संख्या की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(2) इसकी सूचना इस विभाग को नही है।

(3) इसकी सूचना इस विभाग को नहीं है।

पलसाना के पास फार्म की भूमि

644. **श्री सांवरमल बासोतिया** (नवलगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सीकर जिले में पलसाना के पास फार्म के लिए जगह रोक रखी है ? यदि हां, तो यह जमीन कुल कितनी है और कब रोकी गई थी ?

(2) इस जमीन पर राज्य सरकार ने अब तक कितना इन्वेस्टमेन्ट कर दिया और किस किस रूप में ?

(3) अब तक राज्य सरकार ने इसमें किस किस चीज की पैदावार की और कितनी कितनी ? कृपया आय व नुकसान का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) पलसाना में एक कृषि फार्म स्थापित किया गया है। इस जमीन का कुल क्षेत्रफल 118-30 ऐकड़ है जो जून 1964 में ली गई थी।

(2) इस फार्म पर अब तक कुल अनावृतक खर्चा 1,36,281) 42 पैसे का खर्चा किया जा चुका है जिसको तालिका संलग्न है।

(3) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

सिरोही में डाक बंगला

645. **श्री मोतीलाल** (रेवदर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए सिरोही के वर्तमान डाक बंगले को सर्किट

(श्री मोतीलाल)

हाउस में परिणित करने एवं अलग डाक बंगले का भवन निर्माण करने की आवश्यकता अनुभव करती है ?

(2) यदि हां, तो अलग डाक बंगले के निर्माण हेतु इस वर्ष क्या प्रावधान रखा गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, सिरोही के डाक बंगले को सर्किट हाउस में परिणित करने के विषय में अभी कोई विचार नहीं है। अतः नये डाक बंगले का भवन भी नहीं बनाया जा रहा है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी समिति महोम्मदपुर में जमीन का आवंटन

649. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : (बानसूर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे—**

(1) क्या सरकार ने ता. 9-10-68 को सहकारी समिति महोम्मदपुर तहसील बहरोड़ जिला अलवर को 27 बीघा 7 बिस्वा जमीन आवंटन करके दखल दिलाने की आज्ञा कलेक्टर अलवर को प्रसारित की थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस सिवाय चक भूमि पर इस गाँव के कुछ लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिये है और तहसीलदार बहरोड ने उनको बेदखल करने के लिये दफा 91 लैंड रैवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस दिये है ? यदि हां, तो कब, और अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गई है।

(3) क्या सरकार इस सहकारी समिति को अब अपनी आज्ञा के अनुसार जमीन दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम मंगलाना में भूमि का आवंटन

651. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अर्जुनाराम प्रधान पंचायत समिति परबतसर को परबतसर तहसील के गांव मंगलाना में राजकीय भूमि आवंटन करने हेतु जिलाधीश नागौर ने तहसीलदार परबतसर को कोई आदेश दिया था ?

(2) यदि हां, तो क्यों तथा क्या इस प्रकार आदेश देने का कलेक्टर नागौर को भू-आवंटन नियम में प्राधिकृत किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि अर्जुनाराम प्रधान पंचायत समिति परबतसर गांव मंगलाना के रहने वाले नहीं हैं तथा वे भूमिहीन काश्तकार भी नहीं हैं ? बल्कि उनके पास उसके गांव में उनके व उनके परिवार के नाम काफी जमीन है ?

(4) क्या यह सही है कि अर्जुनाराम के लड़के बाबूलाल आदि व उसकी स्त्री ने तहसील परबतसर के भकरी व टापडा आदि गांवों में सैकड़ों बीघा जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है ? क्या यह भी

Page No 39

(श्री परसराम गंगाराम)

सही है कि गांव मंगलाना में रेगर, बलाई व अन्य अनुसूचित जाति व भूतपूर्व सैनिक काफी तादाद में भूमिहीन हैं ? यदि हां, तो उनको प्राथमिकता न देकर दूसरे गांव के रहने वाले काश्तकार अर्जुनाराम को भूमि आवंटन का आदेश क्यों दिया गया है ? क्या सरकार इस प्रकार के आवंटन को रोकने का आदेश देकर भूमिहीन अनुसूचित जाति के काश्तकारों की रक्षा करने का विचार रखती है ।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि श्री अर्जुनाराम प्रधान पंचायत समिति परवससर को परवतसर तहसील के गांव मंगलाना में राजकीय भूमि आवंटन करने हेतु जिलाधीश ने तहसीलदार की रिपोर्ट पर अपनी सहमति दी थी ।

(2) जिलाधीश ने कोई आदेश नहीं दिये थे, परन्तु तहसीलदार को केवल मार्गदर्शन किया था ।

(3) जी हां यह सही है कि श्री अर्जुनाराम प्रधान पंचायत समिति परबतसर, परवतसर तहसील के गांव मंगलाना के रहने वाले नहीं हैं । वे गांव बाजवास तहसील परबतसर के रहने वाले हैं। यह सही नहीं है कि वे भूमिहीन की तारीग में नहीं आते हैं क्योंकि उनके पास उनके हिस्से की केवल 25 बीघा भूमि आवंटन के वक्त उपलब्ध थी और जिला नागौर में 75 बीघा भूमि तक भूमिहीन माना जाता है अतः उसको 50 बीघा भूमि तहसील आवंटन कमेटी द्वारा और भूमि आवंटन की गई। इनको भूतपूर्व सैनिक होने के नाते प्राथमिकता दी गई है । यह सही नहीं है कि उनके पास न उनके परिवार के पास ग्राम बाजवास में काफी जमीन है । उनके पास ग्राम बाजवास में केवल करीब 9 बीघा जमीन है ।

(4) जी नहीं, यह सही नहीं है । वर्तमान में तो केवल अनुसूचित जाति । जन जाति को ही भूमि आवंटन के आदेश हैं ।

श्री अर्जुनराम भूतपूर्व सैनिक हैं ।

बिजली के बिलों का भुगतान

652. श्री **देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बिजली उपभोक्ता यदि किसी कारण-वश बिजली के बिल का भुगतान न कर सके तो उसका कनेक्शन तुरन्त काट दिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बिजली उपभोक्ताओं को समय पर बिल नहीं दिये जाते है ?

(3) क्या अजमेर जिले के केकड़ी नगर में इस प्रकार समय पर बिल नहीं दिए गए और जिस दिन बिल दिये गए उसके तुरन्त पश्चात् कनेक्शन काटे गए हैं ?

(4) क्या यह सही है कि कनेक्शन कट जाने के पश्चात उपभोक्ताओं को कनेक्शन वापिस करवाने के लिए 35 मील नसीराबाद जाकर फीस जमा करानी पड़ती है और तब कनेक्शन लगाया जाता है ?

(विद्युत मंत्री)

उत्तर

(1) यह सही नहीं हैं कि विद्युत उपभोक्ता यदि किसी बिजली के बिल का भुगतान समय पर न करें तो कनेक्शन तुरन्त काट दिया जाता है । विद्युत मण्डल की कन्डीशन्स आफ सप्लाई के नियम 25 (सी) के अनुसार यदि विद्युत उपभोक्ता बिजली के बिल का भुगतान बिल के भुगतान की तिथि के पश्चात् बिल पर लिखित नोटिस पीरियड के अन्दर न करे तो उसकी विद्युत सेवा का सम्बन्ध विच्छेद किया जा सकता है ।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल उपभोक्ताओं को समय पर बिल देने का पूर्ण प्रयत्न करता है फिर भी कभी कभी कहीं कहीं कुछ देरी हो जाती हैं ।

(3) सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार केकड़ी नगर में विद्युत उपभोक्ताओं को बिल प्रायः समय पर दिये जाते है व जिस दिन उनको बिल दिये गये उसके तुरन्त पश्चात् कोई भी कनेक्शन बिना किसी अन्य कारण के नहीं काटा गया । यदि कोई विशिष्ठ उदाहरण सदस्य महोदय के ध्यान में हो तो सूचना मिलने पर पूरी जांच की जायेगी ।

(4) उपभोक्ता का कनेक्शन कट जाने ने पश्चात् उसे वापिस चालू कराने की फीस नसीराबाद कार्यालय में ही जमा करानी होती हैं क्योंकि रोकड़ विभाग नसीराबाद में सहायक अभियन्ता के अधीनस्थ ही है । कनेक्शन चालू कराने की फीस मनीआर्डर आदि द्वारा आने पर भी स्वीकार कर कनेक्शन पुनः चालू करा दिया जाता है ।

प्लास्टिक के कारखाने

653. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली में प्लास्टिक के कितने कारखाने हैं, उनके कौन कौन मालिक हैं और प्रत्येक में कितने कितने श्रमिक काम कर रहे हैं और कितनी कितनी मशीनें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या राज्य सरकार इन कारखानों को प्लास्टिक बनाने के लिए पाउडर का कोटा देती है ? यदि हां, तो अनेक कारखानों को गत तीन वर्षों से कितना कितना कोटा मिला है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा इस पाउडर का कोटा देने के लिए कोई आधार निर्धारित किया हुआ है ? यदि हां, तो वह आधार क्या है ।

(4) क्या राज्य सरकार ने यह जांच भी कराई है कि यह पाउडर का कोटा इस मशीन और श्रमिक क्षमता से इन्हीं कारखानों के उपयोग में आ जाता है अथवा सरप्लस बचता है ? यदि हां, तो जांच की निकटतम रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पाली में प्लास्टिक के 20 उद्योग

(उद्योग मंत्री)

हैं। अन्य विवरण की सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) जी, हां।

गत तीन वर्षों में उक्त उद्योगों को दिये गये आयात लाइसेंस का विवरण सूची के भाग 6 से 8 में दिया जा चुका है।

(3) जी, हां।

उद्योगों को आयात लाईसेन्स भारत सरकार की समय समय पर घोषित आयात नीति के आधार पर दिये जाते हैं।

(4) जी, नहीं।

सामान्यत: विभाग द्वारा उद्योगों को उन्हें पूर्व आवंटित माल की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए आगे के कोटे के लिये सिफारिश की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(2-4-70)

भूतपूर्व रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के विरूद्ध जांच

470. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) क्या मुख्य मंत्री (नियुक्ति) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजा श्री निरंजनसिह, भूतपूर्व रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के विरुद्ध राज्य विधान सभा में गम्भीर आरोप लगाये गये थे तथा उनकी जांच पुलिस द्वारा की जाने पर वे आरोप सिद्ध पाये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि अब उक्त श्री निरंजनसिह, आई.ए.एस. अधिकारी की नियुक्ति राजस्थान राजस्व मंडल में की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। एक आरोप कोआपरेटिव बैंक से कार खरीदने के सम्बन्ध में पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और आगे कार्यवाही हेतु सरकार के विचाराधीन है दूसरे आरोप चपरासियों की नियुक्ति एवं वेतन भुगतान के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा मुकदमा कायम किया जाकर तफतीश की जा रही है।

(2) जी, हां।

स्थगित प्रश्न

(2-4-70)

बाड़मेर जिले से उत्कृष्ट नस्ल के पशुओं की निकासी

483. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा): क्या पशु-पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले से उत्कृष्ट नस्ल थरपारकर और कांकरेज की उत्तम गायें और बछड़े प्रति वर्ष अन्य राज्यों में जाते रहे हैं ?

(श्रीमती मदन कौर)

(2) यदि हां, तो गत दस वर्षों में कितने कितने पशु प्रति वर्ष इस प्रकार राज्य से बाहर निकास हुए ?

(3) क्या इस प्रकार उत्कृष्ट नस्ल के पशुओं की राज्य से निकासी से बाड़मेर जिले के पशुपालकों की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ा है।

(4) यदि हां, तो राज्य सरकार भविष्य के लिये इस सम्बन्ध में क्या नीति अपना रही है ।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(3-4-70)

उप–वैद्यों की पदोन्नति

507. **श्री महेन्द्रकुमार** (पाड़वा) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में विगत 5 वर्षों में कितने उप-वैद्यों को वैद्य के पदों पर पदोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) राज्य में विगत 5 वर्षों में कितने उप वैद्यों ने विभाग की अनुमति लेकर वैद्याचार्य, आयुर्वेद की रत्न की परीक्षाएं कब कब पास की ? और इन्हें अब वैद्य के पदों पर पदोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें.

(3) राज्य में वैद्यों के स्थान पर जिन उप वैद्यों को पदोन्नत किया गया है उनमें कितने ऐसे हैं जिन्होंने विभाग की बिना अनुमति के वैद्याचार्य आयुर्वेद रत्न आदि की परीक्षाएं पास की हैं ? ऐसी पदोन्नति के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट अ)

(2) गत 5 वर्षों में जिन उप वैद्यों को वैद्याचार्य, आयुर्वेद रत्न की परीक्षा स्वीकृत दी गई है उनकी सूची परिशिष्ट (ब) पर सदन की मेज पर रख दी गई है। वैद्य के पदों पर पदोन्नत की सूचना भी परिशिष्ट (ब) में समाविष्ट है।

(3) व्यक्ति, महाविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों के अभाव के कारण।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

स्थगित प्रश्न

3–4–70)

विदेश यात्रा पर भेजे गये अधिकारी

508. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 5 वर्षों में कितने सरकारी अधिकारी विभिन्न देशों की यात्रा हेतु विदेश भेजे गये तथा उन प्रत्येक पर कितना कितना राज्य तथा केन्द्र सरकारों ने खर्चा किया ?

Page No 43

(श्री रामनारायण चौधरी)

(2) विदेशों से वापिस आकर उपरोक्त अधिकारियों ने किस किस विभाग में कार्य किया तथा जिस समय उनको विदेश के लिये उपयुक्त समझकर चुना गया उस सयम वे किन पदों पर कार्य कर रहे थे ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) अगले वित्तीय वर्ष में किन किन अधिकारियों को विदेश भेजने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा वे किस किस देश की यात्रा करेंगे ?

(4) क्या यह सही है कि श्री भगवतसिंह मेहता, भूतपूर्व मुख्य सचिव भी अपने रिटायरमेन्ट के कुछ महीनों पहिले ही विदेश होकर आये थे ? यदि हां, तो कहां कहां और उन पर कितना व्यय किया गया था ?

उत्तर

(1) अब तक की प्राप्त सूचना के आधार पर 81 अधिकारी विदेश में प्रशिक्षण हेतु गत पांच वर्षों में विभिन्न देशों में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित होकर भारत सरकार द्वारा चयन होने पर भेजे गये सामान्यतया विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण पर जाने के कारण इन अधिकारियों का प्रशिक्षण काल का व अन्तर्राष्ट्रीय व्यय सम्बन्धित योजनाओं द्वारा ही वहन किया गया। वेतन व अन्य भत्ते व हवाई अड्डे तक जाने व आने का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया।

(2) अब तक की प्राप्त सूचना के आधार पर बनाई गई सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची (क)

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। साधारणतया विदेश प्रशिक्षण के लिये यू. के., आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, बंगकोक, मनीला, फिलिपिन्स, थाईलेंड आदि अनेकों देशों में जाते हैं। कौन किस देश में जाता है यह भारत सरकार के चयन करने के बाद ही पता लगता है।

सूची (ख)

हां, श्री भगवतसिंह मेहता 29–9–64 से 15–1–65 तक विदेश यात्रा पर भारतीय जन प्रशासन संस्थान द्वारा रिफ्लेक्टिव ट्रेनिंग कोर्स के अन्तर्गत प्रशिक्षण दल के नेता के रूप में गये थे। विदेश में वे जापान हानुगोलु गये, यू. एस. ए. ग्राम मुगोलवेदला गये।

इन पर इनके वेतन के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा कुछ भी खर्चा नहीं किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कार्यालयों व न्यायालयों के कार्य का समय

673. श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान के कोर्ट आवर्स व ऑफिस आवर्स कितने बजे से कितने बजे तक

(श्री रूपसिंह)

के हैं ? और लंच आवर्स कितने बजे से कितने बजे तक के हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारी ऑफिस आवर्स व लंच आवर्स के मुताबिक कार्य नहीं करते ?

उत्तर

(क) राजस्थान के न्यायालयों का (राजस्थान उच्च न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ न्यायालयों को छोड़कर) व कार्यालयों का समय पूर्वान्ह 10-00 बजे से अपरान्ह 5-00 बजे तक का है। अल्पाहार का समय अपरान्ह 1.30 बजे से अपरान्ह 2-00 बजे तक का है।

(ख) जी नहीं।

सलाहकार समितियां

674. श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में कितनी सलाहकार समितियां अभी तक बनाई जा चुकी हैं व किस किस काम के लिये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन समितियों के सदस्य कौन कौन हैं ?

(स्थगित किया गया)

अस्थाई तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार

675. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के पद पर कितनी अवधि तक स्थाई रिक्त सम्बन्धित कर्मचारियों को स्थाई करने का प्रावधान है ? क्या उस प्रावधान का पालन हो रहा है या नहीं ?

(2) पाली जिले में ऐसे कितने तहसीलदार या नायब तहसीलदार हैं जो 'अस्थायी रिक्त स्थान' पर ता. 1-10-1958 से पहले ही कार्य कर रहे हैं परन्तु अभी तक अस्थाई हैं ? ऐसे नामों की सूची सदन के पटल पर रखी जावे।

(3) पाली जिले में ऐसे अस्थाई तहसीलदारों या नायब तहसीलदारों में ऐसे कितने हैं व कौन कौन है जिन्होंने सम्बन्धित सेवा नियमों के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करली है फिर भी अस्थाई हैं ?

(4) (i) पाली जिले में ऐसे कितने व कौन कौन नायब तहसीलदाल हैं जो ता. 1-10-58 से पहले से नायब तहसीलदार के पद पर कार्य कर रहे हैं पदेनु, अभी तक अस्थाई हैं ? ये अस्थाई किन कारणों से हैं ? (ii) पाली जिले में ऐसे अस्थाई नायब तहसीलदारों में से, ऐसे नायब तहसीदार कितने व कौन कौन हैं जिन्होंने, सेवा, नियम के अन्तर्गत विभागीयपरीक्षा उत्तीर्ण करली है ?

(5) पाली जिले में ऐसे कितने व कौन कौन तहसीलदार हैं जो ता. 1-10-58 के पश्चात् तहसीलदार के पद पर नियुक्त किये गये और उन्हें स्थाई किया गया ?

(6) (i) पाली जिले में ऐसे कितने व कौन कौन तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं जो ता. 1-10-58 के पश्चात् तहसीलदार

(श्री फूलचन्द बाफणा)

अथवा तहसीलदार के पद पर नियुक्त किये गये और उन्हें स्थाई किया गया ?,

(ii) ऐसे स्थाई किये गये तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों में से ऐसे कितने व कौन कौन हैं जिन्होंने सेवा नियमों के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा पास नहीं की हैं ?

(7) ऐसे तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को स्थाई नहीं करने के क्या कारण हैं जो ता. 1-10-68 से पहले से कार्य कर रहे हैं एवं जिन्होंने विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण कर ली हैं ? पाली जिले के ऐसे तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम 1956 के नियम 34 व 36 के अन्तर्गत तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को स्थाई किया जाता है। उक्त प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

(2) (क) दिनांक 1-10-58 से लगातार कोई तहसीलदार पाली जिले में कार्यवाहक के पद पर कार्य नहीं कर रहा है।

(ख) दिनांक 1-10-58 से पूर्व में निम्न नायब तहसीलदार कार्यवाहक नायब तहसीलदार के इनके नाम के सामने अंकित तिथि से कार्य कर रहे हैं :—

नाम	दिनांक
1—श्री गणपतसिंह	7-6-58
2—श्री किशोरमल	14-4-58
3—श्री जिवणसिंह	31-5-58
4—श्री मोहनलाल	19-9-57

(3) श्री गणपतसिंह कार्यवाहक नायब तहसीलदार ने विभागीय परीक्षा सन् 1966 में पास करने के पश्चात् भी स्थाईकरण नहीं किया गया है क्योंकि यह राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम 27 के अन्तर्गत चयन कमेटी द्वारा इनको नायब तहसीलदार के पद के लिये अनुमोदित नहीं किया गया है।

(4) अनुच्छेद 3 का अवलोकन करावें।

(5) वर्तमान में जो कार्यवाहक तहसीलदार के पद पर कार्य कर रहे हैं उन्हें स्थाई नहीं किया गया है वर्तमान में निम्न कार्यवाहक तहसीलदार कार्य कर रहे हैं:—

1— श्री कानसिंह
2— श्री किशोरसिंह
3— श्री देवकृष्ण वोहरा
4— श्री जे. एम. जोहरी

(6) (1) पाली जिले में निम्न तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार जो दिनांक 1-10-58 के पश्चात तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के पद पर स्थापित किये गये है किन्तु इन्हें अभी स्थाई नहीं बनाया गया है :—

1— श्री कानसिंह ना. तहसीलदार
2— श्री किशोरसिंह, तहसीलदार
3— श्री देवकृष्ण वोरा तहसीलदार
4— श्री जे. एम. जोहरी तहसीलदार
5— श्री देवीसिंह हाडा तहसीलदार
6— श्री सज्जनसिंह तहसीलदार
7— श्री देवीसिंह तहसीलदार
8— श्री गोवर्धनसिंह तहसीलदार

(राजस्व मंत्री)

(11) उक्त कर्मचारियों में से किसी को स्थाई नहीं किया गया है ।

(7) जब तक तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम 27 व 28 के अन्तर्गत चयन कमेटी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति ना आ जावे तब तक उनका तहसीलदार व नायब तहसीलदार के पद पर स्थाई करने का प्रश्न नहीं उठता है । कार्यवाहक तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के नाम पैरा 2 (ख) व पैरा 6 से अंकित कर दिये गये है ।

ग्राम ढुंसरा में चारागाह की भूमि

676. श्री **देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील बारां (कोटा) के ग्राम ढूंसरा में कुल कितनी बीघा भूमि किस किस खसरा नम्बर की चरनोट की तथा कितनी पशुओं के पीने के पानी की तलाइयां व तालाब की हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) ग्राम ढूंसरा में मवेशियों की संख्या कितनी है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम की चरनोट, कांकड, तालावव तलाइयों को भी कुछ लोगों ने अवैधानिक ढंग से जबरन फाड़कर जुवार व गेहूं चना को फसल बोई हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने चरनोट व तलाइयां व तालाब की कितनी बीघा भूमि फाडकर फसल बोई और उस पर सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सही है कि ग्रामवासियों व अन्य व्यक्तियों की लिखित शिकायतें जिलाधीश व उप-जिलाधीश तथा तहसीलदार बारां के पास समय समय पर आई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(स्थगित किया गया)

अग्नि काण्ड से क्षति

677. श्री **चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर जिले की तहसील कोलायत के अधिनस्थ ग्रामों में अग्निकान्ड की घटना से किन काश्तकारों के मकान व ढाणी जलने व अग्निकाण्ड से हुए नुकसान की पूर्ति हेतु कितने प्रार्थना पत्र सन् 1968 व 1969 में प्रस्तुत किये गये ? प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, जाति निवास स्थान व दी गई सहायता के रूप में सरकारी धन राशि की मात्रा की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

झालावाड़ जिले में भूमि का आवंटन

678. श्री **लक्ष्मण तानीवाल** (उग) : क्या राजस्व विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 47

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

(1) झालावाड़ जिले में सन् 67-68-69 में प्रत्येक तहसील में कुल कितनी भूमि आवंटित की गई ? सन् 1-1-69 से 1-1-70 तक प्रत्येक तहसील के पास कितनी भूमि आवंटन हेतु दी गई या दी जाने वाली है जिसकी कार्यवाही चल रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) झालावाड़ जिले में भूमि के नाजायज कब्जों के कितने केस हैं इनमें अनुसूचित जाति व जन जाति के कितने व अन्य के कितने ? यह केस कब से चल रहे हैं और इनको कब तक निपटा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जिले झालावाड़ की तहसीलों में सन् 67 से 69 तक भूमि का जो आवंटन हुआ है उसकी सूची संलग्न है।

(2) तहसीलों की सूचना के आधार पर इस जिले में नाजायज कब्जों के केसेज 13496 हैं इनमें अनुसूचित जातियों के 1952 व जन जाति के 2446 तथा अन्य 9098 व्यक्ति बताये हैं इन मुकद्दमात में तहसील पाटन में 24 और चिड़ावा में 651 मुकद्दमात 31-12-66 के कब्जे के हैं बाकी सब मुकद्दमात नवीन सन् 69-70 के दायर हुआ है। राजस्व अधिकारी गण इन्हें निपटा रहे हैं। और शीघ्र ही निपट जाने की आशा है। फिर भी 5-6 माह तो लग जावेंगे।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

कृषि योग्य भूमि का आवंटन

679. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार के पास कृषि योग्य भूमि काबिल एलाटमेंट है ? यदि हां, तो किस किस जिले में कितनी कितनी भूमि कब कब है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त भूमि को अब तक एलाट नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(3) उक्त भूमि को अलाट करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किन किन को भूमि प्राप्त करने का अधिकारी माना गया है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) उक्त भूमि को अलाट नहीं करने के निम्न कारण हैं;—

(क) कुछ भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में होती है।

(ख) जो भूमि शेष रह जाती है उसका अधिकांश भाग अच्छी किस्म का नहीं होने के कारण काश्तकार लेने को उत्सुक नहीं होते हैं।

(ग) प्रार्थना पत्रों के अनुसार ही आवंटन किया जाता है।

(3) (क) भूमि राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1957 में निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार आवंटन की जाती है।

(श्री राजस्व मंत्री)

(ख) इस वर्ष में केवल अनुसूचित एवं अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को ही आवंटन किया जा रहा है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

भाखरा क्षेत्र में भूमि का बेचान

680 **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(1) तहसील नोहर भादरा के भाखरा क्षेत्र में कितने काश्तकारों ने सन् 1968 की 1 जनवरी से 31 जुलाई तक भूमि बेची है तथा कितनी किस भाव पर बेची है ? ग्राम वाईज सूची सदन की मेज पर रखी जाये ।

(2) क्या यह सही है कि उन्हें किश्त की अदायगी न होने की सूरत में भूमि खारिज करने का नोटिस दिया गया था जिससे काश्तकारों ने भयभीत होकर अपनी भूमि बेच कर सरकारी किश्ते जमा करा दी है ?

(3) नोहर-भादरा तहसीलों में वर्ष 68 में कुल कितने रुपये भूमि की किश्तों के रूप में जमा हुए और बाकी कितने हैं ?

(4) क्या यह सही है कि भूमि की किश्त अदा न होने से काश्तकारों की भूमि खारिज कर दी गई है ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों की भूमि खारिज हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

एस. डी. ओ. परबतसर द्वारा फैसल मुकदमें

681. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) एस. डी. ओ. परबतसर जिला नागौर के पास 1967–68 व 1968–69 फरवरी तक कितने केस दायर हुये और कितनों का फैसला हुआ ?

(2) एस. डी. ओ. परबतसर जिला नागौर सप्ताह में कितने दिन हैड क्वार्टर में रहते हैं और कितने दिन बाहर ?

(3) एस. डी. ओ. परबतसर ने 1967 से 1968 तक कितना टी. ए. व डी. ए. सरकारी खजाने से लिया ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखी है ।

(2) एस. डी. ओ. परबतसर सप्ताह में चार दिन हैड क्वाटर पर जो पेशी के लिये मुकर्रर है, रहते हैं । व दो दिन बाहर रहते हैं । लेकिन आवश्यकता अनुसार जरूरी कार्य होने की वजह से कभी कभी हेर फेर भी हो जाता है ।

(3) एस. डी. ओ. परबतसर ने जुलाई सन् 1967 से मई सन् 69 तक कुल रुपया 3,014–55 टी. ए. व डी. ए. के उठाये हैं ।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां

682. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या सैनिक कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भूतपूर्व सैनिकों को राजकीय असैनिक नौकरियों में लेने के लिए 1959 में नियम बन गये हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त नियमों के तहत कितने भूतपूर्व सैनिकों को गजटेड व नान-गजेटेड स्थानों पर लिया गया है और किन किन विभागों में।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त नियमों के अनुसार एक बोर्ड का गठन होना था जो भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों का चयन असैनिक नौकरियों में करता ? यदि हां, तो क्या बोर्ड का गठन हो चुका है ? यदि नहीं, तो बोर्ड की अनुपस्थिति में सैनिक का असैनिक नौकरियों में चयन किस प्रकार किया जाता है ?

(4) क्या उपरोक्त नियमों की प्रतियां विभिन्न विभागों को भेज दी गई हैं ? यदि हां, तो उन पर कितना अमल हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां, भूतपूर्व सैनिकों को असैनिक नौकरियों में लेने के लिए 1959 में नियम बनाये गये थे। प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त नियमों के अन्तर्गत 31 भूतपूर्व सैनिकों को गजैटेड व 1100 नान-गजैटेड स्थानों पर लिया गया है। विभागवाइज सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी हां, उपरोक्त नियमों के अनुसार बोर्ड का गठन हो चुका है।

(4) जी हां, चूंकि ये नियम राजपत्र में प्रकाशित हुए थे अतः पृथक से विभागों को प्रतियां भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

श्री करनपुर में जमीन का आवंटन

683. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चक 14 एफ. एफ. तहसील श्री करनपुर में विलेज सरवेन्ट्स मुआफीदार और किन किन व्यक्तियों को जमीन अलांट की गई ?

(2) अलॉटमेन्ट करने का आधार क्या है ?

उत्तर

1— जो नहीं। चक 14 एफ. एफ. तहसील श्री करनपुर में किसी माफीदार को कोई भूमि अलाट नहीं हुई और ना ही किसी और भूमिहीन को भूमि एलाट हुई है। इस चक में कोई भूमि माफीदाराना की नहीं है।

2— प्रश्न पैदा नहीं होता है।

गंगापुर सिटी की नई मन्डी

684. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सच है कि गंगापुर सिटी (जिला सवाई माधोपुर) की नई मन्डी के नजराना सम्बन्धी मामला काफी अर्से से सरकार के यहां विचाराधीन है ?

(2) यदि हां तो क्यों ? तथा इस पर कब तक निर्णय हो जावेगा ?

(राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

भाखरा क्षेत्र से निकाले गये ग्राम

685. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नोहर-भादरा तहसीलों के भाखरा के किनारे के वे सब गांव जो भाखरा जोन से निकाल दिये गये है, वहां के काबिज काश्त पुराने किसानों को क्या हक्क खातेदारी दिये जावेंगे ?

(2) यदि हां, तो कब तक दे दिये जावेंगे ?

(3) और नहीं तो क्यों नहीं ?

(4) आज तक खातेदारी नहीं देने के क्या क्या कारण हैं ?

(5) भविष्य में इस सम्बन्धी निर्णय कब तक कर दिया जावेगा।

(6) क्या भविष्य में गांव को इकाई न मानकर चक को इकाई माना जावेगा ताकि पूरे गांव के लोग खातेदारी से वंचित न रहें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा एक सदस्यीय मोधी-राम समिति का गठन किया हैं यह समिति अपना प्रतिवेदन 3 माह में प्रस्तुत करेगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

(2) प्रश्न के भाग (1) के जवाब में यह भी आ गया है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) मामला सरकार के विचाराधीन था।

(5) जैसा कि प्रश्न के भाग (1) के जवाब में अंकित है।

(6) जी हां, इकाई चक होगी न कि गांव।

भूमिहीन मानकर अलाट की गई भूमि

686. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या उप-निवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में गोकल हरचन्द्र महेन्द्र रूपा पिसरान प्रेमा कुम्हार साकिन रावतसर का रकबा 110 बीघा खसरा नं0 340 में सम्वत् 2012 से पहले का रिकार्ड में दर्ज है ? यदि हां, तो यह खारिज क्यों हुआ ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(2) क्या यह सही है कि गोकल वगैराह के नाम से सम्वत् 2012 से 2015 तक यह रकबा जमा बन्दी में दर्ज है ?

(3) क्या यह सही है कि डिप्टी कोलोनाइजैशन कमिश्नर राजस्थान नहर योजना बीकानेर द्वारा 1967 में खारिज कर दिया गया और 25 बीघा भूमिहीन मानकर अलाट करने का फैसला किया था?

(4) क्या गोकल वगैराह पिसरान प्रेमा कोम कुम्हार साकिन रावतसर की भूमि बहाल करके उनको हर्जाना दिलाया जावेगा ? यदि हां तो, कितना और नहीं तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह सही है कि आज भी उपरोक्त काश्तकारों का इस भूमि पर कब्जा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ढाल-काल एवं गिरदावरी सम्वत् 2011 से 2014 के अनुसार राजस्थान नहर क्षेत्र में, गोकल, हरचन्द, महेन्द्र, रूपा पुत्र प्रेमा साकिन रावतसर के नाम कोई रकबा रेकार्ड में दर्ज नहीं है ।

(2) सम्वत् 2012 से 2015 तक की जमा बन्दी उपनिवेशन विभाग के पास नहीं है। यह राजस्थान विभाग में है इसलिए प्रश्न का उत्तर वहीं से मिल सकता है ।

(3) जी हां, निर्णय राजस्थान कोलोनाइजेशन टी. सी. लोजेज कन्डीशन्स 1955 के अन्तर्गत लिया गया ।

(4) इन काश्तकारों द्वारा पेश की गई निगरानी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

(5) जी हां ।

गांव गंधेली में जमीन का आवंटन

687. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने है कि कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पीरू पुत्र धन्ना जाट साकिन गंधेली के नाम गाव गंधेली तहसील नोहर में 1965 से पूर्व की भूमि है ? यदि हां, तो कुल कितनी बीघा है और कौन कौन से खसरा नं. में ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि यह भूमि पीरू जाट ने जसाना के जागीरदार से आरजी काश्त पर ली थी ? यदि हां, तो कौन से सन् में जागीरदार से जमीन ली थी ?

(3) क्या यह सही है कि इस आरजी भूमि का खाता तकसीम करके पीरू जाट ने अपने 7 लड़कों के नाम से अलग अलग दर्ज करवा दी ? यदि हां, तो आरजी भूमि का खाता तकसीम किसके आदेश से कब हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि पीरू जाट के विरुद्ध गांव गंधेली के काश्तकारों ने प्रार्थना-पत्र पेश करके शिकायत की है कि गिरदावरी में काट-छांट करके सरकार को धोखा देकर जमीन का नाजायज खाता तकसीम किया है ? यदि हां, तो इस प्रार्थना

(श्री रामचन्द्र आर्य)

पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है, और नहीं तो क्यों ?

(5) क्या इस प्रकार की फर्जी कार्यवाही से सरकार को नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो इस प्रकार से फर्जी कार्यवाही करने वाले कर्मचारी को दण्ड दिया जावेगा ?

(6) क्या यह सही है कि पीरु धन्ना जाट का लड़का श्योकरण गांव गंभेली का सरपंच हैं और प्रभावशाली आदमी होने के कारण इस मामले को दबाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

(स्थगित किया गया)

गंगापुर–मण्डी

688. श्री **श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर मण्डी में स्थिति कृषि उपज समिति की भारी आय होने हुए भी उसकी ओर से मन्डी में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है । यदि हां, तो क्यों तथा भविष्य में विकास कार्य के लिये क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं ?

उत्तर

जी हां, गंगापुर नगर सुधार न्यास का मण्डी समिति पर दायित्व होने के कारण उस भूमि पर कोई विकास नहीं हो पाया है वैसे मन्डी समिति विकास कार्य के लिए खुद सक्षम है ।

भोपाल सागर मिल की भूमि

689. श्री **गणेशलाल** (गंगरार) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भोपाल सागर शुगर मिल के नाम पर कितनी कृषि भूमि है ? उक्त कृषि भूमि सरकार ने कब व किन शर्तों पर मिल को दी थी ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि भूमि पर रहने के मकान बनवाये गये हैं । यदि हां, तो कितने क्षेत्र पर व किसकी आज्ञा से ?

(3) मिल द्वारा कितने एकड़ में गन्ना की खेती व कितने एकड़ में चावल की खेती की जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि को मिल द्वारा बेची जा रही है ? यदि हां, तो अब तक कितनी भूमि बेच दी गई ?

(स्थगित किया गया)

जालौर में काश्तकारों को सुविधाएं

690. श्री **बिरदाराम फुलवारिया** (जालौर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालौर जिले के काश्तकारों को सरकार की ओर से क्या क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं ?

(2) क्या सरकार अकाल को देखते हुए ट्रैक्टरों और बीज की उपलब्धि के लिए काश्तकारों को लोन देने का विचार रखती है, यदि हां, तो किन किन चीजों पर यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(कृषि मन्त्री)

उत्तर

(1) विभाग द्वारा तकनीकी ज्ञान के अतिरिक्त उन्नत बीज, पौध संरक्षण दवाइयां, भूमि सर्वेक्षण के लिए ऋण एवं अनुदान की सुविधा दी जाती है, खाद का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है।

(2) सन् 1969-70 में पिछले वर्ष अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बीज का वितरण उधार पर किया गया था। ट्रैक्टरों के लिए ऋण देने का विभागीय बजट में प्रावधान नहीं है। इस वर्ष बीज उधार पर देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार कर रही है।

बिजली के लिये प्रार्थना पत्र

691. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति केकड़ी की ग्राम पंचायत चौसाल, बास्टा एवं कालेड़ा, कंवरजी के काश्तकारों ने बिजली लेने हेतु प्रार्थना-पत्र दिए थे अगर हां, तो कब और कितने प्रार्थना-पत्र ?

(2) उक्त प्रार्थना-पत्रों पर उन काश्तकारों को बिजली दे दी गई है ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) इन ग्रामों के काश्तकारों से सम्बन्धित कार्यालय में नियमित रूप से प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुये। यह ग्राम विद्युतिकरण के लिये स्वीकृत भी नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम उडसर से कूरजड़ी सणीवाला विद्युत लाइन

692. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) तहसील नोखा के ग्राम उडसर से कूरजड़ी व सणीवाला तक विद्युत् की लाईन इस वर्ष लगाने का सरकार विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सणीवाला की जनता द्वारा विद्युतिकरण के नाम से विद्युत् विभाग के खाते में रुपये जमा करवा रखे हैं ? यदि हां, तो कितने रुपये कब व किसके द्वारा जमा करवाये गये ?

उत्तर

(1) इस वर्ष की योजना अभी नहीं बनी है। अस्तु निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम कंवलीसर से ग्राम कदू व सेरुन्डा बिजली की लाइन

693. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार तहसील नोखा के ग्राम कंवलीसर से ग्राम कदू व सेरुन्डा तक बिजली की लाइन देने का विचार रखती है ? यदि

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

हां, तो वहां बिजली कब तक दे दी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि इस लाइन से काफी बड़े बड़े गांवों को बिजली मिल सकेगी ?

उत्तर

(1)ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

(2) सर्वेक्षण करने के पश्चात् ही कहा जा सकता है।

ग्राम उह में बिजली

694. श्री गंगासहाय (कठूसर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डेह जिला नागौर की जनता ने जिलाधीश द्वारा विद्युत् मन्त्री राजस्थान को एक पत्र डेह ग्राम के विद्युतीकरण हेतु भेजा था ?

(2) क्या यह सही है कि इसके प्रत्युत्तर में विद्युत् मन्त्री के निजी सचिव ने अपने पत्र क्रमांक 42 वि. स. वि. मं. 69 दिनांक 6-2-69 में अतिरिक्त मुख्य अभियंता विद्युत् मण्डल राजस्थान जयपुर को डेह के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने को लिखा था। यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जनता के प्रार्थना पत्र से यह विभाग अवगत नहीं है। मन्त्री, भारतीय जनसंघ समिति, डेह द्वारा प्रेषित पत्र विद्युत् मन्त्रीजी के द्वारा अवश्य प्राप्त हुआ था।

(2) जी हां, सम्बन्धित अधिकारियों को इस ग्राम का सर्वे करने के पश्चात् प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के आदेश दे दिये गये हैं, जो बना ली गई है और विचाराधीन है।

सवाई माधोपुर जिले के कुओं पर बिजली

695. श्री श्रवणलाल (हिंडौन) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर जिले में कई स्थानों पर किसानों ने अपने कुओं पर बिजली लगवाने के लिये सरकार से बराबर प्रार्थनायें की हैं ? यदि हां, तो सरकार इस जिले में कहां कहां नई बिजली लाइन देकर सिंचाई के साधन बढ़ा रही है ?

(2) सन् 1970-71 में जिले में कहां कहां बिजली पहुँचाई जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1969-70 में सवाई माधोपुर जिले के 23 गाँवों के विद्युतीकरण की स्वीकृत दी जा चुकी है। जिसकी सूची संलग्न है।

(2) वर्ष 1969-70 की योजना अभी तक नहीं बनी है।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

नई बिजली की लाईन

696. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में किन किन नये स्थानों पर 1968-69 व 1969-70 में बिजली पहुँचाई गई है। कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। अलग अलग स्थानों का मौजूदा बिजली की लाइन से फासला व उन पर किये जाने वाले खर्चे का भी ब्यौरा देवें ? इन स्थानों का चयन किस आधार पर किनके द्वारा किया गया है ?

उत्तर

उपलब्ध खाद्य सूचना के अनुसार वर्ष 1969-70 में करीब 340 ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है। वर्ष 1099-70 में ऐसे ग्रामों की संख्या करीब 450 है। उन आंकड़ों में कुछ संशोधन, परिवर्तन व परिवर्धन सम्भव है। इन 800 ग्रामों की पूर्व सूची बनाने में कुछ समय लगेगा। अलग अलग स्थानों का मौजूदा बिजली की लाईन से क्या-क्या फासला है यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो गांव विद्युतकृत हो चुके हैं उनका मौजूदा बिजली की लाईन से फासले का प्रश्न नहीं उटता। अलग अलग स्थानों पर लाईन ले जाने पर हुए खर्च का हिसाब नहीं रखा जाता अपितु यह हिसाब खण्ड आधार पर रखा जाता है। स्थानों के चयन का मुख्य आधार ग्रामों की लाइन से समीपता, तकनीकी एवं वित्तीय तौर पर साध्यता एवं लाभदायक होना तथा कृषि उत्पादन एवं कुओं की दृष्टि से सम्पन्नता होना है। उक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए गत वर्ष से जिला कृषि उत्पादन समिति जो सिफारिशें करती हैं उसे ध्यान में रखते हुए उपलब्ध धनराशि के अनुसार विद्युतीकरण हेतु ग्रामों का चयन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल करता है।

ग्राम कोलेता से बिजली

697. श्री पृथ्वीराज पटेल (बामनवास): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि जिला सवाई माधोपुर के ग्राम कोलेता तक बिजली पहुँच चुकी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि आंतरी क्षेत्र जिसमें सुकार, भावना, रिवाली, विचपुर, अमावरा, दुजई तथा चन्दलाई करीब 1-1/2 मील के फासले पर है और यह आंतरी क्षेत्र ग्राम कोलेता से जहां बिजली पहुँच चुकी है–सिर्फ 1-1/2 मील पर ही स्थित है ?

(3) क्या सरकार को विदित है कि इस क्षेत्र में बहुत से कुए ऐसे हैं जिन पर यदि बिजली की सुविधा दे दी जाय तो खेती की काफी उन्नति हो सकती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि यहां की जनता यदि कुओं पर बिजली देने हेतु विभाग कोई फीस चाहे, तो देने के लिये तैयार है।

(5) सरकार की ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतिकरण की क्या योजना है ? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(विद्युत् मन्त्री)

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में कोलेता नाम का ग्राम नहीं मिलता, हां ग्राम गूजर कोलेता विद्युतिकरण किया हुआ ग्राम है।

(2) सही फासला तो सर्वेक्षण करने पर ही बताया जा सकता है, नक्शों के अनुसार एक ग्राम से दूसरे ग्राम की दूरी करीब 1-1/2/2 (डेढ या दो) मील है।

(3) सर्वेक्षण करने पर बताया जा सकता है।

(4) इस क्षेत्र की जनता की ओर से इस प्रकार का प्रस्तव नहीं आया। यदि ऐसा प्रस्ताव हो तो सर्वे किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

(5) वर्ष 1970–71 की योजना अभी तक नहीं बनी है। प्रश्न नहीं उठता।

जेल कर्मचारी

698. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या जेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में कितने स्थानों पर सेन्ट्रल जैल व कितने स्थानों पर सब-जैल हैं, और समस्त जैलों में सुपरिन्टेन्डेन्ट व जैलर व डिप्टी जैलर कुल कितने हैं ? वे कहां के रहने वाले हैं और किस किस जाति के हैं ? वे कितने साल से सर्विस में है और कितने अर्से से एक ही जेल में जहां आज जिस जिले में हाजिर हैं–पर कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या इनपें कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो 3 साल से ज्यादा अर्से से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जैलों में पुलिस फोर्स भी रही है ? यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारी हैं ?

(4) क्या यह सही है कि जैल कर्मचारियों को उनकी सीनियोरिटी के अनुसार पद वृद्धि नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में दो स्थानों पर सेन्ट्रेल जेल व 73 स्थानों पर सब जैल हैं। सेन्ट्रेल जैल्स व सब जैल्स राजस्थान में 6 जिला कारागृह व 2 विशेष श्रेणी उप-कारागृह भी हैं। वर्तमान में जहां सेन्ट्रेल जैल, जिला कारागृह, विशेष श्रेणी उप-कारागृह एवं उप कारागृह संपर्ग के लिये उसकी सूची संलग्न है।

राजस्थान की केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों तथा विशेष श्रेणी उप कारागृहों में अधीक्षक ग्रेड-1, एक, अधीक्षक ग्रेड-2 के तीन, उप अधीक्षक पांच, कारापाल 11 और उप कारापाल 12 कार्य कर रहें हैं।

अधीक्षकों, उप अधीक्षकों, कारापालों और उप कारापालों के स्थान, जाति और सेवा काल तथा अन्य चाहा गया का विवरण परिशिष्ट 'क' एवं 'क-2' में अंकित किया गया है। अतः परिशिष्ट 'क' एवं 'क-2' का अवलोकन करें।

(2) एक कारापाल और दो उप कारापाल इस समय 3 वर्ष से अधिक से एक ही जगह काम कर रहें है। दो उप कारापाल

(जेल मंत्री)

तो अपने जिले से बाहर की जेलों पर है जहां उनका कार्य सन्तोष प्रद रहा है। कारापाल भरतपुर वहीं के निवासी है और उनके द्वारा जेल व्यवस्था ठीक रखी जाने के कारण उन्हें वहीं रखा हुआ है।

(3) नहीं, जेलों में पुलिस फोर्स नहीं रखी जाती है। कारागृह विभाग के प्रहरी और मुख्य प्रहरी ही कार्य करते हैं।

(4) जेल कर्मचारियों को राज्य के नियमानुसार व निर्देशानुसार उनकी सीनियोरिटी के अनुसार ही पद वृद्धि दी जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

जमानत की रकम

699. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोहर) : क्या खादी व ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में ऊन कातने वाली महिलाओं से जमानत के रूप में 10 रुपये व 20 रुपये व 20 रुपये खादी संस्थाओं द्वारा जमा कराया जाता है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत तथा क्या सरकार इस तरह की पाबन्दी को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल शोधक कारखाना

700. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सच है कि सरकार ने सवाई माधोपुर में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार से सिफारिश की है? यदि हां, तो उसकी योजना क्या है?

(2) क्या केन्द्र सरकार की ओर से इस योजना के संबंध में उत्तर मिल गया है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो कब तक मिलने की संभावना है?

उत्तर

(1) जी हां। अभी योजना स्पष्ट नहीं है।

(2) जी हां। मामला अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

इण्डस्ट्रीयल एरिया

701. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जालौर जिले के भीनमाल म्यूनिसिपल एरिया को इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया गया है तथा वहां के कुछ व्यक्तियों को खाद्य विभाग द्वारा इन्डस्ट्री लगाने हेतु कोटा देने की सिफारिश की गई है? यदि हां, तो सिफारिश किन किन व्यक्तियों के सम्बन्ध में की गई है?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उनमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास इन्डस्ट्री न होते हुए भी उनके सम्बन्ध में सिफारिश की गई है? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और जिन्होंने इन्डस्ट्री के नाम पर जो प्लान पेश किया है उसको कितनी कितनी

(श्री गंगासहाय)

लागत लगी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

उदयपुर उप पंजीयन सहकारी विभाग के अन्तर्गत पाली

702. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिला को जोधपुर उप पंजीयन सहकारी विभाग से हटाकर उदयपुर उप पंजीयन सहकारी विभाग के नीचे लगा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले का उदयपुर के साथ प्रशासनिक, सामाजिक और व्यावहारिक तथा आवागमन की दृष्टि से सम्बन्ध एवं सम्पर्क नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध जिले में बहुत रोष एवं असन्तोष है और जिले का जनगत पाली जिले को जोधपुर उप-रजिस्ट्रार सहकारिता के नीचे रखने के अनुकूल है और सहकारी संघर्ष समिति जिला पाली के नेतृत्व में व्यापक विरोध हो रहा है ।

उत्तर

(1) जी हां । प्रशासनिक दृष्टि से ऐसा किया गया है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । जिले में व्यापक असंतोष जैसी स्थिति नहीं है ।

भूमि विकास बैंक

703. **श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक से नया चाह खुदवाने वाले काश्तकार को 2 किश्तों में ऋण दिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि उस काश्तकार को एक किश्त देने पर जब तक दूसरी किश्त नहीं उठाता पूर्ण ऋण पर ब्याज देना पड़ता है ?

(3) क्या उक्त समय का लिया हुआ ब्याज काश्तकार को वापिस लौटाते हैं या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों और वो ब्याज कहां पर जमा रहता है और ऐसा कुल कितना ब्याज बैंकों के निजी खाते में जमा है ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । यदि काश्तकार प्रथम किश्त का उपयोग कर 3 माह के अन्दर द्वितीय किश्त नहीं उठाता है, तो सम्पूर्ण राशि का ब्याज प्रथम किश्त की वितरण तिथि से ही लिया जाता है ।

(3) जी हां । नियमानुसार जैसा कि उपरोक्त खण्ड 2 में वर्णित है, ऋण की सम्पूर्ण राशि पर प्रथम किश्त की वितरण तिथि से ही ब्याज देय होता है । इस प्रकार के ब्याज या रिकार्ड बैंकों में पृथक से नहीं रखा जाता ।

Page No 59

मार्केटिंग सोसायटीज

704, श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितनी मार्केटिंग सोसायटीज है और वे कब से कार्य कर रही है सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि इन सोसाइटीज का आडिट नहीं हुआ है ? यदि हो गया है तो किन किन सोसाइटीज का आडिट होकर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

(3) राजस्थान में कितनी ऐसी मार्केटिंग सोसाइटीज हैं जिनके विरुद्ध गबन के मुकद्मात पेन्डिग हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 148 क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं। ये समितियां कब से कार्य कर रही हैं उसकी सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। आडिट परिशिष्ठ (अ) में वर्णित समस्त समितियों का हुआ है और आडिट रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(3) राजस्थान में 16 क्रय विक्रय सहकारी समितियों के विकास गबन के मुकद्में पेण्डिग हैं। यह सूचना 15 जिलों की (जिनकी सूचना परिशिष्ट (ब) पर संलग्न है) की मार्केटिंग समितियों की है। बाकी जिलों को सूचना उपलब्ध नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

सहकारी संस्थाओं में प्रशासक

705. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि कुछ सहकारी संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं ? यदि हां, तो किस किस सहकारी संस्था में कब कब से किन किन को प्रशासक नियुक्त किया गया ?

(2) संस्थाओं के खिलाफ क्या क्या आरोप सिद्ध हुए थे जिनके आधार पर प्रशासक नियुक्त किये गये थे ?

(3) क्या ऐसी भी सहकारी संस्थाओं के मामले सरकार के ध्यान में आये थे कि जिन पर ऐसे आरोप सिद्ध हो गये थे जिनके आधार पर प्रशासक नियुक्त होना चाहिए था परन्तु प्रशासक नियुक्त नहीं किये गये। यदि हां, तो क्यों ?

(4) उक्त संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

पशु चिकित्सालय के भवन

706. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमाधोपुर व रींगस (सीकर) पशु चिकित्सालयों के

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

भवनों की सरकारी व्यवस्था नहीं है यदि हां, तो क्यों और क्या यह व्यवस्था पर्याप्त है ?

(2) उपरोक्त चिकित्सालयों में कितने पशुओं का इलाज सन् 1967-68,69 व 1970 में हुआ व दवाइयों पर कितना खर्चा हुआ ?

(स्थगित किया गया)

ऊन वर्गीकरण केन्द्र, ब्यावर

707. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि ब्यावर जिला अजमेर में ऊन वर्गीकरण केन्द्र का निर्माण किया गया है ? यदि हाँ तो कब और इससे पहिले ऐसे कितने ऊन वर्गीकरण केन्द्र थे जिनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा था ?

(2) जब पहिले वाले ऊन वर्गीकरण केन्द्रों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा था तो इस केन्द्र के निर्माण का क्या औचित्य था ?

(3) क्या इस समय कोई ऐसे ऊन वर्गीकरण केन्द्र भी है जिनका उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो कौन कौन से और कब कब से ।

(4) क्या इस सम्बन्ध में सरकार की भविष्य में क्या योजना है ?

उत्तर

(1) हां, यह सत्य है कि ब्यावर जिला अजमेर में ऊन वर्गीकरण केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य चालू है । उक्त निर्माण कार्य गत वर्ष चालू किया गया था । इससे पूर्व तीन ऐसे ऊन वर्गीकरण केन्द्र (पाली, नवलगढ़ व नागौर) थे जो उन मन्डी न होने के कारण बन्द करने पड़े ।

(2) इस केन्द्र के निर्माण का औचित्य यह था कि ब्यावर तीन प्रमुख ऊन मण्डियों में से एक होने के कारण तथा आसपास के क्षेत्रों से ऊन की पर्याप्त उपलब्धि को ध्यान में रख कर इस केन्द्र के भवन निर्माण का निश्चय किया गया । यह निर्माण योजना मद से किया गया है जिसका प्रभाव राज्य सरकार के वित्त पर नहीं पड़ता है ।

(3) इस समय पांच ऐसे ऊन वर्गीकरण केन्द्र (पाली, नागौर, नवलगढ़, उदयपुर व बाड़मेर) हैं जो ऊन वर्गीकरण केन्द्र बाड़मेर अकालग्रस्त क्षेत्र में होने के कारण चालू हो नहीं किया गया । इस क्षेत्र से प्राप्त ऊन को ऊन वर्गीकरण केन्द्र, मन्डौर पर भेज दिया जाता है । ऊन वर्गीकरण केन्द्र, उदयपुर ऊन मण्डी न होने के कारण चालू ही नहीं किया गया । इस केन्द्र का भवन स्टेट वेअर हाउसिंग कारपोरेशन को किराये पर दे दिया गया है । ऊन वर्गीकरण केन्द्र, पाली के भवन में इस समय भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी का कार्यालय है तथा कल्पन कार्य होता है । नागौर ऊन वर्गीकरण केन्द्र के भवन में प्रसार अधिकारी तथा जिला भेड़ व ऊन अधिकारी का कार्यालय स्थित है । नवलगढ़ ऊन वर्गीकरण केन्द्र के भवन में भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी का कार्यालय तथा सहायक कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी का कार्यालय स्थित है ।

(4) भविष्य में स्थिति अनुकूल होने

(पशुपालन मंत्री)

पर केन्द्रों को चालू करने का प्रयत्न किया जावेगा।

पशु चिकित्सालय, लाडूंन

708. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पशु चिकित्सालय लाडनूं में कब से चल रहा है और वह यदि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से चल रहा है यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से कोई इकरार किया हो तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या किसी दानदाता ने कोई भवन सरकार को पशु-चिकित्सालय के लिए बनवा कर दिया है ? यदि हां, तो कब, कहां पर और जहां पर वह भवन बना है वह जमीन किसकी है ?

(3) क्या उक्त भवन को सरकार ने अधिग्रहण किया है ? यदि हां, तो कब किन किन शर्तों पर और क्यों ? क्या उक्त भूमि पर भवन बनाने का कोई मालिकाना हक नहीं है ?

(4) क्या यह भवन कृषि भूमि पर अनधिकृत निर्माण कर बनवाया था ?

(स्थगित किया गया)

पर्यटन विकास

709. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य सरकार ने पर्यटन विकास के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाये और किस किस वर्ष में कितने कितने रुपये किस किस कार्य में खर्च किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) पर्यटन की दृष्टि से राज्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं और उनके विकास के लिए क्या क्या योजना बनाई गई ?

उत्तर

राज्य सरकार ने पर्यटन विकास के लिये विभिन्न योजनायें बनाई हैं और उन योजनाओं पर जो खर्च हुआ उसको विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'क' में दी गई है इसके अतिरिक्त पर्यटन विकास के लिये निम्न कदम उठाये हैं :—

(1) पर्यटकों के लिये विदेशी गाड़ियां खरीदी गई और जयपुर एवं उदयपुर में आर. जे. टी. आर. गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई है।

(2) भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा टूरिस्ट गाईड ट्रेनिंग की व्यवस्था भी है।

(3) आबू पर्वत पर वायु सेवा उपलब्ध कराने हेतु योजना भारत सरकार के विचाराधीन है।

(4) कुछ मुख्य मुख्य होटलों को पर्यटकों की सुविधा हेतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा ऋण दिया गया है।

(5) मुख्य मुख्य मार्गों पर टूरिस्ट को मार्ग दर्शन हेतु यातायात चिन्ह उपलब्ध किये गये है।

(पर्यटन मंत्री)

(6) पर्यटकों की सुविधा के लिये कुछ और स्थानों पर भारत सरकार द्वारा मोटलस बनाये जाने की योजना विचाराधीन है ।

(7) पर्यटकों की सुविधा हेतु विभिन्न प्रकार के इनसिर्टस एवं 'लिटरेचर' छपवाये गये हैं ।

(8) जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, दिल्ली, अजमेर में 'इनफोरमेशन ब्यूरो' खोले गये हैं। आगरा व बम्बई में भी 'इनफोरमेशन ब्यूरो' खोले जाने का निर्णय लिया जा चुका है जो शीघ्र ही खुल जायेगें ।

(9) आमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं जोधपुर में जलपान गृह की सुविधा है ।

(2) पर्यटकों की दृष्टि से राज्य में निम्न महत्वपूर्ण स्थान है और उनके विकास के लिये जो योजनाएें बनाई गई हैं उनकी विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'क' और 'ख' में उपलब्ध की गई है ।

जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर चित्तौडगढ, अलवर, सरिसका, कोटा, अजमेर पुष्कर, भरतपुर एवं माऊंट आबू ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

आयुर्वेदिक विभाग, बीकानेर में पिछडी जाति के कर्मचारी

710. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक विभाग बीकानेर में पिछडी जाति के कर्मचारियों को प्रतिशत के हिसाब से अभी तक पूर्ति नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो जिले में आयुर्वेदिक औषधालयों में वैद्य, उप-वैद्य व चपरासी सहित कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जाति के कितने कर्मचारी हैं ।

उत्तर

2 : बीकानेर जिले में आयुर्वेकि औषधालयों में संख्या निम्न है ।

वैद्य	38
उप-वैद्य	21
च. श्रे. कर्मचारी	32
कुल	91

इनमें अनुसूचित जाति का अथवा पिछड़ी जाति का कोई कर्मचारी नहीं है ।

दवाई वितरण के लिए जीप

711. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

बीकानेर जिला आयुर्वेदिक औषधालय निरीक्षक कार्यालय बीकानेर को क्या सरकार इस भयंकर अकाल में ग्रामीण क्षेत्रों की अकाल पीडित जनता को आयुर्वेदिक दवाईयां वितरण करने के लिए कोई जीप देने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

1 : जी नहीं, अकाल पीडित जनता की औषधियां अकाल राहत क्षेत्र शिविर आयुर्वेदिक औषधालय द्वारा की जाती है ।

अलवर में मोटर स्टेण्ड की भूमि

712. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सैनी इंजीनियरिंग वर्क्स मोटर स्टेण्ड अलवर जिस भूमि पर बना हुआ है, वह भूमि कब किसको कितनी कीमत में तथा किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दी गई थी ?

(2) क्या वह उद्देश्य पूरा हो चुका है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(26-3-70)

जिला नागौर में चारागाह की भूमि

337. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला नागौर के किस किस गांव में कितनी कितनी भूमि चारागाह भूमि घोषित की हुई है तथा उन गांवों की पशुओं की संख्या कितनी है ?

(2) भूमि के चारागाह घोषित होने के बाद किस किस ने काश्त करके कब्जा कर लिया है ? सूची सदन की पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पशुओं की संख्या के अनुसार चारागाह भूमि छोडी जाती है ? यदि हां, तो नियमानुसार किन किन गांवों में कम या अधिक चारागाह भूमि है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(4) प्रति पशु आधा बीघा भूमि चारागाह भूमि रखने का जो सरकार ने आधार तय किया है वह किस आधार पर तय किया है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना की सूची संलग्न है।

(2) वांछित सूचना की सूची संलग्न है।

(3) वांछित सूचना की सूची संलग्न है।

(4) राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 6 में किये गये प्रावधान के अनुसार।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(26-3-70)

सैण्ड स्टोन का उत्पादन

362. श्री रामकिशन (बैर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में सैण्ड स्टोन का उत्पादन कहां कहां होता है ? यह उत्पादन कितनी कितनी मात्रा में किस किस जिले में किन किन खानों से होता है ? कृपया सम्पूर्ण ब्योरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री रामकिशन)

(2) क्या सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में सैण्ड स्टोन के उत्पादन पर सरकार द्वारा ली जाने वाली रायल्टी में अन्तर है ? यदि हां तो क्यों ?

(3) एक ही उत्पादन तथा एक ही किस्म पर विभिन्न रायल्टी दरों का नियमन किस कारण से है ? क्या सरकार इन दरों पर एकरूपता के लिये कोई विचार कर रही हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में सैण्ड स्टोन का उत्थान मुख्यतः निम्नलिखित जिलों में होता है।

(1) कोटा, (2) बूंदी (3) भरतपुर (4) सवाई माधोपुर (5) नागौर (6) पाली (7) बीकानेर (8) जोधपुर (9) भीलवाडा (10) चित्तौड़ (11) झालावाड़।

इस प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में विस्तृत ब्योरा बनाने में कुछ समय लगेगा क्योंकि ये आंकड़े भिन्न भिन्न डिविजन व सब डिविजन के लेवल पर ही तैयार किए जाते है खाली माईनिंग लीजैज जो रूल 9 एम. एम. सी. आर. के अन्तर्गत मंजूर किए जाते है उनके आंकड़े निम्नलिखित हैं।

क्र. सं.	जिले का नाम	उत्पादन टनों में
1	कोटा	2,74,621
2	झालावाड़	77,951
3	बूंदी	1,56,903
4	सवाई माधोपुर	2,93,486
5	भरतपुर	2,98,778

वर्ष 1968 में इन पांचों जिलों की खानों की संख्या 580 थी।

(2) अन्य जिलों में माईनिंग लीजैज के अलावा छोटे छोटे लीजैज जिन्हें आर. सी. आर. एल. कहते हैं और जो रूल नं. 27 एम. एम. सी. आर. के अन्तर्गत दिए जाते हैं उनके बारे में सूचना भिन्न-भिन्न डिविजन व सब डिविजन से एकत्रित करके भेजी जा सकती है जिसमें दो माह लगेगें।

(3) जी हां, भिन्नता के कई कारण है, खानों के लीजैज भिन्न-भिन्न रियायतों द्वारा दिए गए थे उनको शिड्डूल में नियमबध कर लिया गया है | इसके अलावा खान के माल की क्वालिटी, प्रोडक्शन, रेल से सड़क दूरी मुख्य सड़क से दूरी इस अन्तर के कारण है।

स्थगित प्रश्न

(26-3-70)

निलम्बित राजपत्रित अधिकारी

358. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)** : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस समय कितने राज-पत्रित अधिकारी निलम्बित हैं ? उनमें से कितने मामले दो वर्ष से अधिक के हैं। उनमें से कितनों को आरोप-पत्र (चार्जशीट) दीगयीं है और कितनों को नहीं और उनको अब तक क्यों नहीं दी गई हैं ?

(2) उपरोक्त जिन जिन राजपत्रित अधिकारियों को निलम्बित किया गया, उनमें से कितने के विरुद्ध फौजदारी मुकदमे दर्ज किये गयें ? कितने मामलों में एक वर्ष

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

से अधिक होने पर भी तफतीश पूरी नहीं हुई और क्यों तथा सरकार उनकी जांच अधीन (पेण्डिग इन्क्वायरी) पुनः स्थापित (रीइन्स्टेट) करे, तो क्या हानि है ?

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के आधार पर इस समय 70 राजपत्रित अधिकारी निलम्बित हैं। उनमें से 22 मामले दो वर्ष से अधिक के हैं। उनमें से 30 को आरोप पत्र (चार्ज शीट) दी गई है। कुछ मामले चार्ज शीट के लिये विचाराधीन हैं तथा कुछ चार्ज शीट के लायक नहीं हैं।

(2) 22 अधिकारियों के विरुद्ध फौजदारी मामले दर्ज किये गये हैं। 8 मामलों में एक वर्ष से अधिक होने पर भी तफतीश पूरी नहीं हुई है। क्योंकि जांच चल रही है। जांच के दौरान पुनः स्थापित करना प्रशासनिक कारणों से उपयुक्त नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(21-3-70) व (1-4-70)

तकावी की राशि

303. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में इस वर्ष बैल, ऊंट, बीज तथा खेती के लिये तकावी देने हेतु कुल कितनी धनराशि रखी गई है तथा उसका बटवारा किस किस जिले में कितना कितना किया गया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर तहसील में सारे मद मिलाकर केवल 9 लाख रुपया ही तकावी के लिये दिया गया है ? यदि हां, तो 40 हजार अकाल पीड़ित परिवारों को वितरण किस प्रकार कितना कितना होगा ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(2-4-70)

ट्रेक्टरों का अलाटमेंट

516. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम प्राईवेट लि० जयपुर द्वारा ट्रेक्टर अलोट किये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो किस किस जिले में कितने कितने किस किस को किस किस किस्म के ट्रेक्टर अलोट किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त ट्रेक्टर एलोट करने के क्या नियम हैं ? एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वांछित सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(2-4-70)

भूमिहीन एलाटीज की केन्सिल की गई जमीन

519. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भाखरा व गंग केनाल क्षेत्र में कितने भूमिहीन अलोटीज की जमीन राज्य सरकार ने केन्सिल की है तथा केन्सिल करने का आधार क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि केन्सिल की गई जमीद बहाल भी की है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(2-4-70)

राजस्थान केनाल क्षेत्र की भूमि पर नाजायज कब्जे

520. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान केनाल क्षेत्र में ऐसे कितने एकड़ भूमि है जिस पर लोगों का नाजायज कब्जा काश्त है और वह कितने सालों से है तथा उस पर कितना रुपया सालना तावान कायम करके वसूल किया जाता है ?

उत्तर

राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में 18,865 एकड़ भूमि नाजायज काश्त में है। यह नाजायज काश्त पानी लगने से भूमि काश्त योग्य होने से सालों से है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में नाजायज काश्त हुई है।

तावान कायमी का सम्बन्ध मामलों पर फैसला होने से है। सूचना सालवार नहीं है। सम्वत् 2022 से 2026 तक 1563 मामलों में 6,70,549 रुपया तावान का कायम हुआ है।

वसूली की सूचना राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त हो सकती है।

स्थगित प्रश्न

(2-4-70)

ग्राम सूंडा–चेनपुर कोआपरेटिव फार्मिंग सोसायटी का गठन

533. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील किशनगंज के ग्राम सूंडा चेनपुरा में सन् 1965-66 के आसपास श्री राजनारायण शर्मा एवं श्री गोरीशंकर शुक्ला आदि ने करीब पांच-छः (आदिवासी) सहरिया लोगों को मिलाकर कोआपरेटिव फार्मिग सोसाइटी का गठन किया था ? यदि हां, तो किस तारीख को यह फार्मिग सोसाइटी बनी और उसमें कौन कौन सदस्य किन जाति व पते के थे और कितनी कितनी हिस्सा पूंजी तथा उसमें कुल कितनी बीघा जमीन है और आज तक उसमें कौन कौन सदस्य निकाले गए तथा नये शामिल किये गये ? सूची मय पदाधिकारी वर्ग के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

Page No 67

स्थगित प्रश्न

(2-4-70)

झालावाड़ जिले से पाकिस्तान जाने वालों की संख्या

539. **श्री लक्ष्मण तानोवाल** (डग) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले से पाकिस्तान जाने वालों की कितनी संख्या डाइरेक्टर कस्टोडियन जोधपुर में है ? सूची सदन की सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) झालावाड़ से पाकिस्तान जाने वालों की ओर कितनी दरख्वास्तें सरकार के पास विचाराधीन हैं तथा ऐसे क्या केस भी हैं जिनके सम्बन्ध में कुछ अनियमितता पाई गई थी ? अगर हां, तो कितने ?

(3) झालावाड़ से पाकिस्तान जाने वालों के कुल मकानात कस्टोडियम ने अपने कब्जे में कर लिये हैं या करने शेष हैं तथा दिनांक 13-8-68 को श्री अब्दुल हफीज ने जो झालावाड़ का निवासी है की एप्लीकेशन इस विभाग को वार्ड नं. 8 में अब्दुल रजाक पुत्र अब्दुल गफ्फार मकान नम्बर 126 को जब्त किये जाने की दरख्वास्त दी थी कि इसने पाकिस्तान में मकान ले लिया और जिसका रुपया भारत सरकार को चुकाना पड़ा है ? यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(3-4-70)

ग्राम भूठा (तहसील रायपुर) व ग्राम मंडला (तहसील सोजत) के कुओं के मामलों को भूमि

544. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के ग्राम भूठा तहसील रायपुर व ग्राम मंडला तहसील सोजत के पटवारियों द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (land records) नियम, 1957 के नियम 167 के अनुसार फार्म नम्बर पी-21 में रखे हुए कूप विवरण वर्ष 1968 से वर्ष 1970 तक में से ऐसे कुओं के विवरण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे जिनसे कुओं के मालिकों द्वारा उनकी खातेदारी की भूमि के 10 गुणा या इससे अधिक दूसरे कृषकों की भूमि को ओन पास किया गया हो ?

(2) प्रश्न के भाग 1 में बताये गये कुओं के मालिकों के पास उस गांव के कितने बीघा भूमि खातेदारी है व कितने समय से है व उसका लगान क्या अदा करते हैं ?

(3) क्या इन खातेदारों ने अपनी खातेदारी की भूमि में कुछ भी काश्त नहीं किया है ? यदि हां, तो फार्म नम्बर पी-21 के खाता नं. 7 व खाता नं. 6 के विवरण बाबत खुलासा जानकारी दी जावे कि क्या इस तरह की परम्परा मौजूदा अधिनियमों व नियमों की खुली अवहेलना नहीं है ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(4) क्या सरकार भूमि के अन्दर संचित जल भण्डार से कृषक कानून के अन्तर्गत खातेदारों को दी जाने वाली रियायतों की ओट में ऐसे खातेदारों के शोषण को रोकने व ऐसे क्षेत्रों को सार्वजनिक हित में चन्द व्यक्तियों के एकाधिकार से मुक्त करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार इस तरह की भूमियों पर दी गई खातेदारी की अविलम्ब जांच कर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(3-4-70)

फार्म नं. पी 29 में दर्ज विवरण

545. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर):—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (लैंड रिकार्ड्स) नियम, 1957 के नियम 157 के अनुसार फार्म नं. पी-29 में पटवारी द्वारा कूप विवरण 22 वां कहा जाता है ? यदि हां, तो निम्न गांवों के पिछले पांच वर्षों के फार्म नं. 29 की नकल सदन में प्रस्तुत की जावे ।

(अ) ग्राम बोरूंदा, तहसील बीलाड़ा, जिला जोधपुर ।

(ब) ग्राम भागासनी, तहसील बीलाड़ा जिला-जोधपुर ।

(2) फार्म पी-21 के खाना नं. 6-7 का ऐसे कुओं का जिनसे एक से अधिक गांव व एक तहसील से दूसरी तहसील में सिंचाई होती है या नहीं इन्द्राज करने का क्या आधार है व प्रश्न के भाग नम्बर 2 में पूछे गये गांवों के कुओं से किन किन गांवों में जिन जिन तहसीलों में सिंचाई होती है ? कुए वार खाना नम्बर 6-7 का सही क्षेत्रफल बताया जावे ।

(3) फार्म पी. 29 खाना नम्बर 4 में दर्ज व्यक्ति की खातेदारी की भूमि कितनी है व खाना नम्बर 7 में दर्ज शेष कितना है ?

(4) क्या सरकार भूमि के अन्दर संचित जल भण्डार का एकाधिकार समाप्त करने या दूसरों की भूमि सिंचित करने की दशा में दूसरे खातेदारों से पानी का मुआवजा लिया जाने बाबत कानून बनाने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(3-4-70)

ग्राम रीया के फार्म में सामान की खरीद

553. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रींया बड़ी (नागौर) में एक कृषि फार्म है जो कि इस समय पंचायत समिति रींया की देख-रेख से है ?

(2) यह कृषि फार्म कब बना ? जमीन पंपिंग सेट, ट्रैक्टर आदि सभी खरीदे गये

(श्री गोरधन सोनी)

सामान व उसकी लागत का रकम का मय तारीखवार ब्यौरा देवें । इसकी कुल कितनी लागत है ?

(3) आज कृषि फार्म में क्या सामान है ?

(4) ट्रैक्टर जब से खरीदा गया प्रति वर्ष उसमें कितना तेल और कितना रुपया इसकी मरम्मत पर खर्च हुआ व ट्रैक्टर से अन्य कोई आमदनी हुई तो किस कार्य से किसके द्वारा हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) कृषि फार्म का माल प्रति वर्ष कितना बिका ? कृषि फार्म का माल चोरी से बेचने के लिए ले जाने पर प्रधान श्री रामलाल जी को पकड़ा गया था वह केस कब किस वर्ष बना ? उसका क्या निर्णय हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) रीया फार्म 16 जून, 1959 में स्थापित किया गया था । फार्म की जमीन पम्पिंग सेट ट्रैक्टर आदि की खरीद की कीमत व तारीख की तालिका संलग्न है ।

(3) तालिका संलग्न है ।

(4) तालिका संलग्न है । ट्रैक्टर से किसी प्रकार की आमदनी नहीं हुई है ।

(5) तालिका संलग्न है । इस विभाग को प्रधान श्री रामजीलाल जी के पकड़े जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(3-4-70)

मुस्तकिल भूमि अलाट करने के नियम

556. **श्री हंसराज आर्य (भादरा)** : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान कैनाल में सन् 55 से पहले के काबिल काश्त आरजी काश्तकारों को मुस्तकिल भूमि अलाट करने के नियम आज तक क्यों नहीं बनाये गये ?

(2) नियम कब तक बनकर तैयार हो जावेंगे ?

(3) सन् 55 से पहले के आरजी काश्तकारों को कब तक भूमि मुस्तीकन अलाट करदी जावेगी ?

(4) क्या राजस्थान कैनाल में 55 से पहले के आरजी काश्तकारों को कुल कब्जा काश्त भूमि पर हक खातेदारी दिये जायेंगे ?

(5) सन् 55 से पहिले के सभी आरजी काश्तकारों के कब्जे में कुल कितने एकड़ भूमि है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

1. इस सम्बन्धित नीति विषयक मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

2. विषय में निर्णय लिया जा चुका है । नियमों की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ।

3. नियमों के पारित होने के बाद ही मुस्तकिल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी ।

(उप निवेशन मंत्री):

4. इस विषय में मुख्य मंत्री महोदय अपना व्यक्तव्य सदन में दिनांक 25-3-70 को दे चुके हैं। उसके अनुसार ही खातेदारी हक दिये जा सकेंगे।

5. सन् 1955 के पूर्व आरजी काश्त कारान जिन्हें रिकोग्नाइज (recognise) कर लिया गया है उनके कब्जे में अनूपगढ़ शाखा तक गंगानगर में 2,31,064 एकड़ भूमि है। इसके अलावा करीब 50,000 एकड़ भूमि ऐसे ही 55 के पूर्व के आराजी काश्तकारों के लिये रिजर्व कर रखी है। जिनकी या तो दरख्वास्तें पेंडिंग हैं या जिन्होंने अभीतक दरख्वास्तें पेश नहीं की हैं या जिनके पास 25 बीघा से कम भूमि है। सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(कृपया परिशिष्ट 18 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(3-4-70)

आरजी काश्तकारों के लिए रिजर्व भूमि

556. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान केनाल क्षेत्र में सन् 55 के बाद के आरजी काश्तकारों के लिये कितने एकड़ भूमि रिजर्व की गई है?

(2) यदि रिजर्व सुदा भूमि 55 के बाद के काश्तकारों के लिए कम रहेगी यानी सबको नहीं मिलेगी तो क्या भूमि और अधिक रिजर्व की जावेगी? यदि नहीं तो सब को भूमि कैसे मिलेगी?

(3) सन् 55 के बाद आरजी काश्तकारों को प्रति परिवार कितने बीघे भूमि दी जावेगी?

(4) सन् 55 के पहले के आरजी काश्तकारों के कब्जा काश्त में कुल कितनी एकड़ भूमि है?

उत्तर

1. सन् 55 के बाद के आरजी काश्तकारों के लिये कोई भूमि आरक्षित नहीं की गई है।

2. प्रश्न नहीं उठता।

3. सन् 1955 के आरजी कातकार तथा अन्य व्यक्तियों को स्थाई आवटन में 15 बीघा के स्थान पर ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को 25 बीघा भूमि आवंटित की जायेगी। ऐसे व्यक्तियों को जिन्हे पहिले 15 बीघा भूमि आवंटित की गई थी 10 बीघा अतिरिक्त भूमि आवंटित की जायेगी।

4. सन् 1955 के पूर्व आरजी काश्तकारान जिन्हें रिकोग्नाइज (recognise) कर लिया गया हैं उनके कब्जे में अनूपगढ़ शाखा तक। गंगानगर में 2,31,064 एकड़ भूमि है। इसके अलावा करीब 50,000 एकड़ भूमि ऐसे ही 55 के पूर्व के आराजी काश्तकारों के लिये रिजर्व कर रखी है जिनकी या तो दरख्वास्तें पेण्डिंग हैं या जिन्होंने अभी तक दरख्वास्तें पेश नहीं की हैं या जिनके पास 25 बीघा से कम भूमि हैं।

स्थगित प्रश्न

(3-4-70)

जिला श्रीगंगानगर में विभिन्न मदों से आय

563. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला श्री गंगानगर को निम्न मदों से सरकारी आमदनी कितनी है:—

भू-राजस्व, आबियाना, सरचार्ज टैक्स. खुशहाली टैक्स, मालकाना टैक्स, व्यावसायक फसलों पर टैक्स, भूमि की कीमत सैल टैक्स, बसों व ट्रैक्टरों का टैक्स, जीप व कारों का व स्कूटरों का टैक्स, मनोरंजन टैक्स, हथियारों की फीस, शराब से आमदनी, लाईसेंस परमिटों से आमदनी व अन्य टैक्स ?

समस्त प्रकार के टैक्सों की अलग अलग तादाद सहित सन् 1968-69 व 69-70 की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) जिले के समस्त प्रशासन पर कुल कितना खर्च होता है ? अलग अलग आइटमवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) जिला श्री गंगानगर विकास कार्यों में प्रति वर्ष कितना धन किस कार्य पर सन् 1968-69 व 69-70 में किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) भूमि नीलामी से सरकार को सन् 1958 में 1969 तक कुल कितना धन प्राप्त हुआ है ? तहसील वाईज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(3-4-70)

सेवा नियमों का प्रकाशन

564. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या मुख्य मन्त्री (व्यवस्था एवं पद्धति) यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के चतुर्थ अंग्रेजी संस्करण को कितने खण्डों में प्रकाशित किया गया ?

(2) प्रत्येक खण्ड की पृष्ठ संख्या में व मूल्य क्या है ?

(3) पार्ट 'ए' की मुख्य तथा पार्ट 'बी' तथा वाल्यूम की अपेक्षा क्यों है जबकि इसके पृष्ठ अपेक्षाकृत कम हैं ?

उत्तर

(1) दो खण्डों में : प्रथम और द्वितीय और प्रथम खण्ड को दो भागों में ।

(2) प्रश्न खंड भाग 'ए'

कुल पृष्ठ 302 मूल्य 4.65 रुपये

द्वितीय खण्ड

कुल पृष्ठ 461 मूल्य 4.30 रुपये

(3) यह एक छानबीन का विषय है जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

स्थगित प्रश्न

(12-4-70)

राजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार के मामले

97. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री देवीदत्त गाडिया)

राजस्थान में सन् 1966-67 से 69-70 में कुल कितने राजपत्रित अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं ? उनमें से कितने निलम्बित व बरखास्त किये गये तथा कितनों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं, तथा कितने अधिकारियों के विरुद्ध कितने समय से जांच चल रही है ?

उत्तर

प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान में सन् 1966 से 1969-70 तक कुल 1,443 गबन व भ्रष्टाचार के मामले राजपत्रित अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किये गये, उनमें से 684 कर्मचारी निलम्बित किये गये, 54 बरखास्त किये गये, 179 कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमे दर्ज किये गये तथा 821 कर्मचारियों के विरुद्ध जांच चल रही है।

स्थगित प्रश्न
(12-3-70)

राजनैतिक पीड़ितों को पेन्शन

95. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :** क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में देश की आजादी के लिये लड़ने वाले कितने राजनैतिक पीड़ितों को सरकार द्वारा मासिक पेन्शन के रूप में सहायता दी जा रही है उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान के राजनैतिक पीड़ितों को सरकार द्वारा सिंचाई एरिया में राजनैतिक पीड़ित होने के कारण मुरब्बे दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस किस जिले में व किस व्यक्ति को कब कब और कितने दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में देश की आजादी के लिये लड़ने वाले राजनैतिक पीड़ितों को सरकार द्वारा मासिक पेंशन स्वीकृति के आदेश प्रेषित किये गये हैं उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां। जिन राजनैतिक पीड़ितों को भूमि देने के आदेश प्रेषित किये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

स्थागन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचना बनेड़ा के निकट मूसा की गारनेट माइन्स में दिनांक 5 अप्रेल, 1970 को 10 व्यक्तियों के मरने के संबन्ध मे राज्य सरकार द्वारा समुचित कार्यवाही न किये जाने के संबन्ध में श्री भैरोंसिह, सदस्य विधान सभा, से प्राप्त हुई है।

Page No 73

(श्री अध्यक्ष)

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा, से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने श्री शिवप्रकाश, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला, विजयनगर, का अचानक दिनांक 6 अप्रेल, 1970 को कत्ल कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बजट में कटौती करने के नाम पर लगभग 430 अमीन व 100 इन्सपेक्टर्स तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मार्च, 1970 में ही सरप्लस किये जाने के संबन्ध में श्री देवीदत्त गाडिया, श्री बालसिंह सोढ़ा, श्री केसरीसिंह हाड़ा, श्री विजयसिंह, श्री भगवानदास शास्त्री, श्री प्रेमसिंह सिंघवी व श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के संबन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री लाभचन्द वैद व श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है, जिसमें कस्बा बीदासर तहसील सुजानगढ़ में पेयजल के अभाव के कारण उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

दो पेण्डिग स्थगन प्रस्तावों के संबन्ध में भी सूचनायें राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है और उनका उल्लेख नीचे किया जाता है :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री लाभचन्द वैद, सदस्य विधान सभा, ने रतनगढ़ थाने में एक हरिजन को कत्ल कर देने के मामले में सूचना दी थी। इस संबन्ध में राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें बतलाया गया है कि दोषी पुलिस अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है और उनके खिलाफ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में रतनगढ़ में दिनांक 30 मार्च, 70 को चालान भी पेश कर दिया गया है। अदालत से मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिये वारन्ट हासिल कर लिये गये हैं और जो फरार हो गये थे उनमें से गिरफ्तार हो गये हैं और जो रहते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जायगा।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिंह व श्री कृष्णकुमार गोयल, व श्री महेन्द्रसिंह सदस्य विधान सभा से पोकरण नगरपालिका क्षेत्र की जनता को नगद मासिक सहायता न दिये जाने तथा जनसंघ के उपाध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं के संबन्ध में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर तुरन्त कार्यवाही न करने के बारे में प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार से जानकारी मिली है उसमें यह कहा गया है कि सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार सरकार ने पोकरण नगरपालिका क्षेत्र से बिल्कुल नजदीक खड़ीन के काम और पोकरण सांकड़ा रोड पर पोकरण से नजदीक राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये हैं किन्तु वहां 10 व्यक्तियों से अधिक रोजाना नहीं जाते जब कि इन राहत कार्यों

(श्री अध्यक्ष)

पर 200 या इससे अधिक मजदूरों को काम पर लगाने की क्षमता है।

श्री त्रिभुवन एडवोकेट व श्री परसा महाराज के मामले से संबन्धित श्री हूजा की रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है, जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

ऊपर दिये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं इन दो स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है एक तो अलवर नगर में कुछ साम्प्रदायिकता भड़काने के पर्चे के संबन्ध में....

श्री अध्यक्ष : इसका उल्लेख होता कहां से 11 बजे आया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दिक्कत तो यह होती है पहले भेजा था लेकिन लेने वाला नहीं था ?

श्री अध्यक्ष : 10.45 मान लीजिये। वह मैं मण्डे को रख दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : पोकरण के संबन्ध में जो व्यवस्था आपने....

श्री अध्यक्ष : अभी तो मुझे बैठने दीजिये

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : बिठाने में भी किसी की सहायता की आवश्यकता है क्या ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : दो चार रोज और निकल जांय।

श्री अध्यक्ष : आज ही समाप्त कर दूं अगर आप सभी प्रक्रियायें पूरी कर डालें तो।

श्री नत्थीसिंह : यह तो आप माननीय रामचन्द्रजी से रिक्वेस्ट करिये।

श्री अध्यक्ष : मैं इस मामले में उनके सहयोग का आकांक्षी हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय पोकरण के बारे में जिस प्रकार की सूचना मिली है वह सूचना सन्तोषजनक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यद्यपि मैंने स्थगन प्रस्ताव को रिजैक्ट कर दिया है। इस पर भाषण नहीं होगा। यह मैं बार बार कह चुका हूं। फिर भी अगर आप कुछ कहना ही चाहें तो दो तीन वाक्यों में कह सकते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस पोकरण के संबन्ध में त्रिभुवन एडवोकेट, परसा महाराज के साथ जो मारपीट हुई उसकी इन्क्वायरी के लिये रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन द्वारा जांच करवाने का कहा गया था। उनको रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है। जांच को हुए पन्द्रह बीस दिनों से अधिक हो गये हैं। जैसी कि मुझे जानकारी है स्पष्ट रूप से हूजा साहब ने यह माना है कि एस. पी. ने उनके साथ मारपीट की है। त्रिभुवन एडवोकेट के इसी कारण फ्रेक्चर भी हो गया, उनको कमरे में बंद करके मारपीट की गई जिसके कारण फ्रेक्चर हुआ है....

श्री अध्यक्ष : यह डोक्यूमेंट यहां नहीं है, न सदन की मेज पर है और न आपके पास है।

Page No 75

श्री भैरोंसिंह : इस संबन्ध में मैं गृह मंत्री महोदय ने जो यहां वक्तव्य दिया था उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा ।

"पहला मुद्दा यह था पोकरण म्युनिसिपल क्षेत्र में उन लोगों को जो कृषि पर निर्भर करते हैं नकद में अनुदान सरकार की ओर से दिया जाता । इसको बढ़ाने के बारे में कहा....."

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी माननीय सदस्य । मैंने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव आपने अस्वीकार किया है यह बात बिल्कुल सही है किन्तु सदन को यह जानकारी दी गई थी और आश्वासन दिया गया था और उसी आश्वासन पर श्री गुमानमलजी लोढ़ा को भूख हड़ताल से उठाया था । मुझे खेद है कि अध्यक्ष महोदय, सरकार अपने वचनों का पालन नहीं कर रही है और हमें बारबार दबाया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : दबाने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, नियम हम पर भी लागू होते हैं तो सरकार पर भी लागू होते हैं । सरकार अपना वचन नहीं निभा रही है, उसके लिये क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष : यह ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है, वह दे दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर चिन्तन कर लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : बहुत इम्पोरटेन्ट मेटर है...

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य इस पर चर्चा नहीं चाहूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा आश्वासन दिया गया था उनको सहायता दी जाय । अब उस सहायता से मुकर क्यों रहे हैं । पोकरण में आश्वासन दिया था जैसलमेर में कहा गया था । समाचार पत्रों में भी आया है...

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा ।

श्री भैरोंसिंह : गृहमन्त्रीजी की ओर से इस सदन में कहा गया । उन्होंने कहा था वायरलैस मैसेज आया है 15 तारीख तक हुजा साहब रिपोर्ट पेश नहीं कर पायेंगे रिपोर्ट आये अब कई दिन हो गये हैं, लेकिन वह सदन की मेज पर नहीं रखी जा रही है । हम तो सीमाओं में रहते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन हम यह भी चाहेंगे कि सरकार भी अपनी सीमाओं में और नियमों में रहे । इसकी आप व्यवस्था करा दीजिये ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी इसको स्पष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष : जनसंघ के नेता महोदय बोल चुके हैं, माननीय सदस्य ।

(श्री गाड़िया के बराबर बोलते रहने पर)

(श्री अध्यक्ष).

माननीय सदस्य । माननीय गाड़िया । जनसंघ के नेता महोदय बोल चुके हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मन्त्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया है ।

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा करने का प्रश्न नहीं रह जाता है । माननीय नेता जनसंघ के बोल चुके हैं । अब प्रश्न यह रहता है इसके बाद कोई चर्चा करने दी जाय, मैं इस प्रश्न पर दृढ़ संकल्प हूं क्योंकि मैंने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया है । इसलिये इस रूप में तो मैं उठाने की मान्यता नहीं रखता हूं । यदि माननीय सदस्य किसी और रूप में रख लें तो मैं विचार कर सकता हूं; अन्यथा मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने का अवसर दिया । आज मैंने कई स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार किया है । इस पर चर्चा उठ आयगी और जो समय दूसरे विवादों का है, वह रह जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर । जो निर्णय लिया है उस सम्बन्ध में तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन गृह मन्त्रीजी ने यह कहा था कि मेरे पास कोई पत्रावली नहीं है जिस आधार पर मैं कोटा से आने वाले माननीय सदस्य की वास्तविकता के बारे में जांच कर लूं । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर है कि राज्य सरकार ने सदन में यह कहा था कि हूजा की रिपोर्ट आते ही सदन में प्रस्तुत की जायेगी । मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखवाया जाय ।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न इसी सम्बन्ध में यह है कि...

श्री अध्यक्ष : जहां तक इस रिपोर्ट का प्रश्न है, मैं इस प्रश्न पर, राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकता...

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस में कहा है ।

श्री अध्यक्ष : अब चूंकि यह एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है और मुझको कहा गया है कि मैं राज्य सरकार को बाध्य करूं, उस डाक्यूमेंट को सदन के पटल पर रख दें । मुझे नियमों और मान्यताओं में कोई अधिकार नहीं है जिससे मैं राज्य सरकार को बाध्य करूं किन्तु यदि राज्य सरकार चाहे, माननीय सदस्यों के इस संकेत पर, इस आग्रह पर और वह पेश कर दी जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : आपत्ति का सवाल नहीं है, बाध्य नहीं कर सकते यह भी समझ में आता है किन्तु कह तो सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : इतने कहने से तो पर्याप्त संकेत मिलता है ।

श्री भैरोंसिंह : नहीं मिलता है अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की भावना को राज्य सरकार को पहुँचा देता हूं अगर नहीं पहुँचे तो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता ।...

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अपनी टिप्पणी के साथ पहुँचा दें ।

Page No 77

श्री अध्यक्ष : मैं बोल रहा हूं उसमें कोई टिप्पणी निकलती है तो वह भी पहुंच जायगी।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्रीजी ने कहा है....

श्री अध्यक्ष : वही तो माननीय नेता महोदय जनसंघ ने कहा है।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा वे रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं या नहीं, एक बात। दूसरी बात जो साढ़े बारह रुपये पोकरण के गरीब मजदूरों को देने के लिये आश्वासन दिया था उस आश्वासन के अनुसार आप उनको देना चाहते हैं या नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्षजी जहां तक हूजा साहब की रिपोर्ट का सवाल है, गृह मंत्रीजी ने उसके सम्बन्ध में अगर इस सदन में आश्वासन दिया है कि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जायगी तो मैं कहूंगा रिपोर्ट पेश कर दी जाय। जहां तक दूसरा सवाल है केश अलाउन्स देने का उसके सम्बन्ध में केवल पोकरण, बालोतरा, जैसलमेर का ही सवाल नहीं है बल्कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि जिन जगहों पर हम काम नहीं दे पायेंगे उन जगहों पर केश अलाऊन्स देंगे। जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके में और जिस जगह सरकार काम खोल सकेगी, उस जगह केश अलाऊन्स नहीं दिया जायगा क्योंकि केश अलाऊन्स देने वाली बात को हम प्राथमिकता दें, यह कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। काम काज न हो तो यह केश-अलाऊन्स की बात होनी चाहिये। पोकरण, बालोतरा में काम काज खोल दिया गया है। बाड़मेर में अगर कोई काम काज न हो और जो लोग खेती करते हैं या खेती पर निर्भर थे या कोई भूमिहीन काश्तकार हैं अगर वे म्युनिसिपल लिमिट में भी रहते हैं तो वे केश अलाऊन्स के हकदार हो सकेंगे, बशर्ते कोई काम वहां पर नहीं खुला हुआ हो।

श्री भैरोंसिह : यह आपने आज कहा है। पोकरण का मसला या आप स्वयं कह कर आये हैं। केश ग्रान्ट दी जाती है, वह दी जायगी, ऐसा आपने कहा है। गुमानमल जी से जो पत्र व्यवहार हुआ है उसमें साढ़े बारह रुपये की सहायता दी जायगी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहूंगा कि केवल 200 आदमियों के लिये काम खोल देने से।..

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दो सौ से अधिक हैं।

श्री भैरोंसिह : दो सौ न सही, दो सौ से अधिक ले लीजिये। 300 ले लीजिये। वहां पर पांच हजार व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। मैं अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा जब लोगों को कह देते हैं और लोगों को आश्वासन देते हैं सहायता देने का, सदन में आश्वास देते हैं फिर उसको पूरा नहीं करें। आप स्वयं लोगों को ऐजीटेशन के लिये तैयार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, कई प्रकार की फिर परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। पोकरण के मामले में सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है उसको पूरा करें।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है जो कैश अलाऊन्स देने वाली बात की गई है, सदन में कहा गया है क्योंकि उपयोगी कार्य वहां पर नहीं है इसलिये इस काम को कर रहे हैं और अब अगर काम खोल सकते हैं तो मैं समझता माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि काम देना ज्यादा बेटर है बजाय इसके कि मुफ्त में कैश अलाऊन्स दिया जाय।

श्री भैरोंसिह : आपने कहा क्यों था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां उस समय काम नहीं था । अगर दो सो से अधिक आदमी काम पर आते हैं तो उनको काम पर लगाया जायगा और नहीं लगाया जायगा तो जो कैटेगरी मैंने कही है, जिनको एलीजैबिल मानते हैं ,उसके बारे में अलाऊन्स की व्यवस्था की जायगी ।

श्री दौलतराम सारण : **श्री बालसिंह सोढ़ा** : (दोनों माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : अब इस पर कोई चर्चा नहीं । स्थगन प्रस्ताव जो अस्वीकृत किये जाते हैं, आम तौर से उन पर चर्चा नहीं होती है फिर भी कुछ चर्चा हो गई उसका उत्तर भी आ गया है । इसका अर्थ यह नहीं है कि यहां पर उसके लिये अधिक से अधिक वाद-विवाद छेड़ा जाय । क्या आगे का वाद-विवाद नहीं करना चाहते हैं...

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपका जो स्थगन प्रस्ताव था शायद उसको मैंने स्वीकार नहीं किया।

श्री लाभचन्द वैद : आप सुन तो लीजिये जहां पेय जल की भीषण समस्या है और अब मई, जून का महीना आने वाला है । एक बाल्टी वहां पानी की नहीं मिलती है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चर्चा नहीं होगी ।

(माननीय सदस्य के बराबर बोलते रहने पर)

इस पर चर्चा नहीं होगी । अंकित न किया जाय।

श्री लाभचन्द वैद । × × × ×

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं हो रहा है । आप जो बोल रहे हैं वह अंकित नहीं हो रहा है । स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य ।

आर्डर, स्थान गृहण करें ।

श्री लाभचन्द वैद्य : मुख्य मंत्रीजी से पूछ लें उन्होंने आश्वासन दिया या नहीं कि मार्च के महिने में पेयजल प्राप्त हो जायेगा वहां पर × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान गृहण करें ।

श्री लाभचन्द वैद : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशनुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह लिखा नहीं जा रहा है। स्थान गृहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मेरा उदयपुर के विश्वविद्यालय के संबंध में स्थगन प्रस्ताव था। आपने कल कहा था। कि इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है और आपने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : जानकारी में है माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्राध्यापकों की हड़ताल चल रही है, विश्वविद्यालय में परीक्षायें हैं....

श्री अध्यक्ष : जानकारी में है। जानकारी आने पर मैं निर्णय दे दूंगा।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, आप मंत्रीजी से मौखिक उत्तर तो दिला दें कि आखिर वह क्या चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : स्थान गृहण करें।

श्री लाभचन्द वैद : बीदासर की हालत खराब है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं तो कभी कभी निवेदन करता हूं....

श्री अध्यक्ष : अब की बार मैं ख्याल रख लूंगा।

श्री लाभच वैद : अध्यक्ष महोदय, किसी को बाध्य तो नहीं किया जाये मुंह खोलने के लिए।

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मैं मंत्री महोदय को बुला लूंगा और मैं भी आपको सहयोग दूंगा कि पेयजल का संकट किसी तरह से दूर हो। इसमें मैं बेठूंगा आपके साथ।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : आज आ गया क्या ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : नहीं आया है तो आ जायेगा। इस आसन को आप आफिस न समझ लें कि मैं हर प्रश्न का उत्तर देता रहूं। प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ और मैं आफिस हो जाता हूं। राज्य सरकार की तरफ से या मेरे सचिवालय की तरफ से, आप पूछते रहें और मैं जवाब देता र ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैंने सचिवालय से पूछा....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न यहां का नहीं है। मेरे पास और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य शेष हैं। स्थान गृहण करें माननीय सदस्य।

(श्री हरिवल्लभ शर्मा के बोलते रहने पर) आपके यहां चीफ व्हिप नहीं होता है क्या ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : X X X

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाये।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : X X X

X X X अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह अंकित नहीं हो रहा है। जो आप कह रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं है। न प्रेस ले रहा है और न यह सदन ले रहा है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : × × ×

श्री रामकिशन : (श्री अध्यक्ष के मौन खड़े रहने पर) यह क्या आपने मौनवृत्त धारण कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : मैं दो घन्टे तक मौन धारण कर लूंगा तो आपका गंगानगर का प्रश्न रह जायेगा।

स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य (श्री हरिवल्लभ शर्मा) आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं आपको नाम से पुकारता हूं। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित नहीं होगा। मेरी मुश्किल यह है कि इतना विवाद हुआ है यह कल अखबारों में आयेगा। यदि यह नहीं आये तो मैं माननीय सदस्य को सहृद्यता प्रदर्शित करता हूं।

फिर खड़े हो गए आप (श्री हरिवल्लभ शर्मा)

श्री शर्मा। अब कल अखबारों में आ जायगा। मैं आपको नाम से पुकारूं तो। मैं आपको नाम से नहीं पुकारता हूं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य बोले या नहीं, वह अखबार में आयेगा या नहीं, लेकिन आपका यह मौनधृत्त निश्चित रूप से अखबार में आयेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि मेरा मौनवृत्त अखबार में आये तो मैं उदारवृत्ति प्रेस को कहूंगा। कि यह अन्तिम दिन है और ऐसे न आये...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक है, उसमें अन्तिम दिशा का ज्ञान होगा।

कुछ माननीय सदस्य : आप फिर चले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं कभी नहीं जाऊंगा। आप सब चले जायेंगे लेकिन मैं यहां बैठा रहूंगा।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा निवेदन था कि आज विश्वविद्यालय के...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

× × × अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री अध्यक्ष : विश्वविद्यालय की डिबेट लिये जाने की सम्भावना है, जिसमें आपके प्राध्यापकों का स्ट्राइक भी उसके अन्दर आ जायेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

आप बोलते रहें और मैं कहता हूं अंकित नहीं हो। बोलिये आप।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने जानकरी प्राप्त की है। माननीय सदस्य श्री गाड़िया जानकारी आने वाली है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : यह अध्यक्ष बेचारा पैरों पर है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरे पर रहम नहीं करते हो तो विद्यार्थियों पर तो रहम खाओ।

श्री अध्यक्ष : रहम तो मुझ पर खाओ।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री हरिवल्लभ शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : जब अध्यक्ष पैरों पर हो तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहता हूं। मैंने बीकानेर जिले के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था ...

श्री हरिवल्लभ शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न इस प्रकार है कि स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य देते हैं और उनका जवाब दिया जा सकता है. लेकिन 15 दिन तक भी संबधित मंत्री महोदय उसका उत्तर नहीं देते तो इस संबंध में आसन की क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : बिल्कुल व्यवस्था का है।

श्री अध्यक्ष : नहीं है। आप कह रहे हैं बिल्कुल है और मैं कह रहा हूं नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आसन की क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ही व्यवस्वा का नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जानकारी का सही ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी का है तो बाद में कर लेंगे।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री शिवनाथसिंह, सदस्य विधान सभा,

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

खेतड़ी ताम्बा योजना के लिये काटली नदी के क्षेत्र के कुओं से पानी लिये जाने से इस क्षेत्र के 30 गांवों में कुओं का पानी सूखने की स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री शिवनाथ सिंह

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा राज्य सरकार का और विशेष रूप से कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है और वह यह कि खेतड़ी का एक कापर प्रोजेक्ट है, उसके लिये काटली नदी से पानी दिया जा रहा है । माननीय अध्यक्षजी यह काटली नदी का पानी ऐसा है कि जो सैकड़ों वर्षों से बहता जा रहा है और अब उसकी सतह काफी नीचे चली गयी है । यहां से पोकरण तक को पानी देने की योजना की गयी । यह सिंचाई का इलाका है और इस क्षेत्र में बहुत से कुए हैं । इतनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूज़ का यह इलाका है कि उसको देखते हुए हमारे एग्रीकल्चरल री-फाइनेन्स कारपोरेशन ने एक गांव की योजना को अपने हाथ में ले लिया और वहां 78 लाख रुपया की योजना स्वीकार की और उसमें से कुए पम्पिंग सैट, नालियां आदि को इम्प्रूवमेंट होकर काफी सुधार होगा....

(12-40 म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पुदासीन)

सभापति महोदय, जब काश्तकारों को यह जानकारी हुई कि यहां पर 78 लाख रुपया खर्च होने वाला है तो उन्होंने काफी उत्साह दिखाया । उन्होंने कुए खुदवाने के लिए सामग्री तैयार की । उन्होंने चूना मंगवाया और पत्थर इकट्ठे किये । वहां का एग्रीकलचर फाइनेन्स कार्पोरेशन के प्रतिनिधियों ने जाकर सर्वे किया और उन लोगों को आश्वासन दिया कि हम 78 लाख रुपये खर्च करने वाले हैं । वे काफी उत्साहित हुए थे । अभी तक मेरी जानकारी यह है कि वह योजना खटाई में पड़ी हुई है । वह इसलिए खटाई में पड़ी हुई है कि कापर प्रोजेक्ट के लिए पानी ले जाने के लिए जो कुए खोदे जा रहे हैं, उसके सम्बन्ध में एक चिट्ठी आई है जिससे भ्रम पैदा हुआ और जिसके आधार यह योजना खटाई में डाली जा रही है । उसकी तरफ में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । माननीय कृषि मंत्रीजी का । एग्रीकलचर फाइनेन्स कारपोरेशन की तरफ से एक चिट्ठी आई है, तो इन्होंने असिस्टेनन्ट सेक्रेटरी, गवनमेंट आफ राजस्थान को लिखा है । माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि एक योजना बनी थी कुए वगैरह बनाने के लिए और पम्पिंग सैट लगाने के लिए । उसमें काफी धन खर्च होने वाला था । इस चिट्ठी के द्वारा उसको बन्द किया जा रहा है । उसका आधार यह है कि खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट के लिए इतना पानी इकटठा किया जाना है इसलिए वहां पर दूसरे डेवलपमेंट नहीं किये जा सकते हैं । तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति जी कि दूसरे डेवलपमेंट नहीं किये जा सकते तो कापर प्रोजेक्ट के लिए वहां के जो काश्तकार जो करीब 30 गांवों में बसे हुए हैं तो उनकी जनसंख्या को बरबाद नहीं कर

(श्री शिवनारायसिंह)

सकते हैं। वहां की खेती को बरबाद नहीं कर सकते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इलाका है उसको बरबाद नहीं कर सकते हैं। खेतड़ी प्रोजेक्ट में काफी रुपया खर्च हो रहा है और उसके लिए पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, उसको मैं मानता हूं, लेकिन यदि एग्रीकलचर की रिस्क पर और उनकी कास्ट पर यदि वहां किया जाता है तो उसको हम कतई सहन नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदयजी, मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

"Special Secretary to the Government.

Please refer to your letter No. F. (62) Agr. II–69–31st July 1969 forwarding the above scheme. As you are aware, the above scheme was referred to the Geological Survey of India for its technical evaluation. We have since received their office note on ground water conditions in the scheme-area the copy of which is enclosed. It is stated in paragraph 1 of their note that the whole block lying between Jodhpur and Chanora has been ear-Marked for the Khetri Copper Project of the N.M.D.C. Any further development in this part can be taken up only in consultation with the Khetri Project..."

एक सेन्टेन्स ऐसा है जिसके लिए काश्तकारों का जीवन व उनका भविष्य खेतड़ी कापर प्रोजैक्ट की मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि अगर वे इजाजत दें तो नहीं हो सकता है। उसमें लिखा है—

"... authorities who have already constructed a large number of tubewells. Upstreams of Jodhpur i. e. in the vicinity of Thoi, Kanwati etc. Ground water exploration is in progress for water supply of the order of 70 million litres per day to the proposed Fertilizer Complex near Saladipura and any development in this block is to be contemplated only after getting clearance from the concerned authorities and State Government. In the circumstances, the Geological Survey of India are not in a position to give clearance to the scheme.

You are, therefore, requested to offer your comments on the Geological Survey of India's note and obtain the clearance from the Khetri Project authorities and the proposed Fertilizer Complex near Saladipura for the construation of proposed wells in the scheme."

सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि खेतड़ी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट यदि हम इस कोस्ट पर करते हैं कि काश्तकारों को डेवलपमेंट ब्लाक अप हो जाय तो यह बात सहन करने के योग्य नहीं है।

(श्री शिवनाथसिंह)

वहां पर काश्तकार करीब 50 गांवों खेतड़ी प्रोजेक्ट के और उसके अलावा 30 गांवों के सलादीपुरा प्रोजेक्ट के अन्दर आते हैं। इस लिए उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ज्योलाजीकल सर्वे आफ इंडिया का क्लियरेन्स नहीं है और वे देने को तैयार नहीं है। जब तक खेतड़ी प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो तब तक ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया क्लियरेन्स नहीं देगा और जब तक ज्योलाजिकल सर्वे आफ इंडिया क्लियरेन्स नहीं दे तब तक एग्रीकलचर फाइनेन्स कार्पोरेशन वहां पर रुपया खर्च नहीं करेगी और काश्तकार अपना प्राइवेट रुपया खर्च नहीं कर सकेंगे। इसलिए अधिक विस्तार में नहीं जाकर जितने कुए बन चुके हैं वह तो ठीक हैं लेकिन फरदर डेवलपमेंट कोपर प्रोजेक्ट के लिए जो दूसरे नये कुए बनने को हैं उनको भी जब तक क्लियरेन्स नहीं दिया जाय जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाय, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट है कि खेतडी प्रोजेक्ट को जितना पानी चाहिए उससे अधिक मात्रा में पानी है। इसके कारण से जैसी भी स्थिति हो वहां के काश्तकार उसका सामना करने को तैयार हैं। जितने भी कोपर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए कुओं का निर्माण हो गया है उसके अलावा जब तक सेटलमेंट इसका फाइनल न हो जाय, तब तक राज्य सरकार इनको पाबन्द करे कि दूसरे नये कुओं को विकास न हो, नये कुए न खोदे जायं। सरकार इस ओर ध्यान दें। ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया को लिख कर और खेतडी प्रोजेक्ट की आथोरिटीज से कन्सल्ट करके इस स्कीम को टेक अप करने के लिए क्लियरेन्स उनसे दिलाये। अगर क्लियरेन्स नहीं होगा तो वहां के काश्तकारों के फाइन्ड्स पर बड़ा असर पड़ेगा कि वहां पर पानी सूखने वाला है और दर असल में वहां का पानी सूखा है। एक लिमिटेड क्वान्टिटी में पानी है। उसमें 90 लाख गैलन पर डे तो खेतड़ी प्रोजेक्ट में जायेगा और 70 लाख गैलन पर डे सलादीपुरा प्रोजेक्ट के लिए जायेगा। इस तरह से 160 गैलन पर डे पानी निकलेगा तो खेती के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा तो फिर काश्तकारों का भविष्य क्या होगा ? इसलिए राज्य सरकार को अपनी गुड आफिसेज एक्सरसाइज करे और वहां पर कुओं का निर्माण बन्द कर दें जब तक कि इस बात का फैसला न हो जाय और जब तक ज्योलाजिकल सर्वे आफइंडिया और खेतडी प्रोजेक्ट को लिख कर इस बात का क्लियरेन्स न ले लें और एग्रीकलचर फाइनेन्स कार्पोरेशन की स्कीम को टेक अप न करें। माननीय कृषि मंत्रीजी से मैं इस बारे में क्लियर आश्वासन चाहता हूं कि जो स्कीम हेल्ड अप हो गई है वह ली जायगी, वहाँ के काश्तकारों को और वहां के उनके कुओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।

इसी उद्देश्य से मैं माननीय कृषि मंत्रीजी का खास तौर से और केबिनेट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हो सकता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हों कि जो कृषि मंत्रीजी के अधिकार में नहीं हो तो मैं पूरी केबिनेट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस मामले पर गम्भीरता से सोचें और इसका निराकरण करें।

श्री सभापति : कृषि मंत्रीजी।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : सभापति महोदय, मै माननीय सदस्य का बड़ा आभारी हूं कि जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए एक विशेष प्रकार की योजना बनाई थी और वह रुक

(श्री शोभाराम)

गई तो उस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। जहां तक मै समझ पाया हूं, माननीय सदस्य ने दो मुद्दों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है—एक तो यह है कि खेतड़ी प्रोजेक्ट की तरफ से जब यह आब्जेक्शन एग्रीकलचर रिफाइनेन्स कार्पोरेशन के पास गया कि यदि यह विशेष योजना जो कि एग्रीकलचर रिफाइनेन्स कार्पोरेशन के माध्यम से ली जा रही है ले लेंगे तो खेतड़ी प्रोजेक्ट को पानी नहीं मिलेगा, और इसी आधार पर एग्रीकलचर रिफइनेन्स कार्पोरेशन की तरफ से हमारे कृषि विभाग को उन्होंने लिखा कि जब तक खेतड़ी प्रोजेक्ट की तरफ या जी. एस. आई. की तरफ से क्लियरेन्स सर्टिफिकेट न आये तब तक इस स्कीम को अपने हाथ में नहीं ले सकते और न ही उसकी स्वीकृति दे सकते। जहां तक हमारी जानकारी है उस जानकारी के आधार पर यह कह सकता हूं कि खेतड़ी प्रोजेक्ट के माध्यम से या उस विभाग के द्वारा जो ट्यूब वैल्स बनाये गये हैं, और जो एक निश्चित मात्रा में प्रोजेक्ट को पानी की आवश्यकता है उतनी आवश्यकता को पूरी करने के पश्चात् भी वहां एक मीटर दो मीटर से ज्यादा इर्द-गिर्द जो कुए वहां के हैं उनका जल स्तर जो होता है उससे नीचे नहीं जा सकते और इसमें कुछ कमी नहीं हो सकती है। और जो स्कीम एग्रीकलचर रिफाइनेन्स कार्पोरेशन के सामने पेश की थी उसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जी. एस. आई. को सरकार की तरफ से यह लिखेंगे कि जिन गांवों के लिए यह विशेष योजना बनी है वह विशेष योजना क्रियान्वित जल्दी से जल्दी हो और वहां की जो डिसचार्ज केपेसिटी है उसके बारे में इसका दुबारा सर्वेक्षण करें। मै तो यह भी चाहता हूं कि जब वे सर्वेक्षण करें उस वक्त हमारे ग्राउन्ड वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट के जितने सम्बन्धित अधिकारी हैं जो कि जल-स्तर की डिसचार्ज केपेसिटी के विशेषज्ञ हैं वे भी उनके साथ में जायं और जून के पश्चात् इसकी पूरे तरीके से एक रिपोर्ट पेश करें। उसके पश्चात् ही मैं समझता हूं कि एग्रीकलचर रिफाइनेन्स कार्पोरेशन की स्कीम को लिया जायगा। अगर रिपोर्ट यह आती है कि पानी काफी है तो निश्चित ही हम तुरन्त ही एग्रीकलचर रिफाइनेन्स कार्पोरेशन को ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर यह लिखेंगे कि इस स्कीम को तुरन्त ही अपने हाथ में लें।

इसके अलावा इस अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को यह भी आदेश दे रहे है कि जब तक कि इस सम्बन्ध में ज्योलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, जो जानकारी हम उनसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की तरफ से कोई भी कुए को खेतड़ी प्राजेक्ट में डेवलपमेंट करने के लिए हाथ में न लिया जाय। अगर यह दोनों बातें हो जाती है तो मै समझता हूं, माननीय सदस्य को इन दोनों बातों के आधार पर संतोष हो हो जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में इतना हो निवेदन करना चाहता हूं।

श्री शिवनाथसिंह : इतना सा और चाहूंगा. ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया को कन्सल्ट करके आप सर्वे करा लें और जितनी जल्दी यह हो सके, दो महीने, तीन

(श्री शिवनाथसिंह)

महीने में यह हो जाय क्योंकि यह स्कीम ऐसी है जिसको बहुत समय तक प्रोलोंग नहीं कर सकते। जितनी जल्दी करा सकें, तीन महीने, चार महीने—उस अवधि में करा देंगे—यह आश्वासन दे दें। अन्यथा इस कुओं की समस्या का समाधान वर्षों तक नहीं कर सकेंगे।

श्री शोभाराम : सभापति महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया का डिपार्टमेंट है वह भारत सरकार के अधीन है, राजस्थान सरकार के अधीन नहीं है। जहां तक हमारी तरफ से विश्वास दिलाने का सवाल है, इसमें दिलचस्पी लेकर उनके अधिकारियों को बुला कर हम यह जरूर कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना वह कर सकते हैं, वैसे मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी की परिभाषा जहां तक मैं समझता हूं, एक महीना, दो महीने, से अधिक नहीं होती. फिर भी यह क्योंकि यह विभाग भारत सरकार के अधीन है, इसलिए हम अपने अधिकारियों को उनके साथ लगा कर जितनी तेजी से यह काम किया जा सकता है या तेजी लाई जा सकती है, उसकी हम कोशिश करेंगे।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई !

विधायी कार्य

विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक-राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1970

विधायी कार्य ! विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक ! माननीय राजस्व मंत्री !

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, सात तारीख को जब राजस्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल पर बहस हुई थी और मैंने उस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी किया था, उस पर भी बहस हो गई थी, क्लाज दो पास हो गया था, लेकिन सदन में माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये थे, उनको ध्यान में रखते हुए क्लाज 2 में दो अमेंडमेंट पेश किये हैं, जिससे माननीय सदस्यों की भावना है वह भी उसमें सम्मिलित हो जाय। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्लाज 2 को रीओपन करके, जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1970 में क्लाज 2, जो सदन द्वारा पारित किया गया था, को पुन: रीओपन किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लाज 2 रीओपन किया गया।

माननीय मंत्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे :

श्री रामकिशोर व्यास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिनियम 3, सन् 1955 की धारा 43, जो प्रतिस्थापित की जानी है—(1) की उप-धारा (2) के अंत में प्रयुक्त विराम चिन्ह "." विराम चिन्ह ";" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय एवं इस उप-धारा के अंत में निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाय :

(श्री रामकिशोर व्यास)

"Provided that on or after the publication of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1970 In the official Gazette, no Khatedar tenant being a member of a Scheduled caste or a scheduled tribe, shall so transfer his rights in the whole or a part of his holding to any person who is not a member of a scheduled caste or a scheduled tribe."

(ii) की उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नांकित उप-धारा (4) अन्तर्निविष्ट की जाय :—

"(4) A usufrutuary mortgage of any land made before the commencement of this Act shall, upon the expiry of this period mentioned in the mortgage deed or twenty years from the date of execution thereof, whichever period is less, be deemed to have been satisfied in full without any payment what so ever by the mortgagor and the mortgage debt. shall accordingly be deemed to have been extinguished and thereupon the mortgaged land shall be redeemed and possession thereof shall be delivered to the mortgagor free from all encumbrances."

(iii) उप-धारा (4), उप-धारा (5) संख्यांकित की जाय !

श्री नाथूलाल करोल (जमुवारामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, 1970 का जो सैकिन्ड क्लाज वापस रीओपन किया गया है उसका मैं समर्थन करते हुए यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि क्लाज सैकिण्ड के अन्दर वापिस इन अमेंडमेंट्स के लाने की आवश्यकता नहीं थी । माननीय सदस्यों का यह ख्याल था शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की जमीन लोग, मनी लेंडर, जो साहूकारी का कारोबार करने वाले हैं यह इस धन्धे को करने वाले हैं वह हड़प जायेंगे । यह माननीय सदस्यों का ख्याल गलत था । मैं निवेदन करूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग ऋण लेने के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं और साहूकार लोग उनको पैसा देने के लिए कतई राजी नहीं थे, सेक्शन 43 की वजह से वह देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह जमीन रहन नहीं कर सकते थे और जमीन रहन न करने के कारण उन लोगों को यह आफत आती थी कि उनका पैसा किसी तरह से सुरक्षित नहीं रहेगा । लेकिन माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठाई, उस आपत्ति को मैं तो अस्वीकार करते हुए कहूंगा यही, लेकिन खैर अब माननीय मंत्रीजी ने इसके अंदर स्पष्टीकरण कर लिया है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की जमीन जो ट्रांसफर की जायगी, वह कास्ट्स या ट्राइब्स के लोगों को ही होगी । इसका मैं स्वागत करता हूं और इस पर ज्यादा वाद-विवाद न करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी पारित किया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राज-

(श्री सभापति)

स्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, 1970 में जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय मन्त्रीजी ने धारा 2 में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह क्या है, केवल मन्त्रीजी बोले हैं और कोई नहीं।

श्री नत्थीसिंह : फार्म वाला आप सोच लेना।

श्री रामचन्द्र आर्य : आधे भी हां नहीं बोले हैं।

श्री नत्थीसिंह : मन्त्रीजी बोले हैं।

श्री सभापति : पारित करने का प्रस्ताव।

श्री रामकिशोर व्यास : सभापति, महोदय, इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राज॰स्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, 1970 को यथा संशोधित पारित किया जाव।

(स्वीकृत)

विधेयक यथा संशोधित पारित किया गया।

गंगानगर जिले की समस्याओं से संबंधित मुख्य मन्त्री के वक्तव्य पर विचार

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय..

श्री सभापति : इससे पूर्व कि आपका भाषण प्रारम्भ हो, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे भाषण के पहले मुख्य मन्त्रीजी स्टेटमेंट दे दें।

श्री नत्थीसिंह : मुख्य मन्त्रीजी स्टेटमेंट देने वाले थे, गोली काण्ड पर।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे दुबारा नहीं कहना पड़े इसलिए वह सदन से जो वक्तव्य देने वाले हैं मुख्य मन्त्री का वह वक्तव्य हो जाय तो ठीक रहेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : आ रहे हैं मुख्य मन्त्रीजी।

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर के सम्बन्ध में जो वक्तव्य मुख्य मन्त्रीजी ने पहले दिया था और कुछ आज देंगे—इन पर आज अभी चर्चा होगी। यह महत्वपूर्ण मामला है, इस पर चर्चा को सुगमता से चलाने के लिए मैं चाहूंगा कि सारे दलों से कुछ माननीय सदस्य बोलें, समय सीमा में बोलें। इसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न दलों से बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या और समय सीमा निर्धारित की जाय। इसके लिए मेरा निम्न सुझाव है : कांग्रेस पार्टी : तीन सदस्य, स्वतन्त्र पार्टी : दो सदस्य, जनसंघ पार्टी : 2 सदस्य, बी० के० डी० दो सदस्य, संसोपा : एक सदस्य, अन्य : एक सदस्य। समय सीमा इस प्रकार से है : कांग्रेस पार्टी लेगी डेढ़ घन्टा, स्वतन्त्र पार्टी एक घन्टा, जनसंघ पार्टी एक घन्टा, बी. के. डी. एक घन्टा, संसोपा तीस मिनिट,

(श्री सभापति)

अन्य तीस मिनिट। यह समय सीमा निर्धारित सामान्यतः किया है। मैं आशा करता हूं माननीय सदस्य इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे....

राजवी श्री रूपसिंह : कम्युनिस्ट पार्टी और हमारे लिए तीस तीस मिनट रखे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए तीस मिनिट हों और इन्डिपेण्डेंट के लिए अलग रख दीजिये।

श्री सभापति : वैसे तो सदन में कांग्रेस की आधे से ज्यादा संख्या है और समय जो सदन के पास साढ़े पांच घन्टे का है, उसके हिसाब से पौने तीन घन्टे कांग्रेस के लिए होने चाहिये लेकिन कांग्रेस दल के लिए डेढ़ घण्टा रखा है, बाकी के चार घन्टे का समय विरोधी दलों के लिए रखा है। जो समय का विभाजन किया है, उसमें काफी ज्यादा समय विरोधी दलों के लिये रखा है, क्योंकि विरोधी दल इस प्रश्न उद्विग्न हैं और उन्हीं को कहना है। वैसे य नज़र चलें कि समय सीमा दस पांच मिनि- आगे पीछे और हो सकती है। इसलिए जो व्यवस्था की गई है उसमें और कोई मुख्य बात नहीं है।

(1.00 म. प.)

गंगानगर जिले की समस्याओं पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमन्त्री):

माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले की समस्याओं में प्रमुख समस्याएं राजस्व, उपनिवेशन तथा सिंचाई विभाग से सम्बन्धित थीं, जिनके बारे में सरकार द्वारा दिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में मैं सदन में 25-3-70 को वक्तव्य दे चुका हूँ। इनके अतिरिक्त जो समस्याएं सामने आई गई हैं, उनके सम्बन्ध में वस्तुस्थिति एवं राजकीय निर्णय माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु आज प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं इस प्रसंग में माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि विकास एवं सामाजिक सेवा सुविधाओं के प्रश्न पर सारे राज्य के कार्य-क्रम एवं वित्तीय साधनों के परिप्रेक्ष्य में व्यापक रूप से सोचना होता है। अतः यह दृष्टिकोण ध्यान में रखने का है।

(1) **विद्युतीकरण** :—कृषि के लिये बिजली दिये जाने तथा ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य-क्रम राजस्थान राज्य विद्युत मन्डल द्वारा लिया गया है। नलकूपों को भी बिजली दी जा रही है। राज्य विद्युत मण्डल को अपने कार्य-क्रम की गति तीव्र करने को कहा जायेगा। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि 31-3-69 तक गंगानगर जिले के 98 गांवों में बिजली दी जा चुकी थी। वर्ष 1969-70 के लिये जिले का विद्युतीकरण कोटा 10 गांवों का था जिसे बढ़ाकर 56 गांवों का विद्युतीकरण स्वीकार किया गया है। इस प्रकार विद्युतीकरण हुए गांवों की प्रतिशत गंगानगर जिले में 10 प्रतिशत है, जबकि राज्य का औसत 8.5 प्रतिशत है। फरवरी 1970 के अन्त तक जिले में 594 पम्प सैट्स को बिजली दी जा चुकी थी। वर्ष 1970-71 में लगभग 300 कुओं को बिजली दिये जाने की सम्भावना है। इस वर्ष बिजली की हनुमानगढ़, सिरसा तथा हनुमानगढ़-सूरतगढ़ की 132 केवी लाइनों पर कार्य पूरा हो जाने की आशा है। इस

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कार्य के पूरा हो जाने से भविष्य में विस्तार और तेजी से किया जा सकेगा ।

(2) **सड़कों का निर्माण:**—अब तक के विचार के अनुसार गंगानगर जिले की निम्नांकित सड़कों का निर्माण चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है । अगर इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हो तो वहां के प्रतिनिधियों से बातचीत करके विचार किया जा सकता है ।

नये कार्य—

(1) विजयनगर से रघुनाथपुरा

(2) रजियासर से लो लेवल ब्रान्च के हेड तक

(3) रावतसर से बिरदावल

(4) छतरगढ़ से लो लेवल ब्रान्च के टेल तक

(5) नोशेरा ब्रान्च के किनारे

चालू कार्यों की पूर्तिः—

(1) अनूपगढ़ से छतरगढ़

(2) अनूपगढ़ से रायसिंहनगर

(3) कुन्पाली से घरसाना

(4) विजयनगर से रायसिंहनगर

(5) टिब्बी से छायारोड

(6) पक्का भादवा नोहर रोड पर पुल

(7) विजयनगर-अनूपगढ़ रोड पर पुल

(8) नोहर से रावतसर

गंगानगर जिले में पिछले तीन वर्ष 1966-69 में सड़कों पर 1.13 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं, जबकि सारे राज्य का इस अवधि में सड़कों पर व्यय 4.29 करोड़ रुपये था । इस वित्तीय वर्ष 1970-71 में भी केवल राजस्थान नहर क्षेत्र में सड़कों पर 35 लाख रुपये का प्रावधान है । इसके अलावा सारे राज्य के कुल प्रावधान 160 लाख रुपये में भी गंगानगर जिले का हिस्सा है ।

(3) **चिकित्सा** :—जिला मुख्यावास होने तथा गंगानगर की जनसंख्या को दृष्टि-गत रखते हुए गंगानगर अस्पताल में शय्याओं की संख्या 111 से बढ़ाकर 150 करने का निर्णय लिया गया है । इससे गंगानगर अस्पताल में एक सीनियर स्पेश-लिस्ट, दो जूनियर स्पेशलिस्ट, चार सी. ए, एस. डाक्टर, तीन स्टाफ नर्सें, तीन ग्रेड I कम्पाउण्डर तथा दो ग्रेड द्वितीय कम्पाउन्डर और बढ़ाये जायेंगे । दवाइयां, रोगियों के भोजन, उपचार सामान गद्दे चद्दर आदि के लिये भी अतिरिक्त प्रावधान किया जावेगा ।

अभी ये सुविधायें अस्पताल के वर्तमान भवन में ही की जावेगी । गंगानगर में नये अस्पताल की आवश्यकता है और उसके लिये सरकार नक्शे तैयार करवा रही है और नये भवन निर्माण के लिये जन-सह-योग से सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी । इसके लिये नये भवन की योजना बनाने तथा जन-सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रयास प्रारम्भ किये जावें गे ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(4) **आबादी भूमि** :-आबादी भूमि के विस्तार के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव नगर पालिका, मंडी कमेटी या पंचायतों से आये हुये हैं, उन पर शीघ्रता से कार्यवाही की जावेगी। आगे भी जो प्रस्ताव आवश्यकतानुसार आबादी विस्तार या इस हेतु भूमि अवाप्ति के आयेंगे, उन पर शीघ्र कार्यवाही की जावेगी। यह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि मंडी घोषित क्षेत्रों के समुचित विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था के प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं। इसी प्रश्न के हाथ नगर पालिकाओं तथा पंचायतों द्वारा आबादी भूमि विक्रय का प्रश्न भी सम्बद्ध हैं, जिस पर इसके साथ ही निर्णय लिया जावेगा।

(5) **कृषि विश्वविद्यालय** :-माननीय सदस्य जानते हैं कि कृषि शिक्षा की जो सुविधायें इस समय राज्य में उपलब्ध हैं, वे राज्य की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त हैं। वास्तव में इस समय भी कृषि स्नातकों की रोजगारी का प्रश्न सामने आ चुका है। अतः नये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न नहीं उठना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर दूं कि सांगरिया कृषि कालेज को इस वर्ष गंगानगर जिले की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये ही चालू रखने का निर्णय लिया गया था, अन्यथा सामान्यतः इस कालेज को बन्द कर देने की स्थिति थी।

(6) **उद्योग** :-गंगानगर जिले में अधिक सम्भावना कृषि आधारित उत्पादन एवं प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित किये जाने की है। सरकार इन उद्योगों के, विशेष रूप से सहकार क्षेत्र में, स्थापना को प्रोत्साहन देगी। निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिये व्यवसायी साहसिकों को वे सभी सुविधायें सरकार उपलब्ध करेगी जो राज्य के दूसरे क्षेत्रों में दी गई हैं। उर्वरक तथा ट्रेक्टर फैक्टरी के लिये यदि कोई प्रस्ताव व्यवसायी व्यक्तियों से आये तो उन्हें भी सामान्य सुविधायें तथा सहयोग दिया जावेगा।

(7) **ट्रेक्टर पर से कर** :-ट्रेक्टरों को कर मुक्त करने के आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं।

(8) **गंगानगर शहर का ड्रेनेज** :-गंगानगर शहर में ड्रेनेज की आवश्यकता को सरकार मानकर चलती है। गंगानगर नगरपालिका की वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। अतः ड्रेनेज के कार्यक्रम को नगरपालिका द्वारा लिया जाना चाहिये। राज्य सरकार भी नगरपालिका को ड्रेनेज कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में समुचित वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ताकि सारा कार्य फेज्ड प्रोग्राम के अनुसार पूरा किया जा सके।

पेयजल :-जिले की पेयजल समस्या के प्रति राज्य सरकार जागरुक है। पिछले वर्ष के अन्त तक गंगानगर जिले में 70 लाख रुपये की लागत से 11 नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनायें पूरी की गई हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में डिग्गियों का निर्माण किया गया है। राजस्थान नहर विकास योजना में सूरतगढ़ जल प्रदाय योजना का कार्य प्रगति पर है जिसकी अनुमानित लागत 9 लाख रुपये हैं। श्री गंगानगर एवं नोहर जल-प्रदाय योजनाओं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के विकास एवं पुनर्गठन का कार्य भी हाथ में लिया गया है।

वर्ष 1969–70 में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में 3.11 लाख तथा नगरीय पेय-जल योजना में 6.59 लाख रुपये का प्रावधान था। आगामी वर्ष 1970–71 में ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं के लिये 30.35 लाख रुपये तथा नगरीय क्षेत्रों के लिये 3.96 लाख रुपये का प्रावधान है! ग्रामीण क्षेत्रों के लिये नई योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं।

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में पेयजल के सम्बन्ध में अधिक महत्व देकर चल रहे हैं। इस योजना काल में गंगानगर जिले की प्रमुख मण्डियों में पेयजल योजनायें ली जाने का प्रस्ताव है। राजस्थान नहर विकास के अन्तर्गत चौथी योजना काल में डिग्गियों के निर्माण के लिये 225 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

(10) **स्नातकोत्तर कक्षायें** :–गंगानगर में विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये खालसा कालेज को अनुमति दी जा चुकी है। कला विषयों में राजकीय कालेज में कुछ विषयों में पहले ही स्नातकोत्तर कक्षायें चालू हैं। जिन एक दो कला विषयों में स्नातकोत्तर कक्षायें चाही जा रही हैं उनमें भी आगामी सत्र से कक्षायें खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

(11) **सांगरिया भादरा चूरू में फाइरिंग** :–फाइरिंग की न्यायिक जांच चालू है। फाइरिंग के पीड़ितों को सहायता के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय तो जांच पूर्ण होने पर ही लिया जा सकेगा, किन्तु तुरन्त सहायता के उद्देश्य से मृत व्यक्तियों के परिवारों को तदर्थ सहायता का निर्णय लिया गया है। यह सहायता श्री काशीराम हरिजन : जिनकी मृत्यु चूरू फाइरिंग में हुई : के परिवार को 10,000) रु. और अन्य मृत व्यक्तियों के परिवारों को 5,000) रु. प्रति परिवार दी जावेगी।

मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर विचार

श्री रामचंद्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि गंगानगर जिले के भूमि समस्याओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार किया जाय।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्रीजी ने राज्य सरकार के निर्णयों की 25 मार्च, 1967 को घोषणा की थी और कुछ समस्याओं के बारे में आज घोषणायें की हैं। प्रथम 25 तारीख को जो गंगानगर के आंदोलन संबंधित मांगों पर जो घोषणायें की थीं, उनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। जिला गंगानगर में जिन मुद्दों पर काश्तकारों ने जो आंदोलन शुरू किया था, उन समस्याओं के बारे में राज्य सरकार को पहले ही दो साल से बराबर प्रस्तावों के रूप में और प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते रहे। आखिर राज्य सरकार द्वारा भूमि नीलाम करने पर वहां के काश्तकारों ने आंदोलन शुरू किया और लंबे अर्से के बाद भी राज्य सरकार ने जो घोषणायें की हैं, उन घोषणाओं को सही माइने में देखा जाय तो घोषणाओं से काश्तकारों को कोई लाभ नहीं हुआ है। राज्य सरकार को ही इससे

(श्री रामचन्द्र आर्य)

लाभ हुआ है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान कैनाल में व गंगानगर जो सबसे पहला हमारा आइटम था कि भ्रष्टाचार व पक्षपात को समाप्त किया जाय, इस पर मुख्य मंत्री ने कोई घोषणा नहीं की और इस संबंध में राज्य सरकार को कदम उठाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि राजस्थान में और खास तौर से जिला गंगानगर में आज जितनी भ्रष्टाचार और पक्षपात की नीति अपनाई गई, इसका उदाहरण दूसरे जिलों में नहीं मिल सकता। इसको भी आप जानते थे कि वहां की जनता में जो असंतोष छाया हुआ है, उसका बड़ा कारण वहां पर पक्षपात और भ्रष्टाचार है। उसके बाद में राजस्थान कैनाल क्षेत्र के काश्तकारों को दी हुई खातेदारी भूमि को खारिज किया और जिस समय टिनेन्सी एक्ट राजस्थान में सन् 1955 में बना, उस समय राजस्थान कैनाल की योजना नहीं थी और उन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिए गए और उस टिनेन्सी एक्ट में यह प्रावधान था कि गंग कैनाल, जवाई बांध, भाखरा और चम्बल योजना में जो जमीन आएगी, उनको खातेदारी अधिकार नहीं दिए जायेंगे, बाकी आज की तारीख में सबको खातेदारी अधिकार देते हैं। उसके बाद में राजस्थान कैनाल की योजना बनी और सरकार ने बेईमानी के तरीके से एक काला कानून सदन में लाकर और धारा 15 ए को पास कराकर उन किसानों को अधिकारों से वंचित कर दिया। उसके बाद हजारों की तादाद में काश्तकार जयपुर आए, राज्य सरकार के सामने निवेदन करने के लिए लेकिन सरकार ने नहीं माना। उसके बाद वहां के काश्तकार उच्च न्यायालय में गए और वहां काश्तकारों के पक्ष में फैसला हुआ। 18 जुलाई, 1962 को फैसला हुआ था। उस फैसले के अनुसार राज्य सरकार का वह काला कानून रद्द हो गया और काश्तकार जीत गए। इस पर किसान विरोधी इस सरकार को चिंता हुई और भारत के विधान में 17 वां संशोधन आया, बेईमानी के तरीके से उस बिल के अन्दर जुड़वाया, जिससे हाई कोर्ट का 18 जुलाई, 1962 का फैसला निरस्त हो गया, बेअसर हो गया और काश्तकारों में बड़ा असंतोष फैला।

उसके बाद राजस्थान कैनाल क्षेत्र के उपनिवेशन विभाग ने सर्वे शुरू किया, उसमें उन काश्तकारों की जमीनें काट दी गई जो रोजाना उस इलाके में वह आबाद हैं, अकाल की वजह से गिरदावरी नहीं होती और काफी काश्तकारों की जमीन खारिज की गई और उनसे कह दिया कि तुम्हारा इस भूमि पर कब्जा नहीं है और भूमि काट दी जाय। काफी काश्तकार ऐसे थे सूरतगढ़ तहसील के जिनको सन् 1954 में एलाटमेंट नहीं हुआ। उस बात को लेकर 50 बीघा से ज्यादा जमीन उनकी काट दी गई। इसलिए उन काश्तकारों में बड़ा असंतोष हुआ लेकिन मजबूर थे, सरकार के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। उच्च न्यायालय में जीतने के बाद भी, उनकी बात नहीं मानी गई इसलिए मजबूर हुए और यह रास्ता उन्हें अपनाना पड़ा।

घोषणा में मुख्य मंत्री ने उस इलाके की खातेदारी का एलान किया है। उसमें

(श्री रामचन्द्र आर्य)

यह बात स्वीकार की गई कि सीलिंग सीमा के अन्दर उन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दे दिए जायेंगे और यह घोषणा की गई कि उनको एक मुरब्बा मुफ्त खातेदारी और बाकी जमीन की किश्तों में रकम वसूल की जायगी। इसमें 25 बीघा की खातेदारी दी गई जिससे लोगों को कतई संतोष नहीं हुआ, क्योंकि दी हुई खातेदारी छीनी गई थी और काश्तकारों से कब्जे से जमीन छुड़वाई। इसलिए काश्तकार संतुष्ट नहीं हुए। इसके साथ साथ यह शर्त जोड़ी गई कि 1955 से आज तक बराबर काश्तकार का कब्जा है तो 25 बीघा ही मुफ्त खातेदारी और सीलिंग सीमा के अंदर जमीन देंगे लेकिन मुख्य मंत्री जी, आपको मालूम होगा कि आपके उपनिवेशन विभाग ने तमाम काश्तकारों से कब्जा छुड़वाया और बेदखल किया है और उन पर 5 लाख रुपया तावान कायम है, जिसका मैं प्रमाण दूंगा। बेईमानी तरीके से यह निर्णय लिया है जिससे काश्तकारों को कोई लाभ नहीं हुआ है।

इस संबंध में मैंने प्रश्न पूछा था। उसके उत्तर में 5,06,105) रुपया उन पर तावान हैं। इस प्रकार से उन काश्तकारों को बरबाद किया। उसके बाद आपने 1955 के बाद के काश्तकारों का निर्णय लिया और घोषणा की है हमारी मांग थी कि उन काश्तकारों को, भूमिहीन मानकर जमीन दी गई है, इसलिए उनके कब्जे की जमीन 50 बीघा तक उनके कब्जे में रहने दी जाय और सरकारी रेट पर लम्बी किश्तों में कीमत वसूल की जाय। आपने निर्णय लिया है कि 1955 से बाद के एलाटीज काश्तकार जिनका कब्जा आज तक है, दो साल व्यवधान तक आप मान लेंगे, बाकी 25 बीघा जमीन तक आधी कीमत पर एलाट करेंगे। इसमें बड़ी बेईमानी की है। 1955 से आज तक उनके कब्जे होने चाहिए जबकि आज से तीन वर्ष पहले उनको बेदखल कर दिया था और सन् 1955 से पहले का भी इसमें यह भी आपने जोड़ा है कि 1955 से पहिले तक इस इलाके का वाशिंदा होना चाहिए, जबकि हमारी मांग थी कि 1967 तक का जो भूमिहीन काश्तकार है, उसको राजस्थान का वाशिंदा मानना चाहिए। आपने दलील दी थी कि 1962 तक मान लें तो ठीक रहेगा। आपने 1955 से पहले वाली शर्त फिर जोड़ी है इसलिए काश्तकारों को, आधे से कम आदमियों को जमीन मिलेगी और 50 बीघा जमीन जिनके कब्जे में हैं, उनसे छुड़वा लेंगे और सिर्फ 25 बीघा जमीन दी जायगी। यह मांग भी पूरी नहीं होती है, इसलिए वहां काश्तकारों में भारी असंतोष है आपकी घोषणा से।

इस संबंध में सैंकड़ों भूमिहीन काश्तकारों ने हाईकोर्ट में सरकार के विरुद्ध रिट की हुई है। आपने जो नियम 1967 में राजस्थान कैनाल की जमीन अलाट के बारे में पारित किया था, उस नियम के विरुद्ध काश्तकार उच्च न्यायालय गए और आज वह केस चल रहा है और सरकार उस केस में हार गई और अभी सरकार ने हाईकोर्ट में अपील कर रखी है। नीयत साफ होती तो अपील करने की क्या जरूरत थी, उनके कब्जे काश्त की जमीन एलाट कर दी जाती लेकिन उन काश्तकारों को आप जमीन नहीं देना चाहते, जिसका सबूत यह स्टे आर्डर है। आपके उस कानून को चैलेंज किया और

(श्री रामचन्द्र आर्य)

वह खारिज हुआ और आपने अपील की। उन काश्तकारों के साथ में चाहिए तो यह था कि 13–14 साल तक जिस भूमि का काबिले काश्त बनायी है, दूसरा जरिया नहीं है। उनके कब्जे से जमीन को नहीं छुड़वाते लेकिन आपने उन काश्तकारों पर और जो 1955 से पहले के काश्तकार थे उन पर 4) रुपया बीघे का सिंचित और 1 रुपया बीघे का बारानी पर आपने मालकाना टैक्स लगाया है उसके लिए भी मैंने लिखित प्रश्न पूछा था और मुझे बताया गया कि इतना मालकाना है। आप कहते हैं कि मालकाना टैक्स नहीं लगाया लेकिन यह मालकाना टैक्स उस इलाके के काश्तकारों पर आज भी लगा हुआ है। 2,76,253 रुपये आज भी उन पर बकाया है जबकि आपको उन पर मालकाना टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं था, उनकी खातेदारी हक की जमीन थी लेकिन आपकी जबान में कानून है, आपने कानून को ताक पर रख दिया और काश्तकारों को बरबाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए यह सारा एजीटेशन चला है।

इसके अलावा भूमिहीन काश्तकारों को जमीन देने की घोषणा की है। उसमें आपने चालाकी की है और जो हमने मांगें की थी उनमें से कोई भी मांग पूरी नहीं होती है। हमने मांग की थी कि सन् 1967 के आबाद हैं जो राजस्थान के वाशिंदे हैं, उनको दो मुरब्बे तक जमीन दी जाय और कम कीमत में दी जाय, अग्रिम उनसे कीमत वसूल न की जाय और उन काश्तकारों को 1955 से पहले के न मानकर बरबाद न करें और उनके परिवार में बालिग लड़का होने पर अलग परिवार मानें लेकिन एक बात भी स्वीकार नहीं की उल्टा 50से25 बीघा किया। और वह ही आपने टांग सन् 1955 के पहले के काश्तकारों ने अड़ायी कि 55 के पहले का राजस्थान में वाशिन्दा होना चाहिये। वह भूमिहीन किसी प्रकार साबित नहीं हो सकता। भूमिहीन और काश्तकार को लड़ाने के लिये भेदभाव पैदा करने के लिये आपने यह निश्चय किया है कि अल्प संख्यक अनुसूचित जाति और जन जाति के जो भूमिहीन हैं उनसे अग्रिम किश्त नहीं लेने का निर्णय किया और बाकी से अग्रिम किश्त लेने का निर्णय किया है। भूमिहीन कोई हो जिसके पास जमीन नहीं वह गरीब भूमिहीनों और हरिजनों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उनको मुफ्त दे दीजिये। मैं संतुष्ट हूं उनको मुफ्त जमीन दीजिये। गंगासिंहजी गंग नहर लाये। उस जमाने में उन्होंने 24 किश्तें बांधी थी लेकिन आप नौ किश्तों में सब लेना चाहते हैं और 5 और 12॥ परसेन्ट पहले लेना चाहते हैं। आप की इस प्रकार की नीति राजस्थान के लोगों को झकझोर रही है और सही माने में लोगों को फायदा नहीं देना चाहते हैं और भूमिहीन को भूमि से वंचित करना चाहते हैं। भूमिहीन को कम कीमत में भूमि देवे और लम्बी किश्तों में देते। स्टेट के वक्त में 24 किश्तें बांधी गयी लेकिन प्रजातन्त्र में प्रजा की सरकार आयी तो 30 बांधी जाती। लेकिन आपने तो 9 किश्तें बांधी हैं। रेतीले टीले हैं जिनकी कीमत कुछ नहीं उन पर भी 675 रु. की कीमत रखी और नाली की जमीन जिसको पांच हजार रुपये में बेचते हैं, बाकी जमीन को जिसको तीन सौ रुपये में कोई नहीं लेता, यह जानबूझ कर फैसला किया है। लोग लड़ रहे हैं।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भूमिहीनों को जमीन देने का जो निर्णय किया, उसमें परिवर्तन करना चाहिये। वाजिब बात सरकार को माननी चाहिये। बालिग लड़का है तो उसको परिवार से अलग मानना चाहिये। अग्रिम किश्त लेनी चाहिये। जमीन कम है और ज्यादा नहीं दे सकते यह आप कहते हैं। मैं भण्डाफोड़ करूंगा। ईमानदारी से सदन की कमेटी बिठायी जाय, वह जांच करेगी कितनी जमीन है आपने आंकड़े दियें वह गलत हैं। 50 बीघा भूमिहीन काश्तकार को अलाट करे। पहले भी काफी लोगों को अलाट की थी भूमिहीनों को और जागीरदारों को। पोंग बांध के विस्थापितों को लिख कर दिया था। आज आप पन्द्रह से पच्चीस बीघा ही जमीन देना चाहते हैं। आपको इस पर पुनः विचार करना चाहिये। और काश्तकारों में हुए असन्तोष को दूर करना चाहिये। दूर नहीं करेंगे तो भयंकर परिणाम राजस्थान में आवेंगे। यह आप भी जानते हैं। आपने नाक का प्रश्न बना रखा है। इसको नाक का प्रश्न बना करके राजस्थान की जनता का प्रश्न बनाना चाहिये। राज्य करने वालों का हृदय विशाल होना चाहिये, संकीर्ण नहीं होना चाहिये। यह राजनैतिक आन्दोलन नहीं है। यह आर्थिक आन्दोलन है। जब आन्दोलन भड़कता है तो मांग मंजूर किये बिना शान्त नहीं हो सकता। आज न माने तो दो दिन बाद मानेंगे आपको अब तो मानना ही पड़ेगा। भूमिहीन के बारे में पुनः विचार करेंगे। यह मुझे उम्मीद है।

इसके अलावा नम्बर 5 में यह कहा कि अलाटमेंट से बची हुई जमीन जो सरकारी जमीन पड़ी हुई है उसको चार रुपया बीघा में भूमिहीनों को वितरित करेंगे। बीकानेर और गंगानगर के भूमिहीन काश्तकारों को देंगे। यह क्षेत्रीय भावना को भड़काने वाली बात है। मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं। आप प्रचार करते हैं कि गंगानगर वाले जमीन लेना चाहते हैं और राजस्थान के लोगों को जमीन नहीं देना चाहते। यह आपकी बेईमानी है। आपको यह एलान करना चाहिए कि जमीन बेची गई है. सन् 62 तक जो भी राजस्थान का वाशिन्दा है उसको एक साल के लिए काश्त पर देंगे। चार रुपया बीघा बहुत ज्यादा है यह एलान आपने नहीं किया है। साफ है। भूमिहीन जो एक मुरब्बा जमीन लेगा, $12\frac{1}{2}\%$ रु. पहले लेंगे और जिनके पास नहीं होंगे तो जमीन नहीं मिलेगी और पैसे वालों की शरण में जाना पड़ेगा। आप कहते हैं कि 56 और 60 के बीच में होना चाहिये। आप इसमें उदारता दिखायें। राजस्थान का कोई भूमिहीन हो उसको दें। हम नहीं चाहते हैं कि क्षेत्रीय भावना भड़के। लेकिन आज आप रोजाना यह भावना भड़का रहे हैं जिसका यह ज्वलन्त उदाहरण है। चार रुपया बीघा ज्यादा है। जमीन पर पानी नहीं। काबिल काश्त नहीं। चार रुपया बीघा लेना उचित नहीं है। डबल ले लें। दूसरा उनसे पहले एडवान्स न लिया जाय। 62 तक वालों को भूमिहीन मानकर भूमि अलाट की जाय।

नम्बर 6। गंग नहर क्षेत्र के लिये निर्णय देते हैं कि सन् 53 से बराबर कब्जा है उसको अलाट करेंगे। आज तक किसी एक का कब्जा रहा है? हर साल बदलते

(श्री रामचन्द्र आर्य)

हैं। आज जिसके कब्जे में है उसको एक मुरब्बा और उनको पुरानी रेट से मिलनी चाहिये। गंग केनाल में वे कभी से पड़े हैं। अपने बाल बच्चों को पालते हैं। वह कहते थे कि हमारा राज्य आवेगा तो हमें जमीन मिलेगी। सन् 1953 से 60 तक का जिनका कब्जा है। बाद में भी वह रहा है। आज तक भी वह रहते हैं। 1962 तक जिसका कब्जा है और जिसका कब्जा है उसके कब्जे की जमीन को वर्तमान रेट पर न देकर गंग केनाल की पुरानी रेट पर दें। उन्होंने सरकार को काफी आमदनी दी है हर साल ठेके पर देते हैं। फायदा उठाया राजस्थान की हुकुमत बनती है, तो उसको दे देते लेकिन राजस्थान सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज प्रमाण देंगे कि राजस्थान में किस प्रकार का काम किया है। जो गंग केनाल में वाशिन्दे हैं, भूमिहीन हैं। उस क्षेत्र में 1962 तक भी जिस तरह से काश्त हुई है एक साल दो साल उनको पुरानी रेट पर दी जानी चाहिये। नहीं देते हैं तो वे लोग नहीं मानने वाले हैं। वे जानते हैं कि न्याय नहीं मिलना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं। लड़ाई कोई नहीं लड़ना चाहता। नाक पर पानी फिर जाता है तो लड़ाई लड़ते हैं। कोई किसी पड़ौसी के साथ लड़ना नहीं चाहता। लेकिन आखिर फिर लड़ना ही पड़ता है। भाखरा परियोजना के सम्बन्ध में—भाखरा क्षेत्र के सम्बन्ध में आपने यहां यह कहा है कि भाखरा परियोजना क्षेत्र में जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े भूमि है, तीन तीन एकड़ के जो टुकड़े पड़े हैं उनको आप बाजार रेट पर देंगे। क्यों साहब क्यों देते हैं? जिनके खेतों के बीच में जमीन पड़ी है, उसको भाखरा की पुरानी रेट पर ही जमीन दी जानी चाहिये और कम से कम 5 किश्तों में उनको जमीन की कीमत लेनी चाहिये। उन पर अनेकों मुकदमे चल रहे हैं और इस वजह से बेचारा किसान मारा मारा फिरता है। लेकिन आप उनको जमीन देना नहीं चाहते हैं। यह उनको एक बहाने से टालना है। इसलिए आप इस पर पुर्नविचार करें। यह एक गम्भीर मामला है। खेतों के बीच में जमीन पड़ी है उसको कोई नहीं लेगा और इससे काश्तकार बर्बाद हो जायेगा और उसको लेनी पड़ेगी मजबूर होकर। जो 3/4 बीघा जमीन है उसको कोई नहीं लेगा। इसलिए आप इस पर पुर्नविचार करें।

आपने उपनिवेशन क्षेत्र के कुछ क्षेत्र निकालने की आपने घोषणा की है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रायसिंह-नगर क्षेत्र में 5:163 बारानी जमीन है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं इसको आप, इसके साथ ही रायसिंह-नगर के जो 19 गांव हैं. उनको भी खातेदारी के हक दिये जायं। तो सही मायने में उनके साथ न्याय होगा। आपकी घोषणा को सही मायने में नहीं समझा जायेगा। राजस्थान केनाल की जो सिंचाई के बाहर है, उनको कोई फायदा नहीं है। रायसिंह-नगर को आपने लिस्ट में नहीं जोड़ा है। इसलिए इस सन् 55 की 163 बीघा जमीन को भी नहरी क्षेत्र से बाहर निकाले तो अच्छा होगा।

परगना टी. बी. : आपने कुछ ऊंची ऊंची घोषणाएं कीं। आपने कहा, इनकी मांगें स्वीकार करली हैं। आपको मालूम होगा कि सन् 1947 से पहले कोई माल•

(श्री रामचन्द्र आर्य)

गुजारी जमीन नहीं देते थे। वे जमीन पर काबिज होते थे और बेदखल होते थे। परन्तु इसमें आपने सन् 1928 का रखा है, 1928 से जो काबिज हैं उसको आप दो मुरब्बे जमीन देंगे क्योंकि आप पहले ही दे रहे हैं। क्या यह जमीन आपके घर की है ? आपने जमीन मुफ्त में ली है। आपका कोई पैसा इसमें नहीं लगा है। इसलिये आज तक जिसका कब्जा है उनको उस जमीन के खातेदारी हुकूक मिलने चाहिए, और जिस तारीख से बिस्वेदारी कानून को आपने लागू किया है और उस दिन तक जिस काश्तकार का कब्जा है उन काश्तकारों को सीलिंग की सीमा तक मुफ्त खातेदारी हुकूक मिलने चाहिए तब तो हम समझेंगे कि आप समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। समाजवाद को हमारे यहां ला रहे हैं वरना आप खजाना भर भर कर हमारे पैसों पर मौज करते रहें, यह आज का किसान बर्दास्त नहीं करने वाला है। गंगानगर का किसान यह नहीं देख सकता। वह आज जागरूक हो गया है। आपने आगे यह जो रखा है कि 28 के बाद सन् 55 वाले को आप एक मुरब्बा देंगे और उसके बाद वाले को एक मुरब्बा कीमतन देंगे। मालगुजारी के वक्त वे यह जमीन उन कास्तकारों को 30) रुपया बीघा में बय करने के लिये तैयार थे लेकिन हमने उस वक्त उनकी बात नहीं मानी थी 50 रुपया बीघा तक यह जमीन उस वक्त उनको मिल सकती थी। परन्तु हमने, कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया था और आज कांग्रेस के लोगों की बात मानेंगे ? आप बिस्वेदार समाप्त होते ही उन गरीब काश्तकारों के गरदन पर आपने नंगी तलवार लटका दी है। आखिर आप क्या करना चाहते हैं ? आखिर आज प्रजा का प्रजा के लिये राज है। आप जन कल्याणकारी राज्य की दुहाई देते हैं। समाजवाद लाने की बात कहते हैं। तब इन गरीब काश्तकारों ने क्या गुनाह किया है ? जमीन उनकी ही है। वे उस पर काश्त करते हैं। आपके घर से पैसा नहीं लगा है। और कोई इन लोगों को जमीन मिलनी नहीं है। यह आपका फैसला अन्यायपूर्ण है। इसलिये आप इस पर भी नम्रता से विचार करें। आप उनको धोखा दे रहे हैं। आप उनसे कह रहे है, आप उनकी सब मांग मन्जूर करने का ढोंग करते हैं परन्तु काश्तकार आपके शब्दजाल को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार की घोषणाएं आपने की हैं, वे घोषणाएं आपकी बहुत ऊंची हैं। परन्तु उसके अन्दर क्या बात छिपी हुई है वह काश्तकार अभी समझा नहीं है। वे तो आज यह समझे बैठे हैं कि उनकी मांगें स्वीकार करली गई हैं और जिस रोज उनकी समझ में यह बात आजा येगी, तमाम मांगों को स्वीकार कर लेने की बात उनके समझ में आ जायेगी, कि किस प्रकार से उनको यह जमीन मिलेगी, सुखाड़िया साहब वे आपको घेर कर कहेंगे, क्यों सुखाड़िया साहब आपने हमारे साथ में धोखा किया है। जितने काश्तकार हैं, बिस्वेदार एक्ट के लागू होने से पहले, उससे पहले जो काश्तकार काबिज थे उनको खातेदारी के अधिकार मिलने चाहिये, सीलिंग की सीमा तक आप उनको जमीन दे दें और ज्यादा हो तो आप उनसे छीन लें।

आपने जो यह सीलिंग के बारे में कहा है कि गंगानगर का अधिकांश क्षेत्र बारहमासी जो हो गया और नहीं हुआ है तो

Page No 99

(श्री रामचन्द्र आर्य)

होने वाला है। सुखाड़ियाजी आपको मालूम होगा।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

गंगानगर का आधे से कम क्षेत्र बारहमाशी है और आधे से ज्यादा बारानी है। 48 लाख और कई हजार एकड़ जमीन गंगानगर क्षेत्र में है। उसमें से ज्यादा से ज्यादा सिचाई का क्षेत्र 20 लाख, या 15 लाख से ज्यादा नहीं होगा। बाकी का इतना सारा क्षेत्र बारानी है। इसलिये बारानी क्षेत्र के हिसाब से, उसके अनुसार आप बारानी क्षेत्र में सीलिंग लागू करें, आपने लोगों में इस प्रकार का प्रचार रेडियो और अखबारों में कराई आपने एक प्रकार की हवा बनाने की कोशिश की है। परन्तु हवा ऊपर से नहीं बनती है। काश्तकारों के दिमाग में यह बात नहीं बैठेगी तो आपके रेडियो, अखबार कुछ भी कहते रहें, कोई हवा नहीं बनने वाली है। हम इसको नहीं मानेंगे।

राजस्थान कैनाल के क्षेत्र में भी आपने सीलिंग को रखा है जबकि राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की थी कि जब तक राजस्थान नहर बारहमाशी न हो जायेगी, वहां हम सीलिंग कानून लागू नहीं करेंगे। आप उस क्षेत्र में सीलिंग की तलवार लटका कर काश्तकारों को बर्बाद करना चाहते हो जिस तरह से कि भाखरा के काश्तकारों को सीलिंग कानून लागू करके बर्बाद किया है। छः माशी नहर के हिसाब से आप वहां पर सीलिंग को लागू करें।

एक माननीय सदस्य : क्या आप सीलिंग के विरोध में हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : हम सीलिंग के पक्ष में हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि सीलिंग कानून लागू न हो। मैं इसके पक्ष में हूं। मैं स्वयं एक गरीब काश्तकार हूं। हम चाहते हैं कि यह सीलिंग लागू हो। परन्तु यह कानून इस सरकार से लागू नहीं होगा, यह आप मानकर चलें। यह सरकार गरीब काश्तकारों को बर्बाद करके छोड़ेगी।...,

एक माननीय सदस्य : खुद की जमीन कितनी है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : यह फिर पूछ लेना।

मैं यह कह रहा था कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जो जमीन है वह टीले की जमीन है। यह ऐसी जमीन है कि जो दस सालों से भी डवलप नहीं हो पायेगी। इसलिए आज आप वहां की जमीन को नहीं काटें क्योंकि वहां के काश्तकारों के बाल बच्चे भूखे मर जायेंगे। इसलिये उसे भी 6 माशी नहर मान कर उसे सीलिंग सीमा तक रखें। तब तो आप न्याय कर रहे हैं। नहीं तो जैसे भाखरा में आपने काश्तकारों को बर्बाद किया है, राजस्थान कैनाल के काश्तकारों को भी आप बर्बाद करेंगे। जिनके पास जमीन है उन लोगों ने जमीन को बेच दी है। अब किसी के पास ज्यादा जमीन नहीं है। बड़े बड़े लोगों के पास जमीन है और उन्होंने अपने परिवारों में अलग अलग जमीन को बांट दिया है। क्या सीलिंग लागू करने से पहले कोई जमीन का खाता तकसीम किया है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान कैनाल तक बारहमाशी नहर न हो, तब तक उसको 6 माशी नहर क्षेत्र मान कर सीलिंग की छूट दे

(श्री रामचन्द्र आर्य)

और जब बारहमाशो हो जाये तो बाद में उन लोगों से जमीनों को छीन लें। उसकी हम खिलाफत नहीं करेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मेरी पार्टी का समय मुझे ही लेना है। यह जो आज बहस हो रही है वह गंगानगर के लिये है। और गंगानगर की बात कहने वाला शायद दूसरा मेरे से ज्यादा कहने वाला नहीं है।

किश्त की मांग : जिन काश्तकारों ने किश्त नहीं अदा की है, उनकी जमीन खारिज की गई है। इसके पहले भी यह मांग की थी कि लम्बी अदायगी की किश्तें की जायें और जो आइन्दा किश्त न दे सके, उसकी जमीन खारिज न की जाये और किश्त की वसूली का कोई दूसरा तरीका निकाला जाये। इसके बाद भी आपने यह निर्णय लिया है। किस्त कितनी है ? एक के बजाय आपने दो किश्तों का किया है और उसके ऊपर आपने 9 प्रतिशत का ब्याज लगाया है। और दो साल तक अदा न करने पर आपने क्या फैसला किया है ? यह फैसला किया है कि उसको बेदखल कर दिया जायेगा। यह आपने फैसला किया है। आपको यह चाहिये था कि 25-30 किश्तें और जिन लोगों की जमीनें खारिज हुई हैं उनको बहाल करते। अगर कोई काश्तकार किश्त न दे सके तो जिस तरह से आप दूसरे टैक्सों की वसूली करते हैं, वैसे ही उससे वसूली की जानी चाहिये। लेकिन आप जमीनों को खारिज न करें। आप नहीं जानते जमीन के लिये किसान के दिल में कितना दर्द होता है। वो उसको प्यार करता है और कतई उसको छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिये आप इसको मजबूर न करें। इसलिये आप यह कानून लागू नहीं करें। हम कतई इस बात को नहीं मानेंगे। आप से निवेदन है कि आप इसके लिये लम्बी किश्तें बनावे, और जो जमीन खारिज कर दी गई है वह बहाल करें और उन गरीब काश्तकारों के साथ में जिन अधिकारियों ने बर्बाद किया है उनको दोष दें और वे अधिकारी उन किसानों से माफी मांगे। इस तरह से उनको बर्बाद किया है।

भूमि दरों में संशोधन : आपने इसमें संशोधन की घोषणा की है इसमें आपने भी अपनी आमदनी को बढ़ाली है मेरा तो यही कहना है कि आप सरचार्ज को हटायें। गंग केनाल, राजस्थान केनाल, घग्घर केनाल यहां पर आपने डेढ़ रुपया रखा है जो जाकर लगान में 25॥ और 12॥ तक आता है। कहीं 2.40 कहीं 2.47 तो कहीं 2.37 और सीलिंग की सीमा तक 4॥ रुपया बीघा तक पड़ेगी। इस तरह से आप लोगों को बना रहे हैं लेकिन लोग आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। आप घोषणायें ऐसी करते हैं जैसे आपके ज्यादा कोई आगे चलने वाला है ही नहीं। इस बारे में आप दिल्ली तक दौड़ जाते हैं कि हमने सारी मांगें मान ली। घोषणा कर दी लेकिन आप कुछ देने वाले नहीं यह तो हम समझते थे कि आप बीच का रास्ता निकलेंगे जैसे फंसा हुआ आदमी निकालता है। लेकिन मुख्य मंत्रीजी आप इस तरह से फंस गये हो कि अब निकल नहीं सकोगे। यह मामला अब लोगों में घर कर गया है, अब वे आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। भूमि की दरों में बेई-मानी की है सरचार्ज हटा लें तो काश्तकारों

(श्री रामचन्द्र आर्य)

को कुछ राहत मिल सकती है। सरचार्ज आपने डबल ठोक रखा है और उस पर 5 प्रतिशत और साढ़े बारह प्रतिशत और बढ़ा दिया गया है। जहां पहले बारानी का नहीं देते थे उसका भी 4।। कर दिया है जहां पर काश्त हो रही है वहां पर देना पड़ेगा।

खुशहाली कर : हम तो लड़ाई इस बात को लड़ रहे थे कि खुशहाली कर कतई नहीं दें। मैं इसका प्रमाण भी दूंगा। इसलिये न दें कि न तो आप खुशहाली कर लेने के अधिकारी हैं और न हम देने के अधिकारी हैं। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में खुशहाली कर नहीं है। हरियाणा में यह लगता है लेकिन वहां जमीन मालिकान है। और आपने हमारे क्षेत्र की जमीन को बेचा है और उससे करोड़ों रुपया वसूल किया है।

मैंने यहां भाखरा क्षेत्र की भूमि के बारे में प्रश्न पूछा था। आप कहते हैं कि एकड़ों में जमीन नहीं है। आप कहते हैं कि हमें बड़ा घाटा लग रहा है, हमने बड़ा पैसा खर्च किया है। भाखड़ा का ब्याज देना पड़ रहा है आपने चार करोड़ रुपया जमीन नीलाम करके कमाया है। आप जो यहां आंकड़े देते हैं, सब गलत हैं। आपने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में भाखरा में जमीन बतायी है वह 6,76, 199 बीघा बताती है जिसमें से 1, 16, 176 बीघा जमीन सरकारी काम के लिये रिजर्वेशन की गई है। 1, 46, 770 बीघा जमीन भूमिहीनों में बांटी गई है। 3, 99, 470 बीघा जमीन उन काश्तकारों की है जो स्थायी काश्तकार थे। बाकी बतायी 1, 31, 783 बीघा जमीन बची है। यह प्रश्न किया था 28-8-69 को क्या यह जमीन आपने बेच दी है। आंकड़े जरूर है। विधान सभा में जो जवाब दिया उसमें आपने माना है कि जमीन की बिक्री के अन्दर 4 करोड़ रुपया बटा है। आपने तिगुना रुपया अलाट हुई भूमि से वसूल किया है। इस तरह से सोलह करोड़ रुपया इस इलाके से वसूल किया गया। इसके अलावा मंडियां बेची उसका भी करोड़ों रुपया बटा। इसमें आपने एक भी धेला नहीं लगाया, मण्डी आबाद नहीं की। खुशहाली कर आप किस हिसाब से लेते हो जबकि आपने हमारी ही जमीन काटी है। उनमें से काफी जमीन आपके अधिकारियों ने ली है और वह भी सस्ते भावों पर। मैंने आपको उसकी लिस्ट दी थी, लेकिन आपने जांच नहीं की। उस लिस्ट की पहली किस्त 16 अधिकारियों की सूची के साथ आपको पेश की थी विधान सभा में पेश की थी, जिसमें मैंने कहा था कि इन अधिकारियों ने मिलकर सरकारी जमीन को हड़पा है। इस हड़पी हुई जमीन से सरकार को करोड़ों रुपयों का घाटा हुआ है। नीलामी में भी आपको कम कीमत मिली। खुली नीलामी नहीं होने दी। यदि खुली नीलामी होती तो उसी जमीन की कीमत आपको 4 करोड़ से ज्यादा 8 करोड़ तक मिल सकती थी, लेकिन आज प्रशासन आप पर हावी हो रहा है। उन्हीं की मेहरबानी से यह नुकसान आपको हुआ है। जहां तक खुशहाली कर का सम्बन्ध है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह कर हम कतई देने को तैयार नहीं है। उदाहरण के लिये मैं निवेदन करूं, पंजाब में जिस आधार पर लिया जाता है उसी आधार पर हमारे से भी

(श्री रामचन्द्र आर्य)

लिया जाय। पंजाब की जमीन अच्छी है, पंजाब में पानी भी ज्यादा है, वहाँ पर गांव-गांव में बिजली गई हैं, दूसरी तरफ गंगानगर सुनसान है। जहां कोई सड़क नहीं किसी जगह बड़े-बड़े कस्बों तक में बिजली नहीं। लेकिन यह खुशी की बात है कि 13202 रुपये खर्च करके मनफुलसिंह जी की ढाणी तक बिजली जरूर ले गये हैं। बड़े-बड़े कस्बे होते हुए भी वहां बिजली नहीं है, सड़कों से कस्बों को नहीं मिलाया है। वहां किसी प्रकार का उद्योग धन्धा नहीं है। एक गन्ना फैक्टरी है, उसमें भी काश्तकारों की बारी नहीं आती है उनका गन्ना खेतों में सड़ रहा है। आप हमसे खुशहाली टैक्स मांगते है। खुशहाली कर के लिये जिस तरह से पंजाब सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी उसी तरह की आप भी एक कमेटी नियुक्त करते वह सारी स्थिति की जांच करके आपको रिपोर्ट देती। उस पर अगर वाजिब होता तो आप खुशहाली कर लगा देते। आपने अपनी मर्जी से बैठकर चाहे जैसा फैसला कर लिया, वह हम मानने वाले नहीं हैं। अगर आप यह भी करते कि पचास प्रतिशत से ऊपर पानी होगा तो उस पर खुशहाली कर लेंगे तो भी हम मान सकते थे। आज होता यह भी है कि आपका भ्रष्टाचारी प्रशासन जिस तरह के पर्चे तैयार करता है, उसके आधार पर जो वसूल हो गया है, उसको फिर वसूल कर कर लेते हैं। आप मुझे बता सकते है कि किस-किस काश्तकार का कितना कितना टैक्स बकाया है और कितना वसूल हो गया है। आपने एक भी काश्तकार का खाता नहीं खोला है। काश्तकारों को कहा जाता है कि तुम रसीद को संभालकर रखो नहीं तो दुबारा टैक्स लग जायगा। काश्तकार के पास कोई फाइल बनी हुई नहीं है, जिसमें वह संभालकर रख सके। वह पढ़ा लिखा तो है नहीं, उससे यह आशा कैसे की जा सकती है। आप मुझे खाते वाइज यह बतादें कि फलां काश्तकार का इतना खुशहाली कर वसूल हो गया तो मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। आप किस आधार पर मांग रहे हैं। यह मैं सही कहता हूँ कि एक भी काश्तकार का खाता नहीं है। आपको खुशहाली टैक्स वापिस ले लेना चाहिये। जयपुर जिले में आप 27 रु0 23 रु0 राजाओं के वक्त से जो चला आ रहा है, उतना ही टैक्स लेते आ रहे है चाहो जमीन का। जबकि वह कुआं खुद बनवाता है, पानी खुद निकालता है चरस लाव आदि वह खुद की रखता है फिर भी आप उससे 21 और 27 तक ले लेते हैं। चाहिये तो यह था कि आप राज्य में जो दरों की विभिन्नता है, उसका समानीकरण करते सारे राज्य के लिये एक सी दर करते और उसके बाद यदि आपको घाटा पड़ता तो आप दूसरे टैक्स लगाकर वह वसूल करते। काश्तकार आपके बहकावे में अब आने वाला नहीं है, आप राजीखुशी नहीं दोगे तो वह अपने हक लड़कर लेगा और आपको इसमें कमी करनी पड़ेगी।

कुओं से सिंचित होने वाली जमीन पर कम से कम आप 21 रुपया लेते हैं। जहां पानी खुद निकालते हैं, कुआ खुद बनवाते हैं उसमें आपका खर्चा क्या हुआ? वे तो राजाओं के समय की कायम की हुई हैं काश्तकार इसके सख्त खिलाफ हैं वो अब आपकी हरकतों को सहन करने वाला नहीं

(श्री रामचन्द्र आर्य)

है । आज इस मन्त्रिमण्डल में कोई भी काश्तकारों की हिमायत करने वाला नहीं और यदि कोई करता है तो वह दबा हुआ तरीक से करता है । सब मुख्य मन्त्री के नीचे दबे हुए हैं : आप राजस्थान के डिक्टेटर की तरह से बने हुए हो लेकिन आप लोगों को इस तरीके से दबा नहीं सकेंगे । समय की मांग है आपको उसी के अनुसार काम करना चाहिये ।

आवियाना इरिगेशन की जो रेट्स की घोषणा की है कि हमने उसमें भी कम कर दिया है । मैं पूछना चाहता हूं आपने क्या कम किया है ? आपने कोई कम नहीं किया है, हमको लूटा है । आपको मालूम होना चाहिये दो साल से बराबर हम मांग कर रहे है कि सन् 65–66 से जो इरीगेशन रेट बढ़ाई है उसको वापिस लें । 11 तारीख को टेबिल पर बैठकर बात करने का निमत्रंण देते हैं और 10 तारीख को घोषणा करते हैं । वित्त मंत्रीजी कहते हैं इससे हमें 25 लाख का लाभ होगा और फिर कहते हैं कम कर दिया । पंजाब को जमीन अच्छी है, पानी वहां पर काफी उपलब्ध है हर प्रकार के साधन हैं । मैं तो कहता हूं आप उस प्रकार के साधन 20 साल आगे तक नहीं दे सकेंगे । पंजाब के बराबर हमें होना चाहिये लेकिन आप समझते हैं राजस्थान पिछड़ा हुआ है । पड़ोसी राज्य से ज्यादा टैक्स देने को कोई तैयार नहीं है । यह जो आपने बढ़ाया है वह बताता हूं गन्ना पर 12 आना, चावल पर एक रुपया, कपास पर 12 आना । कई जगह ज्यादा किया है तो कुछ जगह कम भी किया है लेकिन कई जगह ज्यादा ही हुआ है । बादाम पर 20 रु०. बादाम पर आप बढ़ा सकते है क्योंकि यह तो अमीरों का धन्धा है लेकिन गरीबों पर बढ़ाकर आप अन्याय करते हैं । यह दुख की बात है मक्की पर एक रुपया (विराम) अन्य पर 8) रु., ग्वार पर दो रुपया माफ कर दिया, दो रुपया बढ़ाया था दो माफ कर दिया और कह दिया हमने माफ कर दिया यह तो इनकी पॉलिसी है । बाजरा पर 3) रु., चना पर 3) रु. दो बढ़ाया था दो माफ कर दिया, सब्जियों पर 2–25 पैसे और बढ़ा दिया आगे ही बहुत है । आप ताज्जुब करेंगे 14) रु. आपने लगाया है जब कि पंजाब में 8) रु. है । पंजाब में 8 रु. 5 आने लगना है आपने लगा दिये 14) रु. और बढ़ा दिया दुगने से भी आगे ले गये । अभी (विराम) गेहूं पर दो रुपये बढ़ाये, जो पर एक रुपया बढ़ाया और गोजरे पर पौने दो रुपया दूसरी फसलों पर पौने दो रुपये बढ़ाया है, एक पानी के चने पर तीन रुपया बढ़ाया है, रवी की फसल के चने पर आपने बढ़ाया 8) रु., जीरा पर चार रुपये बढ़ाया है । इस तरह 25 लाख की बढ़ोत्तरी की है । राजस्थान की रेट इस प्रकार है—शुगर केन 22) रु., चावल 10) रु., कपास 13) रु., बागात 34) रु., मक्की 7) रु., बाजरा खरीफ की फसल पर 14) रु., ज्वार पर 14) रु. बाजरे पर 8) रु., दालों पर 12) रु. । पंजाब में गेहूं पर 13 रु. 9 आ. 9 पाई और 16 रु. 3 आ. 9 पाई, चावल पर 9 रु. 9 आना...

एक माननीय सदस्य : पाई अब कहां है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : थी पहले । रुई पर 8 रु. 5 आना, बागात पर 8 रु.

(श्री रामचन्द्र आर्य)

5 आ. आप अन्दाज लगायें इतना कम है वहां पर। हम नहीं चाहते हैं आप हमें मुफ्त पानी दें लेकिन पंजाब से हम पर दुगना ठोक दिया–इस बात को मुख्य मंत्रीजी स्वीकार नहीं करते। सन् 65 के बाद जो आबियाना बढ़ाया है उसको वापिस लें तब तो शान्ति होगी नहीं तो शान्ति नहीं होगी। आप आगे आगे भागेंगे और पीछे पीछे काश्तकार भागेगा, यह स्थिति पैदा हो जायगी। उनकी वाजिब मांग है वह मान लें। इसलिये आपको भी कष्ट न हो और हमको भी लड़ना नहीं पड़े बेमतलब।

आपने सिंचाई की व्यवस्था के लिये मोतीराम की एक सदस्यीय कमेटी बनाई है, न मालूम कहां से ढूंढ़ कर ले आये आप इस मोतीराम को। इसलिये ले आये कि रिटायर्ड चीफ इन्जीनियर है, हां में हां वही मिला सकते हैं। उसके द्वारा, आप किसानों का कल्याण कराना चाहते हो यदि मोतीरामजी की कमेटी बनती है और अगर आप उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व रख देते तो हम मान जाते कि कुछ सुधार होगा। घग्घर का पानी आप पूरा ले सकते नहीं, उसके लिए भी हरियाणा वालों ने योजना बना ली है। रिश्वत के बिना पानी छोड़ते नहीं हैं पानी आपका पाकिस्तान जा रहा है. उसको ले सकते नहीं। मोतीरामजी की कमेटी बनाकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं लेकिन हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। हम सब आपकी हरकतों को जान गये हैं। आपकी जो योजनायें है उनकी भी कोई घोषणा नहीं की है। शिधमुख का पानी हरियाणा में जा रहा है इसके लिए आपने कुछ किया नहीं, नोहर तहसील में जो लिफ्ट की योजना थी उसका आपने कुछ किया नहीं। दूसरे प्रान्तों को आप पानी दें, राजस्थान को सूखा रखें। बारानी जमीन को गंगानगर में पानी नहीं दिया जा रहा है और हमें मोतीरामजी के बहाने से अन्धेरे में रखना चाहते हैं। मुख्य मन्त्री जी आप समझते हैं तो हम भी समझते हैं आप घोषणाएं तो करते हैं लेकिन उनका एक का भी आज तक पालन नहीं करते आये हैं। आप डाल डाल तो हम पात पात। 20 सालों में आपने किया क्या ? 5 टैक्सी की बात करते हैं तो तीन मन्जूर करते हैं और फिर कहते हैं माफ कर दिया चन्दा अच्छा किया है। और कहते हैं मुख्यमन्त्रीजी ने बहुत अच्छा किया। आपको मालूम है तीन ही टैक्स लगाने हैं तो तीन की आड़ में दो और जोड़ देते हैं दो को वापिस ले लेते हैं तो वही तीन के तीन रह जाते हैं यह तो आपकी पालिसी है। न जाने क्या क्या आपकी नीतियाँ हैं। तीन माह से तो मैं विधान सभा में देख रहा हूं और यही देखता आया हूं। अलाभकारी जोतों पर आपने लगान माफ करने की घोषणा की क्योंकि दूसरी पार्टियों ने भी इस प्रकार का ऐलान किया था इसलिये आपके लिये जरूरी हो गया लेकिन किया क्या चार महीने बाद वापिस ले लिया। इस प्रकार गंगानगर की डिमान्ड पर कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। आज आपने जो कहा है उससे मुझे कोई सन्तोष नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अभी दो चार मिनिट में समाप्त करता हूं। अच्छा अभी माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां मेरे सामने बुला लिया जाय ताकि यह

(श्री रामचन्द्र आर्य)

बात न हो कि यह बात गलत हो रही है। मैं चैलेन्ज से कहता हूं जो बेईमानी से घोषणायें की है वह नहीं चलेगी। आपने अपनी घोषणाओं पर पुन: कोई निर्णय नहीं लिया तो एक दिन हमें बाध्य होकर बगावत करनी पड़ेगी और यह बात सबको मालूम है किसानों को कुछ दिया नहीं है लिया ही है, उनको नुकसान रहा है उनके हित में आपको काम करना पड़ेगा। हमारी मांगों पर आपकी कोई घोषणा नहीं हुई हैं और न कोई हम घोषणा करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते है आपकी घोषणाओं से कुछ होने वाला नहीं है।

कम भूमि वालों को आपने कुछ भी नहीं दिया है कृषि यंत्रों पर आपने आज कहा है कि माफ कर दिया लेकिन कब लागू करेंगे यह तो बतावे। आपकी बातों का आज कोई विश्वास नहीं रहा है। तेल व ट्रैक्टर के बारे में आपने कहा उससे कुछ होने वाला नहीं।

(2.00 म. प.)

इसके लिए भी आपकी घोषणा स्पष्ट नहीं है। राजस्थान केनाल को शीघ्र पूरा कराने की आपकी घोषणा नहीं है। रेडियो तो केन्द्र सरकार का बोलता है लेकिन यह राजस्थान केनाल आपसे पूरी नहीं होगी जबकि आपके नीचे के जो छेद हैं उनको आप बन्द नहीं करते और भ्रष्टाचार को नहीं रोकते तब तक यह योजना पूरी नहीं होगी क्योंकि वह अधिकारी आधे से ज्यादा पैसा तो खा जाते हैं या फिर आप जानबूझकर उनसे हिस्सा रखते हैं। गांवों और कस्बों की आबादी के लिए आपने कहा कि पर्याप्त नहीं है। इस तरह से आबादी की समस्या हल नहीं हो सकती। कमेटी आप एक बनाइये और फौरन मौके पर जाकर इलाके में जानकारी ले वह और एक महीने में रिपोर्ट दे। आप इस बात को नगरपालिकाओं और पंचायतों के हवाले कर दो तब तो यह समस्या हल हो सकती है वर्ना नहीं हो सकती।

गांवों को बिजली देने के लिए आपने बड़ी चतुराई से कहा है कि इतने गांवों को हमने बिजली दी है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि उस इलाके के अन्दर नहर की सिंचाई योजनायें हैं और उस इलाके में बिजली की बड़ी जरूरत है और आप बिजली देंगे तो वह उत्पादन बढ़ायेंगे और वह इस देश के लिए काम आयेगी और आपको विदेशों से अन्न नहीं मंगाना पड़ेगा और अकाल भी हमारा समाप्त हो जायगा, लोगों को अनाज मिले लेकिन आप उन लोगों को फायदा नहीं पहुँचाना चाहते है। आप तो बड़े-बड़े सेठों को सस्ती रेट पर बिजली देना चाहते हैं और गांव वाले ट्यूब बैल लगाना चाहें, और कोई उद्योग खोलना चाहें तो उनके लिए बिजली नहीं है और फिर ऊपर से आप यह बहाना करते हैं कि हमने इतनी बिजली लगाई है गंगानगर में।

मेडिकल कालेज के लिए बड़ा सुन्दर फैसला किया है कि हमने सीटें बढ़ा दी हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गंगानगर जिला ऐसा है कि वह पंजाब के मुकाबले का है और नहरों की वजह से वहां पर अच्छा पानी नहीं होता है और इसकी वजह से लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। वहां पर इसके लिए कोई साधन नहीं है और मैं

(श्री रामचन्द्र आर्य)

चाहता हूँ... कि गंगानगर के अन्दर मेडिकल कालेज खोलना चाहिए ताकि उस इलाके के लोगों को कुछ फायदा हो सके लेकिन आपने तो उदयपुर में जाकर सारी संस्थायें खड़ी कर दीं और गंगानगर वाले जैसे कोई यतीम फिरता है वैसे फिरते हैं।

खाद का कारखाना खोलने का निर्णय लिया था। आपने इसके लिए जमीन काश्तकारों से ली और आज भी वह जमीन बेकार पड़ी है। आपने काश्तकारों को बरबाद कर दिया। आपने उसके लिए कोई घोषणा भी नहीं की है। ट्रैक्टर के कारखाने के लिए भी हमारी मांग है। चाहे आप ट्रैक्टर का कारखाना जोधपुर में खोले या भरतपुर में खोलें लेकिन मेरा कहना है कि आपको गंगानगर में खोलना चाहिए। गंगानगर सिंचाई का क्षेत्र है और वहां पर ट्रैक्टरों की ज्यादा जरूरत पड़ती है और वहीं पर यह कारखाना होना चाहिए।

गोली काण्ड का तो आपने दीवालिया ही निकाल दिया। जीवती माखी गिट गये। कोई भी सरकार इस प्रकार का घृणित कार्य नहीं कर सकती कि जिन्दा लोगों को उठाकर जला दिया और जुल्मी अधिकारी जो आज भी हथियार लेकर फिर रहे हैं और गांव वालों को डरा रहे हैं और जहां गोलियां लगी हैं वहां सीमेन्ट से पोत रहे हैं। इस प्रकार की सूचना हमको रोजाना मिलती है। आप उन लोगों को रखें मुख्य: मन्त्रीजी लेकिन यह बहुत मंहगा पड़ेगा। मैं यह जानता हूँ कि बैरी कमीशन की रिपोर्ट को दबा सकते हैं तो छंगानी की भी छिप सकती है। उसका लड़का यहां पर नौकर है। गंगानगर में कोई इज्जत उतरवाने के लिए तैयार नहीं है। बैरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद में आपकी भी कोई इज्जत नहीं रही है। हम यह जानते है कि अधिकारियों को सजा नहीं मिलेगी लेकिन कम से कम दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लिए आपको उनको वहाँ से हटा लेना चाहिए था। आपसे तो वह भी नहीं हुआ। आपने सरे आम हत्यायें कीं और आपने न्याय का गला घोंटा है। यह भी आपके ऊपर सख्त चार्जेज है और आपने इसको माना नहीं। हमारी मांग थी कि उन अधिकारियों को हथकड़ियाँ लगाई जायें और उनके ऊपर 302 के मुकदमें चलाये जायें। उन्होंने भागते हुए लोगों को गोली से मारा है और रात को शमशान भूमि में जाकर उनको जिन्दा जलाया है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने यह योजना बनाई थी कि यदि उनको हटा देंगे और उनको सजा हो गयी तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके खिलाफ उनकी गवाही हो जाये। इसके अलावा हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जिन पर 307 और 353 और कई ऐसे गम्भीर मुकदमे बना रखे हैं। हमारी यह भी मांग थी कि वह मुकदमे वापिस लें। लेकिन आपने उन मुकदमों को वापिस लेने का ऐलान नहीं किया। हमारे सत्याग्रहियों को लाठियों से मारा और एक महिला लाठी चार्ज में मारी गयी। आपने जैसाना की फायरिंग की जांच की मांग को भी मन्जूर नहीं किया। इसके बारे में आपने घोषणा कोई नहीं की और जो घोषणा की हैं इसमें सिवाय बेईमानी के कुछ नहीं है।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(2.05 म. प.)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

मैं इस सदन में सभापति जी आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि गंगानगर जैसा एजीटेशन हिन्दुस्तान में काश्तकारों ने आज तक नहीं किया और इतना बड़ा आन्दोलन लड़ने के बाद सरकार इस तरह से इसको कुचलना चाहती है मैं समझता हूं कि इनके बुरे दिन आ चुके हैं और इस तरह से यह सरकार कुर्सियों पर नहीं रह सकेगी। हम राजस्थान के कौने–कौने में इस चिन्गारी को फैलायेंगे और वह दिन दूर नहीं है–मैं पहले भी कहता था कि गंगानगर क्षेत्र की मांगे को आपने नहीं माना तो हम बुरा हाल कर देंगे और वही हाल गंगानगर में सरकार का हो गया। मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि गंगानगर की मांगें नहीं मानी गयीं तो एक साल के अन्दर इसी 1970 में ही आपका राज्य नहीं रहेगा क्योंकि यह आग राजस्थान के कौने– कौने में लग चुकी है और आपकी बेईमानी को काश्तकार और जनता समझ चुकी है। आपकी बेईमानी को लोग समझ चुके हैं और गंगानगर के लोगों के साथ में जो आप कुकर्म कर रहे हैं वह भी लोगों के सामने आ चुका है और इस कारण लोगों में असन्तोष बढ़ेगा और जो उसकी ज्वाला है वह आपके राज्य को भसम करेगी क्योंकि आप इसको नहीं समझ रहे हैं कि लोग कहां तक पहुँच गये हैं। आन्दोलन शुरू होने से पहले मैंने एक मुख्य मन्त्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि मुख्य मन्त्री जी ध्यान दें मैं नहीं चाहता कि आन्दोलन हो और तेलंगाना की तरह राजस्थान कहीं न बन जाये और यह चिन्गारी कहीं आपके राज्य को साथ न ले जाये...

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप कम से कम हमारे ऊपर कृपा रखें।

श्री रामचन्द्र आर्य: आप अभी तक नहीं समझ रहे हैं। रामचन्द्र आर्य तो सारे जीवन भर लड़ा हूं। जिस दिन से मिलिट्री से आया हूं मैंने राजाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आपके खिलाफ भी लड़ूंगा और जो भी जालिम सरकार आई उसके खिलाफ भी लड़ूंगा। मैं मिलिट्री में भी लड़ा....

श्रीसभापति: यह आपने कैसे कह दिया कि दूसरी सरकार आयेगी वह जालिम होगी।

श्री रामचन्द्र आर्य: मैं बिलकुल निर्भय आदमी हूं और मैंने किसी के भय से कोई काम नहीं किया। इसलिए मैं आपकी मार्फत मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं और सदन के माननीय सदस्यों को भी जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने हमारे गंगानगर के लोगों के साथ में अत्याचार किया, हमारी मांगों को नहीं माना और आज भी गंगानगर का काश्तकार इस लड़ाई के लिए अपना मोर्चा लगाये हुए बैठा है। यदि राजस्थान की जनता गंगानगर के लोगों का साथ नहीं देगी तो राजस्थान से पृथक करने की मांग गंगानगर बहुत जल्दी करने वाला है क्योंकि वह जानते हैं कि इस सरकार में हमको संरक्षण मिलने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता को मदद नहीं मिली और गंगानगर के लोगों की मदद नहीं करेगी क्योंकि फरवरी के महीने में

(श्री रामचन्द्र आर्य)

राजस्थान की सरकार ने गंगानगर के जिले को छावनी बना दिया ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आर्य साहब चिन्ता नहीं करें। राजस्थान की गवर्नमेन्ट साथ नहीं दे आपको मेरा जिला साथ देगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य : साथ देगा तो राजस्थान को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं । राजस्थान की जनता साथ देगी तो गंगानगर जिला राजस्थान को कभी छोड़ कर जाने वाला नहीं है । हम लड़ाई लड़ना जानते हैं । अगर आप भेड़ों की तरह डरते रहे तो यह सरकार नहीं खत्म होगी ।

मैं ज्यादा न कहते हुए हमारी इन मांगों के एक एक आइटम के संबंध में मैंने आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है, और इस भ्रम में आप न रहें कि गंगानगर आन्दोलन की 34 मांगों में से एक भी मांग को मन्जूर नहीं किया तो इन मांगों (घोषणा) से काश्तकारों को कोई फायदा नहीं हुआ है । काश्तकारों के लिए आप सोचें कि 21) रु. लगान पहले था तो 15) रु. कई क्षेत्रों में था तो वह स्टेट के समय की व्यवस्था थी । अब आबियाना हमारे बराबर आपके लग जायगा । जितनी मांगें हमारी मन्जूर होगीं तो तमाम जनता की भी होगीं लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा । अगर नहीं लड़ोगे तो 20 साल में यह माफ करने वाले नहीं थे और आगे भी नहीं करेंगे । इसलिए आपको निवेदन करता हूं कि आप लड़ाई लड़ेंगे तो आपके हाथ में ताकत होगी यह सरकार तो हिड़क आई है तो इसको बहुत जल्दी हटा देना चाहिए । यह सरकार पथ भ्रष्ट हो चुकी है । अपने सिद्धान्तों को छोड़ चुकी है । मैं प्रमाण के तौर पर कहता हूं कि रूलिंग पार्टी से अब स्थगन-प्रस्ताव आने लगे हैं । आज तक कभी भी राज्य करने वाली पार्टी के सदस्यों की तरफ से स्थगन-प्रस्ताव नहीं आया करते थे । यह भी सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास है और यह अविश्वास की ज्वाला अन्दर से निकल रही है । स्थगन-प्रस्ताव लाना यह विरोधी दल का काम है । आपकी पार्टी कन्ट्रोल में नहीं है, आप में कोई अनुशासन नहीं मानता है । इस प्रकार से अस्त-व्यस्त ढंग से चलने वाली यह सरकार ज्यादा टिकने वाली नहीं है । इसके दिन पूरे होने वाले हैं । आप चिंतन करें ।

श्री सभापति : श्री हंसराज आर्य ।
(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति जी, गंगानगर के सम्बन्ध में जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया है उसको भी हमने ध्यान पूर्वक पढ़ा है । इसमें काफी महीनों से जो आन्दोलन चल रहा था उन बातों को लेकर और काश्तकारों की वास्तविक कठिनाइयों को देखते हुए काफी मांगों को मन्जूर किया है ।

ट्रैक्टर का जो मामला है वह कई पिछले सालों से चल रहा है और ट्रैक्टर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा थे सबसे, और अन्य जिलों में ट्रैक्टर और ट्राली की

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

फिटनेस के बारे में जगह जगह हजारों रुपये काश्तकारों को रिश्वत के देने पड़ते थे। तो ट्रैक्टर को इस फिटनेस से छुटकारा दिलाने से काश्तकारों को बहुत फायदा मिलेगा। इस बात से हमें खुशी है कि इतने अर्से के बाद ही सही काश्तकारों की कठिनाई को महसूस किया और ट्रैक्टर को इस टैक्स और इस फिटनेस की मुसीबत से मुक्त किया।

सभापति जी, इसके अलावा जो गंगानगर में सेस लगायी थी और उसमें कपास में नुकसान हुआ था उसके बारे में कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है उसके अनुसार रिलीफ देने की घोषणा की है।

इसके अलावा जो मोतीराम कमेटी की घोषणा की थी यह देखने के लिए कि वास्तविक रूप में वहां पानी लगता है, कितना पर्सेन्टेज लगता है, किस जगह पानी नहीं लगा और काश्तकारों की और कठिनाइयों के बारे में किस तरह से उनकी मुसीबतों, समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, उस बारे में कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी उसके बाद में, राज्य सरकार निर्णय ले सकेगी।

सभापतिजी, काश्तकारों की वास्तविक मांगों में से पहली यह मांग है कि जिसको गंगानगर डिस्ट्रिक्ट काश्तकारों ने सब तरफ से सरकार के समक्ष रखा। उन लोगों की मांग को मन्जूर करने के बाद जैसा कि माननीय सदस्य बोल रहे थे उससे काश्तकारों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि वास्तविक रूप में उनको ऐसा संशय है कि जो भी घोषणा की है वह घोषणा परिपूर्ण नहीं होगी। पहले दो-तीन बातों को लेकर जो रिवाइज्ड रेट 14-16 बीघा की घोषणा की है हालांकि राज्य सरकार की मन्जूरी नहीं हुई थी परन्तु जब यह सूचना वहां पहुँची कि रिवाइज्ड रेट्स बड़ी हुई लग रही हैं तो उससे काश्तकार प्रभावित हुए तो उसके फलस्वरूप आन्दोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया है। परन्तु काफी अर्से पहले ही घोषणा कर दी थी। यह जो रेन्ट रेट्स हमारे प्रेलिमिनेरीज हैं और रेन्ट रेट्स सैटलमेंट द्वारा रेवेन्यू बोर्ड से मन्जूर कराकर राज्य सरकार को भेजे जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा मन्जूरी दी जाती है और उसके बाद में वे लागू होते हैं, परन्तु काश्तकारों को प्रोसीजर का मालूम नहीं होने के कारण और राज्य के अधिकारियों की असावधानी के कारण और जो घोषणाएं वे करते हैं उनके शीघ्र कार्य रूप में परिणत नहीं होने के आधार पर उन्हें भ्रम हुआ कि रेन्ट रेट्स के नोटिस जारी हुए हैं, पर्चे लगान जारी किये गये हैं और उसके अनुसार लगान वसूल होगा। उससे ज्यादातर यह भ्रम हुआ तो यह आन्दोलन छिड़ा।

वहां पर अनपढ़ काश्तकार हैं वे समझते नहीं हैं और उनमें यह भ्रम फैल गया कि राज्य सरकार ने इस प्रकार की घोषणा कर दी है। पिछले अर्से से जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाय तो जो रेन्ट रेट सेटिलमेंट डिपार्टमेंट तय करता है उसके बाद रेन्ट रेट्स रेवेन्यू बोर्ड को जाती है। वहां की मन्जूरी होने के बाद राज्य सरकार के पास आती है और राज्य सरकार की मन्जूरी होने के बाद रेन्ट रेन्ट लागू होते हैं। उसके

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पहले उज्रदारी करने का मौका आता है । सारी उज्रदारियां सुनने के बाद कोई गलती रह गई हो तो वाजिब रैन्ट रेट लगाते हैं। इस बारे में काश्तकारों में भय होना स्वाभाविक था। इन बातों को देखते हुए आन्दोलन नहीं करके पहले उज्रदारियां करते। रिप्रे-जैन्टेशन भी होते हैं तो उधर से बैठने वाले जो माननीय कांग्रेस के सदस्य हैं उन्होंने इस बात को सरकार से मन्जूर करा ली थी।

दूसरी उनकी मांग थी कि वहां पानी नहीं लगा है उस जगह पर कमाण्ड एरिया पहले ही घोषित कर दिया है जबकि वह अभी भी बारानी क्षेत्र के बराबर है और आगे भविष्य में भी कई सालों तक उसमें पानी नहीं आने वाला है तो उसको कमाण्ड एरिया से बाहर निकाला जाय । उसके कारण से ऐसे लोगों को कठिनाई थी। उसके बारे में सरकार ने घोषणा कर दी ।

उसके अलावा 50—60 वर्ष पूर्व से जो आरजी काश्तकार थे और उस पर काश्त करते थे तो उनको खातेदारी राइ-ट्स नहीं दिये गये। कालोनाइजेशन एक्ट लागू होने के बाद ऐसे एरिया में खातेदारी राइट्स एक नहीं होते हैं। उसके फलस्वरूप खातेदारी राइट्स नहीं दिये गये । राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि ऐसे कई लोग कई वर्षों से लगातार भूमि पर काश्त करते हैं और ऐसे काश्तकार हों जिनके पास दूसरी भूमि नहीं है उनको खातेदारी राइट देने में राज्य सरकार को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस बात पर राज्य सरकार से गम्भीरता से विचार किया और उस बारे में आश्वासन दिया कि ऐसे काश्तकारों को खातेदार हकूक दे दिये जायेंगे।

अभी हाल में यह जो बात चली है कि अनूपगढ़ तहसील में राजस्थान कैनाल के कमाण्ड एरिया में जहां पानी लगना शुरू हो गया है या आगे राजस्थान कैनाल में पानी आयेगा वहां बीकानेर डिवीजन और गंगानगर में वहां के ही भूमिहीन लोगों को जमीन दी जायगी और उसके अलावा जो दूसरे अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोग हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर का जो एरिया है जहां पर हमेशा अकाल रहता है और सर-कार के करोड़ों रुपया खर्च करने के बाव-जूद जैसे कि जैसलमेर का इलाका है वहां 8—9 साल काल है, जोधपुर में 3-4 साल से है जालोर में है, बाड़मेर में है जो कि हमेशा अकाल से ग्रसित रहते हैं, तो ऐसे लोगों को वहां जमीन पड़ी है और वास्तव में वे भूमिहीन काश्तकार हैं और उसके बाद अब यह नोटिस जारी किया गया है ऐसे लोगों को बेदखल करेंगे, जिनको टेम्परेरी कल्टीवेशन की बात को लेकर जमीन दी थी, उनको बेदखल करने के लिए सर-कार ने नोटिस जारी किये हैं और वहां के अधिकारियों को यह सूचना मिली है तो इस बारे में हमारे वहां के भी काश्तकार बड़े प्रभावित हैं । वास्तविक रूप में जो भूमिहीन काश्तकार हैं और सरकार ने पहले भी सक्यूर्लर निकाला था कि सारे राज-राजस्थान में ऐसे अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है उनको भी वहां कैनाल एरिया में जमीन दी जायगी जहां कि कमाण्ड होते हुए भी पड़त जमीन पड़ी हुई है। वहां जाकर भूमिहीनों का सर्टिफिकेट लेकर जमीन प्राप्त कर

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

सकता है। तो इस प्रकार जो जमीन आवंटित की थी उस जमीन को वापिस छोड़ने से एक गम्भीर समस्या हो जायगी। जैसे गंगानगर में काश्तकारों की मांगों को लेकर आन्दोलन की समस्या उपस्थित हुई थी और राज्य सरकार ने वह मांगें मंजूर भी की है, इससे दूसरे काश्तकारों को रास्ता मिल गया है। वह भी सोच रहे हैं, अभी तो वह अपने रिप्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं, वह कह रहे हैं, जमीन तो एलाट हो चुकी थी जिन्होंने बड़ी मुसीबत के साथ जमीन को काश्त किया है उस जमीन से उनको बेदखल करने से एक गम्भीर समस्या बन जायगी, इससे मुझे भय है कि वह दुबारा आंदोलन न हो जाय, वहां के काश्तकारों का दूसरे काश्तकारों के साथ में झगड़ा न हो जाय। इस चीज को मिटाने के लिए जैसा राचन्द्रजी आर्य ने कहा कि उनकी भावना नहीं है कि हमारे यहां के भूमिहीनों को ही जमीन मिले, दूसरे जिले के भूमिहीनों को जमीन नहीं मिले। यह भावना नहीं होनी चाहिये। राजस्थान में जो भूमि पड़त है उसको सिंचित करने के लिए, कैनाल एरिया में लेने के लिए जैसे करोड़ों रुपया खर्च करके, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के पैसे से कैनाल बनाती है वह किसी एक जिले के लिए नहीं बनती है। यह बात भी थी कि राजस्थान केनाल को केन्द्र अपने हाथ में ले ले, राजस्थान केनाल केन्द्र के हाथ में चली जाय और वह फण्ड एलाट करके इसको पूरा करायें क्योंकि राजस्थान सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा कराये क्योंकि राजस्थान सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा कर दे, तो उसमें यह भी बात थी कि केन्द्रीय सरकार के हाथ में यह राजस्थान कैनाल चली जायगी तो केन्द्रीय सरकार जैसा चाहेगी, वैसे दूसरे प्रांतों के भूमिहीन है उनको भी वहां पर बसा देगी। यह बात आई थी राज्य सरकार के सामने और केन्द्रीय सरकार के सामने—और इन तमाम बातों को देखकर कोई समझौता नहीं हुआ और कैनाल का कार्य केन्द्रीय गवर्नमेंट ने अपने हाथ में नहीं लिया। सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी को भलि भांति मालूम है, उनको मालूम है, जोधपुर के कुछ इलाके के, बाड़मेर के कुछ इलाके के, जैसलमेर के कुछ इलाके के लोग वास्तविक भूमिहीन हैं—उनकी इन्क्वायरी की जा सकती है, जिनके पास भूमि है उन्होंने मान लें किसी तरह धोखा देकर भूमि ले ली हो, ऐसे काश्तकार हैं तो उनकी इन्क्वायरी की जा सकती है, उसका रास्ता अलग है, परन्तु जो वास्तव में भूमिहीन का सर्टिफिकेट लेकर आये हैं और उसके आधार पर कोलोनाइजेशन एरिया के अन्दर जमीन आवंटित कर दी गई है, उसके बाद उन लोगों ने हजारों रुपये खर्च करके जमीन को आबाद किया है उन्हें उस जमीन से बेदखल करके उस जमीन को दूसरों को कैसे दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे लोगों के पास भूमि है जिस जमीन को आबाद किसी और ने किया है तो उसको खाली करा कर दूसरे भूमिहीन लोगों को एलाट की जा सकती है। तो इससे काम्प्लीकेशन अधिक हो सकते हैं। गवर्नमेंट के कानून के अनुसार एक सरक्यूलर मेरी जानकारी में है, मनफूलसिंह जी ने बताया था कि

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

और यह कहा था कि ऐसे क्षेत्र जो अकाल ग्रस्त रहे हैं के लोगों को टेम्प्रेरी कल्टिवेशन के लिए भूमि एलाट करें तो हमारे द्वारा भूमि सुरक्षित की जा सकती है। उन्होंने मुझे यह बताया था परन्तु बाद में हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि परमानेन्टली लोग वहां जा सकते हैं और ऐसी जमीन है तो वह छोड़ने को तैयार हैं, वह जमीन सरेन्डर कर सकते हैं यदि दूसरे एरिया में उनको जमीन दें। ऐसी बात भी चल रही थी परन्तु जोधपुर डिवीजन या अन्य इलाके के जो भूमिहीन थे जो वास्तविक तहसील से सर्टिफिकेट लेकर आये और उसके आधार पर उनको कोलोनाइजेशन आफिसर ने जमीन आवंटित कर दी, उनको बेदखल करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। उनको बेदखल पहले नहीं करें क्योंकि इससे समस्या और पैदा हो जायगी। मेरा निवेदन है, माननीय मन्त्री इस बारे में पूरा ध्यान रखें ताकि आपस में भ्रम पैदा नहीं हो और लोगों के सामने कठिनाई पैदा नहीं हो, एक तो उनके वैसे ही हजारों रुपये खर्च हो गये हैं, और अब वह मुकदमे में बरबाद नहीं हों - इसलिए इस बात को एवाइड किया जाय तो अच्छा होगा।

इसके अलावा मुख्य मन्त्री जी ने जो दोनों बार वक्तव्य दिया है और उससे जो लोगों के अन्दर भय था। उसको साफ कर दिया है। जैसा अभी बोलने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोई विशेष बात नहीं कही है। मैं समझता हूं, यह अपना फर्ज नहीं है जो वास्तविक बात है वह रखने की आवश्यकता है। अगर समस्या मिट जाती है तो लोगों को परेशान करना अपना भी काम नहीं है। इन शब्दों के साथ मेरे विचार रखकर इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि बिना कारण वह लोगों को भ्रम में न डालें, लोगों को परेशान नहीं करें। हां, जो मुख्य मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया है उस पर विचार कर सकते हैं, कमेटी बनाई है उस पर विचार कर सकते हैं। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि आगे संघर्ष को नहीं चलायें। जो मुश्किलें हैं उनको मिटाया है और आगे भी मिटाई जा सकती हैं।

श्री सभापति : श्री केदार नाथ।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित)

श्री राजवी रूप सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

(अनुपस्थित)

श्री दौलतराम सारण !

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मैं तो अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूं। इधर से माननीय सदस्य (श्री हंसराज आर्य) खड़े हुए हैं उनको बुलवाइये। कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनको बुलवाइये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं बोलना चाहूंगा।

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा गया था आप मौजूद नहीं थे।

श्री दौलतराम सारण : हंसराज जी को बुलवाइये, हम सुनना चाहते हैं।

श्री सभापति : श्री हंसराज आर्य !

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक बार नाम चला जाय तो दुबारा टाइम नहीं मिलना चाहिए।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : माननीय सभापति जी, गंगानगर जिले की समस्या के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करूं इससे पहले दिनांक 25-3-70 को मुख्य मन्त्री जी ने इस सदन में जो घोषणायें की थीं उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन घोषणाओं में काफी महत्वपूर्ण बात कही गई थी। उन घोषणाओं के बाद इलाके के काफी लोगों में, पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से संतोष पैदा हुआ है। लेकिन फिर भी समस्या वहां पर एक नहीं है, समस्यायें तो अनेक हैं और वह समस्या आज नई पैदा नहीं की गई है। लम्बे अर्से से वह समस्यायें सरकार के विचाराधीन थीं। जहां कहीं भी विकास होता है, कोई नहर निकलती है तो नई समस्यायें पैदा होती हैं। गंग कैनाल आई, उसके आने से पहले वहां कोई समस्या नहीं थी लेकिन जैसे ही नहर आई अनेक समस्यायें पैदा हो गई। भाखरा नहर आई, अनेक समस्यायें पैदा हुई। घग्घर फ्लड का पानी आया, अनेक समस्यायें पैदा हुई। और संसार की सबसे बड़ी कैनाल, जो राजस्थान कैनाल के नाम से प्रसिद्ध है उसके आने से तो और भी समस्यायें पैदा हुई हैं। बारानी बीकानेर का क्षेत्र है वहां सिवाय पीने के पानी के और कोई समस्या नहीं है लेकिन जैसे ही लिफ्ट कैनाल बीकानेर जायगी, जैसे जैसे वह कैनाल आगे बढ़ेगी, अनेक समस्यायें पैदा करती हुई जायगी। वह कुछ समस्याओं का समाधान करेगी वहां अनेक समस्यायें पैदा भी करेगी। कैनाल आती है तो अनेक गांवों के रास्ते रुकते हैं, पुलिया की समस्या पैदा होती है, कैनाल के नीचे जमीन लोगों की आ जाती है, शीघ्र ही उनको एवज में जमीन नहीं मिलती है, मुआवजा नहीं मिलता है, सड़क निकलती है तो जमीन रुकती है, आबादी बढ़ती है तो मंडी बनती है तो जमीन एक्वायर होती है, बागात के लिए जमीन एक्वायर होती है, फारेस्ट के लिए जमीन एक्वायर होती है। इसी प्रकार से अनेक समस्यायें पैदा होती हैं। 1954 में जो स्थिति थी, उस समय कई समस्यायें थीं, 1954 में जमींदारी गई तो वहां नई समस्यायें पैदा हुई। जो गैर खातेदार थे उनके खातेदारी के हक पैदा हुए। मालिक भूमि के नहीं रहे तो जो काश्त करते थे वह भूमि के मालिक माने जाने लगे।

वह समस्या आज भी है, 54 में जमींदारी गई, वह समस्याएं आज तक मौजूद हैं, उन समस्याओं के सम्बन्ध में किसानों ने आवाज उठाई वहां के विधायकों ने बार बार इस सदन में चर्चा की लेकिन उन समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ। तो समस्याएं एक नहीं अनेक हैं। जो मुख्य मंत्रीजी ने 25-3-70 को घोषणा की, उससे कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। लेकिन इसके बाद भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना नितान्त आवश्यक है। मंडियों के लिये, मंडियां आबाद करने के लिये लोगों की हजारों एकड़ जमीनें एक्वायर की गई, उन भूखण्डों को नीलामी किया गया, शायद एक करोड़ रुपया उन भूखण्डों से वसूल किया गया नीलामी के द्वारा। लेकिन आज एक भी मंडी आबाद नहीं है। क्या यह समस्या नहीं है। आज जो मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की है उसमें इस समस्या का जिक्र नहीं है, इतना ही कहा है कि हम चिन्तित हैं, आप चिन्तित तो वर्षों से थे। तो मैं निवेदन

(श्री हंसराज आर्य)

करूंगा कि यदि सरकार मंडियों को आबाद करना चाहती है तो मंडियों को आबाद करने के लिये एक कमेटी का गठन किया जाय जिसके कोलोनाइजेशन मंत्री चेयरमैन हों और वहां के विधायकों को उस कमेटी में शामिल किया जाय और इन मंडियों से जो फंड्स सरकार को प्राप्त हों, वह सरकार के खजाने में जमा न हो कर वहीं उन मंडियों पर लगाये जायं। एक समय निर्धारित कर दिया जाय और जो लोग उन मंडियों में भूखण्ड लें या जिन लोगों ने भूखण्ड ले रखे हैं उनको नोटिस दिया जाय कि उस निर्धारित समय के अन्दर अन्दर वे लोग उन मंडियों में आबाद हों, और अगर उस निर्धारित समय में वे लोग उन मंडियों में आबाद नहीं हों तो उन भूखण्डों को दुबारा नीलाम किया जाय और जो लोग निर्धारित समय में उन मंडियों में आबाद नहीं हुए हों उनका रुपया भी जब्त किया जाय। तभी ये मंडियां आबाद हो सकती हैं, नहीं तो नहीं हो सकतीं।

इसी तरह से गांवों में आबादी की समस्या है। 61 की जनगणना के अनुसार गंगानगर क्षेत्र में सारे हिन्दुस्तान के मुकाबले 64. 64 प्रतिशत आबादी बढ़ी है। जहां इतनी आबादी बढ़ी है वहां लोगों को आबाद होने के लिये भूमि की आवश्यकता है, लेकिन इन वर्षों में कोई सू नई भूमि एक्वायर नहीं की गई। इसके साथ ही साथ यह समस्या भी वहां पैदा हुई कि राजस्थान केनाल और भाखरा क्षेत्र में सरनार ने वहां की ग्राम पंचायतों से, वहां की नगरपालिकाओं से 2-82-59 को भूमि के विक्रय सम्बन्धी अधिकार वापिस ले लिये। इसका परिणाम यह हुआ कि आबादी बढ़ती गई, भूमि पर नाजायज कब्जे होते चले गये, नाजायज मकानों की तामीरें होती चली गई और स्थिति यह पैदा हुई कि हजारों लोगों ने नाजायज तौर पर भूमि पर कब्जे करके नाजायज तौर पर मकानों की तामीरें करवा लीं। न ग्राम पंचायतों को एक भी पैसा मिला, न नगरपालिकाओं को पैसा मिला और न सरकार को ही पैसा मिला। आज उन नाजायज तौर पर तामीर किये हुए मकानों को तुड़वाना, उन मकानों को फुड़वाना या उनसे उन लोगों को बेदखल करना आसान नहीं है। तो यह भी एक समस्या है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो इन स्वायत्त शासन संस्थाओं से भूमि के विक्रय के अधिकार सरकार ने अपने अधिकार में लिये थे उन अधिकारों को उन्हें वापिस दिया जाय ताकि उन स्वायत्त संस्थाओं को आमदनी भी हो और लोगों को आवश्यकतानुसार आबादी के लिये भूमि मिल सके।

इसके अलावा गंगानगर कस्बे को देखिये वहां एक बड़ी भयंकर समस्या है। गंगानगर में तीन चार हजार आदमी ऐसे हैं, गांव के बाहर जहां लोग टट्टी फिर कर आते हैं, जहां गहरे खड्डे हैं, जिनमें कीड़े कलबलाते हैं, उन गड्ढों में वे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जिन्दगी व्यतीत कर रहे है। आज उन तीन चार हजार लोगों को भूखण्ड देकर आबाद करने की आवश्यकता है। मुख्यमन्त्री ने घोषणा भी की है, उसके बाद भी इसके सम्बन्ध में चर्चा नहीं है, यह बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान अत्यावश्यक है।

(श्री हंसराज आर्य)

इसके साथ ही एक और बड़ी समस्या है। बारानी गांवों में टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 के अनुसार 15 अक्टूबर, 1955 को जो जिस जमीन पर काबिज काश्तकार थे वे ओटोमेटिकली ही खातेदार हो गये लेकिन सरकार ने अब तक एक भी इन्तकाल तस्दीक नहीं कराया है। ऐसे 55 के काश्त भूमि के काबिज काश्तकारों के नाम भूमि का इन्तकाल किया जाय उनकी खातेदारी को तस्दीक किया जाय, ऐसे काश्तकारों ने इस समय भूमि विकास बैंकों से कर्ज मांगा तो एक नई समस्या पैदा हो गई कि उनको कानूनी तौर पर खातेदारी नहीं मिली है, पंचायतों को तस्दीक से मिली है, तब तक तहसीलदार इन्तकाल तस्दीक नहीं कर देंगे तब तक उनको कानूनी तौर पर खातेदार नहीं मानते और भूमि बंधक बैंक उनको कर्ज नहीं देता। यह एक बड़ी भारी समस्या है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार एक विशेष आदेश द्वारा तहसीलदारों को यह हिदायत करें कि तहसीलदार स्वतः ही पंचायतों से इन्तकाल के रजिस्टर मंगवा कर एक दिन में यह तस्दीक कर दें तो उन काश्तकारों को कानूनी तौर पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। जिससे कि उन काश्तकारों को भूमि बन्धक बैंकों से कर्ज मिल सकें। जो लोग समझदार थे, सूझ बूझ वाले थे उन्होंने तो पंचायतों द्वारा इन्तकाल तस्दीक करवा लिये पर हजारों की संख्या में ऐसे काश्तकार हैं जिनके कब्जे में सैकड़ों साल से काश्त की जमीन है और टिनेन्सी एक्ट के अनुसार उन्हें स्वतः ही खातेदारी अधिकार मिल जाने चाहिये थे पर उनकी तस्दीक आज तक पंचायतों से नहीं हुई है। ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि 15 अक्टूबर, 55 को जो काश्तकार अपनी काश्त की भूमि पर काबिज हैं उनके इन्तकाल तस्दीक हो कर उनको खातेदारी राइट्स दे दिये जाय, इस प्रकार के विशेष आदेश सरकार को निकालने चाहिये।

इसके साथ ही साथ एक यह भी समस्या है कि 1955 से लेकर 1970 तक बारानी क्षेत्रों में हजारों किसानों को भूमि अलोट होती रही हैं, हर साल भूमि को रिन्यू करते रहे हैं, 20 साल, हो गये मुतवातिर इस तरह उनकी भूमि रिन्यू करते हुए। ऐसे किसानों को टिनेन्सी एक्ट के अनुसार 10 साल बाद ही खातेदारी अधिकार मिल जाने चाहिये थे उनको साल 20 हो गये, 20 साल बाद भी उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिले हैं। इसके लिये मेरा निवेदन है कि 55 से जो काश्तकार इस तरह से काश्त कर रहे हैं उनको विशेष आदेश से सरकार खातेदारी अधिकार दे।

इसके साथ ही साथ सीलिंग की समस्या सामने आई, 58–59 में सीलिंग का कानून बना, बहुत से लोगों ने अपनी जमीनें उलट पुलट कीं। बालिग लड़कों के नाम कीं, भाइयों के नाम कीं या सीलिंग की सीमाओं से कम जमीन जिन लोगों के पास थी उनको फरोख्त कर दीं और इस प्रकार जमीनें उलट पलट हुईं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान में एक भी इन्तकाल ऐसा नहीं है कि तस्दीक किया गया हो। बाप मर गया, बेटे, पोतों के नाम से इन्तकाल होना चाहिये था पर इन 10–12 वर्षों में एक

(श्री हंसराज आर्य)

भी इन्तकाल तस्दीक नहीं किया गया है। इसलिये निवेदन है कि आज से पहले के जितने भी इन्तकाल बकाया हैं, उनको एक आदेश सेत स्दीक करा दिये जायं।

एक और समस्या है। गंग कैनाल क्षेत्र में जो 53 से काबिज काश्त वाले हैं और राजस्थान नहर क्षेत्र में 55 से काश्त काबिज वाले हैं उनकी 52 की काश्त भूमि मुश्तकिल अलोटमेंट कर रहे हैं तो भाखरा वालों ने क्या कसूर किया है, उनको क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको भी मुश्तकिल तौर से भूमि अलोट की जानी चाहिये।

मैं एक और समस्या के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। सरकार ने भूमि सीलिंग निर्धारित की हैं फिर कोई वजह नहीं है कि सीलिंग सीमा के अन्दर भी सरकार किसानों पर सरचार्ज लगाये, यह न्याय संगत बात नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन लोगों के पास सीलिंग की सीमा से अधिक भूमि है उनसे ही सरचार्ज लिया जाय और सीलिंग की सीमा के अन्दर जिन लोगों के पास भूमि है, उनसे सरचार्ज नहीं लिया जावे क्योंकि यह न्याय संगत नहीं है।

मुख्यमन्त्रीजी ने अनेकों वार सदन में और वाहर घोषणा की है कि हम हरिजनों और आदिवासियों को राजस्थान कैनाल क्षेत्र में आबाद करने के लिये एक लाख एकड़भूमि देंगे, 50 हजार एकड़ भूमि दूसरों के लिये देंगे। इस तरह से यह डेढ़ लाख एकड़ जमीन देने का ऐलान सदन में और वाहर सभाओं में मुख्यमन्त्री ने किया था। मैंने इस बात को देखा है कि अभी तक इस डेढ़ लाख एकड़ को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं मुख्यमन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब इस बहस का वे उत्तर दें तो फिर दुवारा घोषणा करें कि हम मजबूती के साथ हरिजन और आदिवासियों के लिये एक लाख एकड़ और दूसरों के लिये 50 हजार एकड़ भूमि अलाट करने की जो घोषणा कर चुके हैं उस पर कायम हैं।

इसके अलावा एक नई बात जो सामने आई है वह यह है, कि कहावत है कि किसी व्यक्ति ने किसी लुहार एरण चुराई जो कि काफी वजनी होती है। दूसरे दिन सुबह क्या किया कि एक सुई हाथ में लेकर सुई का दान करने चला। कहने लगा कि एरण की चोरी की है उसका प्रायश्चित करने के लिये सुई का दान कर रहा हूं। तो इस पर एक कहावत है कि एरण की चोरी करे और सुई का दान। ऊंचा चढ़कर देखता आवत कहां बिमान। एक और मुख्यमन्त्रीजी ने ऐलान किया है कि हमने टैक्सेज में रियायत दी है, लेकिन सभापतिजी यह काम करके बहुत दुख हुआ कि गंगानगर किले की सारी भूमि 50,99, 663 एकड़ है। उसमें से 28.4 प्रतिशत पर चारों नहरों का पानी लगता है और 70.6 प्रतिशत भूमि आज भी अनकमांड है और राजस्थान कैनाल 12 मासो होते हुए भी अनकमांड रहेगी ' फिर भी मुख्यमंत्रीजी ने कहा कि गंगानगर का अधिकतर हिस्सा नहरों से प्रभावित हो चुका है। यह मेरी समझ से वाहर है। हम तो गांव गांव घूमते हैं और जानते हैं कि उनकी बात ठीक नहीं है। इसके साथ उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि गेहूं और चन्ने का आवियाना

(श्री हंसराज आर्य)

बढ़ाया गया है, जो एरण की चोरी के समान है। हमको सुई का तो दान दिया गया है और हमारी एरण की चोरी की गई है। गेहूं और गन्ने पर बढ़ाये हुए इस टैक्स से सरकार को इतना पैसा मिल जायेगा कि सरकार ने जो रियायत दी है उससे कई गुना अधिक सरकार को वसूल हो जायेगा। गेहूं और गन्ना गंगानगर की मुख्य फसलें हैं, इसलिए इन पर बढ़ा हुआ आबियाना वापिस लेना चाहिये और नहीं बढ़ाना चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : कौनसा वापिस लेना चाहिये अब बढ़ाया, वह, या 10 मार्च वाला ?

श्री हंसराज आर्य : अब जो बढ़ाया है।

एक माननीय सदस्य : आपके तो अपने कुए हैं हम किसमें गिरेंगे।

श्री सभापति : आपस में बात न करें।

श्री हंसराज आर्य : सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार इस सदन में मैंने राजस्व मन्त्री जी के सामने अपना विचार रखा था कि ऊंट बिलाई ले गई, हांजी हांजी कहणों। उसे वापिस एक साल हो चुका है। बारानी गांवों में खिदमतगारों के लिए अब भी कोई कानून की रुकावट नहीं है, कानून बिल्कुल साफ है कि 15-10-55 से जिस किसान के पास जितनी भूमि कब्जे कांश्त थी वह स्वतः ही खातेदार है, लेकिन खिदमतगारों ने क्या गुनाह किया है कि उनको खातेदारी से वंचित रखा जाता है ? उन्होंने सैकड़ों साल तक सरकारी कर्मचारियों की खिदमत की. उनके बिस्तर उठाये, उनकी टट्टी उठाई, लेकिन आज भी वे खिदमतगार खातेदारी अधिकारों से वंचित हैं। मुझे संदेह है कि मुख्य मन्त्री जी ने जो घोषणा की है उस पर राज्य के अधिकारी अमल भी करेंगे कि नहीं। इसका मुझे बड़ा संदेह है। आज राजस्व मन्त्री की घोषणा के एक साल बाद भी मैं सदन में चैलेंज करता हूं कि बारानी गांवों में किसी भी खिदमतगार नाई, कोतवाल और बेगारी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गए हैं ! इसलिए मुझे संदेह है कि इन ऐलानों पर भी अमल होगा या नहीं।

मुझे खुशी है कि भाखरा क्षेत्र में काफी खिदमतगारों को खातेदारी अधिकार दिये गये, लेकिन कुछ की भूमि निरस्त कर दी गई। मैंने इस सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री जी को भी दरख्वास्त दी थी। उनकी भूमि यह कहकर खारिज की गई कि क्योंकि भूमि पर उनके पिता का नाम था, उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और उनके नाम दाखिल खारिज नहीं हुए, इसलिए खारिज की जाती है। उसी तरह से माफी की जमीनों के लिए किया गया। माफी क्योंकि खिदमतगार के पिता के नाम थी, और पिता का स्वर्गवास हो गया और उनके नाम माफी मंजूर नहीं हुई, इसलिए वह खारिज की गई। अब वे लोग मारे मारे फिर रहे हैं। कई सालों से जो भूमि खुदकाश्त में थी, वह खारिज की गई। वे लोग मारे मारे फिरते हैं, उन्होंने दरख्वातें भी दीं लेकिन अफसोस है कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं राजस्व मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को नोट करें और उन लोगों की सहायता करें। वे

(श्री हंसराज आर्य)

लोग हरिजन हैं और गरीब हैं, भूखे हैं, नंगे हैं।

इसके साथ एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। बारानी गांवों में जो भूमि अलाट होती है वह एक साल के लिए ही की जाती है जबकि नियम यह है कि अनकमाण्ड में दस साल के लिये देनी चाहिए, और कम से कम पांच साल तक तो देनी ही चाहिये। एक साल के लिये देने से हर साल काश्तकार को परेशान होना पड़ता है, हर साल पटवारी से नकलें लेने के लिए परेशान होना पड़ता और रिश्वतें देनी पड़ती हैं। तो मेरा राजस्व मन्त्री जी आप से निवेदन है कि बारानी गांवों में जहां आपको भूमि अलाट करनी हो, तो पहले आप भले ही अच्छी तरह जांच कर लें कि जिस आदमी को भूमि अलाट करनी है वह वास्तव में उसके लिये अधिकारी है या नहीं, और जांच के बाद उसको दस साल के लिए ही जमी नअलाट करनी चाहिए, और अगर दस साल नहीं तो कम से कम पांच साल के लिए तो करनी ही चाहिये ताकि उसको हर साल मारा मारा नहीं फिरना पड़े।

सभापतिजी, इस सदन में इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले दोनों पक्षों के सदस्यों ने इस बात के लिए पुकारा कि सन् 1970 में पाकिस्तान को पानी देना समाप्त हो जायेगा और उस पानी का उपयोग करने के लिए हमें कुछ न कुछ उपाय करना चाहिये। इतना चीखा पुकारा लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आज पाकिस्तान को पानी देना बन्द हो गया, और पाकिस्तान न पानी को लेने को भी कोई मांग नहीं है, लेकिन सरकार के पास इस पानी को उपयोग करने का कोई साधन नहीं है। सरकार की कोई तैयारी नहीं है। आज गंग कैनाल में उसके कोटे का पानी है, वह अगर पूरा चलता रहे तो सन्धी का बना हुआ सारा पाकिस्तान को जायेगा। हमारे पास उस पानी की एक बूंद भी उपयोग करने के लिए साधन नहीं है। हमने नहरों की क्षमता नहीं बढ़ाई। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारा पानी जो पाकिस्तान को जा रहा है उसको लेने के लिए हमें नहरों में बैंक्स को ऊंचा करना चाहिए। देरी व सुस्ती नहीं करनी चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पोंग बांध जो व्यास नदी पर बन रहा है वह 1972 में तैयार हो जायेगा। उसमें 53 प्रतिशत कोटा राजस्थान की है लेकिन सरकार की उस बांध का पानी लेने की भी आज कोई तैयारी नहीं है, सरकार के पास सिन्धमुख नहर का चालू करने की तैयारी है, न भाखरा नहर के बैंक्स को बड़ा करने की तैयारी है और न ही गंग कैनाल की नहरों को पूरा करने की तैयारी है। सरकार आज भी मौन है। पोंग डेम बन जायेगा और हमारी कोटे का पानी या हरियाणा ले जायेगा या पंजाब ले जायेगा, और अगर वे भी कन्ट्रोल नहीं कर पाये तो या पाकिस्तान में जायेगा या दरिया में चला जायेगा। तो मेरा मुख्य मन्त्री जी आपसे निवेदन है कि अगर आपने सिन्धमुख नहर को चालू नहीं किया, भाखरा नहरों को बड़ा नहीं किया और गंग कैनाल की कैपसिटी को नहीं बढ़ाया तो पोंग डेम पर आपके जो करोड़ों रुपये लग रहे हैं, वे सब बेकार जायेंगे। और हमारे कोटा का पानी सारा बेकार जायेगा।

(श्री हंसराज आर्य)

इसके साथ ही, सभापतिजी, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इस सदन में भी और बाहर भी कई बार ऐलान किया है कि फिरोजपुर रोड़ से लेकर गंगानगर की बार्डर तक गंग कैनाल के किनारे किनारे पंजाब में 500 नल कूप तैयार करेंगे। मेरा निवेदन है कि पंजाब तो इसके लिये तैयार है। अगर आपके पास पैसा है तो 500 नल कूपों का पानी गंग कैनाल में डालकर एक लाख एकड़ भूमि जो अनकमांड पड़ी है उसको कमांड कर सकते हैं। इसके किसान की पैदावार भी बढ़ेगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापतिजी, गंगानगर की समस्याओं पर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा ? मुझे समय दें।

श्री दौलतराम सारण : इनको बोलने दिया जाये।

श्री सभापति : आप चाहे जो बोलें, पर आपकी पार्टी को डेढ़ घंटे का समय दिया हुआ है। वह समाप्त हो रहा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : रामचन्द्र जी आर्य काफी देर तक बोले हैं, हम भी बोलना चाहेंगे। बोलने दो इनको।

श्री सभापति : अलग अलग पार्टीज को अलग अलग समय मिला हुआ है। आप भी यहां विराजती हैं, तो आपको तो मालूम होना चाहिये।

श्री हंसराज आर्य : माननीय मुख्य मंत्री ने कई बार ऐलान किया कि राजस्थान कैनाल का पानी सिरहिंद कैनाल के माध्यम से भाखरा की नहरों में लाने के लिये एक लिंक बनाया जायेगा। उस लिंक के लिये मन्जूरी हो चुकी है, पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, अभी उस लिंक का काम शुरू नहीं हुआ। तो उस लिंक का काम शीघ्र से शीघ्र पूरा करना चाहिये ताकि राजस्थान कैनाल का पानी सिरहिंद कैनाल के माध्यम से भाखरा की नहरों में लाया जा सके और उसके बाद भाखरा का जो 161 क्युसेक्स पानी बचता है, उस पानी को जहां भाखरा का निकास होता है, वहां लेकर उस पाणी से जसाना और अमरसिह ब्रांचों में डाला जाये, तो 37000 एकड़ भूमि कमांड हो सकती है। जो आज अनकमांड पड़ी हुई है। किसान पानी के लिये तिलमिला रहे हैं दुखी हैं, उनके खेत सूखे पड़े हैं।

सभापतिजी, नहरों में पानी की क्षमता हैं वह सवा 21 क्यूसेक पर हजार हैं जबकि राजस्थान केनाल में पानी बढ़ रहा है, पौंग बांध का पानी बढ़ेगा, पाकिस्तान से बचा हुआ पानी आवेगा, पौंग डेम का पानी बढ़ेगा, मेरा यह निवेदन है कि पानी की क्षमता को अभी 21 कुसेक पर हजार हैं उसको बढ़ाकर 3।। कुसेक पर हजार कर दिया जाय ताकि किसानों को उनकी जमीन में अधिक पानी मिल सके और उससे अधिक उत्पादन हो सके।

इसके साथ ही सभापतिजी, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान केनाल में पानी बहुत होगा, मुझे आज भी सन्देह है कि सरकार ने बार-बार कहा कि हम 34

(श्री हंसराज आर्य)

36 लाख एकड़ जमीन में राजस्थान केनाल से सिंचाई करेंगे। मेरा निवेदन है कि पानी तो इससे अधिक हो सकता है लेकिन पानी लगने वाली भूमि शायद ही इतनी हो। इसलिये पानी बहुत बचेगा। राजस्थान केनाल के मसीना वाले हैंड से 30 फीट की लिफ्ट दी जाय, बीकानेर को पानी ले जाने के लिये 160 फीट की लिफ्ट दी जा रही है, हम तो 30 फीट लिफ्ट की ही मांग कर रहे हैं। सरकार ने चार जगह सर्वे करवा रखा है 4॥ लाख एकड़ की सिंचाई होती है नहरी नोहर तहसील क्षेत्र में। इस लिफ्ट को 30 फीट ऊंचा किया जाय। रावतसर और उसके आस-पास के पन्द्रह-बीस गांव ऐसे है जहां समतल भूमि है, लेवल की दृष्टि से वहां पर पानी लग सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि सर्वे करायी जाकर अनकमान्ड भूमि मानी जा रही है उसको कमान्ड कर दिया जाय ताकि अधिक सिंचाई हो सके और किसानों को लाभ मिल सके। यदि सरकार यह कहे कि पैसे की कमी है, मेरा सरकार से यह निवेदन है कि सरकार राजस्थान के लिए जो 8 करोड़ रुपया निर्माण के लिए दिया गया था उसमें से दो करोड़ रुपया लैप्स हो गया उसे क्यों नहीं खर्च किया ? क्यों लैप्स होने दिया गया ?

सभापतिजी, मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि सन् 1959 में राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने पंजाब के साथ बैठ कर एक पैक्ट किया और पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ लिखा पढ़ी की कि पंजाब जब चाहेगा घग्घर के फ्लड के पानी को रोक सकेगा। सन् 59 में यह एग्रीमेंट हुआ। पंजाब जब चाहेगा घग्घर फ्लड के पानी का एक बूंद भी बन्द कर देगा। इसका चीफ इन्जिनियर और सैक्रेटरियों को पता था। उस पैक्ट के बाद पांच करोड़ रुपया खर्च किया और यह जानकर और भी दुख होगा कि हरियाणा में घग्घर फ्लड के पानी को रोकने के लिये चंडीगढ़ के पास बांध बनाना शुरू कर दिया है। हमारे यहां उस पैक्ट की धारा 16 में लिखा है कि घग्घर के पानी में राजस्थान का कोई हक नहीं होगा फिर घग्घर के पानी को डाइवर्ट करने के लिए नहर क्यों निकाली घग्घर फ्लड का एक बूंद पानी भी नहीं आवेगा। 5॥ करोड़ रुपया लगा गया है और भी लगेगा वह सब बेकार जावेगा। जिन किसानों की भूमि गये वर्ष के चैनेल के नीचे आ गई थी उनको अभी तक एवज में भूमि नहीं मिली है और वे मारे-मारे फिर रहे हैं। इससे पहले ही नहर बेकार हो गई है। इससे बढ़कर सिंचाई विभाग का निकम्मापन क्या होगा। किसी को जमीन मिली और किसी को जमीन नहीं मिली। लोग दुखी हैं। नहरें निकालना बेकार है। इस सम्बन्ध में हरियाणा से और भारत सरकार से लिखा पढ़ी करें यह जो घग्घर फ्लड का पानी रोक दिया गया है उसका निकास कराया जाय और इस पानी से सिंचायी बढ़ायी जाय। घग्घर फ्लड का पानी चलता रहना चाहिये।

इसके साथ ही, सभापतिजी सरकार ने कई बार आदेश निकाले हैं कि जहां किसानों के खेतों में दो नहरों का पानी लग जावेगा, एक नहर का पानी कम है तो दूसरी का दिया जाता है ताकि फसल न सूखे, आबि-

(श्री हंसराज आर्य)

याना एक ही का वसूल किया जावेगा। मुझे इस बात का दुख है मेरे सामने सिंचाई मन्त्री जी लड्ढा साहब ने आदेश जारी किये थे कि जहां किसानों ने दो पानी लगाये हैं, दोनों में से अधिक होगा, उसका आबियाना एक ही वसूल किया जावेगा। लेकिन आज भी दो आबियाना वसूल किया जा रहा है।

सभापति, घग्घर फ्लड की बाढ़ बहुत लम्बी चौड़ी है। जब पानी जाता है तो तीन चार महीने तक सैंकड़ों गांवों के रास्ते रुक जाते है। संगरिया और टीबी दोनों तहसीलों को जोड़ने के लिये पुल बनाना बहुत आवश्यक है। चीफ इन्जीनियर, एक्जीक्युटिव इन्जीनियर ने बार-बार कहा कि पुल बन जावेगा लेकिन आज तक पुल नहीं बना है, सैंकड़ों गांवों के लोगों को इधर से उधर जाने आने में बड़ी कठिनाई रहती है इसलिये इस पुल का काम जल्दी ही शुरू कराया जाय। पुल की मन्जूरी हो चुकी पुल बन नहीं रहा है।

सभापतिजी, पंजाब में जो किसान बोर्डर पर आबाद हैं उनको हर समय खतरा बना रहता है और उनको रियायत देने के लिये पंजाब सरकार ने एलान किया कि जो किसान बोर्डर से पांच मील के एरिया में आबाद हैं जो भूमि काश्त करते हैं उनसे भूमि का लगान आधा लिया जावेगा, पानी के आबियाने में रियायत दी जावेगी और जो पांच से सात मील में आबाद हैं उनसे पौना आबियान लिया जावेगा। गंगानगर का बोर्डर पाकिस्तान से सैंकड़ों मील लगता है। यहां पर सीमा तक किसान झुग्गी झौंपड़ी में बैठा हुआ है उन किसानों को चौबीसों घन्टों खतरा बना रहता है, उनका हौंसला बढ़ाना है पाक वाले कभी उनकी भैंसे उठा लेजाते हैं, कभी उनकी सांडे उठा लेजाते है, कभी उनकी ऊंट उठा लेजाते हैं, कपड़े उठा लेजाते हैं, चौबीसों घंटे वे खतरे में रहते हैं, इसलिये उनका हौंसला बढ़ाने के लिये उनको लगान और पानी में छूट देनी चाहिये। पानी आधा ही मिलता है। सारा इलाका रेगिस्तानी है मुख्य मन्त्री जी से निवेदन है कि बोर्डर की नहरों को पक्का कराया जाना चाहिये और उन किसनों को रियायत दी जानी चाहिये।

सभापतिजी, इसी सदन में इधर बैठने वालों और उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों ने बार-बार निवेदन किया कि राजस्थान में पीने के पानी की समस्या बड़ी जटिल है। राजस्थान के 8 जिलों के 12 हजार गांवों के 70 लाख मनुष्य और तीस लाख मवेशी पीने के पानी के लिये हा-हा कार करते हैं। उस संकट से गंगानगर का हिस्सा बचा हुआ नहीं है तहसील भादरा, नोहर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, आदि में दो सौ गांव है जहां दस-दस मील बारह-बारह मील में पीने का पानी नहीं मिल पाता है। मेरे खास तौर से निवेदन है, मुख्य मन्त्रीजी अभी आपने पीने के पानी के लिये घोषणा की, माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा से हम संतुष्ट नहीं हुए। यदि इतना ही कह देते कि एक बोरिंग मशीन नोहर के गांवों में भेजूंगा जो 15–20 गांवों में पानी का पता लगायेगी। मशीन भेजने की बात ही कहते तो आशा लग जाती। आपने कहा कि सोचेंगे। यह लम्बे अर्से से पाणी की चर्चा है। मीठे पानी के लिये

(श्री हंसराज आर्य)

आप इन्तजाम करें इससे बढ़ कर और संकट कुछ हो नहीं सकता।

अभी आपने फरमाया कि राजस्थान केनाल एरिया में पीने के पानी के लिये डिग्गियां बनायी गयी हैं।

(3 म.प.)

मुख्यमन्त्री से मेरा विनम्रता के साथ निवेदन है कि पानी की जो डिग्गी बनाई गई है आप उनकी किसी एक्सपर्ट से जांच करावें, उन डिग्गियों में किस प्रकार का मेटेरियल यूज किया गया है। गांव वहां पर आबाद नहीं है और जब गांव आबाद नहीं है तो किसी ने भी उनको नहीं देखा है कि कैसा मसाला है ? पानी ठहरेगा भी या नहीं ? एक बून्द पानी वहां पर नहीं ठहरता है। इसलिए इसकी जांच कराई जाय और बनाने वाले को सजा दी जाये।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में आप मुख्यमन्त्रीजी सड़क बना रहे हैं। काफी गांव वहां पर थे जो मुसलमानों की आबादी के थे। वे आज वहां नहीं हैं वो पाकिस्तान को चले गये हैं उन गांवों में कोई आदमी नहीं है। वे गांव सूने पड़े हैं और वहां बाहर से आकर के लोगों ने नाजायज तरीके से जमीनों पर कब्जा कर लिया है। परन्तु वहां पर कोई आबादी नहीं है। ऐसे इलाकों में आज आप सड़क बना रहे हैं। इन सड़कों के निर्माण में घोटाला हुआ है। इनकी जांच करानी चाहिये। इन्जीनियरों और ठेकेदारों ने मिल कर निकम्मा निर्माण किया है और खराब से खराब मसाला, माल वहां पर लगाया है। पूरा खराब काम किया है। यदि जांच कराई जाय तो ठेकेदार और कर्मचारी दोनों दोषी हैं।

हमें उस समय खुशी हुई जब हनुमानगढ़ के पास बिस्वेदारों की कीमती जमीनें यह कहकर एक्वायर की गई कि यहां पर खाद का कारखाना लगेगा। हमारे बिस्वेदारों ने जमीनें छोड़ दीं और उनको उसके एवज में बंजड़ जमीनें मिलीं। और हजारों रुपया उन जमीनों पर खर्च किया इसका हमें कोई दुःख नहीं हुआ क्योंकि हमें इस बात की खुशी थी कि वहां पर खाद का कारखाना लगेगा और उस खाद से हम अपने उत्पादन को बढ़ा लेंगे। कारखाने के नाम पर हजारों बीघा जमीन खाली छोड़ी गई परन्तु आज वहां पर किसी कारखाने का नामोनिशान नहीं है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अगर कारखाना न खोल सके तो वह किसी साहूकार से बात करे, या ऐसे व्यक्ति से बात करे जो वहां पर खाद का कारखाना लगाने के लिए तैयार हो। आपको मालूम ही है, कि गंगानगर की चार तहसीलों में भादरा, नोहर, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में इतना जिप्सम है कि वहां से एक करोड़ टन माल भी हर साल निकाला जाये तो यह जिप्सम 100 साल तक खतम न होगा। इतना जिप्सम वहां भरा पड़ा है। कम्पनी वाले नोहर से फूलसर गांव तक एक रेलवे लाइन डालेंगे। इस पर 30 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। ट्रकों से वे जिप्सम नहीं ले जा पा रहे हैं। इतना जिप्सम वहां पर भरा पड़ा है। वहां कारखाना नहीं लगे यह खेद का विषय है।

Page No 123

(श्री हंसराज आर्य)

इसके साथ ही सभापति महोदय मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि हनुमानगढ़ के पास जंगलात के लिये भूमि एक्वायर की गई थी जहां गीदड़ बसते थे वहां कोयल बोलेगी, और जहां कोयल बोलती थी वहां गीदड़ बसेंगे। वहां पर जो प्राकृतिक जंगल था-गोगामोड़ी के आस पास 24 हजार बीघा पक्का जंगल था, जहां गीदड़ बसते थे, हमने निवेदन किया कि इस जमीन को न तोड़ा जाये। परन्तु उसको तोड़ा गया और उस पर काश्त करवाई गई। और जो काश्त शुदा जमीन थी उसको दुबारा एक्वायर की गई और उसमें जंगल लगाने को योजना तैयार की गई। वह 7।। हजार बीघा जमीन जंगलात के लिये ले लो गई। मैं पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता हूं कि उक्त सारी ज़मीन में जंगल लगा दिया गया है। यह हो सकता है 100/400 बीघा में जंगल लगाया गया हो और आज भी बाकी की वह जमीन खाली पड़ी है। उस जमीन पर जंगल लग जाता तो हमें खुशी होती और आज हमारे कलेजे पर टीस न उठती। हमारे पुरखों की जमीन को हमसे, छुड़ाया गया और आज वह जमीन खाली पड़ी है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस भूमि का उपयोग करने के लिये जल्दी से जल्दी जंगल वहां पर लगाया जाये ताकि जिन किसानों से वह भूमि छुड़ाई गई थी उनकी आत्मा दुखी न हो।

इसके साथ ही सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। घग्घर के बैंड तिलवाड़ा से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक सैंकड़ों मील लम्बी है और कहीं कहीं एक-एक डेढ़ मील चौड़ी भी है। मेरा खासतौर से निवेदन है कि इस सारे बड़े बैंड में सरकार बिजली पहुँचाये और जो कमजोर किसान हैं उनको 5-10 हजार रुपया कर्जा दिला दे तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बैंड में इतना धान (चावल) पैदा हो सकता है कि एक एकड़ में 100-100 मन चावल वहां पर पैदा हो सकता है। कम होने का सवाल ही नहीं है। अब मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि गंगानगर के क्षेत्रों में बिजली देगें। आप किसानों को बिजली नहीं दे सकते हैं तो इस सारे घग्घर बैंड के किसानों को आप बिजली दे दें तो देखिये कितना उत्पादन वहां पर होता है।

अंत में मैं एक बार फिर मुख्य मंत्रीजी को तारीख 25 मार्च को जो घोषणा की, उसके लिये फिर धन्यवाद देता हूँ और आज जो घोषणा की है उससे हमें सन्तोष नहीं हुआ है। हमें यह आशा थी कि कुछ नया और मिलेगा लेकिन सिवाय गंगानगर शहर में एक ड्रेनेज बनाने दूसरी चीज नहीं दी है। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वह वहां पर बन जाये तो एक अच्छी बात होगी। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि जो घोषणाएं आपने की हैं उन घोषणाओं को जल्दी से जल्दी अमली जामा पहिनावें। स्वर्ग से उतरी हुई गंगा जैसे वर्षों तक शिवजी की जटाओं में भटकती रही वैसे ही कहीं ये आपकी घोषणाएं कर्मचारी रूपी जटा में ही नहीं घूमती रहें और जो किसानों को राहत देने की बात आपने यहां कही है, वह उनको नहीं मिले। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा उल्टा असन्तोष बढ़ेगा। इसलिये इसको जल्दी से

(श्री हंसराज आर्य)

जल्दी अमलीजामा पहनाते तो किसानों को भी लाभ होगा और सरकार को भी सन्तोष होगा ।

श्री सभापति : श्री केदारनाथ ।

श्री रामानंद अग्रवाल ।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, जो गंगानगर जिले....

श्री सभापति : समय सीमा 20 मिनिट ।

श्री रामानंद अग्रवाल : थोड़ा ज्यादा समय दें ।

एक माननीय सदस्य : ये सीलिंग को मानते हैं ।

श्री सभापति : मालूम हो जायेगा ये सीलिंग को मानते हैं ।

श्री मूलचंद डागा : ये मानते हैं ।

श्री सभापति : अभी मालूम हो जायेगा ।

श्री रामानंद अग्रवाल : सभापति महोदय, गंगानगर जिले में जो आंदोलन पिछले दिनों में चला है उसमें क्या कुछ उपलब्धियां हम कर पाये हैं और क्या कुछ उपलब्ध करना बाकी है, इस बात पर विचार करने से पहले मैं एक बात के लिये गंगानगर जिले के किसानों और इस किसान आंदोलन के नेताओं को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस राज्य में आजादी आने के बाद, जहां राज्य स्तर पर, अखबारों में, विधान सभाओं में, सरकार की बातचीत में, राजाओं के प्रिवीपर्स, उनकी समाप्ति, जागीरदारों के मुआवजे, उनको कितनी जमीन खुद काश्त के लिये दी जाये, इन प्रश्नों पर विचार होता था । इन प्रश्नों पर बातचीत होती थी । गवर्नमेंट इसमें अपना समय लगाती थी । इनके साथ बैठ कर कितने ही दिनों तक बातचीत करती थी । यह किसान आंदोलन की देन है कि राजस्थान के राज्य को, राजस्थान की इस विधान सभा को, राजस्थान की सरकार को यह महसूस हुआ कि राजस्थान के अन्दर रहने वाले किसान एक शक्ति हैं । वे अपने हितों के लिये सरकार के राज्य सरकार के तरीकों में हस्तक्षेप कर सकती हैं । राज्य को यह कह सकते हैं कि जिस तरह से बैलों की तरह किसानों को यह सरकार हांकना चाहती है, उस तरीके से हम नहीं हंकने वाले हैं । संगठित होकर राज्य की नीति किस प्रकार से चले, राज्य की जमीन के बारे में नीति क्या हो, राज्य के टैक्स के बारे में नीति क्या हो, राज्य की विकास के बारे में नीति क्या हो और राज्य की जनतंत्र के बारे में नीति क्या हो, इस बारे में किसान को सुनना पड़ेगा, किसान की आवाज के बारे में विचार करना पड़ेगा और विचार करके ही इन नीतियों को तय करना होगा ।

सभापति महोदय, इस आन्दोलन के सम्बन्ध में जब विधान सभा चल रही थी गंगानगर किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में बातचीत सरकार के साथ हो रही थी इस आन्दोलन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं । इस तरह से राजस्थान के किसानों में एक वर्ग चेतना जागृत हुई है । यह गंगानगर जिले में ही हुई हो यह बात नहीं यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सारे राजस्थान में फैलेगी और किसानों को यह महसूस करायेगी कि उनके साथ क्या न्याय और क्या अन्याय हो रहा है और इस दृष्टिकोण से हर जिले का किसान संगठित होकर अपने हकों को मनवाने के लिये आगे बढ़ेगा। इस सामन्तवाद छाये हुए प्रान्त में किसान अपने राजनैतिक भूमिका अदा करने के लिये अग्रसर हो सकेगा। मैं इस बात को मानने वालों में से हूं नहीं कि किसान संगठित शक्ति के रूप में खड़ा हो और आन्दोलन करे और उस आन्दोलन का कुछ नतीजा न निकले। इस रूप में मैं समझता हूं गंगानगर का किसान बड़ी बहादुरी से अपनी मांगों के लिये लड़ा है और सरकार के दमन चक्र का मुकाबला किया है और इस आन्दोलन के द्वारा महत्वपूर्ण नीतियों के प्रश्न पर सरकार को मजबूर करके उसमें तबदील करने में कामयाब हुआ है।

सभापति महोदय, जहां तक जमीन की नीलामी का प्रश्न है इस बारे में इस सदन में बराबर विरोध होता रहा है और सरकार पर यह जोर डाला है कि सरकार किसी भी तरह से जमीन की नीलामी न करे। वह भूमिहीनों को अलोट होनी चाहिये लेकिन उसको सरकार ने नहीं माना। आखिर इस प्रश्न को भी आन्दोलन के जरिये ही तय करना पड़ा और इस तरह से महत्वपूर्ण नीति में परिवर्तन करने के लिए सरकार को मजबूर किया है यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यह भी निवेदन कर दूं राज्य सरकार अगर कहीं भी नीलामी की नीति अपना रही हैं जैसे कस्टोडियन जमीन हो, नोन प्रोजेक्ट एरिया को जमीन हो, आज भी यदि नीलाम करती है तो सही तौर से आपने जो नीति यहां घोषित की है उससे आपके एक्शन विपरीत माने जायेंगे। आपको चाहिये किसी भी क्षेत्र में किसी भी नीलामी प्रथा को आप खत्म कर दें और वह जमीन हकदारों को या भूमिहीनों को अलोटमेंट की जानी चाहिये।

सभापति महोदय, बातचीत के दौरान सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि जितनी भूमि नीलाम की गई है वह 2700 एकड़ भूमि वितरित की गई है उसको भी आप कानूनी पहेलू देखकर, उसको रद्द कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में इस तरह का कदम उठायेंगे इस बारे में भी मुख्य मन्त्रीजी की घोषणा में कुछ नहीं कहा गया। मैं समझता हूं सरकार अपने हाथ में आप्शन रखती है जब तक सरकार सेंक्शन नहीं कर दे सेल्स कम्पलीट नहीं होते हैं। अगर नीति के रूप में मान लिया गया है कि नीलाम की हुई 2000 एकड़ भूमि को केन्सिल करके वह भूमिहीन परिवारों को देना चाहिये। इसमें आप सौ से अधिक परिवारों को खपा पायेंगे।

सभापति महोदय, गंगानगर आन्दोलन के मुख्य चार हिस्से थे उसमें जमीन का भी सवाल था जिसमें पुराने खातेदारी हकूक, जमीन का अलोटमेंट कम कीमत में और वह भी किश्तों में इस तरह के सवालात थे। दूसरे सवालात टैक्सेज के सम्बन्ध में थे लगान सरचार्ज कोमर्शियल क्राप्स पर सेस, बैटरमेंट लेवी इस किस्म के मुद्दे थे।

तीसरे पानी से सम्बन्धित मांग थी गंगानगर भाखरा इन कैनाल्स से जो पानी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मिलता है उसके रेट्स में असमानता है इस कारण लोगों में असन्तोष था ।

चौथी मांग विकास से सम्बन्धित थी । ये चार बातें थीं जिनके कारण गंगानगर की जनता को आन्दोलन का सहारा लेना पड़ा । इनमें से भी जो खास तौर से पानी और लगान से सम्बन्धित मांगें थीं उसके कारण किशानों को, भूमिहीन किसानों को छोटे किसानों को, मध्यम श्रेणी के किसानों को, बड़े किसानों को प्रभावित कर रही थी ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार ने जो घोषणायें की हैं उन घोषणाओं को हमें अलग अलग रूप से देखना होगा । हम यह महसूस करते हैं कि जहां तक खातेदारी के सवालात हैं उनको जिस तरह से गवर्नमेंट ने हल करने की कोशिश की है वह हल मैं सही दिशा में मानता हूं । उनमें कुछ त्रुटियां महसूस करते हुए भी उसकी दिशा सही है । कुछ लोगों की तरफ से मांग उठी थी कि जो भूमि जिसके कब्जे में है उस पर उसको खातेदारी हकूक मिल जाने चाहिए । सभापति महोदय, हम इस बात को दूषित नहीं समझते । राजस्थान के अन्दर भूमि सुधार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सीलिंग लागू करके भूमिहीन लोगों को अधिक से अधिक जमीन उपलब्ध हो सके इस बात के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । राजस्थान सरकार सीलिंग मुकर्रर करके राजस्थान कैनाल एरिया में सीलिंग के सम्बन्ध में जो मामले पेण्डिग थे उसके बारे में निर्णय दिया है कि सीलिंग तक लोगों को खातेदारी हकूक मिलेंगे उसमें से एक मुरब्बा जमीन फ्री और बाकी जमीन रिजर्व प्राइस पर दी जायेगी । अलबत्ता यह मानते हैं कि पुरानी जो काश्त है जो दूसरों की मिल्कियत थी उनको भी सीलिंग तक भूमि बगैर किसी कीमत के मिलनी चाहिए उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्ज लिए जाने चाहिये इसमें गवर्नमेंट की नीति में असंगति है । दो मुरब्बा जमीन जहां फ्री दी गई उसमें जमीन रिजर्व प्राइज पर दी गई । राजस्थान कैनाल एरिया में 28 से पहले लोगों को इस प्रकार कन्सेशन नहीं दिया गया था । इस प्रकार के भेदभाव में जस्टिफिकेशन नजर नहीं आता ।

पैंतालिसा गांव : जहां पर एक पर्टीकूलर लोगों का प्रभाव है वहां पर आपने यह तय किया है कि दो मुरब्बा मुफ्त दी जाये और दूसरी जगह के लिए एक मुरब्बा किया गया है यह न्याय संगत नहीं है । जहां आपने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि खातेदारी राइट्स सीलिंग सीमा तक दिये जायेंगे और भूमिहीनों को ज्यादा जमीन दी जायेगी यह आपकी सही दिशा है । इससे बड़े बड़े जमीनों के मालिकों में असन्तोष होगा यह स्वाभाविक है कि उन पर सीलिंग मुकर्रर करते हैं तो असन्तोष होगा ही लेकिन आज जिस तरह के भूमि सुधार हम करना चाहते हैं वहां बहुसंख्यक लोगों के हितों का ध्यान में रखना अनिवार्य है । इसके साथ साथ जहां जहां अनोमोली मालूम हो उस बारे में सरकार को पुन: विचार करना चाहिए ।

सभापति महोदय, जहां तक खातेदारी का सवाल है विलेज सरवेन्ट्स के लिए उनको हकूक नहीं मिले थे, अब आपने उनको देना स्वीकार कर लिया है । पूरी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जमीन पर खातेदारी हकूक मिलेंगे 25 बीघा तक अगर जिसके पास इतनी भूमि नहीं है वह पूरी कर दी जायेगी यह मांग थी वह मांग पूरी हो गई यह आंदोलन की बड़ी उपलब्धि में एक है।

सभापति महोदय, जमीन के रिजर्व प्राइज के सम्बन्ध में जो सरकार की नीति है वह अभी तक रिएक्शनरी और कन्जर-वेटिव है। हमने मांग की थी कि जो भूमि अलोटमेंट की जाये, भूमिहीनों के सिवाय उन लोगों को भी जिनसे डवलपमेंट चार्जेज भी ले लिए अब आप बारानी इलाके से भूमिहीन लोगों को अलाटमेंट फ्री कर रहे हैं। जहां तक इरिगेटेड लेण्ड के रिजर्व प्राइज का 100 रुपया जो आधार रखा है इसके दो काम्पोनेन्ट पार्ट हैं। एक तो बारानी जमीन की कीमत और दूसरे डेवलपमेंट चार्जेज जिसको हम बैटरमेण्ट लेवी के रूप में कहते हैं, उसी का हिस्सा है। हमारी मांग थी कि खास तौर से किसान सभा की तरफ से यह जमीन की कीमत जो बारानी प्लस बैटरमेंट लेवी खातेदारी से वसूल की जाय, उसमें यह प्रपोरशन होना चाहिये। जो बैटरमेंट लेवी तय करें एक मुरब्बा प्लस उसमें बारानी जमीन की कीमत जोड़कर तय की जानी चाहिये। अगर बैटरमेंट उसका नान वैरायबिल कान्सटेन्ट है, स्थायी रकम है और दूसरे से बैटरमेंट लेवी आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट से और दूसरी चीजों से सम्बन्धित करते है। आप इस कीमत को नान वैरायबिल क्यों बनाते हैं। बारानी की जमीन कान्स-टेन्ट है और आप उस विकास की बैटरमेंट लेवी वसूल करते हैं उसमें प्लस बारानी की कीमत वसूल कर लीजिये। आज भी जमीन की कीमत वसूल करने के प्रति आपकी वायस नीति है। इस रूप में आपने जो निर्णय दिया है उसमें जमीन की कीमत को उतना ही रखा है जबकि कीमत शुरू में गंग केनाल में और चम्बल में 7 हजार मुरब्बा थी, अब आपने 17 हजार मुरब्बा कर दिया है, 10 हजार उसमें बढ़ाया हैं। किसान सभा से बातचीत कर रहे थे और उसने निगोसियेन्स में बैठना तभी स्वीकार किया जब प्रिलिमिनरी टाक हुई थी उसमें आपने यह प्रिन्सिपली एग्री किया था कि कीमतों को सब्सटेन्सियली रिड्यूज किया जायगा-यह आपने घोषणा की थी। जहां तक छोटे किसानों का सम्बन्ध है, गरीब किसानों का सम्बन्ध है, भूमिहीन किसानों का सम्बन्ध है उनके लिये आप हमदर्दी रख सकेंगे। बड़े लोग उनको विकास का बोझ अवश्य उठाना पड़ेगा। इस प्रिन्सिपल की आप स्वीकार करते हैं लेकिन आप उनको अमल में नहीं लाते हैं। सभापति महोदय आपने उन उसूलों को नहीं माना, चाहे किसी तरीके आप दब गये हो। बड़े लोगों से आपको डर लगता है और छोटे, गरीब किसानों पर आप हावी हो जाते हैं। आदिवासी और गरीब हरिजन काश्तकारों से वसूल करते आप नहीं हिचकिचाते हैं।

हम इस उसूल को मानते हैं कि आज राजस्थान का इकोनोमिक बेसिस इतना कमजोर नहीं है कि एक योजना बनादें और दूसरा हिस्सा उसका लाभ ले। हमें अपनी योजनाओं को सेल्फ सफिशियेन्स बनाना होगा। इस विकास के बोझ को जितने सक्षम हैं, जितनी कैपेसिटी है उसके अनुपात में उसमें डाला जाय तो इस सिद्धांत

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को हम सही मानते हैं। परन्तु आज आप उसको लागू न करके, आपका सिद्धान्त तो आज यह है कि कौन तबका है जो कमजोर है कौन तबका है जिसमें रेसिसटेन्स पावर नहीं है उस तबके पर आप ज्यादा से ज्यादा बोझ डालना चाहते हो और जो तबका मुकाबला कर सकता है, जो राजनैतिक तौर से संगठित है, जो अपोजीशन कर सकता है उस तबके के ऊपर आप बोझ डालने से कतराते हो। आपकी जो प्राइस पोलिसी है उसको जिस तरह नीलामी की पोलिसी को चैन्ज किया है उसी तरह आपको प्राइस की पोलिसी को चैन्ज करना चाहिये। बेटरमेंट लेवी और बैरेन लैण्ड की कीमत इस बुनियाद पर बेटरमेंट लेवी को तय कीजिये जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वहां की सभी पार्टियां कहती हैं माननीय आर्य साहब और संघर्ष समिति के प्रेसीडेन्ट ने कहा है अपोर्सनेटली अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। उसमें हिसाब किताब बता दिया जाय और बैरेन लैण्ड को निकालकर बेटरमेंट लेवी के रूप में बराबर बांट दिया जाय। बाकी सिद्धान्त तो यह होना चाहिये जिनके पास ज्यादा जमीन है वे बेटरमेंट के रूप में ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। इस तरह का सिद्धान्त आपको स्वीकार करना चाहिये। लेकिन आप अपने आश्वासन से बराबर पीछे जा रहे हैं। आपने किसान सभा को प्रिलिमिनरी टाक में जो इन्डीकेशन दिया था जो आश्वासन दिया था कि प्राइस को सब्सटेन्सियली रिड्यूज किया जायगा, आपने एक पैसा कम नहीं किया है। केवल हरिजनों के लिये आपने इन्सटालमेंट को बढ़ाने की कोशिश की है, वह इन्सटालमेंट कितनी बनती है यह भी मैं जानता हूं। यह बात जरूर है कि पहले साल में उनको इन्सटालमेंट नहीं देनी पड़ेगी। पहले 10 किश्तें थीं और अब 15 किश्तों में वसूल होगा बशर्ते 15 किश्तें बनती हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 किश्तें भाखड़ा ऐरिया में पहले ही हैं। यह 15 किश्तों की बात कोई बड़ी सहूलियत नहीं है। गंग केनाल का अलाटमेंट जब शुरू हुआ तो पुराने राजाओं ने भी 24 किश्तें की थीं। आज जब हम भूमिहीन लोगों को बसाना चाहते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है, जिनकी ताकत नहीं है उसको आप 24 किश्तों में डिवाइड करें। जो कीमत आपने तय की हैं, उसको 24 किश्तों में लेना तय करें तो ठीक है और मंजोर नहीं हो तब तक वसूली नहीं करें। आपने इसमें भी क्लियर नहीं किया है। सिर्फ पहले साल वसूल नहीं होगा दूसरे साल वसूल होगा। दूसरे साल भी पानी नहीं आये तो वसूल नहीं होगा, तीसरे साल भी पानी नहीं आये तो वसूल नहीं होगा वसूली जब होगी जब पानी आयेगा–ऐसी बात करेंगे तब तो आपकी कोई बात है। नहीं तो पहले किश्त नहीं दें, यह कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं 24 किश्तों में बांटना चाहिये और जहां तक किश्तों का सवाल है हरिजनों और गैर हरिजनों में फर्क नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह वीकर सैक्सन है। यह आप कर सकते हैं कि हरिजनों का ज्यादा रिजर्वेशन करिये। एक लाख बीघा जमीन आप हरिजनों के लिए रखें दूसरों के लिये 50 हजार, 50 हजार में बाकी सबको दीजिये लेकिन वह तमाम वीकर सैक्सन है। उनकी कैपेसिटी पे करने की नहीं है। हरि-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जनों और गैर हरिजनों का भेद करेंगे तो यह अनुचित होगा ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं पता नहीं जान बूझकर या इन–ऐडवरटेन्टली जो किश्तों का नियम किया है वह तीनों नहरों में एक जैसा सिस्टम नहीं है अलग अलग है । मैं समझता हूं इसमें कोई जस्टीफिकेशन नहीं है । कहीं दस हैं और कहीं साढ़े बारह परसेन्ट है यह नहीं होना चाहिये । तीनों नहरों में एक जैसी बात होनी चाहिये । एक तो यह अनोमोली गंग कैनाल में और भाखड़ा कैनाल में जो कमी है उनकी पूर्ति करनी चाहिये कहीं रिजर्वेशन प्राइस और कहीं मार्केट प्राइस वसूल कर रहे हैं । वहां पर इस बात को कहा गया था आधा मुरब्बा पर मार्केट प्राइस मांगी जा रही है। तीनों प्रोजेक्ट ऐरिया में एक प्रिन्सिपल कीमतों का एडोप्ट होना चाहिये । जो अलग अलग नियम कर रखा है वह ठीक नहीं है । सभापति महो–दय, जमीन को खारिज करने के सिलसिले में आपने इस सिद्धान्त को माना है कि यह लोगों के ऊपर बहुत हार्डशिप हुई है और इसलिए आपने कहा है कि जिसकी तरफ एरियर्स हैं, उनसे एक तो करेन्ट और एक पुरानी दो किश्तों से ज्यादा वसूली नहीं की जायेगी । लेकिन इस सिद्धांत को आपने स्वीकार नहीं किया कि किश्त नहीं देने के कारण किसी की जमीन से उसको बेदखल नहीं किया जायेगा, उसका अलाटमेंट कैंसिल नहीं किया जायेगा । मैं आपसे निवे–दन करना चाहता हूं सभापति जी आपकी मार्फत कि लैण्ड रेवेन्यू लाज कमीशन ने इस बात की सिफारिश की है कि यह बहुत हार्ड है । अगर किसी की तरफ बाकी रह जाये, एरियर्स वह पे नहीं कर सके तो आप एरि–यर्स को लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूल करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी वसूली के अन्दर प्रप ेनेटली उतनी लैण्ड उससे ले लें जिससे उसका पैमेंट पूरा हो जाये ।

(3.31 म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

आपको वसूल करना है 2 हजार या 5 हजार रुपया और 25 बीघा का अलाट–मेंट कैंसिल कर दिया जैसा कि अभी तक हुआ है कि जो किश्तें दीं वह गई और जमीन भी गई – इस तरह के तमाम कैसेज को आपको रीओपिन करना चाहिए । जब आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जिसकी जमीन कैन्सिल हो गई, जमीन छिन गयी उनके कैसेज आप री-ओपिन कीजिये और उनका पुरानी किश्तों को एडजेस्ट कीजिये और आगे से जमीन उनके पास रखने के लिए आप अपने एरियर्स वसूल करें, एज लैंड रेवेन्यू एरियर्स वसूल करें वह चाहे उसकी जमीन से हों या दूसरी प्रापर्टी से हो । आप उससे वसूल कर सकते हैं । यह तरीका आपको अपनाना चाहिए ।

(समय - समाप्ति - सूचक घंटी)

सभापति महोदय, थोड़ा टेम्प्रेरी अलाटेज के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो घोषणा सरकार ने की है यह पहले वाली स्थिति से काफी सन्तोषजनक स्थिति है। एक आदमी ने पांच सौ रुपया और हजार रुपया उसके उपर सरचार्ज तक भरा, एक्सप्लाइटेशन आपने किया हुआ था और जो अलोटमेंट का सिस्टम था उसके अन्दर अब

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह लाटरी सिस्टम और उसके अन्दर फिक्स्ड लगान का सिस्टम जारी किया है, यह मैं प्रिन्सिपली ठीक मानता हूं लेकिन चार गुना आप वसूल करते हैं यह कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। अगर लैण्ड का असेसमेन्ट हो गया होता, सेटलमैन्ट हो गया होता और सेटल्ड रेट इसी तरह की जमीन का है उससे ज्यादा वसूल करने का अधिकार आपको नहीं है और उससे ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप भूमिहीनों को एक्सप्लाइट करना चाहते हैं। जब उसको परमानेन्ट अलाटमेन्ट हो जाये वह आदमी तो तसल्ली से उसके अन्दर मेहनत भी करता है और जो टेम्पोरेरी अलाटमेन्ट है वह एक साल में ही कुछ करना चाहता है उससे ज्यादा आप वसूल करें लगान सेटल्ड रेट से यह अनुचित है। इसलिए जो आज भी स्थिति है वह पहले वाली स्थिति से अच्छी है लेकिन इसमें जो लेकुना रहा है इसको दुरुस्त करना चाहिए।

रिफ्यूजीज के बारे में कहा कि हम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को लिख रहे हैं–इतना कहना काफी नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा कि आज यह भेदभाव है और डिस्क्रिमिनेशन है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने सारी जमीन आप को ट्रान्सफर कर दी और इस नाते अलवर और भरतपुर जिले में जिस तरह से 150 रुपया स्टेन्डर्ड एकड़ लिया जा रहा है वह आप लागू करें। आप की इस घोषणा ने इस बात को अंध कुए में छोड़ दिया गया है। यह दुरुस्त नहीं है।

इसी तरह से जो सीमा पर लोग बस रहे हैं, पंजाब ने ऐसे सीमा पर बसने वाले लोगों को कन्सेशन्स दिये हैं और अपने को भी कन्सेशन्स देने चाहिए। इससे अपना डिफेन्स मजबूत होगा, उनका मारेल मजबूत होगा। टेल तक पानी पहुंचाने के लिए आपने घोषणा की है जो कि बहुत अनिश्चित है। बहुत कठिनाई से वह पहुंचेगा परन्तु कीमतों के बारे में, किश्तों के बारे में, लगान के बारे में आप कुछ कन्सेशन्स जो पंजाब ने दिये हैं वही बराबर के यहां आप घोषणा करें तो मैं समझता हूं कि बहुत न्यायपूर्वक बात होगी और ऐसा होना भी चाहिए।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें आप।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, अलाटमेन्ट के संबंध में आपने 25 बीघा या एक मुरब्बा एक भूमिहीन परिवार को अलाट करना स्वीकार किया है। किसान सभा की मांग थी और हम इसको दुरुस्त समझते हैं और 50 बीघा और 2 मुरब्बा वाली बात तो दुरुस्त नहीं थी। दो मुरब्बा तो आज सीलिंग ही है। दो मुरब्बा का मतलब 31·2 एकड़। जबकि 30 स्टेन्डर्ड एकड़ की सीलिंग है। इसका सीधा मतलब हम यह समझते हैं कि भूमिहीनों को दो मुरब्बा मिलने के बाद बड़े लोग आवाज उठायेंगे कि दो मुरब्बा तो भूमिहीनों को दी है तो सीलिंग फिर इससे डबल होना चाहिए। तो इसको हम सीलिंग बढ़ाने की मांग समझते हैं और यह भूमिहीनों के हित की बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि भूमिहीनों से क्या मतलब। मेरे बाप के पास 30 एकड़ है और 5 बच्चे हैं और हर लड़के को दो-दो मुरब्बा जमीन मिल जाये तो इस तरह से परिवार में 12 मुरब्बा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हो जाये और 6 परिवार उसको समझा जाये। सभापति महोदय, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी कल्पना ऐसे भूमिहीनों को जमीन दिलाने की नहीं है। हम उन भूमिहीनों को जमीन दिलाना चाहते हैं जो कि मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन आज जमीन उनके पास नहीं है। वह हरिजन, आदिवासी, छोटे किसान जिनके पास जमीन नहीं है जो कि केवल परिवार के बंटवारे के नाम पर भूमिहीन बनना चाहते हैं। तो सभापति महोदय, यह एक मुख्वा की बात स्वीकार की है यह किसान आन्दोलन की सही दिशा के अन्दर मांग पूरी हुई है।

दूसरी समस्या जो कि टैक्सों के संबंध में थी। उनके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों की तरफ से यह प्रस्ताव सरकार के सामने पेश किया गया था कि आज यह जो तरीका टैक्स लगाने का किसानों के ऊपर लगान का या और तरीके का यह साइन्टिफिक नहीं है। आमदनी का आधार टैक्स का होना चाहिए और इस बुनियाद पर इन तमाम टैक्सों को हटाकर एग्रीकल्चरल इन्कम के आधार पर लगा दें। हमें अफसोस है कि मुख्य मंत्रीजी पहले इसके बारे में उत्साहित मालूम पड़ते थे लेकिन पता नहीं किन प्रेशर्स के कारण उस आइडिया को उन्होंने ड्राप कर दिया। फिर भी जब तक एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स नहीं लगे तब तक टैक्सेशन ग्रेडेड होना चाहिए, इसको हम स्वीकार करते हैं और इस रूप में सभापति जी यह सदन जानता है कि हम सरचार्ज लगाने के पक्ष में रहे हैं और जिनके पास अनइकानॉमिक होल्डिंग हैं उनसे कोई लगान नहीं लिया जाये हमने मांग भी की है सरकार इस बात को लागू करके पीछे चली गयी है। यह सारे राजस्थान का आन्दोलन है, केवल गंगानगर जिले से संबंधित नहीं था इसलिए केवल उन्हीं की मांगों से संबंधित नहीं है लेकिन हम यह मानते हैं कि सरचार्ज का सिस्टम जारी करके एक ग्रेडेशन लगान के अन्दर जरूर हुआ है। बारानी जमीन का 25 परसेन्ट इन्क्रीज और जो इर्रीगेटेड लैण्ड है उस पर बारानी जमीन का प्लस 1।। रुपया और प्लस साढ़े 12 परसेन्ट इन्क्रीज-यह कुल मिलाकर उस मुकाबले में जो सरकार ने दस, ग्यारह गुना बढ़ा दिया या लगान-जिसका एक रुपया लगान था उसका 10 रुपया कर दिया था जिससे दुबारा असन्तोष था-यह जो सरकार का निर्णय है मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन की एक बड़ी जीत है। किसान आंदोलन ने पूरी नहीं सही परन्तु 90 परसेन्ट इसमें कामयाबी हासिल की है कि सरकार जो 10 गुना बढ़ाना चाहती थी उससे सरकार को रोक दिया और केवल 25 परसेन्ट और साढ़े 12 परसेन्ट से ज्यादा नहीं बढ़ाने दिया। तो यह किसान आंदोलन की काफी अच्छी जीत है।

सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, लेकिन इस संबंध में जो कामर्शियल क्राप्स के ऊपर टैक्स सरकार ने वापिस लिया यह आन्दोलन की एक अच्छी सीधी साधी जीत है और वह टैक्स जो था इर्रिगेशन के ऊपर सरचार्ज वह सरकार ने कायम रखा है और यह कार्मशियल क्राप्स पर टैक्स वापिस लिया है यह एक बड़ी चीज है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आन्दोलन की। लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से चालाकी से छीनने की कोशिश की है, बल्कि उन तत्वों को जिन तत्वों को माननीय मुख्य मन्त्रीजी यह कहते हैं कि जो छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनको वे हैल्प करना चाहते हैं। आपने सरचार्ज और इरिगेशन के पांच रुपये एड-हाक थे उसको आपने कायम रखा था तो यह दो टैक्स थे तो उन दोनों के वापस लेने की मांग थी तो उसमें से एक वापिस हुआ जहां तक किसान सभा का ताल्लुक है उससे उसको सन्तोष हो सकता है, लेकिन जो आपने गेहूं, जो आपने चने पर जो आपने जौ पर, जो आपने बाजरे पर...

श्री रामप्रसाद लड्ढा: चने पर कोई नहीं बढ़ाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: चने पर 9 रुपये का 12 रुपये किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 12 चम्बल में है, यहां तो नौ ही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चने का पहले 9 था 4 और 5।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह 9 ही है। आज की तारीख में जो मुख्य मन्त्रीजी का वक्तव्य हुआ है उसमें 12 नहीं हैं।

श्री नत्थीसिंह : चम्बल में बढ़ा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चम्बल में 12 है तो हैं।

श्री रामनन्द अग्रवाल : यह घोषणा आपकी उसमें नहीं थी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसलिये नहीं थी कि 9 से 12 वहां पर नहीं किये गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जौ पर आपने बढ़ाया है और आपने बाजरे पर बढ़ाया है।

सिद्धान्तत : हम यह कहना चाहते हैं कि कार्मशियल क्राप्स पर सेस क्लियरली आपने वापस लिया है और इरिगेशन टैक्स और जो सरचार्ज आपने वापस रखा है इसके अलावा जिन-जिन फसलों पर कोई ऐसा टैक्स आपने बढ़ाया है, कोई ऐसा इरिगेशन टैक्स बढ़ाया है जो कि आन्दोलन के पहले नहीं था वह किसानों पर लगाना वाजिब नहीं था। नमाज छुड़ाने गये और रोजा गले डाल दिये। गेहूं की फसल जिसके पास एक मुरब्बा जमीन है वह किसान 5 बीघे में कार्मशियल क्राप्स करता होगा और 20 बीघे में गेहूं बोता है या वैसी ही क्राप्स बोता है तो गेहूं पर टैक्स लगाकर 5 बीघे पर आपने रियायत दी है और 20 बीघे पर 40 रुपये आपने ठोक दिये हैं। 5 बीघे करीब हुए तीन एकड़ के तो उस पर आपने 18 रुपये की रियायत दी है और 20 बीघे पर 40 रुपये आपने उस पर ठोक दिये हैं तो इस तरह से 22 रुपये आप उस पर बढ़ा रहे हैं। यह किसी तरह का जस्टिफिकेशन नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि कहीं पर यदि ट्रस है तो उसके अन्दर कम से कम स्टेट्स को मैन्टेन किया जाता है उसमें एग्रेशन एलाउड

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं होता है। आप इसके अन्दर उलटे गेहूं पर बढ़ाकर गरीब किसानों की बात करते हैं। जिनके पास कई मुरब्बे जमीन हैं वे करते गन्ना, कपास, जीरा, सरसों और जिसके पास एक ही मुरब्बा है वह गेहूं करता है ज्यादातर। तो यह बड़े लोगों पर टैक्स हटाकर छोटों पर डालने की आपकी नीति है। इसलिए हम यह कहेंगे कि में आन्दोलन से पहले जितना टैक्स था उसमें बढ़ोत्तरी करने का कोई सवाल नहीं है। इस रूप में गेहूं पर, बाजरे पर, जौ पर जो भी बढ़ोत्तरी है उसको घटाना चाहिए। बाकी जो बढ़ोत्तरी करके कैश क्राप्स पर बढ़ाया है तो उसको बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसको ठीक दिशा में ही समझते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : 40 मिनिट हो चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बेटरमेंट लेवी...

श्री सभापति : 5 मिनिट में समाप्त करें।

श्री मदनसिंह : इनको, साहब, समय दे देना चाहिए। इन्होंने ही तो सारे समझौते का आधार बनाया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें थोड़ा सा समय और दें। मैं सारी समस्याओं पर 10 मिनिट ही बोलूंगा।

सभापति महोदय, जहां तक बेटरमेंट लेवी का सवाल है; मैं पहले इस बात का निवेदन कर चुका हूं कि हम सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो विकास होता है उस विकास के जरिये जो सक्षम वर्ग है, समाज के जिस वर्ग का भी विकास होता है, उस वर्ग को उस विकास का मुआवजा सरकार को रेवेन्यूज के रूप में दे देना चाहिए। इसलिए बेटरमेंट लेवी के बारे में हम खिलाफत नहीं करते है, वैसे बेटरमेंट लेवी, जैसा टैक्स होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम यह मानते है कि जो नीचे का तबका है खास तौर से हम यह समझते हैं कि एक मुरब्बा तक वाले लोगों पर बेटरमेंट लेवी नहीं होनी चाहिए, और आगे ग्रेडेड तरीके से उसको करें यानी जो ज्यादा बड़ा है, वह ज्यादा बोझ उठाये और जिसके पास थोड़ी जमीन उहो, सके ऊपर कम हो। अभी 5 एकड़ तक रकबा जो कि 8 एकड़ तक ही होल्डिंग पर पहुँचेगा इतना ही एक्जेम्प्ट किया है और साथ ही अपने इन्टेन्सिटी का फार्मूला आपने लागू किया है मैं निवेदन करूंगा कि इन्टेन्सिटी का फार्मूला एक व्यवहारिक फार्मूला नहीं है। वह अनावश्यक तौर से भ्रष्टाचार को जन्म देगा। आपका नहरी महकमा आज जितना नोटोरियस है वह आप जानते है और किसानों को इतने छोटे कर्मचारियों की मर्सी पर छोड़ना उचित नहीं होगा फिर भी किसी तरह से उसको लिंक अप करना चाहते हैं तो कास्ट वाली बात को मदद देगा। किसान की एक्चुअल कास्ट है, जो उसकी कास्ट है, जो खसरा गिरदावरी में दर्ज है उसके बेसिस पर इन्टेन्सिटी को बांधें और वह इन्टेन्सिटी के बेसिस पर लिया जाय। लेकिन जो मौजूदा सिस्टम हैं उसमें बेटरमेंट लेवी का हिसाब नहीं है। किसान को यह पता नहीं कि उसने कितना दे दिया और न वह बता सकते हैं कि कितना पेमेन्ट करेगा ताकि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वे ग्रेचुएटी तक पे करते ही चले जायेंगे। यह ठीक तरीका नहीं है।

इसी तरह से लगान में जो हुई मुई का सिस्टम लागू किया है वह आम तौर से फसल पर होना चाहिये। फसल बोये उस पर नहीं बल्कि फसल कटे उस पर हुई मुई का सिस्टम लागू होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक पानी का सवाल है उसमें आपने यहां पर नान-पेरिनियल कैनाल्स को राजस्थान कैनाल पानी डाइवर्ट करके पेरिनियल बनाने का और इन तीनों का ग्रिड सिस्टम बनाने के बारे में विचार किया था और उस दिशा में कदम उठाने की बात कही थी। मैं समझता हूँ कि अगर कुछ फण्ड्स और देंगे जो कि देने चाहिए खास तौर से अपने राजस्थान में यह पहला इलाका है कि जहा पर तीन नहरें हैं, जिससे कि सारे राजस्थान का फायदा होगा। नहरों को दुरुस्त करने के लिए फण्ड्स देने चाहिए ताकि नहरों का हम पूरा उपयोग कर सकें।

जो सरकार ने घोषणाएं की हैं, उनका इमीजियेटली इम्प्लीमेन्टेशन करें, और कुछ फण्ड्स थे और दें तो वह समस्या उस दिशा में हल हो सकती है।

मोतीराम कमेटी बना रहे हैं तो इस आन्दोलन में जो शरीक थे और नैगोसियेशन्स करते समय जिन पार्टियों से विचार किया था उनको उसके साथ में और एसोशियेट करें तो वह मदद कर सकेंगे और पानी का इन्टरनल डिस्ट्रिब्यूशन और एक्स्टरनल इनफ्लो कुछ तरीके से पूरा हो सकेगा। वे कन्स्ट्रक्टिव सजेशन्स दे सकेंगे। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बात पर भी आप विचार करें।

अलाटमेंट कमेटी रूल्स के सम्बन्ध में आपने घोषणा की थी। अभी तक वह कमेटी कन्स्टीट्यूट हुई नहीं है, तो उन नेगोशियेटिंग पार्टीज को उसमें लें।

आपने इन्क्वायरीज के लिए कमेटी बनाई है तो यह जो जमीनों की चोरियां हुई थीं तो यह इस आन्दोलन की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वे सामने आई हैं। इस सदन के अन्दर बड़े अर्से से हम आवाज उठाते आ रहे थे कि फलां पूंजीपति के पास 5 हजार बीघा जमीन या मालपाणी के पास इतनी जमीन है, तो वे बातें सही साबित हो रही हैं। वे जमीनें पकड़ी गई है। 6 हजार बीघा किसी के पास है, 5 हजार बीघा किसी के पास है और 2 हजार बीघा किसी के पास है। उनकी फसलें कुर्क हो रही हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इस बारे में मजबूती से कदम उठायेगी। आज भी कुछ वकालात की जाती है इस बात की कि दूसरे जिलों के लोगों को मिलना चाहिए। दूसरे जिले वालों को मिले मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि सारी जमीन राजस्थान की है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी उस बात को कहा। लेकिन आज भी जमीन वहां एलाट करते हैं तो पहले उस गाँव वाले भूमिहीन को एलाट करते हैं, फिर उस तहसील वाले को एलाट करते हैं, फिर उस जिले वाले को करते हैं और फिर राजस्थान वाले को करते हैं। जब तक गंगानगर जिले में गंगा-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नगर का व्यक्ति भूमिहीन रहेगा तो बाहर वालों को उस पर हक नहीं है । मैं नहीं चाहता कि अलवर वालों को वहां पर बसाया जायगा और गंगानगर वाले बैठे रहेंगे । माननीय मुख्यमन्त्री नहीं चाहेंगे कि उदयपुर वालों को ही वहां पर बसाया जांय । जोधपुर के कितने ही नेताओं ने गलत तरीके से वहां पर बेईमानी तरीके से जमीन एलाट करवाई है । आज वे घूम रहे हैं कि और आज पैसा वापस मांगा जा रहा है । उन्होंने बड़े बड़े नेताओं ने जमीनें वहां दिलाने का वायदा किया था । वे कह रहे हैं कि या तो जमीनें दिलाओ या मेरा पैसा दिलाओ । आज ये सारे के सारे मामले उखड़ रहे हैं और सारे का सारा पाप का घड़ा फूटने वाला है । अभी तो टेम्परेरी एलाटमेंट का ही हुआ है अगर परमानेन्ट का कर दिया जायगा तो बड़े बड़े आफिसर्स की जमीनें निकलेंगी । और मैं यह समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस तरह के मामलों में मजबूती से अपना सहयोग देंगे । आपके ऊपर प्रैशर आयेगा, और काफी प्रैशर आयेगा और आप इस प्रैशर से दबेंगे नहीं । यदि जमीनें भूमिहीनों को देना चाहते हैं तो कितनी ही जमीन और निकलेगी और परमेंनेन्ट एलाटमेंट कितने ही केन्सिल होंगे । इस कमेटी को पूरी ताकत दी जाय और पूरे अधिकार दिये जायं मैं उस बारे में सुन रहा था, कुछ लोग कह रहे थे, उपनिवेशन मंत्रीजी, इन बातों को छोड़िये, नहीं तो आपका विभाग छीन लिया जायगा । मैं नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि यह मंत्रि–मण्डल की, मुख्य मंत्री की बात है । मैं समझता हूं, अगर सरकार वास्तव में सिन्सिअर थी तो इस आपरेशन को बड़ी तेजी के साथ चलाया जाना चाहिए, ताकत के साथ चलाया जाना चाहिए, स्पीड के साथ चलाया जाना चाहिए, तब ही हम राजस्थान के भूमि चोरों से भूमि को निकाल कर वास्तव में भूमि भूमिहीन किसानों को दे सकेंगे ।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं गोली काण्ड और उसकी जांच के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मेरा निवेदन है, यह जो भादरा, चूरू और सांगरिया के अन्दर गोली काण्ड हुए, उसके बारे में जुडिसियल इन्क्वायरी बैठा दी गई है । लेकिन हमारी मांग थी कि वहां पर जो आफिसर हैं, जो गोली काण्ड के लिए जिम्मेवार हैं, उनको वहां से तब्दील किया जाय । एक यह मांग थी कि सीट आफ इन्क्वायरी....

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय, आज जो हमारा लिमिटेड सब्जेक्ट है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सब उसी के साथ आ जाता है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह व्यवस्था हो चुकी है कि दस तारीख को गोली काण्ड के सम्बन्ध में भी विचार किया जायगा । यह प्रश्न इस सदन में उठाया गया था, उस समय इस पर यह व्यवस्था हो चुकी है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह व्यवस्था नहीं हुई है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज भी वह अधिकारी वहां बैठे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है गोली

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

काण्ड की, जिनके ऊपर आरोप है। कम से कम चूरू के सम्बन्ध में तो सरकार ने कहा था कि गोली अनधिकृत रूप से चलाई गई। वहां की स्थिति तो उस तरह से है लेकिन फिर भी सरकार उनको पैसा दे रही है, सरकारी पैसा उनको दिया जा रहा है डिफेन्स के लिए और जो शहीद हुए हैं उनको बाहरी मदद, जनता के चन्दे आदि के ऊपर निर्भर करना पड़ रहा है। सरकार ने अभी तक यह आश्वासन नहीं दिया है...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय रामानन्द जी ने कहा कि गंगानगर की भूमि है वह गंगानगर के किसानों के लिए एक्सक्लुजिवली रिजर्व रखनी चाहिए...

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं, नहीं–मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री नत्थीसिंह : प्रायोरिटी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसा नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्राथमिकता दी जाय। इसकी एक हद तक मैं ताईद करूंगा, मेरी सहानुभूति है किन्तु मैं अनुभव करता हूं राजस्थान कैनाल एक राष्ट्रीय योजना है, इसलिए उसको एक संकीर्णता की भावना से नहीं लेना चाहिए...

श्री रामानन्द अग्रवाल : कम्युनिस्ट से यह उम्मीद मत करना, महारावल साहब!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : राजस्थान की जनता की वह कामन वेल्थ है, उसके अन्दर सबका अधिकार है। मैं यह नहीं कहना चाहता, रामानन्द जी तीन घण्टे तक बोलें–यह आसन का विषय है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन आखिरकार समय का बंटवारा भी कुछ होना चाहिए– इसका कोई महत्व इस विधान सभा में नहीं है? मैं समझता हूं ट्रेजरी बेंचेज सब बिल्कुल दब चुकी हैं इसके अन्दर। खैर, कोई हर्ज नहीं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा निवेदन यह करना है, आखिरकार राजस्थान तो एक राज्य, एक इकाई मान कर चलना है। गंगानगर कोई सोवरिन स्टेट नहीं है। इतना ही कहते हुए मैं निवेदन करूंगा, गंगानगर के अलावा राजस्थान के नागरिकों का कुछ न कुछ अधिकार तो हैं ही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अभी खत्म करता हूं। माननीय स्वतंत्र पार्टी के नेता जरा महसूस कर गये। खैर मैं दो तीन मिनिट में खत्म करता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो बातें इन्क्वायरी के सम्बन्ध में इस सदन में पहले रखी गयी थीं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम ट्रान्सफर तो उन अधिकारियों का हो– यह बहुत आवश्यक है। बगैर उसके किसी किस्म की इन्क्वायरी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि वहां जो इंडिपेंडेंट और सही एवीडेंस हैं उनका सरकार स्टाइफल करना चाहती है और उन लोगों को बचाने के बारे में चिंतित है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने इन बातों के ऊपर गम्भीरता से विचार करके निर्णय नहीं लिया तो हमको भी गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा हमें इस बात पर भी विचार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करना पड़ेगा कि आखिरकार इन्क्वायरी की कोइ उपयोगिता है या नहीं ? इसमें भाग लें या नहीं ? इन बातों पर हमको विचार करना पड़ेगा ।

सभापति महोदय, इस सवाल को भी उठाया गया था कि वहां पर मिलिट्री क्यों बुलाई ? वहां पर दो तीन जनवरी को धारा 144 क्यों लगाई ? लोगों की पिटाई क्यों की ? हमने मांग की थी कि सरकार इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि वहां की जनता ने ऐसी कौनसी बात या सिचुएशन क्रियेट कर दी थी कि मिलिट्री को बुलाना जरूरी हो गया था ? जिस तरह से नक्सलवादी की और दूसरी तरह की बात करके वहां पर मिलिट्री बुलाई गई, 144 धारा लगाई गई और लोगों को गिरफ्तार करके पीटा गया । इन सब कार्यवाहियों से जनतन्त्र का गला घोंटा गया है, ताकि लोग आंदोलन न कर सकें, जनता के आंदोलन करने के अधिकार पर कुठाराघात किया गया है । मैं समझता हूं कि जब जूडिसियल इन्क्वायरी इन गोली काण्ड की हो रही है तो वहां इस बात की इनक्वायरी होना निहायत जरूरी है कि क्या राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी कि सरकार को फौज बुलाना बहुत जरूरी हो गया था ? क्या यह जरूरी हो गया था कि धारा 144 लगाई जाय ? क्या यह सही है कि जिन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से धारा 144 को भंग किया उनको 188 में गिरफ्तार करने के बजाय बुरी तरह से पीटा गया है, और बुरी तरह से उनका दमन किया गया है और उनको बुरी तरह से मारा गया है जिसका कोई कानूनी जस्टीफिकेशन नहीं था ? इन सब बातों की इन्क्वायरी होनी चाहिए । मुख्य मन्त्रीजी जो बात चीत हुई थी तब सभी दलों ने, हो सकता है और किन्हीं बातों में मत-भेद दलों में हो, लेकिन इन्क्वायरी के सवाल पर, फौज बुलाने के सवाल पर और दमन करने के सवाल पर एक आवाज से यह मांग की थी । मुझे दुःख है मुख्य मन्त्री जी उसके सम्बन्ध में मौन रहे और मुख्य मन्त्री जी ने उन सवालों का उत्तर नहीं दिया है । इन मांगों और इन बातों के सम्बन्ध में सरकार को विचार करके निर्णय लेना चाहिये और इनकी भी जांच करनी चाहिये ।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 28 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।:

प्रतिवेदन इस प्रकार है :

राजस्थान विधान सभा

कार्य सलाहकार समिति : 28 वां प्रतिवेदन ।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रेल, 1970 को हुई ।

समिति अपने 27 वें प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए यह सिफारिश करती है कि दिनांक 13 व 14 अप्रेल, 1970 को लिए जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में समय का बंटवारा इस प्रकार किया जावे :

(श्री हरदेव जोशी)
सोमवार,
दिनांक 13 अप्रेल 1970,

1. राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक, 1970 पर अग्रेतर विचार एवं उसका पारण।

2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट 1967-68।

(17 वीं रिपोर्ट) पर विचार।
मंगलवार,
दिनांक 14 अप्रेल, 1970

निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :

(1) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान बालक विधेयक, 1969

(2) राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970

नोट : उपरोक्त समय के बंटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि यहां ऐसी परम्परा बन रही है कि अकाल जैसा मसला, जिसे कि इस सदन में लाया गया था, इस प्रतिवेदन में उड़ा दिया गया। आज अकाल से हजारों आदमियों के मरने का सवाल है और बजट पर वाद-विवाद के समय शासन के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था....

श्री मूलचन्द डागा : आप सीलिंग से बचना चाहते हैं ? सीलिंग आयेगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : सीलिंग हो, उसकी परवाह नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, जो रिपोर्ट मैंने रखी है, जो आपके समक्ष विचारार्थ है उसको सभी पक्ष के नेताओं ने मिलकर यह कार्यक्रम तय किया है। वह सदन के समक्ष रखी है।

श्री दौलतराम सारण : भाक्रांद का कौन था नेता ?

श्री हरिदेव जोशी : जो उपस्थित थे वह ही कह सकता हूं।

श्री दौलतराम सारण : भाक्रांद का कौन नेता था ?

श्री हरिदेव जोशी : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो हैं वही हो सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : मेरे ख्याल में कोई नहीं था।

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 28 वें प्रतिवेदन से सहमति प्रकट करें।

श्री बालसिंह सोढ़ा : एक निर्णय लिया गया उसमें रद्दोबदल करके अकाल जैसे महत्वपूर्ण सब्जैक्ट को एवाइड किया गया है। मैं कहता हूं कि अकाल के मसले को नहीं लेने का कारण क्या है, जब कि शासन की तरफ से व्यवस्था दी गई, जिस समय बजट पर वाद-विवाद हो रहा था तब यह कहा गया कि अकाल पर न बोलिये, एक तारीख के बाद इसको ले लेंगे।

श्री नत्थीसिंह : दो तीन दिन और असेम्बली चला लें, क्या दिक्कत है।

श्री हरिदेव जोशी : जो प्रस्ताव मैंने रखा है उस पर सदन की सहमति ले ली जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति का 28 वां प्रतिवेदन, जो माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृति)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

(4.00 म. प.)

मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर अग्रेत्तर विचार

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, गंगानगर की समस्याओं को लेकर राजस्थान सरकार ने समय समय पर कई प्रकार की घोषणाएं की हैं। सभापति महोदय, आज सारा देश इस बात से परिचित है कि राजस्थान के एक जिले के किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से बहुत ही कड़ा संघर्ष किया था। इस संघर्ष की क्या उपलब्धियां हैं ....

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : किया था नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : कर रहे हैं इस संघर्ष की क्या उपलब्धियां हैं, इस विषय में तो मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मुख्यमन्त्रीजी की चतुराई की अवश्य ही तारीफ करूंगा कि उन्होंने किसानों के इस आर्थिक आन्दोलन को राजनैतिक चतुराई से समाप्त करने का प्रयास किया था, यह उनके लिये दुर्भाग्य की बात है कि इस चतुराई के उपरान्त भी इस आन्दोलन की गति में और आन्दोलनकारियों की भावना में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं आया है। यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि मुख्य मन्त्रीजी ने इस आन्दोलन को समाप्त करने के लिये सबसे पहले किसान संघर्ष समिति और किसान सभा में भेद पैदा करने की कोशिश की थी, इस कोशिश में किस सीमा तक सफल हुए यह तो गंगानगर का किसान विशेष रूप से जानता है पर यह सदन भी उससे परिचित नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, जब किसान सभा और किसान संघर्ष समिति के भेद के कारण राज्य सरकार आन्दोलन को समाप्त करने में सफल नहीं हुई तो जनता पर पुलिस द्वारा किस प्रकार अत्याचार किये जायं, उस कदम का राज्य सरकार ने सहारा लिया। वहां भी राजस्थान की सरकार का दुर्भाग्य ही रहा कि पुलिस ने जितना ही दमनकारी रवैया अख्त्यार किया, उससे आन्दोलन की गति धीमी नहीं हुई बल्कि आन्दोलन अति उग्र हुआ। इससे भी सरकार को सन्तोष नहीं हुआ तो मुख्य मन्त्रीजी ने इस सदन में और इस सदन के बाहर गंगानगर जिले और बाकी का राजस्थान, इनमें भेद करने की चेष्टा की। कई अभावों में गंग केनाल, भाखरा और राजस्थान केनाल में जो खर्चा किया गया, गंगानगर जिले में और भी कामों पर जो खर्चा हुआ, उन सबको मिलाकर राजस्थान में यह पिक्चर पेश करने की कोशिश की कि इस राज्य का अधिकांश खर्चा गंगानगर जिले पर हो रहा है और उसके कारण राजस्थान के और बाकी हिस्से अविकसित पड़े हैं और उनके लिये राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह)

इस प्रकार की भावना आज भी मुख्य मन्त्रीजी ने व्यक्त की है, जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया तो सड़कों के लिये राजस्थान में कितना प्रावधान हैं, उसमें से गंगानगर में कितना खर्च किया जा रहा है, इसी तरह अन्य मुद्दों के खर्चे भी उन्होंने बताये, उसके पीछे उनकी एक ही भावना है कि राजस्थान की जनता गंगानगर जिले को राजस्थान की जनता का शोषण करने वाला जिला समझ लें, ऐसी भावना राजस्थान की जनता में पैदा हो। यह भी राज्य सरकार के लिये दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की जनता में इस प्रकार की दुर्भावना पैदा करने में वह सफल नहीं हुई, राजस्थान की जनता ने राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का प्रयास करने पर भी गंगानगर जिले को कोसा नहीं बल्कि तन-मन धन से गंगानगर की जनता का समर्थन करने का राजस्थान की जनता ने बीड़ा उठाया और राजस्थान की जनता में इस प्रकार की बात चली कि सरकार अगर गंगानगर की समस्याओं का हल नहीं निकालती है तो सारे राजस्थान में आन्दोलन छेड़ दिया जाय।

मुख्य मन्त्रीजी ने अपनी घोषणा में इस बात की चेष्टा की है कि गंगानगर के किसान भूमिहीन किसानों के रूप में संघर्ष कर लें, इससे वांछित फल नहीं मिलता है तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के किसानों और बाकी के किसानों के बीच में एक प्रकार का मतभेद पैदा हो जाय, वे आपस में संघर्ष करना शुरू कर दें, उनके इन्ट्रेस्ट्स सामने आयें और सरकार किसी वर्ग को पकड़ कर दूसरों के इन्ट्रेस्ट्स को कुचलने की कोशिश करे। पर इसमें भी सरकार को सफलता नहीं मिली।

इतना ही नहीं राजस्थान की सरकार को और कहीं से सहारा नहीं मिला और गंगानगर के किसान सरकार की चालों में फंसने नहीं लगे तो सरकार ने चेष्टा की कि अकाली नेताओं का सहयोग लेकर गंगानगर जिले में जो अकाली सिख हैं, गुरु ग्रन्थ साहब को मानने वाले सिख हैं, उनका सहारा लेकर गंगानगर के किसानों में फूट पैदा की जाय पर मैं समझता हूँ, सदन जानता है कि राजस्थान सरकार की, मुख्य मन्त्रीजी की यह चाल भी सफल नहीं हो पाई। इस पर राज्य सरकार के पास जब और कोई चारा नहीं रहा तो एक यही प्रश्न रहा कि अब तो विचार के तरीके से ही गंगानगर की समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करनी पड़ेगी तो मजदूरी से, मैं तो समझता हूँ मुख्य मन्त्रीजी की छाती पर बड़ा वजन पड़ा, किसी से बात करने को तैयार नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी से बात करने को तैयार, किसान सभा से बात करने को तैयार, संत चानसिंह से बात करने को तैयार, गोपालन से बात करने को तैयार, राम मूर्ति से बात करने को तैयार, पर वे किसान संघर्ष समिति से बातचीत करने को तैयार नहीं थे। जब किसान सभा ने घोषणा कर दी मुख्य मन्त्री से बात करने की, उसके बाद ऐसा वातावरण पैदा हो रहा था कि एक टेबल पर बैठ कर चर्चा की जा सकती है, ज्यों-ज्यों समय निकट आने लगा तो सरकार को सिर दर्द होने लगा और सरकार ने देखा कि किसान सभा से बात करने की तो गंगानगर आन्दोलन पर उसका कोई

(श्री भैरोंसिंह)

असर पड़ने वाला नहीं है। भूमि नीलाम आन्दोलन हुआ था तो सरकार ने किसान सभा से समझौता किया. वे इस भुलावे में थे कि किसान सभा से समझौता कर लिया है अब यह आन्दोलन दब जायगा, पर जब यह आन्दोलन दबा नहीं तो इन्होंने देख लिया कि किसान सभा गंगानगर जिले में कितना वर्चस्व है, कितनी ताकत हैं, उसके बल पर गंगानगर में किसान आन्दोलन को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे पर जब वह हथियार भी खत्म हो गया तो किसान संघर्ष समिति से बात करना आपने स्वीकार किया, जिससे बात करने को मुख्य मन्त्रीजी तैयार नहीं थे।

यह तरीका अपनाया है। यदि इस सम्बन्ध में सरकार का विचार पहले से होता, आप कह सकते हैं कि विधान सभा के अधिवेशन से पहले गंगानगर जिले के विधायकों को बुलाने का प्रयास किया था, पर विधायकों और किसान संघर्ष समिति में अन्तर है। किसान संघर्ष समिति के प्रति आपके दिमाग में संघर्ष रहा, पर जब तक किसान संघर्ष समिति को बातचीत करने के लिये निमंत्रण देने की बात आपने स्वीकार नहीं की, तब तक आपको किसी भी तरह सफलता नहीं मिली। तब मजबूर होकर आपको किसान संघर्ष समिति को बातचीत के लिये आपने बुलाया।

तो सरकार ने किस प्रकार की घोषणाएं की हैं; इन बातों पर हमें विचार करना पड़ेगा। मैं तो यह समझ कर चलता हूँ, मुझे तो नया अनुभव हुआ है; मुख्य मन्त्रीजी और गृह मन्त्रीजो ने जितने आश्वासन इस सदन में दिये थे; कोई सदन से बाहर बात चल जाती और सरकार वचन भंग करती तो यह कहा जा सकता था कि सरकार ने विधान सभा में कोई प्रकार का कमिटमेंट नहीं किया था पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार के मन्त्रियों ने इस सदन में आश्वासन दिया उसके विरुद्ध मुख्य मन्त्रीजी बोले इससे ज्यादा शर्म की बात राजनैतिक इतिहास में नहीं हो सकती। सदन में आश्वासन देकर मुकरने की चेष्टा करें इससे ज्यादा दुख की बात और नहीं हो सकती। गंगानगर आन्दोलन के सिलसिले में सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, उसका मूल्यांकन हमें करना पड़ेगा।

मैं निश्चित रूप से मानकर चलता हूं कि इस आन्दोलन में चाहे माननी यसदस्य जो अलवर से आए हैं वह जिन दिशाओं की बात करते हैं जिन पर यदि सरकार चले तो वास्तव में भूमि समस्या का कोई निदान हो जाएगा वह सारी घटनाओं का किसी प्रकार कोई सही दिशा ले रहे हो, इस प्रकार का तथ्य मुझे नजर नहीं आता।

यह सदन जानता है कि 1955 में जिस समय काश्तकारी कानून लागू हुआ, उस समय हमने एक मत से इस बात को तय किया था कि आज के जिन जिन काश्तकार का भूमि पर कब्जा है, उस पर उसको खातेदारी अधिकार दिए जायेंगे। उस समय भी सरकार ने इन बिचौलियों को खत्म करने भी दृष्टि से कानून में इस प्रकार की व्यवस्था की और उसके बाद राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में 15 अक्टूबर. 1955 को जिस काश्तकार का भूमि पर कब्जा था,

(श्री भैरोंसिंह)

हमने उसको खातेदारी अधिकार दिया है। यदि आप उन घोषणाओं पर उस मापदण्ड के आधार पर चलने की चेष्टा करें तो एक निष्कर्ष निकलता है कि राज्य सरकार ने जो 1955 टिनन्सी एक्ट बनाया, जिसके अन्तर्गत जिन काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार मिलने चाहिए थे, उसकी राज्य सरकार को चिन्ता नहीं। राज्य सरकार वहां भी भेद पैदा करना चाहती है। 1955 से पहले काश्तकार कौन थे, 1955 के बाद काश्तकार कौन थे, 1928 से 1955 तक वह काश्तकार कौन थे, कौनसे सर्विस क्लास के लोग थे, सारी बातों को एक भेद की दृष्टि से निपटाने की चेष्टा की गई है। यदि राज्य सरकार ईमानदारी से उस समस्या का समाधान करना चाहती है तो कानून 1955 में बना, उससे पहले चाहे भाखरा, चाहे राजस्थान कैनाल, जो कमांड एरिया में आता है, वहां मुख्य मन्त्रीजी के शब्दों में सरकार की योजनाओं में कभी भी पानी जाने वाला नहीं हैं, आप उस क्षेत्र में जहां पानी नहीं जायगा, उस बारानी भूमि के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की नीयत साफ हो, तो सारे झमेले को साफ करने के उपरान्त जिन किसानों को 1955 के कशतकारी कानून के अन्तर्गत खातेदारी हक मिलने चाहिए थे, वह हमने संशोधन किया, उसके कारण से नहीं मिले। उस संशोधन से जिन किसानों को नुकसान उठाना पड़ा, उसको रेक्टीफाई करने के लिए 1955 से किसानों को खातेदारी अधिकार देवें, उसके बाद में समस्या साल्व होती। आपने कहीं एक मुरब्बे की बात कही, कहीं दो मुरब्बे की बात कही, कहीं कीमत की, कहीं निःशुल्क की बात लगाई। मैं पूछना चाहता हूं कि जो गल्ती 1955 में आपने की, उसको 1955 से 1970 तक 15 वर्ष तक जिन किसानों ने एक प्रकार से हैरासमेंट भोगा है, आर्थिक संकट भोगा है, भूख और प्यास से संघर्ष किया है, आज इन लोगों की जमीन पर आपको अधिकार देने और न देने का फैसला किसने दिया है? आवश्यकता इस बात की है कि 1955 के अन्तर्गत जिन लोगों को खातेदारी हक मिलने चाहिये थे, उनको आप खातेदारी हक दें, आप सीलिंग की आड़ लेना चाहते हैं। आज सीलिंग का कानून लागू नहीं है। आपने कानून बना लिया, लागू जिस प्रकार से किया है उसका सदन अच्छी तरह से जानता है लेकिन आप सीलिंग की बात केवल गंगानगर के किसानों पर लगाना चाहते हैं। उसके आधार पर जिन लोगों को खातेदारी अधिकार मिलने चाहिए, उनके अधिकारों पर आघात करना चाहते हैं, यह किसी प्रकार से न्याय संगत नहीं हो सकता। इसलिए मेरा पहला निवेदन है कि किसान को इस झमेले से निकालें। अलग अलग भेद, जो लड़ाने की प्रवृत्ति सरकार ने बनाई है, उससे राजस्थान के किसान को बचाइए और सीधी व्यवस्था करें कि 1955 के कानून में राज्य सरकार के संशोधन द्वारा जिन लोगों को खातेदारी हक नहीं मिल सकते थे, उनको खातेदारी अधिकार मिलेंगे और उस खातेदारी अधिकार देने में 1955 से जिस तरह से कानून प्रभावशील था, उसी प्रकार आज प्रभावशील रहेगा।

मैं नहीं कहता कि जो सीमा निर्धारित की गई है, उससे ज्यादा किसान के पास

(श्री भैरोंसिंह)

जमीन रहे। जिस दिन राजस्थान में नहीं रहेगी तो गंगानगर के किसान के पास भी नहीं होगी ? सीलिंग सीमा में कमी होगी, उसका असर राजस्थान के किसान पर होगा लेकिन राजस्थान का किसान और गंगानगर के किसान में, टिनन्सी एक्ट में आपने जो डिस्क्रिमिनेशन किया है, बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्यवाही थी, उसको रोकने की व्यवस्था करें। सरकार ने जो भी घोषणायें की हैं, उनमें कोई एक नीति नहीं। सारा हैपजर्ड वे में किसानों की समस्या का समाधान करने का तरीका है। चाहे सिंचाई शुल्क लें, चाहे बेटरमेंट लेवी का प्रश्न लें, चाहे टेम्परेरी कल्टीवेशन का प्रश्न लें, चाहे टेम्पररी लीस होल्डर्स का प्रश्न लें, चाहे विस्वेदारी प्रथा के अन्दर किसान शिकार हो, सरकार की नीति एक नहीं है। जहां जिस प्रकार लोगों को मुगालता दिया जा सके, उस प्रकार की चेष्टा राज्य सरकार ने की है।

सबसे मोटा प्रश्न आता है जमीन का। गंगानगर के किसानों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन में वे लोग शामिल हुए और यह समझ कर चलते थे कि राजस्थान कैनाल, भाखरा और गंग कैनाल में, जो राजस्थान की पड़त जमीन है उस पर अलाट की जायगी। मैंने पहले भी सदन में कहा था और एक प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार ने स्वीकार भी किया है कि गंगानगर जिले में 90 हजार एप्लीकेशन्स लोगों की पेंडिंग हैं एलाटमेंट के लिए। मैं नहीं मानता कि 90,000 एप्लीकेशन्स सारी की सारी, पूरी की पूरी उन लोगों की होगी लेकिन उनमें अगर हम 50 प्रतिशत मानकर चलें कि उनमें गलत आदमियों ने दी होगी, जिनके पास जमीन होगी, उसको छिपाकर दूसरे रूप में जमीन लेना चाहते हैं, यह सब कुछ होने के बाद भी आप अब सारे गंगानगर जिले के लोगों को, आपके पास जो पड़त जमीन पड़ी है, सबका अलाटमेंट करके आप सारी समस्या का समाधान कर देंगे ? आप चाहे राजस्थान कैनाल की भूमि लें चाहे गंग कैनाल और भाखरा की भूमि लें, जो भी एप्लकेन्ट्स हैं, 20 प्रतिशत लोगों को भी नहीं दे पायेंगे। जब आप गंगानगर के लोगों को गंगानगर जिले में भूमि देकर किसान के रूप में नहीं बना सकते, तो आपका नारा बुनियाद रूप से गलत है कि बीकानेर जिले की भूमि बीकानेर के लोगों को दी जायेगी, गंगानगर की भूमि गंगानगर जिले को दी जायेगी, आप 10 प्रतिशत लोगों को संतुष्ट करेंगे। क्या गंगानगर के लोग कोटा में नहीं ले सकते, जैसलमेर और बीकानेर में नहीं ले सकते, राजस्थान के अन्य हिस्सों में नहीं ले सकते ? लेकिन आपकी चाल है कि गंगानगर के प्रति नफरत पैदा की जाये और गंगानगर के लोग सोचें कि मुख्य मन्त्री ने बढ़िया नारा लगाया है कि गंगानगर की जमीन केवल गंगानगर के किसानों को मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी, इस नारे के पीछे आपकी चाल है। गंगानगर के लोगों ने जो आंदोलन किया है, उनको सजा देने का प्रावधान किया है। आपके पास जो पड़त भूमि है, मैं आंकड़ों के आधार पर पूछना चाहता हूं कि क्या गंगानगर के किसानों को गंगानगर जिले में भूमि देकर उनकी इच्छा या एप्लीकेशन्स की पूर्ति कर पायेंगे ? नहीं। लेकिन ऐसे राजनैतिक चाल के नारे से राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

का बहुत बड़ा अहित हो सकता है । मुख्य-मन्त्रीजी, केवल आपने आंदोलन को दबाने के स्वार्थ से एक भयंकर नारा लगाया है जो किसी कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य से उम्मीद कर सकते थे लेकिन राजस्थान के मुख्य मन्त्री से आशा नहीं की जा सकती थी । मैं पूछना चाहता हूं आज जैसलमेर में, बीकानेर में राजस्थान कैनाल का पानी जायगा लेकिन....

श्री गोकलचन्द (खैरथल) : आप अजीब बात कर रहे हैं कि गंगानगर को नहीं दिया जाय, दूसरे लोगों को बसाया जाय ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : गोकुलचन्दजी, आपका कन्सीडरेशन नहीं होगा ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबडा) : आपका संतुलन बराबर नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह समझने की बात है । गोकुलचन्दजी ने कहा है तो मैं बता देता हूं । 8,96,000 एकड़ भूमि गंगानगर जिले में है । उसमें से 6,51,000 एकड़ आपने डिस्पोज आफ कर दी और 3.45 लाख एकड़ भूमि इस समय आपके पास बची हुई है । 6520 आपके परिवार हैं जिनको जमीन देनी है और 25 बीघे के हिसाब से आप जमीन देंगे तो गंगानगर जिले के किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते । जब आप नहीं कर सकते तो आप बतायें गंगानगर जिले का किसान आगे जाकर जमीन नहीं खरीद सकता । इस पाबन्दी की आड़ आपने अजीब ढंग से रखी है कि गंगानगर के लोग समझें कि यह जमीन केवल गंगानगर जिले को एलाट की जाये । यह मुख्य मंत्रीजी ने नारा लगाया कि गंगानगर जिले के किसानों की समस्याओं का समाधान किया है लेकिन वास्तविकता दूसरी है । गंगानगर में तो भूमि नहीं है, किसान जमीन लेने के लिए तैयार हैं, उसको जमीन मिले नहीं, भूख से वह मर जाये, यह षड़यन्त्र राज्य सरकार और मुख्य मन्त्री ने तैयार किया है ।

यह जो नारा मुख्य मन्त्री ने जिले को दिया है, कि एक जिले की भूमि दूसरे जिले के लोगों को नहीं दी जा सकती, यह नारा इतना घातक है कि सदन के प्रत्येक सदस्य इस नारे की निन्दा जिस रूप में की जाय करेगा ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय,

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप क्या चाहते हैं ? जिस जिले में जमीन हो वहां प्रायोरिटी मिलनी चाहिये या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसे रूल्स बनने चाहिये कि जिस जिले में जमीन है उस जिले के लोगों को प्रायोरिटी मिले ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यहां जयपुर में बैठे हैं गंगानगर के लोग ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 के अन्तर्गत रूल्स बने हुए हैं और प्रायोरिटी उसी गांव के लोगों को दी जावेगी । यह आलरेडी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जोधपुर वाले पकड़े गये, तब यह नारा लगाया गया। 20 हजार एकड़ जमीन पकड़ी गयी।

श्री भैरोंसिंह : माननीय शंकरलालजी और माननीय रामानन्दजी दोनों को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आलरेडी रूल्स हैं...

श्री शंकरलाल : आपकी ही बात मैं कह रहा था। यह नहीं कह सकते कि दूसरी जगह न दी जाय। यह लॉ के खिलाफ है। लॉ में अमेन्डमेन्ट लाना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह है कि आलरेडी रूल्स बने हुए हैं, उसमें यह लिखा हुआ है कि जिस गांव में जमीन ली जाय उस गांव के काश्तकार हो तो उनको दी जाय, वहां न मिलती हो तो तहसील में और वहां नहीं तो जिले में दी जाय। जब ये रूल्स बने हुए हैं तो यह घोषणा क्यों की? घोषणा की है उसके पीछे राजनैतिक चाल है। रूल्स बने हुए हैं...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि उसको पढ़ दें जो मैंने कहा है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : यह उनकी गलती नहीं है। टाइम ही ऐसा था 4.20।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसमें प्रगोविन्शियलिज्म की भावना भरी पड़ी हुई है। रूल्स बने हुए हैं तो भाषण और इम्फेसिस करने की क्या जरूरत थी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने इसमें यह कहा है कि जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट एरिया में रहते हैं वहां पर प्रायोरिटी गंगानगर के एरिया वाले को दी जावेगी और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर उस एरिया के रहने वाले को दी जावेगी। भूमि का अलाटमेन्ट रूल्स में है। उस गांव का, तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हैं इस सिद्धान्त को कैसे छोड़ कर चल सकते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : आपने जो कुछ कहा मेरे दिमाग में शंका पैदा हुई। आपने कहा कि मुख्य मंत्रीजी की चाल है कि गंगानगर के लोग वहां सड़ सड़ कर मरें और जिलों में जाकर जमीन न लें। रोक लगा दी गयी है क्या? इस प्रश्न की आप सफाई कर दें।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं कोई डाक्टर तो नहीं हूं कि दिमाग में गंदगी पैदा हो जाय तो उसको साफ करूं। "मुख्य मंत्रीजी के शब्दों को ही मैं पढ़ कर सुना देता हूं :" 1955 के बाद आरजी काश्त पट्टाधारकों (ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने 1955 से 1960 तक बीच आराजी काश्त पट्टे पर भूमि ले ली) के अलावा समस्त वर्गों के व्यक्तियों द्वारा अस्थायी पट्टे पर धारित भूमियां 1955 से गंगानगर जिले के क्षेत्र में रहने वाले वास्तविक भूमिहीन काश्तकारों तथा बीकानेर जिले में, बीकानेर क्षेत्र के रहने वाले व्यक्तियों को एक साल के लिये अस्थायी काश्त पट्टे पर दी जायगी। उक्त सभी भूमियां लाटरी निकाल कर पात्र (अलिजिबल) आवेदकों को वितरित की जायगी। यह आपने लिखा है। अब आपके रूल्स क्या कहते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स में यह लिखा है कि गांव वाले को गांव की जमीन दी जावेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गांव तो जिले का अंग है।

श्री भैरोंसिंह : बीकानेर जिले के लोगों को वहां की जमीन दी जावेगी...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : विभिन्न टरमिनोलोजी यूज की गयी है। पानी जावेगा, जो एरिया कमान्ड में आवेगा उसके लिये यह नेसेसरी नहीं है कि उस जगह का ही रहने वाला हो और दूसरी जगह का रहने वाला भी आ सकता है, बीकानेर जिले में पानी जावेगा तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी आ सकेगा।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स में जो आप बात कह रहे हैं उसका प्रावधान नहीं है। रूल्स में कहीं नहीं है कि दूसरे जिले के आदमी को वह जगह न दी जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बची हुई जमीन है तो बाहर के डिस्ट्रिक्ट वाले को भी दी जावेगी। यह टेक्निकली देखने की बात है कि जो हालात आज हैं उसमें क्या हम यह मानते हैं कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में जितनी लेंड अवेलेबल होगी, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आपका पोइन्ट प्रिवेल कर रहा है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिये तो दूसरी बात है।

श्री मदनसिंह : रूल्स का वायोलेशन हो रहा है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (अपना भाषण जारी रखते हुए) : यह इसलिये कहा गया कि जो फर्स्ट फेज के अन्दर एरिया का टोटल दिया गया है 8 लाख एकड़ के ऊपर वाला उस टोटल एकरेज में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का एरिया भी साथ में है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट दोनों साथ है उसका क्लेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जनसंघ के नेता महोदय के भाषण में मैं दखल नहीं देना चाहता हूं लेकिन इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तविकता को देखते हुए गंगानगर के रहने वाले को गंगानगर जिले की जमीन दी जाय सर्व प्रथम प्राथमिकता दी जाय उसमें कोई आपत्ति नहीं है। गंगानगर की पड़त जमीन को देखते हुए एक सैक्टर है, अन्य जिले के रहने वाले को भी जमीन दे सकते थे, तो न्यायोचित घोषणा होती। यह तो एक तरफा घोषणा है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह था कि रूल्स के अनुसार भूमि का आवंटन किया जावेगा यदि यह बात उसमें लिख दी जाती तो मुख्य मन्त्रीजी जो बात कहते हैं वह परपज सर्व हो जाता। यह गंगानगर और बीकानेर जिले का नाम लेकर जिस प्रकार की स्थिति पैदा की गई है और राजनैतिक चाल चली जा रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप उसको टर्न देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी मंशा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने बहुत जगह ऐसे भाषण दिये हैं कि राजस्थान की अधिकांश पूंजी गंगानगर में खर्च होगी। इस सदन में भी कहा। गंगानगर के खिलाफ वाता-

(श्री भैरोंसिंह)

वरण बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन राजस्थान की जनता आपकी चाल को समझ गई तो गंगानगर का विरोध करने की बजाय समर्थन करने का विचार किया और तब आप भी जन भाषा बोलने लगे गंगानगर के लिये कोई विरोधी भाषा नहीं है।

मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की स्थिति आज यहां पैदा होती है तो इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा। सभापति महोदय, सबसे बड़ा प्रश्न राजस्थान के अन्दर राजस्थान कैनाल का है। राजस्थान कैनाल इस वर्ष बन जाती जिस सीमा तक बन जानी चाहिये थी। तो सिंचाई की बहुत समस्या हल हो जाती। पोंग डेम का निर्माण समय पर हो जाता तो पानी की किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। आज कोई इस बात को स्वीकार करे या न करे दुनियां यह जानती है कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार पाकिस्तान से एग्रीमेंट करने के बाद सिन्धु नदियों का पानी हिन्दुस्तान और राजस्थान को मिलना चाहिये। इस पानी को उपयोग करने की व्यवस्था पूरी नहीं कर पाये और व्यवस्था नहीं कर पाये उसका परिणाम है राजस्थान कैनाल की भूमि का कमाण्ड करते जा रहे हैं लेकिन वहां पानी की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाते अथवा पानी की व्यवस्था नहीं होती, लोगों को जमीन के खातेदारी हक नहीं मिलते और लोगों को अड़चनों का सामना करना पड़ता है तो स्वभाविक रूप से लोग आन्दोलन करने की प्रवृति को अपनायेंगे और आन्दोलन होगा और सरकार से संघर्ष करना पड़ेगा। आज यह हालत राजस्थान कैनाल की नहीं है, गंगानगर की कैनाल के बारे में भी, घग्घर की कैनाल के बारे भी जो भादरा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने जिस प्रकार की स्थिति सदन को बताई है, मैं समझता हूँ कि यह इस सरकार के लिये एक शर्म की बात है। एक तरफ कैनाल के नाम पर हम करोड़ों रुपया खर्च करते है और उधर हरियाणा सरकार से हम कमिट कर चुके हैं कि घग्घर के पानी को अगर हरियाणा उपयोग करना चाहे तो कर ले। हमें इस पानी की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिये सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो सिस्टम है, चाहे वह राजस्थान कैनाल हो गंग कैनाल हो, भाखरा कैनाल हो, उनके डिस्ट्रीब्युशन के सिस्टम को किस प्रकार से एक दूसरे का पूरक बनाया जा सकता है, इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था करना चाहिये और यदि किसी प्रकार से पानी को सिंचाई के लिये नहीं दे सकते हैं और पानी की मात्रा अधिक हो और वह उस क्षेत्र में उपयोग में नहीं लिया जा सकता हो, तो उस क्षेत्र में दो-तीन फीट की ऊँचाई पर लिफ्ट ईरिगेशन का कार्य करें और इससे बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की की जा सकती है। आपने राजस्थान कैनाल गंग कैनाल या भाखरा कैनाल में, आपने जो घोषणा की है, क्या उसमें इस बात के लिये भी व्यवस्था की है? सिर्फ यह घोषणा कर दी कि सैन्ड्यून्स को हटाया जायगा और एक नहर को पक्का कराया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय, इन दो लाख रुपयों से न तो वहां के सैन्ड्यूज की सफाई हो सकेगी और न इन 16 लाख रुपयों की से नालिया पक्की को

(श्री भैरोंसिंह)

जा सकती है। आज यह प्रश्न नहीं है। आज यह प्रश्न कई क्षेत्रों का है। राजस्थान कैनाल में भी यह समस्या है, गंग कैनाल में और भाखरा कैनाल में भी यही प्रश्न है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां पर आपने लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम को प्रारंभ क्यों नहीं किया ? राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में जिस स्कीम का उल्लेख किया गया था, जिस स्कीम के लिये आपने भारत सरकार को दबाया था, वह लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आपकी कहां चली गई ? आप क्या यह मान कर चल रहे हैं कि नहरों की सिंचाई से गंगानगर की प्राब्लम साल्व हो जायेगी या सरकार यह सोचती है कि यह सम्भव नहीं है। राजस्थान सरकार को लिफ्ट इरि-गेशन स्कीम की व्यवस्था करनी होगी। इनीशियल स्टेज में यह स्कीम मंहगी हो सकती है परन्तु जब इससे रिटर्न मिलेगा, किसानों की हालत सुधरेगी और राजस्थान सरकार की इनकम और बढ़ेगी। हमारी सरकार ने इस प्रश्न पर किसी भी प्रकार का गंभीर चिन्तन नहीं किया है। जब लोगों को यह मालूम होगा कि हमारे क्षेत्र को लिफ्ट इरिगेशन के जरिये पानी नहीं मिलेगा, वे लोग निराश हो जायेंगे। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने नहरों के मामलें में जिस बैटरमेंट लेवी का क्युश्चन पैदा किया है, उससे उसने एक झगड़ा और उठा दिया है। जब इस बैटरमेंट लेवी का तय किया था मैंने इस लेवी का सिद्धान्त: विरोध किया था। जो डेवलपमेंट के नाम पर आपने वहां पर खर्चा किया है, उस डेवलपमेंट के खर्चे को आप जनता से वसूल करना चाहते हैं। ओवरआल डेवलपमेंट सरकार ने किया है। यह सरकार डी. सी. एम. को सस्ती बिजली देती है। उस वक्त जब यह प्रश्न आया था हमने इसका विरोध किया था और राजस्थान सरकार से पूछा–डी. सी. एम. को सस्ती बिजली देने से राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति पर कितना अन्तर पड़ेगा और उस समय हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था डी. सी. एम. को सस्ती बिजली देने से राजस्थान इनडाइरेक्ट इनकम होगी। इसके प्रोडक्शन के कारण, लेबर की वेजेज के कारण, टैक्सेज के कारण, प्रोडक्शन यदि एक्सपोर्ट हो तो फारेन एक्सचेंज के कारण हिन्दुस्तान और राजस्थान को लाभ होगा। इसलिये इसको सस्ती बिजली देने में राजस्थान पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं पुन: निवेदन करता चाहता हूं, यदि किसान को पानी देने से क्या डेवलपमेंट नहीं होगा ? उसके प्रोडक्शन से राज्य को कोई इनडाइरेक्ट लाभ नहीं होगा, बेनीफिट नहीं होता है। क्या बिजली देने से ही होता है। सरकार इस बात से इन्कार नहीं कर सकती है, किसान की पैदावार से राज्य को लाभ होगा, उसके पैदावार से बाय प्रोडक्टस् होंगे और सरकार को उसके बाय प्रोडक्टस् से इनकम होगी। बाकी पैदाइशों से इस प्रकार की इनकम नहीं होती है, लेकिन किसान के पानी लेने से डेवलपमेंट होगा और इसलिये उससे बैटरमेंट लेवी ली जायेगी, यह लेवी उस पर इम्पोज की जायेगी। बाकी लोगों पर क्या यह किसी प्रकार फिट नहीं होती है। क्या उनके ऊपर बैटरमेंट लेवी नहीं लगावेंगे। यह प्रश्न सारे राजस्थान के बेसिस पर डिसाइड करना पड़ेगा। अरबन एरिया, रुरल एरिया

(श्री भैरोंसिंह)

और बाकी सारा डवलपमेंट वर्क्स इसमें आयेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार को बेटरमेंट के क्यूश्चन पर पुनः विचार करना होगा। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, 12 जनवरी सम्भवतः जिस दिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री राममूर्ति का स्टेटमेंट निकला था और 2 मार्च या 1 मार्च को उन्होंने एक कांफ्रेंस की थी और उस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा था–मुख्य मन्त्री खुशहाली कर में छूट देने के लिये तैयार है। 3 एकड़ से 10 एकड़ तक वह सीमा बढ़ाने के लिये उन्होंने आश्वासन दिया है। मुख्य मन्त्री ने श्री राममूर्ति के इस सुझाव पर सहमति प्रकट की है कि भाखरा परियोजना में सिंचाई की क्या तजवीज हो, उसका एक समिति अध्ययन करें। मुख्य मन्त्रीजी मैं आपसे पूछना चाहता हूं बातचीत के पहले आप 10 एकड़ तक करना चाहते थे और बातचीत में आप इसको भी खा गये। जिस विश्वास के साथ आपने आधार बताया था, जिसका आपने पूर्व में इन्डीकेशन किया था, किसानों को यह धोखा देकर कि हम 5 से 10 तक पर विचार कर रहे हैं, और किसान संघर्ष समिति को विचार करने के लिये, बातचीत करने के लिये आ जाना चाहिए, और आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिये, मैं सोचता हूं, समझता हूं कि इतना बड़ा धोखा मुख्य मन्त्री के स्तर का व्यक्ति राजस्थान की जनता को देता है, तो यह कोई शोभा की बात नहीं है। जनता ऐसे व्यक्ति की निन्दा करेगी और जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। मैं इसलिये निवेदन करूंगा सभापति महोदय, राजस्थाय में जहां सिंचाई शुल्क बढ़ा, कामशियल क्राप्स पर सैस को वापिस लिया, तो राजस्थान सरकार किसानों को एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से वह पैसा वापिस ले लेती है। इसी तरह से सरचार्ज का मामला, लगान का मामला, भूमि की कीमत का मामला है। आज कोई ईमान–दारी से इन सारों का असेसमेंट करे तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि राजस्थान सरकार ने जो रकम पहले किसानों से ली थी, उसके बाद जो उसने किसानों को राहत दी है और जो टैक्स बाद में लगाया है राहत देने के बाद, वह टैक्स जो किसानों से सरकार वसूल कर रही है, वसूल करने की बात कह रही है, वह पहले से ज्यादा होगा। आपने यह भी आश्वासन दिया था कि जो रिजर्व प्राइज थी उसमें कमी की जायेगी। मैं पूछता हूं आपकी इस घोषणा में वह रिजर्व प्राइज कम करने की बात कहां चली गई? इसलिए इसके बारे में भी पुनः विचार करना चाहिए। बेटरमेंट लेवी के बारे में आप यह क्या कह रहे हैं। आप यह कह रहे हैं कि जिसकी जमीन पर 25 पर्सेन्ट से से ज्यादा लगान नहीं बढ़ा होगा वहां लगान बढ़ा देंगे और जो लोग बढ़ा हुआ दे रहे हैं उसके बारे में यह कह रहे हैं कि मेरिट के ऊपर डिसाइड किया जायेगा। मैं पूछता हूं एक फार्मूला जब तय कर लिया है, 25 पर्सेंट बारानी जमीन के ऊपर भी राजस्व नहीं बढ़ेगा, और बढ़ा दिया तो इसमें मेरिट का प्रश्न आयेगा। जिन लोगों का लगान बढ़ा है उनका बढ़ा हुआ मानकर वसूली कर ली है या ज्यादा वसूली कर ली गई जो उनको यह रिफंड किया जाना चाहिए। जहां राजस्थान सरकार को लेने का प्रश्न आता है, वहां पर सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

इस तरह की दरें निर्धारित करती है और जहाँ सिंचाई का प्रश्न है, इन्टेन्सिटी का प्रश्न है, आप कहते हैं 67% इन्टेन्सिटी होगी तो किसान इतना पैसा देंगे, 50% होगी तो इतना देंगे। 50 40 परसेन्ट के बीच में इन्टेन्सिटी होगी तो इतना लेंगे, 30 से 40 परसेन्ट के बीच में इन्टेन्सिटी होगी तो इतना पैसा लगेगा। मैं समझ नहीं पाता हूँ, सभापति महोदय, कि सरकार किस प्रकार से इस इन्टेन्सिटी के प्रश्न को खेत-वार निर्धारित करेगी। एक बार एक किसान को पानी दिया। उसी किसान ने फिर दूसरी बार पानी लिया। सभापति महोदय, गंगानगर दो फसली इलाका है और वहां की बहुत कम फसलें ऐसी हैं, जो एक पानी से पैदा नहीं होती हैं? जिनमें दो-दो पानी की आवश्यकता है, तीन-तीन पानी की आवश्यकता होती है। राजस्थान में अभी तक लोग ऐसी खेती ज्यादा करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। आप यह समझकर एक पानी से, दो पानी से इन्टेन्सिटी का प्रश्न तय कर लेंगे, इन्टेन्सिटी के पाइन्ट आफ व्यू से मैचूअर्ड एरिया में इस प्रकार से पैसा वसूल करना शुरू कर देंगे तो यह मान कर चलें कि जो पैसा किसान पह लेनहीं देता था उससे ज्यादा वसूल करने की योजना आपने बनाई है। इस सम्बन्ध में सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके द्वारा वहां के लोगों को भ्रमजाल में पटका है। जो सरकार आन्दोलन से पहले उन मांगों के बारे में विचार नहीं करना चाहती थी उससे वह ज्यादा पैसा वसूल करने की योजना चला रही है।

इरिगेशन चार्जेज से आपने 25 लाख की आमदनी का प्रावधान रखा है। मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप मेरी चुनौती को स्वीकार करें जो रेट्स आपने निर्धारित किये हैं उससे 25 लाख से ज्यादा की इनकम होगी। आपका हमेशा यही तरीका रहा है कि आप रेवेन्यू साइड में कम आमदनी बताते रहे हैं। जिस समय रेवेन्यू बढ़ जायगी तो आपको विधान सभा में यह कहने का अवसर मिल जायगा हमारी एफिसियेन्सी के कारण यह आमदनी बढ़ी है। यह फिजीकल वे में भयंकर चिटिंग है। जो राज्य सरकार चलाते हैं वे एक तरह से जनता के साथ इस प्रकार से धोखा देकर वाहवाही लूटने के लिये आमदनी कम बताकर वसूली ज्यादा होना बताते हैं।

सभापति महोदय, चाहे जमीन के अलोटमेंट का सवाल हो जैसा कि आपने लिखा है 55 से पूर्व के बारानी काश्तकारों को अधिकार उसी अवस्था में दिये जायेंगे जबकि वह भूमि 1955 के पहले से अब तक बराबर उनके कब्जे काश्त में चली जा रही हो, परन्तु कब्जा काश्त में यदि अन्य का कब्जा नहीं रहा हो, दो वर्ष तक के व्यवधान को इगनोर करेंगे। इस तरह से कन्टिन्यूऐशन पजेशन की आवश्यकता है खातेदारी अधिकार देने के लिये। सदन इस बात को मानेगा कि टेम्परेरी कल्टीवेशन उन लोगों का था जो गरीब थे। उनकी भूमि पर सरकारी अधिकारियों ने मिल कर बड़े बड़े लोगों और अधिकारियों ने कहीं दो साल की बेदखली कहीं तीन साल की इस तरह से 15 अक्टूबर 1955 तक आरजी काश्तकार के रूप में या स्थायी काश्तकार के रूप में भूमि पर काबिज था

(श्री भैरोंसिंह)

उसके बाद उसको बेदखल किया गया. मोरेली उनका जमीन पर अधिकार रहा है रेकार्ड आफ राइट्स में उनका नाम लिखा था पर उन लोगों को प्रोटेशन देने की आवश्यकता है। उन लोगों को सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके पैसे के बल पर, ताकत के बल पर उन लोगों को बेदखल किया गया है।

सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने यह भी कहा है अमुक लोगों की जमीन उसी हालत में देंगे जबकि उनके गांव में जमीन मिल जाय। वह जमीन कैसे मिलेगी कितनी होगी, जमीन वहां है या नहीं, यह चिन्ता नहीं है। उनके गांवों जमीन होगी तभी उन लोगों को मिलेगी तभी जमीन अलौट की जायगी। आप उनके साथ गांव की शर्त क्यों लगाते हैं ? भूमिहीन को जमीन अलौट करने का है जहां भी मिल जाय उनको दी जानी चाहिये। गांव में लेना चाहें तो वहां नहीं तो जहां जमीन है वहीं पर दी जाय। इस तरह से आपने यह कर दिया है कि गांव में ही जमीन होगी तो उनको अलौट की जायगी नहीं तो भूमिहीनों को जमीन अलौट नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन के अलौटमेंट के बारे में, खातेदारी हकूक दिलाये जाने के बारे में किसान जो बेदखल हो गये हैं उनके प्रोटेक्शन के बारे में राज्य सरकार ने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है। जिस जमीन पर किसान का कब्जा था उस पर राजस्थान सरकार कीमत वसूल करने का षडयन्त्र कर रही है। जिस जमीन पर डेवलपमेण्ट नहीं। बारानी जमीन के ऊपर अगर सिचाई होती है तो उस पर आप डेवलपमेण्ड चार्जेज वसूल करें लेकिन जो डेवलप्ड नहीं है उस पर आप किस प्रकार रिजर्व प्राइज वसूल कर सकते हैं ? आपकी ईमानदारी इसी में भी है जिनकी भूमि छीनी है उन किसानों को वापिस दे दें। अगर आप इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं तो इससे राजस्थान को बहुत बड़ा घाटा होगा।

सभापति महोदय, पैतालिसा गांव के बारे में जैसा कि मुख्य मंत्री ने कहा है, वह सदन में सुनाना चाहता हूं :

"गैर दाखिलकारों को निरन्तर कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि पर निम्न-लिखित आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जावेगा :

(क) सन् 1928 के पहले से कब्जा काश्त में चले आ रहे गैर दाखिलकार। सीलिंग सीमा तक भूमि। प्रथम 50 बीघा मुफ्त एवं शेष आरक्षित मूल्य पर।" आपने इस तरह से दो मुरब्बा जमीन देने का माध्यम बनाया है। इस पर आपने खातेदारी हक को जायज माना है इसमें आपने माना है दो मुरब्बों से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिये। जहां दो मुरब्बों से ज्यादा देने की व्यवस्था की है जिन लोगों के पास 1955 के समय दो मुरब्बों से ज्यादा जमीन थी उनको खातेदारी हक मिलने चाहिये उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी उस पर सीलिंग का कानून अलग से प्रभाव रखेगा। सीलिंग कानून की आड़ में आप 1955 को आधार लेकर एक्सेसिव लैण्ड होने के नाते उसको एक्वायर करेंगे बाकी की जमीन राज्य सरकार लेगी यह शोभा की बात नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह)

"(ख) गैर दाखिलकार जो 1928 से 1955 के बीच किसी तारीख से आज तक लगातार कब्जा काश्त में चले आ रहे हैं अर्थात् 1955 से पूर्व के गैर दाखिलकार। इनको सीलिंग की सीमा तक। प्रथम 25 बीघा मुफ्त, शेष आरक्षित मूल्य पर।' इसमें आपने जो लगातार काश्त का कहा है इसमें यदि किसी प्रकार का व्यवधान हो गया, लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया, जबरन कब्जा कर लिया तो व्यवधान की आड़ में आपने उनको प्रथम 25 बीघा मुफ्त इसमें पाबन्दी क्यों। 1928 से 1955 और 55 से 1970 इस तरह से जिन लोगों का पन्द्रह वर्षों से कब्जा है उनको आरक्षित मूल्य पर जमीन देने की व्यवस्था क्यों? होना तो यह चाहिये ताकि उनको पहली बहाली श्रेणी वालों को जिस प्रकार से जमीन दी है, उसी तरह से देनी चाहिये, उनसे पैसे वसूल करने का प्रश्न नहीं होना चाहिये। आगे आपने लिखा है।

"उपरोक्त दोनों वर्गों के गैर दाखिल-कारों में से उनको जिनके पास 25 बीघा से कम भूमि है इतनी और भूमि आरक्षित मूल्य पर गांव में भूमि उपलब्ध हो, दी जावेगी जिससे कि उनके पास 25 बीघा तक भूमि हो जावे।" यहां पर आपने गांव की शर्त लगा दी। इसी प्रकार आपने विलेज सर्वेंट के लिए भी कुछ अड़चनें खड़ी की हैं। वह भी गांव में जमीन होने की और आरक्षित मूल्य पर भुगतान की राज्य सरकार ने व्यवस्था कर दी। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा आरक्षित मुल्य का भुगतान। इस सम्बन्ध में आपने लिखा है "इन लोगों की आर्थिक कठिनाइयों का समृद्ध व्यक्ति लाभ उठाते हैं और आवंटित भूमि का हस्तान्तरण हो जाता है। इस प्रकार के हस्तांतरण के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अपेक्षित है। राज्य सरकार इन्हें रोकने के उपायों पर विचार कर रही है और इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करेगी।"

सभापति महोदय, जिस बात को आप अनुचित मान कर चलते हैं उस कार्यवाही में राहत दिलाने का क्या मकसद है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो कमेटी बनी हुई है, उसको अधिकार है कि वह कैन्सिल कर दे।

श्री भैरोंसिंह : यह अधिकार नहीं है। जब आप यह मानते हैं कि इन लोगों की आर्थिक कठिनाइयों का समृद्ध व्यक्ति अनुचित लाभ उठाते हैं, यानि उन लोगों ने जमीन पर अधिकार कर लिया है। रामानन्दजी आप इस धोखे में मत रहना कि वह कमेटी उसको कैंसिल कर सकती है। पहले तो यह होगा नहीं। कमेटी की अगर ईमानदारी से रिपोर्ट आगई तो वह बस्ताये खामोशी में पड़ी रहेगी। वहां से निकल गई तो लॉ डिपार्टमेंट में अमेण्डमेण्ड के लिये पड़ी रहेगी। और अगर उसके बाद भी विधान सभा में आ गई यह विधान सभा तो रहेगी नहीं। दूसरे चुनाव में न मालूम आज जिनके हाथ में सत्ता है वह आगे चलकर किसके हाथ में रहेगी, यहां कौन बैठे हुए नजर आयेंगे। इसलिए कमेटी से कुछ आशा करके चलना अभी तो बेकार है। यदि मान लीजिये किसी को बेदखल कर भी दिया गया तो वह कानून की आड़ लेकर या अपने व्यक्तिगत प्रभाव से वह उस जमीन को

(श्री भैरोंसिह)

छोड़ेगा नहीं। आज तो आवश्यकता इस बात की हैं कि जिनके पास इस तरह की भूमि है, उनसे लेकर जिनको आप देना चाहें, उनको दुवारा कब्जा मिले। इस बात की आवश्यकता है ।

इसके साथ साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन की कीमत यदि किसी ने समय पर जमा नहीं कराई होगी, तो उस पर 9 प्रतिशत व्याज लगेगा और अगर दो साल तक लगातार पैसा जमा नहीं कराया होगा तो उसको बेदखल कर दिया जायगा। मैं समझता हूं अगर कोई मनी लैण्डर है, जो भयंकर शोषण करने वाला है, अगर उससे भी गिरवी रखकर इतना पैसा लिया जाय और दो वर्ष की अवधि में वह जमा नहीं करा सके, तो वह भी उसकी जमीन लेने को तैयार नहीं होगा, लेकिन सरकार यह कर रही है कि अगर दो साल तक कीमत नहीं देगा, तो उसको जमीन से बेदखल कर दिया जायगा। आज जबकि किसान को बैंक से सस्ते दर पर रुपया देने की व्यवस्था कर रहे हैं आज यदि उस किसान के पास जमीन की कीमत देने को नहीं है, तो आप उससे भी 9 प्रतिशत व्याज लेने के बाद उसको उस पर रहने नहीं दे रहे हैं। कानूनी रूप से आप उनको भूमि पर अधिकार नहीं दे रहे हैं उनको कुछ सहायता तो मिलेगी नहीं, लेकिन सरकार ने वता दिया कि गरीबों को जमीनें मिल गई। जब वे कीमत नहीं चुका पायेंगे, तो नतीजा क्या होगा ? 9 पर्सेन्ट से पैनेल्टी वसूल करेंगे और नहीं चुका पायेंगे तो जमीनों पर कब्जा और लेंगे। जो राज्य सरकार ने एक हाथ से दिया है, वह दूसरे हाथ से लेने की चेष्टा की है। राजस्थान के किसान को मुगालते में डालने की कोशिश की है। मुख्य मंत्रीजी मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने जो घोषणा की है उससे गंगानगर के किसान को सन्तोष हो गया, यह बात नहीं है। माननीय रामानन्दजी ने कहा, उससे समस्या का समाधान हुआ है। मैं कहता हूं इस धोखे में रह गये तो 15 दिन में आप देखोगे, यह आन्दोलन कितना तीव्र हो जायगा। हाली का काम खत्म होते ही वह आपको विरोध में खड़ा नजर आयगा। आपने पुलिस के जरिये इस आन्दोलन को दवाने की कोशिश की है। पुलिस के दमन से आपने इस आन्दोलन को दबाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। यह पता नहीं, मैंने कल सरकारी आंकड़े देखे हैं उससे पता लगता है, 9,182 आदमियों की गिरफ्तारी हुई है, 3,959 आदमियों को सजा मिली है, 5,223 को रिहा किया है। अब आप अन्दाज लगा लीजिये, एक जिले में 10 हजार आदमी गिरफ्तार हुये हों, जिन्होंने अपना प्रदर्शन शान्ति और पूर्ण व्यवस्था बना कर किया था, तो उनके दिमाग में इसका क्या प्रभाव होगा। कितने पीड़ित हैं वे लोग, क्या आप इसका अन्दाजा लगा कर चलते हैं ? आपने अब भी घोषणा करके किसान को मुगालते में रखने की चेष्टा की है लेकिन दूसरी ओर आन्दोलन खड़ा न हो जाय उसके लिये आपने प्रशासन शक्ति का प्रयोग किया। आपने तीन स्थानों पर गोलियां चलाई, कई स्थानों पर लाठी चार्ज किया है, कई स्थानों पर आपने अश्रु गैस चलाई है, कई स्थानों पर आपने पुलिस के डन्डे बरसाये हैं, इन सबके बावजूद किसान नहीं झुका है, सरकार को झुकना पड़ा है लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि

(श्री भैरोंसिंह)

आपने आन्दोलन को कुचलने की प्रवृत्ति रखी, तो यह आन्दोलन हिंसात्मक रूप धारण करेगा। जो आन्दोलन में व्यवधान सरकारी पक्ष की ओर से किया गया है, उसका निराकरण करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, राज्य सरकार यह कह सकती है कि हमने ज्यूडिशियल एन्क्वायरी करवाई है और वह बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूँ कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इसके क्लाज 3 में लिखा है इतनी सी बात कोई आदमी स्टेटमेंट देना चाहे या आपका कमीशन स्टेटमेंट के लिये बुलाये या कोई पार्टी समझकर स्टेटमेंट देना चाहे तो हलफनामा देकर स्टेटमेंट दे सकते हैं—

"The Commission shall examine all the statements furnished to it under rule 2 and, if after such examination, the Commission considers it necessary to record evidence, it shall first record the evidence, if any produced by the Government and may thereafter record evidence in such order as it may deem fit."

यह आपने कमीशन पर छोड़ दिया लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है-

"If after all the evidence is recorded in sub-rule (1), the State Government applies to the Commission to recall any witness already examined or to examine any new witness, the Commission shall, if satisfied that it is necessary for the proper determination of relevant fact so to do, recall such witness or examine such new witness."

अब आपसे कहना चाहता हूं यह एन्क्वायरी होगी वह किस किस के बीच में हो रही है। ईमानदारी की बात तो यह है कि राजस्थान सरकार ने एक तरफ जनता का पक्ष और दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी। दो पक्ष हैं दोनों ही पक्ष इन्डीपेन्डेन्टली अपने केस पुट-अप करें लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, सरकार के दोषी अधिकारी जिन पर दोष लगाया गया है उनके सामने जनता के पक्ष को न रखकर, जनता के शोषण करने की प्रवृति रखी गई है। मैं निश्चित रूप से कहूँगा इस एन्क्वायरी से जनता के पक्ष को कोई लाभ होने वाला नहीं है। सरकारी पक्ष को एग्जामिन करने के लिए बुला सकते हैं यह अपोरचुनिटि जनता पक्ष को क्यों नहीं दी गई ? क्या जनता पक्ष को आवश्यकता नहीं हो सकती है ? लेकिन आपने इसकी चिन्ता नहीं की अब सबसे ज्यादा घातक चीज क्या है सभापति महोदय, आज तक कमीशन आफ एन्क्वायरी एक्ट के तहत एन्क्वायरी होती थी, लेकिन बेरी कमीशन में सरकार को एक झटका मिला, उससे सरकार ने सोचा, रूल्स के अन्दर सरकारी पक्ष को कोई समर्थन मिल जाये। सरकारी पक्ष किसी तरह घाटे में नहीं रहे और क्लाज 4 में जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कोई जजमेंट

(श्री भैरोंसिंह)

लिखा जाता है, तो उनको पहले बुलाकर एक चान्स दिया जाये। एक चान्स देने की बात और कही गई है। पहला चान्स तो कमीशन के सामने उनके स्टेटमेंट रेकार्ड हो गया, कमीशन की फाइन्डिंग्स हो गई कि अमुक व्यक्ति दोषी है तो फिर उनको एक बार दुबारा मौका मिलेगा अपनी सफाई पेश करने का। यह बात सरकारी पक्ष के समर्थन में जोड़ी गई है। इसके पीछे सरकार की क्या भावना है, सभापति महोदय, यह स्पष्ट है।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, समय खत्म हो रहा है। दोनों घड़ियों में 1-1 मिनिट का फरक है।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय आधे घन्टे के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था सभापति महोदय, यह दोषी व्यक्तियों को प्रोटेक्शन देने की नीति बनाई है। उससे मैं समझता हूं राजस्थान की जनता पर बहुत बड़ा अन्याय होगा, राजस्थान की जनता का अविश्वास बढ़ेगा। यह इस बात से स्पष्ट है। मैं समझता हूं सभापति महोदय, इससे ज्यादा शर्म की चीज और नहीं हो सकती है। आज मुख्य मन्त्रीजी ने उसी प्रकार की परिपाटी को निभाया है।

चुरू के श्री केशोराम हरिजन को दस हजार की सहायता दी जाय और बाकी दूसरे सब व्यक्तियों को 5-5 हजार दिये जायं। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक को दस हजार और जो सांगरिया में मर गये उनके साथ क्या आपकी जन्म जात दुश्मनी है ? सबको एक सा वर्ताव देना चाहिये था। एक जो मरा उसको तो दे रहे हैं दस हजार और बाकियों को केवल पांच-पांच हजार...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह हरिजन है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जग्गू हरिजन मरा है उसको तो आपने नहीं दिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इतना निवेदन कर दूं जग्गू हरिजन है उसकी जानकारी क्लियर नहीं हुई है, अगर यह हरिजन है तो उसको भी उस जैसा ही ट्रीट करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : उसकी मां जिन्दा है और उसकी हालत बहुत खराब है। उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा अगर वह हरिजन है तो उसके साथ कोई भेद नहीं किया जायगा।

(5.00 म. प.)

श्री भैरोंसिंह : और उसी प्रकार से गृह मन्त्रीजी ने जो भेंट किया जो व्यक्ति दोषी नहीं दोषी व्यक्ति का दोष बताकर सहायता नहीं दी जाये। इस प्रकार की स्थिति को सरकारी स्तर पर स्वीकार किया गया, इसलिए दोनो ही बातें आपत्तिजनक हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले की समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से सरकार ने जो घोषणा की है उन घोषणाओं

(श्री भैरोंसिंह)

के आधार पर समस्याओं का समाधान नहीं होता, उनसे किसानों से किसी प्रकार का सन्तोष नहीं बना है, किसानों में असन्तोष चल रहा है। सरकार ने कुछ किसानों को झमेले में पटक कर उस झमेले की आड़ में जो किसान आज तक पैसा नहीं देता था उससे किस प्रकार से वसूल किया जाये इस प्रकार की व्यवस्था कर ली। गंगानगर और बाकी के क्षेत्रों में दुर्भावना पैदा हो जाये इस प्रकार का वातावरण बना दिया, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के वातावरण से न तो किसानों में फूट होगी और न गंगानगर का किसान आपकी घोषणाओं के आडंबर में आकर अपनी मांगों को पुरजोर शब्दों में रखने से वंचित रहेगा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इन सारे प्रश्नों पर नये सिरे से विचार करके, किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाये, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री केदारनाथ

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : सभापतिजी, इस आन्दोलन की मांगों के बारे में जो प्रश्न चल रहा है,...

श्री सभापति : कृपया एक मिनट।

प्रवर समिति में मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1970 प्रवर समिति में निम्न माननीय सदस्य मनोनीत किये गये हैं। इस सम्बन्ध का एक प्रस्ताव मुख्य सचेतक महोदय ने भेजा है :

श्री भीखाभाई
श्री मुल्कराजसिंह
श्री मूलचन्द डागा
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
श्री रघुनाथ विश्नोई
श्री गोकुलचन्द जाटव
श्री किशनलाल वर्मा
श्री अमीलाल
श्री श्रीनिवास शारदा
श्री यशवंतसिंह नाहर
श्री सांवरमल वासोतिया
श्री हरिवल्लभ शर्मा
श्री हरलाल मीणा
श्री कल्याणमल मीणा
श्री गणेशलाल
श्री मोहम्मद उस्मान
श्री बीरबल
श्री कृष्णकुमार गोयल
श्री रामसिंह कुड़ी
श्री बालसिंह सोढ़ा
श्री रामानन्द अग्रवाल
श्री मेघराज
श्री मनोहरसिंह मेहता
श्री दुर्गालाल बाढदार
श्री ओमदत्त भाटी

यह जो नामों का प्रस्ताव किया गया है यह सभी सदन के माननीय सदस्यों को स्वीकार होगा। कोई असहमति इस सम्बन्ध में, कोई संशोधन (विराम) तो सर्वसम्मति से यह विधेयक इस प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाता है।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय शर्मा, मीणा, बनिया, ब्राम्हण लिखा

(श्री रामकिशन)

है इसको हटा दिया जाये। यह जाति पांत में डालने वाली चीज है। यह सुखाड़िया, लुहाड़िया, पहाड़िया सब हट जाने चाहिए, क्योंकि माननीय सदस्यों की एक ही जाति है।

श्री सभापति : प्रस्ताव में संशोधन करने का अधिकार आसन को नहीं है। कोई प्रस्ताव रखे तो हो सकता है। तो यह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले पण्डित लगाते हैं यह भी सभी हट जाने चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यह अग्रवाल भी हट जाना चाहिए।

समितियों के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री सभापति : इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जनलेखा समिति 1970-71, प्राक्कलन समिति 1970-71 एवं राजकीय उपक्रम समिति 1970-71 के लिए निम्नांकित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं :

जनलेखा समिति

श्री मुकुटबिहारीलाल
श्री फूलचन्द बाफना
श्री दौलतराम सारण
श्री नन्दलाल बैरवा
श्री गुलाबसिंह
श्रीमती कान्ता कथूरिया
श्री सहदेव शर्मा
श्री पुखराज कालानी
श्रीमती मदन कौर
श्री हंसराज आर्य
श्री नाथूलाल करौल
श्री कृष्णकुमार गोयल

प्राक्कलन समिति

श्री रामप्रसाद बोहरा
श्री रूपसिंह
श्री कालूराम आर्य
श्री जबाहरमल
श्री अब्दुल हादी
श्री रतनलाल रोत
श्री जयनारायण सालोदिया
श्री रामकुमार सपोतरा
श्री पी. के. चौधरी
श्री आलम अली
श्री सुरेन्द्रसिंह
श्री रणजीतसिंह
श्री लाभचन्द वैद
श्री देवीदत्त गाड़िया

राजकीय उपक्रम समिति

श्री नत्थीसिंह
श्री हरिवल्लभ शर्मा
श्री सुमेरसिंह
श्री हरजीराम बुरड़क
श्री रोशनलाल शर्मा
श्री देवीलाल
श्री शीशराम पूनिया
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
श्री वृद्धिचन्द्र जैन
श्री विरदाराम
श्री शंकरलाल जैतारण
श्री भैरोंसिंह।

श्री सभापति : यस, प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ : सभापति जी,

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार

श्री यशवंतसिंह नाहर : प्रिवलेजेज कमेटी की तीनों रिपोर्ट्‌स के लिए ?

श्री सभापति : आप मोशन मूव कर रहे हैं क्या ?

श्री यशवंतसिंह नाहर : हाँ ।

श्री सभापति : कीजिए फिर । यह तो आपके याद दिलाने का काम है । आसन का काम थोड़े ही है ।

श्री यशवंतसिंह नाहर (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधिकार समिति के छठे प्रतिवेदन को जो 22-3-69 को पुन: स्थापित किया गया, विचारार्थ लिया जाये ।

तीनों अलग अलग लेंगे या एक एक लेंगे ?

श्री सभापति : यह सम्भवत: पहला नवयुग समाचार पत्र के बारे में विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन था । दूसरा 'शांतिदूत' समाचार पत्र के बारे में विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन था और तीसरा 'मुनसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट को कुछ डाकुमेन्ट्स भेजे जाने के संबंध में और शहादत देने" के संबंध में प्रतिवेदन था, जहां तक मैं समझ सका हूं इन तीनों के संबंध में माननीय चेयरमैन महोदय, विशेषाधिकारी समिति का प्रस्ताव है कि उसके संबंध में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है उसको वापिस इसी समिति को रिमाण्ड कर दिया जाये...

श्री यशवंतसिंह नाहर : सिर्फ दो के लिए ।

श्री सभापति : 'नवयुग' और 'शांतिदूत' के संबंध में जो प्रस्तुत हुआ है उसके संबंध में और तथ्य आये हैं उस संबंध में विचार करने के लिए इन दोनों विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन जो शांतिदूत और नवयुग के संबंध में वह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को पुन: सुपुर्द कर दिया जाये अग्रिम अनुसन्धान और प्रतिवेदन के लिए जो इसके पक्ष में हों. .

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह निवेदन करूंगा कि यह तीनों ही वापिस विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिये जायें...

श्री यशवंतसिंह नाहर : कर दिया है ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : पाइन्ट ऑफ इनफर्मेशन सर, प्रिवलेज कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करें और फिर वापिस मांगे यह मुझे अच्छा नहीं लगता है । 'It is not good tradition.' हम प्रिवलेज कमेटी को काफी बड़ा आसन देते हैं उसकी अधूरी रिपोर्ट आये 'It does not reflect well' मैं उसको अच्छी परम्परा नहीं मानता हूं ।

श्री सभापति : 'I permit the chairman of the Privileges committee to clear the Positions.'

श्री यशवंतसिंह नाहर : समिति की तरफ से जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है उसके लिए तो कुछ निवेदन नहीं करना है वह

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

ज्यों का त्यों आज भी है लेकिन इसके बाद एक स्थिति नवयुग के संबंध में यह आई कि उसके लेखक ने एक आवेदन पत्र माननीय अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया है कि जिस आर्टीकल के संबंध में उनको विशेषाधिकार समिति की तरफ से जो दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रस्तुत किया गया है वह आर्टीकल न तो उनका लिखा हुआ है और न उन्हें उसका कोई ज्ञान है। केवल सम्पादक ने और प्रकाशक ने उनके नाम से गलत छाप दिया है और इसके आधार पर अध्यक्ष महोदय के आदेश पर मैंने यह निवेदन किया है कि इसका पुनःपरीक्षण हो जाना जरूरी है।

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदय, मेरा पोइन्ट यह नहीं था। मेरा पोइन्ट यह था। फैक्ट्स क्या हैं, उन फैक्ट्स में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि प्रिविलेजेज कमेटी जो रिपोर्ट पेश करती है और आम तौर पर प्रिविलेजेज कमेटी की रिपोर्ट को सदन के मेम्बर्स यूनेनीमसली एक्सेप्ट करते हैं। प्रिविलेजेज कमेटी कोई रिपोर्ट पेश करे और पूरे तथ्य पेश नहीं करे तो उसका रिफलेक्शन अच्छा नहीं होता है। मैं चाहता हूं प्रिविलेजेज कमेटी की रिपोर्ट आ जाये और उसको वापिस नहीं करना चाहिए। नये तथ्य आये हैं तो दूसरा मोशन ले आइये और उस पर विचार कर लें लेकिन यह अच्छी परम्परा नहीं है कि रिपोर्ट पेश हो जाये और नये तथ्य आये हैं तो उसको वापिस भेज दें। पहले ही एग्ज़ास्टिवली आप एग्जामिन करके पेश करते।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं कि चौधरीजी ने फ़रमाया है....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इस तरह से माननीय सदस्य आप मुझे सुन लें। मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। उसके बाद में बहस हो तो समझ में आयेगी। फैक्ट्स नहीं रखे उससे पहले ही अगर....

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि अच्छी परम्परा नहीं है....

श्री यशवन्तसिंह नाहर - अच्छी परंपरा नहीं है तो मुझे कहने दें उसके बाद में परम्पराएं बिगाड़ें।....

श्री मदनसिंह। इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो....

श्री पी. के. चौधरी : प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आती है और वापस जाती है, इस तरह का कोई प्रेसीडेन्स हो तो बता दें आज तक का।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, तो वह रिपोर्ट दुबारा वापस गई है और यह तिबारा वापिस जाने की बात है।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, प्रिविलेज कमेटी के अन्दर डिसकशन होने के बाद अगर सदन की तरफ से कोई आज की तारीख में आ जाय तो वह बात दूसरी है, मगर ऐसी चीज तय नहीं थी और....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : पहले मैं अर्ज कर दूं उसके बाद में जो फर्माना हो तो वह फर्मा दें। मैं यह निवेदन करता रहा था कि मेरी तरफ से ऐसा कोई आग्रह नहीं

(श्री यशवन्तसिंह)

था कि इसको वापिस लौटा दी जाय । यह जरूर है कि यह सदन की कार्यवाही बन चुकी हैं । सदन में एक दफा प्रस्तुत हो चुकी है उसकी रिपोर्टस् । उसके बाद जब से आज कार्य संचालन समिति में यह प्रस्तुत हुई कि आज ली जाय तो सभी पार्टियों के रिप्रेजेन्टेटिव वहां पर उपस्थित थे । उनके सामने यह तथ्य आया । उसे यदि सदन स्वीकार करता है तो करे । मैं नहीं कहता कि इसको वापस भेज दें । सदन को भेजने का अधिकार है । सदन चाहे तो भेजे, नहीं तो इस तरह से एक्सेप्ट करें और उसके सम्बन्ध में आने की कार्यवाही की जाय ।

श्री पी. के. चौधरी : यह पोइन्ट तो तब आता जबकि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट के कन्सीडरेशन के लिए कोई प्रोपोजल होता कि इसको कन्सीडर किया जाय कि इसे वापिस समिति के पास भेजा जाय ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं तो यह कह रहा था, उसको सुन लें और उसके बाद में फर्मावें । मेरी भी कोई स्टेंण्ड है उसमें ।

मेरा पहला आग्रह यह था कि इसको विचारार्थ लिया जाय । उसके बाद मान-य सभापति महोदय, चूंकि कार्य संचालन समिति में थे तो उन्होंने आदेश दिया कि कुछ तथ्य नये आये हैं इसलिए इसको वापस भेज दिया जाय । यह मेरा आग्रह नहीं था और न मैंने निवेदन किया था। मेरा केवल निवेदन यह है कि इसकी रिपोर्ट पुर : स्थापित करता हूं और इसको विचारार्थ लिया जाय । उसके ऊपर सभापति महोदय, ने यह फरमाया !

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि जो प्रतिवेदन विचारार्थ प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन महोदय, ने सदन में प्रस्तुत किये है उनको पुनर्विचार के लिए इसी समिति को वापस कर दिये जायं ।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, मेरा सवाल दूसरा था कि जब प्रिविलेज कमेटी के पास.. आप सुनलें अध्यक्षजी प्रिविलेज कमेटी के....

श्री यशवन्तसिंह (नाहर) : आप उनको (सभापति महोदय. को) अर्ज करें । मैं क्या सुनूंगा ?

श्री मदनसिंह : आपके (सभापतिजी के) जरिये आपको सुनाना चाहता हूं ।

श्री यशवन्तसिहन नाहर : वह तो मैं सुन रहा हूं बैठा हुआ ।

श्री मदनसिंह : प्रिविलेज कमेटी के अन्दर या तो कोई विचार नहीं हुआ और विचार हुआ है तो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है । घर की असेम्बली बना रखी है, घर की प्रिविलेज कमेटी बना रखी । सदस्यों को विश्वास दिया जाता है । यहां पर कुछ कहा जाता है और इशारा होता है तो उसमें कई चीजों की कमियां रह जाती है तो फिर पेश करने की क्या जरूरत थी सभापति महोदय, अगर सदन के प्रांगण में कोई एनाउन्समेंट हुआ है कि इसमें कोई लेकूना रह गया है कन्सीडिरेशन में, अगर उसमें कमी है, आप इस कमी को महसूस करते थे तो क्यों लाये इसको यहां पर ? किसी को जबरदस्ती फंसाने और कमी पूरी हो और प्रिविलेज में जबरदस्ती लाना है और

(श्री मदनसिंह)

दो वर्ष तक उसको रखा तो उसका महत्व क्या है ? असेम्बली में रिपोर्ट आती है और वापस जाती हैं इसलिए आप पर मेरा यह चार्ज है कि इस तरह से कमेटी में पहले तथ्य आये हैं तो या तो उन पर कमेटी ने विचार नहीं किया, या कमेटी बैठी ही नहीं या कमेटी पूरी उन पर जांच नहीं कर सकी और सदन में एक चीज आती है और वापस जाती है। सभापति महोदय, आपके आदेश से मैं कहना चाहता हूं कि यदि प्रिविलेज कमेटी की यह हालत हैं तो कहां तक प्रिविलेज कमेटी के लिए इन्तजार करते रहेंगे। एक चीज आये और फिर वापस जाय। या तो स्पेसिफिक चार्जेज लगाकर फंसाना चाहते हैं। कोई निर्दोष निकल रहा हो तो जबरदस्ती किसी को फंसाना चाहते हैं, तो यह प्रिविलेज कमेटी क्या है ? किसी का घर है ? यह कोई फ्री बोडी नहीं है। क्या यह प्रिविलेज कमेटी फ्री बोडी है ?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया संचालन नियम 236 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं—

236. Considerartion of report—

(1) After the report has been presented the Chairman or any member of the Committee or any other member may move that the report be taken into consideration, where upon the Speaker may put the question to the House.

(2) Before putting the question to the House, the Speaker may permit a debate on the motion, not exceeding half an hour in duration, and such debate shall not refer to the details of the report further then is necessary to make out a case for the consideration of the report by the House.

(3) After the motion uuder sub-rule (1) is agreed to, the Chairman or any member of the Committee or any other member, as the case may be, may move that the house agrees, or disagrees or agrees with amendments, with the recommendations contained in the report."

सभापति महोदय, निवेदन यह है कि रिपोर्ट पेश होने के बाद में यह मूव किया जायेगा तो इसके ऊपर डिसकशन हो और हाफ एन ऑवर का डिसकशन होने के बाद यह एमेंडमेंट हो सकता है या उस पर निर्णय लिया जा सकता है कि इसको वापिस किया जाय। एक दफा पेश होने के बाद में प्रस्ताव नहीं आता है इसको विथ्ड्रा करने के लिए। इसलिए कन्सीडिरेशन आफ दी हाउस में जो वापिस देने का प्रावधान है वे उसको मूव नहीं कर सकते हैं और न इसको विथ्ड्रा कर सकते हैं, जब तक कि हाउस में डिसकशन होकर हाउस इसको तय न करे और डिसकशन होने के बाद में वापस लिया जाय तब तक केवल एक मोशन से वापिस नहीं लौटाया जा सकता है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : सभापति जी, इसमें कन्फ्यूजन कहां है ? अभी अभी चेयरमैन महोदय, प्रीविलेज कमेटी ने जो रिपोर्ट कन्सीडिरेशन के लिए सामने रखी उस पर कुछ विचार किया जाये। माननीय दांता साहब ने विचार रखे और दूसरे लोगों ने रखे और मोशन मूव कर दिया, और मोशन इसलिए मूव कर दिया गया कि इसको वापिस रिमाण्ड किया जाय। अब जब मोशन मूव हो गया है तो यह जो समय आधा घंटे का डिसकशन का है वह मेरे ख्याल से एक मिनिट भी हो सकता है और 10 मिनिट भी हो सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : The motion should be for consideration not for withdrawal का मोशन दिया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने जबान से शब्द बाहर निकाले नहीं और आपने पहले ही पकड़ लिया। मैंने केवल यह मूव किया था कि विचारार्थ लिया जाये। इसके आगे बोला भी नहीं कि सभापति महोदय ने फर्माया कि इसको वापस रिमाण्ड कर दिया जाये। मैं पूरा बोला ही नहीं।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : कन्सीडिरेशन को स्टेज पर मैंने मोशन मूव किया ही नहीं।

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में निवेदन आप पहले कर देते तो यह चर्चा नहीं होती। आपने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इन प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों को विचारार्थ लिया जाये। प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया गया तो हाउस उस पर डिसकशन करेगा और मानों एडाप्ट कर लिया गया तो क्या होगा ? सारा नहीं सोचा। मुसीबत तो यही है। उसके सम्बन्ध में आप चाहते हैं कि वैसे निर्णय को किसी प्रकार से विचारार्थ रख लिया जाये, लेकिन मोशन दूसरा यह होना चाहिए था विचारार्थ के बजाय उसी कमेटी को रिकमिट किया जाये। यह प्रस्ताव सरकारी पक्ष के द्वारा या उसके मुख्य सचेतक को रखना चाहिए था।

बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में यह मसला आया था और वहां पर आप भी उपस्थित थे और मैं भी था तो वहां पर जानकारी में आया था कि विचारार्थ के लिए प्रस्ताव रखा जाय यह आप कह रहे थे। वहां पर बात हुई थी। उस हिसाब से मैंने सदन की सूचना के लिए कहा कि इसको वापस भेजने की बात है। वर्ना कोई क्लैरिफिकेशन्स की बात नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि दो प्रतिवेदन हैं—एक प्रतिवेदन नवयुग साप्ताहिक के सम्बन्ध में है और दूसरा प्रतिवेदन शांतिदूत साप्ताहिक के सम्बन्ध में है। इन दोनों समाचार पत्रों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के बारे में प्रस्ताव रखे गये थे और विशेषाधिकार समिति को सौंपे गये थे कि इस बारे में जांच करके सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें। वे प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत कर दिये गये। उसके पश्चात् नवयुग साप्ताहिक के सम्बन्ध के प्रतिवेदन में 7 दिन सजा की सिफारिश की है। उसमें जो दूसरे व्यक्ति ने लेख लिखा गया बतलाया है। उसने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरे नाम से लेख गलत छापा गया है। इस प्रकार से नये तथ्य अध्यक्ष महोदय की जानकारी में आये हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं है

(श्री सभापति)

कि पुराने निर्णय पर सदन विचार करे। नये तथ्य आये हैं तो नये सिरे से अनुसन्धान की आवश्यकता है कि कौन दोषी है। इस पत्र के सन्दर्भ में नये अनुसन्धान के लिए और सारी बातचीत के लिए वापिस उस समिति को ही प्रतिवेदन के लिए भेजें यह परमावश्यक है।

दूसरे शान्तिदूत के सम्बन्ध में रेप्रिमेंड करने की सिफारिश की गई है जब कि नवयुग के सम्बन्ध में 7 दिन की सजा की सिफारिश की गई है। तो उनके अन्दर इनकन्सिसटेन्सी है। एक प्रकार के अपराध है तो एक प्रकार की सजा हो, ऐसे प्रश्नों पर सामूहिक रूप से विचार करना उचित होता है, यह विचार यह करना उचित नहीं होता कि एक में तो रेप्रीमेंट कर दें और एक में सजा दे दें। ऐसे मामलों पर हाउस में कोई डिसीजन ले लिया जाय तो वह डिस्क्रिमिनेट्री हो जायगा। यह मसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आया है, उस समय यह उचित समझा कि इस पर पुनर्विचार किया जाया ताकि कोई भ्रम नहीं रहे और यह निर्णय ले लिया कि इसको पुनर्विचार के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय। इसलिए श्री मुकुटबिहारीलाल जी ने जो ओरल अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है, विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर, कि जो नवयुग का और शांतिदूत का विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन है उसको विचारार्थ न लिया जाकर पुनर्विचार के लिए विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं समझता हूं इस प्रस्ताव को सदन मान सकता है...

श्री मदनसिंह : जैसा आपने बताया...

श्री रामकिशन : अनोपचारिक है !

श्री पी. के. चौधरी : ओन ए पाइन्ट आफ आर्डर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट को कन्सीडर किया है...

श्री सभापति : रिपोर्ट को कन्सीडर नहीं किया है। इन रिपोर्ट्स को हाउस में लाने का समय कब रखा जाय, कब इस पर विचार किया जाय-इस पर कन्सीडर किया है और इसी सिलसिले में निर्णय लिया है।

श्री पी. के. चौधरी : बिजनेस एडवाजरी कमेटी रिपोर्ट्स के मैरिट और डिमेरिट में गई हैं, यह रूल्स के खिलाफ है। यह मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है।

श्री मूलचन्द डागा : इन पर हाउस चिन्तन कर लें। इसमें मेरा एक सुझाव हो सकता है कि इन रिपोर्ट्स पर हाउस में चिन्तन कर लिया जाय, दोनों को रख दिया जाय हाउस के सामने और हाउस इन पर चिन्तन कर ले और जो उचित समझे वह फैसला कर दें।

श्री मदनसिंह : नहीं-नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : क्यों नहीं ?

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, आपने फर्माया, उसके विपरीत हम समझ रहे थे। मेरा मतलब यह था कि किसी को सजा देने के लिए फिर वापिस लिया जा रहा है। लेकिन इसमें विपरीत हुई है बात। शायद इसमें किसी को सजा देकर अन्याय

(श्री मदनसिंह)

न कर बैठें-इसलिए सदन के लिए और सबके लिए अच्छा है कि वापिस भेज दी जाय।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जिस सरसरी तरीके से इस विशेषाधिकार समिति की इस रिपोर्ट को यहां पेश किया गया है और वापिस लेने की अनुमति सदन से प्राप्त की जा रही है-यह बड़ा विचारणीय विषय है। इस तरह की स्थिति अगर आगे भी आती रही तो इस समिति का महत्व घट जायगा। कोई भी विशेषाधिकार का प्रश्न आता है तो उसके सम्बन्ध में सभी पहलुओं से सदन के द्वारा विचार होना चाहिए-कौन दोषी है ? किस प्रकार का दोष है ? क्या समिति ने बिना सोचे समझे किसी को सजा दे दी है या किसी को बरी कर दिया है ? विशेषाधिकार समिति अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे, उसी बीच कोई प्रार्थना पत्र दे दे तो पुनर्विचार करने के लिए समिति को प्रतिवेदन वापिस दे दिया जाय-यह एक बहुत बड़ा मखौल है। यह विशेषाधिकार समिति का कार्य करने का ढंग बड़ा अजीब है। इससे इस समिति की गरिमा घटती है। मैं पूरा समझ नहीं पाता हूं लेकिन आपने जो इशारा किया, उससे मैं इतना समझा हूं कि शायद एक विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति पर आरोप था, उस आरोप का समिति द्वारा निर्णय हो गया, उसके बाद उस आदमी ने कहा कि मैंने जुर्म नहीं किया। अगर जुर्म नहीं किया तो इस विशेषाधिकार समिति ने एक्जामिन क्या किया ? निर्णय क्या किया ? जब समिति ने सम्बन्धित व्यक्तियों को अवसर दिया और अवसर देने के बाद में किसी निर्णय पर पहुंची है तो फिर उस निर्णय पर पुनर्विचार करने का सवाल क्या पैदा होता है ? मैं समझता हूं कि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके अन्तर्गत पुनर्विचार किया जाय। इस प्रकार का अजीब ढंग बना कर, प्रोविजन बना कर पुनर्विचार के लिए समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय-इससे इस समिति का महत्व घटता है। इसलिए माननीय पी. के. चौधरी, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य, ने कहा-उनकी बात में वजन है। मैं भी इस राय का हूं, हल्के तरीके से विशेषाधिकार समिति को ऐसे मुद्दों को नहीं लेकर बहुत गम्भीरता से मुद्दों पर निर्णय पर पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए और उसके बाद की रिपोर्ट इस सदन में पेश करनी चाहिए।

श्री मदनसिंह : सदन बड़ी गम्भीरता से ऐसे प्रश्नों को लेता है। मैं समझता हूं कि कोई दर्ख्वास्त है, तो वह दर्ख्वास्त सदन में पेश कर दी जाय और सदन उसके आधार पर माफ कर देगा।

श्री दौलतराम सारण : इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते।

श्री मदनसिंह : क्यों नहीं ? कुचामन के प्रधान के मामले में किया है। तो ऐसी बात है तो इनको माफ कर दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास(आसीन्द) : सभापति महोदय, मुझे यह बताया गया है कि प्रिविलेज कमेटी की दो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई हैं, उसमें अलग अलग सजा दी गई है और

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जो फैक्टस् दिए हैं, वह समान दिये हैं–इस सम्बन्ध में तो मुकुट बिहारीजी ने प्रस्ताव रखा है कि इनको वापिस रीकमिट किया जाय तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरा भी निवेदन है कि जो प्रस्ताव मुकुटबिहारीजी ने रखा है और जो नये फैक्टस् आये हैं, उनको देखते हुए वापिस रीकमिट किया जाय। यह हमारी तरफ से निवेदन है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, मैं थोड़ी स्थिति स्पष्ट कर दूं, नहीं तो गलतफहमी हो रही है सदन में मैंने केवल....

श्री गिरधारीलाल व्यास : अब रहने दो नाहर साहब !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्यों रहने दूं। रहने देने का क्या सवाल है। मुझे दोष दे रहे हैं आप ! मैंने इसको विचारार्थ, दोनों रिपोर्टस् को विचारार्थ लिये जाने का...

श्री पी. के. चौधरी : प्रोसीडिंग्स देख लीजिये, वापिस कहा तब मैंने सुना है।

श्री हरजीराम बुरड़क : वापिस कहा है और अध्यक्ष महोदय के कहने से वापिस ले रहा हूं, यह भी कहा है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सुन तो लीजिये। मैंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उनके बाद सभापति महोदय को निवेदन किया कि तीनों की पढ़कर अर्ज कर दूं, या एक में ही तीनों को ले लिया जाय, विचारार्थ लिया जाय। इसके ऊपर बहस छिड़ गई। इन दोनों को वापिस लेने का प्रसंग, सभापति महोदय के सामने कार्य सलाहकार समिति के समक्ष आ गया था, वह इस बीच में आ गया। तब भी मैंने निवेदन किया कि विचारार्थ ले रहे हैं....

श्री पी. के. चौधरी : वापिस लेने का कहां आया है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कार्य सलाहकार समिति में आया है : कार्य सलाहकार समिति में यह आया प्रसंग कि ऐसी चीज है, इसलिए इसको वापिस लेने के सम्बन्ध में...

श्री दौलतराम सारण : क्या कार्य सलाहकार समिति यह निश्चय कर सकती है, इसके मैरिट से कि यह क्या है, किस तरह का है ?

श्री पी. के. चौधरी : गलत है, यही मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री दौलतराम सारण : एक तरफ आप सदन की प्रोसीडिंग्स को कोट रहे हैं और दूसरी तरफ कार्य सलाहकार समिति को कोट रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा जहां तक सम्बन्ध है, मैंने न वापिस लेने की रिक्वेस्ट की, न मेरा प्रस्ताव था। मैंने यह प्रस्ताव किया कि इसको विचारार्थ लिया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापतिजी, मामला बिल्कुल साफ है, कोई ज्यादा पेचीदा नहीं है। यह मामला कोई ज्यादा पेचीदा नहीं है, व्यर्थ में ही इस मामले को, ऐसा महसूस होता है, उलझाया जा रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं नहीं। इसको भेज दिया जाय। वापिस भेज दिया जाय। काहे को इसमें पड़े। साधारण मामला है। ठीक है। दोनों रिपोर्ट्स को वापिस भेज दिया जाय। तीसरी को भी भेज दिया जाय।

श्री. पी. के. चौधरी : गलत परम्परा है। इससे सदन की गरिमा का हनन होता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभापति महोदय, सदन का समय समाप्त हो रहा है।

श्री सभापति : कितना समय बढ़ाना है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आधा घण्टा।

श्री सभापति : एक घन्टा। सदन का समय सदन की अनुमति से एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब तक बहस पूरी नहीं हो जाय, तब तक के लिए बढ़ा दीजिये।

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदय, हाउस के प्रीविलेज का ब्रीच हुआ है एडवाइजरी कमेटी के द्वारा, एडवाइजरी कमेटी ने प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट के मैरिट पर जाकर फैसला दिया है कि इसको वापिस किया जाय। यह कन्टेम्प्ट नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा अच्छा होगा, आप में यदि दम है और वास्तव में रूल्स की बात कह रहे हैं, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपके मुख्य मंत्रीजी और कई मंत्री हैं, उनके खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन लायें तो फैसला हो जायगा।

श्री पी. के. चौधरी : उसका सवाल नहीं है। मैंने तो पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया।

श्री भैरोंसिंह : हम उसमें आपका साथ देंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : परेशानी वाली बात कहां पैदा हो गई, मदन सिंहजी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मसला आया, वह देखती है कि कितना समय लगने वाला है, यह हर एक में तय होता है कि दो घण्टे बहस होनी चाहिए या चार घण्टे बहस होनी चाहिए। इसके मैरिट पर कौन गया है। इसमें मामला यह है कि इस मामले का रिमाण्ड होने का है, उसमें तमाम पार्टी के लीडर मौजूद हैं, वह डिसाइड करते हैं, दिस इज ए मेटर ऑफ फाइव मिनिट्स। इसमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न कहां है, इसमें मैरिट में एन्टर होने का कहां सवाल पैदा होता है। यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया कि रिमाण्ड हो, तो रिमाण्ड हो जायगा।

श्री सभापति : मैं इतना जानना चाहूंगा थोड़ा सा, ऐसा है....

श्री मदनसिंह : इसको वोट पर न रखें।

श्री सभापति : इसको वोट पर नहीं रख रहा हूं, न वोट पर रखूंगा इतनी जल्दी। इसमें शांतिदूत के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन है और नवयुग के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का चौदहवा प्रतिवेदन है, इन दोनों प्रति-

(श्री सभापति)

वेदनों के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव है कि इनको वापिस भेज दिया जाय....

श्री देवीदत्त गाड़िया : तीसरा कौन-सा है ?

श्री सभापति : तेरहवां प्रतिवेदन है ।

श्री भैरोंसिंह : इस पर विचार होगा ।

श्री सभापति : तेरहवें प्रतिवेदन को विचारार्थ लिये जाने का प्रश्न है, उस पर विचार कर सकते हैं, उसको हाउस एडाप्ट करे यह विचार कर सकते हैं इसमें आपत्ति नहीं है ।

प्रश्न यह है कि 13 वां प्रतिवेदन है, जिसको हाउस में एडोप्ट करना है, वाद-विवाद करना है, इसको या तो आज विचारार्थ ले लें या फिर.....

कई माननीय सदस्य : फिर ।

श्री सभापति : तो विशेषाधिकार समिति के 13 वें प्रतिवेदन पर आज नहीं अगले किसी दिन चर्चा निर्धारित कर ली जायेगी । इसलिए इस सम्बन्ध में किसी को आपत्ति नहीं रहनी चाहिए ।

शान्तिदूत साप्ताहिक और नवयुग साप्ताहिक के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन हैं, इनको भी आज नहीं लें । इन दोनों के लिए, नवयुग साप्ताहिक और शान्तिदूत साप्ताहिक के 14 वें और छठे प्रतिवेदन हैं, इनको वापिस विशेषाधिकार समिति को भेजने का जो ओरल प्रस्ताव मुकुटबिहारी जी ने सदन में रखा है उसे स्वीकार किये जाने में सामान्यतः आपत्ति नहीं दिखाई देती है, आप कहें तो वोट पर रख दें या सर्व सम्मति से इन्हें वापिस विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जावे ।

अनेक माननीय सदस्य : सर्व सम्मति से ।

श्री सभापति : सदन की सर्व सम्मति अनुमति से विशेषाधिकार समिति का 6 ठा. और 14 वां प्रतिवेदन विशेषाधिकार समिति को फिर भेज दिया जाये ।

श्री हरजीराम बुरड़क : 6ठा कब पेश हुआ था ?

श्री सभापति : 22 मार्च, 1969 को ।

श्री हरजीराम बुरड़क : अभी तक विचार नहीं किया गया इसका क्या कारण है ?

श्री सभापति : इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता । नियमों के अनुसार श्री हरजीरामजी बुरड़क चाहते तो प्रस्ताव पेश कर सकते थे....

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव पेश किया है ।

श्री नत्थीसिंह : इतनी अनड्यू डिले नहीं होनी चाहिये ।

श्री सभापति : I quite agree with the sentiments of the hon. members on this issue.

मुख्य मन्त्री के वक्तव्य पर अग्रेतर विचार

श्री सभापति : प्रोफेसर श्री केदारनाथ ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति महोदय, इस जन आन्दोलन के

(श्री केदारनाथ)

सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने कई बयान दिये हैं। 3 दिसम्बर को सबसे पहले दिया गया, पंचायत इलेक्शन्स के कारण नीलामी को स्थगित किया गया। 15 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया गया, 19 जनवरी को फिर स्टेटमेंट दिया गया, 25 मार्च को मुख्य मन्त्रीजी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया और आज फिर मुख्य मन्त्रीजी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। सभापतिजी, इस आन्दोलन की पृष्ठ भूमि में, जिसमें 10-15 हजार आदमी जेल गये हों, जिस आन्दोलन में दस, ग्यारह आदमी जेलों के अन्दर और बाहर मौत के शिकार हुए हों, जिस आन्दोलन में कम से कम 80-100 आदमी लाठियों से सख्त घायल हुए हों, जिनके गहरी चोटें आई हों, जिस आन्दोलन में मिलिटरी को अलर्ट किया गया हो, उस आन्दोलन की पृष्ठभूमि में इन घोषणाओं को देखा जाय, तो वे नाकाफी हैं। इसलिये यह चार्ज लगाना कि इस आन्दोलन के पीछे कोई इन्डिविज्युअल एप्रोच था, यह एक दम गलत है। इसके पीछे कोई पोलिटिकल एप्रोच नहीं रहा है। यह किसानों की अपनी मांगों का आन्दोलन था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उस इलाके के लोगों का आन्दोलन है जो लोग आजादी की लड़ाई में जेलों में गये, यह उन लोगों का आन्दोलन है जिन लोगों ने चाइना एग्रेसन के वक्त 35-40 लाख रुपया इकट्ठा किया और देश के तीन बड़े नेताओं को सोने से तोला, यह उन लोगों का आन्दोलन है जिन्होंने पाकिस्तान के एग्रेसन के वक्त मिलिटरी का इन्तजार नहीं करते हुए सिंगल हैण्डेड पाकिस्तान के एग्रेसन का मुकाबला किया। यह उन लोगों का आन्दोलन है जिन्होंने जब जब भी राजस्थान में अकाल पड़े चारा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, कपड़े इकट्ठे किये थे। इस इलाके के लोगों के बारे में यह कहना कि इस आन्दोलन के पीछे कोई इन्डिविज्युअल एप्रोच है, कोई पोलिटिकल एप्रोच है, यह बिल्कुल गलत होगा।

किसी ने भी इस सारे आन्दोलन के दौरान में यह नहीं कहा कि राजस्थान के विकास के पैसे पर हमारा विकास हो। जब भी हमने विकास की बात की, चाहे चौथी यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे ट्रेक्टर के कारखाने की बात हो, चाहे खाद के कारखाने को वहां खोलने की बात हो तो चुरू जिले को गंगानगर के साथ रखा, ताकि यह एक विकास यूनिट माना जाय, विकास का यह एक डिवीजन माना। जैसे जोधपुर डिविजन है, उदयपुर डिवीजन है, जयपुर डिवीजन माना गया है उसी तरह से उसे एक यूनिट माना जाय। इस आन्दोलन के दौरान में, पहले या बाद में किसी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया है कि बाहर के भूमिहीनों को हमारे जिले में भूमि अलौट नहीं की जाय ऐसी पृष्ठभूमि के जो स्टेटमेंट दिया गया है वह नाकाफी है। माननीय सभापतिजी, मांगों के सिलसिले में ज्यादा जिक्र नहीं करते हुए, मैं एक बात आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं। जिस जमीन के बारे में, अलौटमेंट के बारे में यह स्टेटमेंट हुआ है, गंग कैनाल में, भाखरा में भूमिहीनों को अलौटमेंट के बारे में, मैं एक बात पूछना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी से कि जितनी भूमि के अलोटमेंट के लिये जो कीमत का तय किया है, जो पैटर्न अपनाया है, जो

(श्री केदारनाथ)

रूल्स आपने अपनाये हैं, बुनियादी तौर से इसमें और उस रूल्स में कोई फर्क नहीं है। आज सही अन्दाज लगाया जाय कि 10 साल पहले जिनको जमीनें अलौट की, उनमें से कितने अलौटीज काविज हैं ? तो आपको पता चलेगा कि 75 फीसदी ऐसे मिलेंगे जिन्होंने या तो जमीनें दूसरों को काश्त के लिए सौंप दी हैं, दूसरों को मोर्टगेज कर दी हैं, उन जमीनों को बेच दी हैं और तरह से ट्रान्सफर कर दी हैं, या छोड़ दी । पुराने रूल्स साफ अलोटमेंट से जो कीमत तय की, जिस पैटर्न से अलोटमेंट किया उससे आप सबक सीखें और अलोटमेंट के रूलस में फंडामेंटल तब्दीली लायें कि कीमतें क्या हों। राजा के समय में जमीनें अलौट की थीं तो गंग कैनाल को लाने में जितना खर्चा हुआ, उसको कीमत का आधार माना। तो चाहे राजस्थान केनाल पर, चाहे भाखरा पर जो खर्चा हुआ है, उसके आधार पर कीमतें रखेंगे तो उसको सहन करेंगे । पर उस कीमत का आधार बैटरमेंट लेवीं का वह आधार हो कि कितनी इन्टेन्सिटी बढ़ती है, उसका एक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमें इस कीमत पर एतराज नहीं है। पर राजस्थान कैनाल में 17 हजार रुपया की कीमत भूमिहीन के लिये बहुत बड़ी कीमत है, इससे आप समझे कि भूमिहीन जमीन पर काश्त कर पायेगा तो यह गलतफहमी है । एक मुरब्बा जमीन जिसमें पांच सात बीघे से ज्यादा काश्त नहीं होगी और उसमें एक काश्त पर तीन सौ साढ़े तीन सौ से कम खर्चा नहीं आयेगा। जमीन की कीमत, कीमत पर इन्ट्रेस्ट, फिर जमीन नौतोड़ करना, ऐसी हालत में कोई अन्दाज नहीं लगा पायेंगे कि आप भूमिहीनों को जमीनों अलोट कर सकेंगे। आप एक हाई पावर कमेटी मुकर्रर कर दीजिये और इन्स्ट्रक्शन्स दे दीजिये कि जो जमीन की कीमत नहीं भर पायेगा, पानी की कमी की वजह से या वर्षा की कमी की वजह से, तो वसूली के नाम पर उसे इजैक्ट नहीं किया जायगा। उसका अलोटमेंट कैंसिल नहीं किया जायगा। यह उसूल जोड़ दो उसके साथ तो आपका अंदाजा सही होगा। जिन लोगों को बसाना चाहते हैं, जिनके मारफत समाज में नई तब्दीली पैदा करना चाहते हैं, जो छोटा तबका है, जिनको बसाने की दृष्टि से नया

(5.40 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

सोशल आर्डर लाना चाहते हैं, तो मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार की यह गलत एप्रोच है। जहाँ तक भूमिहीन का सवाल है, वह अपने आप में एक कम्यूनिटी है। उसमें जाति के नाम पर डिवीजन नहीं होना चाहिए। अगर शिड्यूल्ड कास्ट के नाम से उनको प्रेफरेंस देना है तो दी जाय, किश्तें लंबी कर दो, मगर भूमिहीनों के बीच में किसी प्रकार का डिफरन्सीएशन नहीं होना चाहिए।

रूल्स आफ एलाटमेंट में आपने जो कीमत तय की और जिस तरह से पैटर्न स्टैंडर्ड आपने तय किया, वह गंग कैनाल में लागू होना चाहिए। लोग कहते हैं कि जब भी यह बात करते हैं तो सरकार कहती है कि इतना पैसा खर्च किया तो चौथी योजना का एक तिहाई आप पर खर्च होगा। गंग कैनाल का सारा कास्ट ऑफ कन्सट्रक्शन 3:20 करोड़ था। इन्डन्टेशन से पहले गंग कैनाल

(श्री केदारनाथ)

ने 10 करोड़ रुपए आमदनी के तौर पर दिया। उसके बाद 6–7 करोड़ बीच में राज्य सरकार की आमदनी हुई और गंग कैनाल के इलाके में आपने रेट्स को इन्क्रीज किया। राज की जमीन की कीमत बढ़ाई, आपने मालकाना बढ़ाया, सिंचाई रेट्स बढ़ाए, लैंड रेवेन्यू बढ़ाया। सरचार्ज लगाया। मैं सोचता हूं, आपने मेन्टेनन्स के लिए, रिपेयर्स के लिए जब स्टेटमेंट पढ़ता हूं, तो सिर्फ 5 लाख रुपए दिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एप्रोच सही नहीं है. न लैंडलेस के बारे में न डेवलपमेंट के बारे में।

दूसरी बात राजस्थान कैनाल में जो लोग 1955 से पहले काश्त कर रहे हैं, राजाओं के समय में उनको खातेदारी हक थे और उनको आपने डिप्राइव किया। हाई कोर्ट ने राइट्स को रेस्टोर किया। अब राज्य सरकार को अधिकार नहीं था कि उनसे छीनकर दुबारा पॉलिसी मैटर पर रेस्टोर करो और फिर कीमत लगा दो। जो राइट्स उनके पास थे, उन राइट्स को रेस्टोर करते समय जो कीमतों का पैटर्न है, जो डेवलमेंट चार्जिज आप लेना चाहते हैं हो सकता है वही वसूल करने का अधिकार है सीलिंग लिमिट तक। कमांड की पार्टियों ने स्टेंड लिया, नेगोसिएशन्स हुए कि सीलिंग लिमिट तक खातेदारी अधिकार दे दो, चाहे परगना टी. बी. हो चाहे राजस्थान कैनाल एरिया हो। अगर दो मुरब्बा है बिना कास्ट के तो दो मुरब्बे वहां हो क्योंकि टी. बी. परगना में जमींदारी व बिस्वेदारी थी। जो स्टेटस जमींदार का था, वह स्टेटस सरकार का बन गया। सरकार को कीमत नहीं देनी पड़ी। इसलिए टनेन्ट्स को आप खातेदारी अधिकार दें बिना कास्ट के, यह उसूल की बात है।

दोनों बातें कहने के बाद, एक बात और कहना चाहता हूं कि 1955 के पहले के जो टी0 सी0 होल्डर्स हैं, उस बारे में आपने कहा कि रेग्यूलेराइज कर दिया जायगा पजेशन, बशर्ते कि लगातार पजेशन हो। अध्यक्षजी, वहां न पानी की सुविधा, न बारिश की सुविधा, न कालोनाइजेशन की सुविधा। अगर कोई काश्तकार रोजी कमाने के लिए वहां से चला गया हो, तो हमने एक शर्त रखी है कि वह राजस्थानी हो और खेतीहर मजदूर हो या भूमिहीन हो। इस बात का वरीफिकेशन करो। हम मानते हैं कि मूवमेंट हुआ है आसपास के राज्यों में। राजस्थानी होना चाहिए, भूमिहीन होना चाहिए, काश्तकारी पेशा होना चाहिए और अगर दो तीन साल का ब्रेक हो जाय, काश्त करता रहा है, फिजीकल प्रेजेन्स न हो, बारिश की कमी व पानी की कमी के कारण, तो आपको उसके राइट से डिप्राइव नहीं करना चाहिए। आज रूल्स आफ एलाटमेंट बनें, जो हाई पावर कमेटी का निर्माण हुआ, इन सारी बातों को लेकर और रूल्स आफ एलाटमेंट सारे गंग कैनाल में लागू हुए।

इसके साथ-साथ निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आपने जमीन कम दी और एलान किया था कि डिफीश्यंसी की पूर्ति करेंगे तो राजस्थान कैनाल पर उनका हक है। जो स्टेटमेंट दिया है जमीन के बारे में इसमें बहुत कम जमीन बचती है। या तो रिजर्वेशन गलत है या स्टेटमेंट का आधार गलत है। आपने

(श्री केदारनाथ)

जमीन को नीलाम करने से पहले 1 लाख एकड़ हरिजनों के लिए रिजर्व की और 50 हजार एकड़ जमीन भूमिहीन गैर हरिजनों के लिए रिजर्व की। आपका स्टेटमेंट हमारे पास है और उसके मुताबिक जमीन हरिजनों के नाम से सिर्फ 40 हजार एकड़ रिजर्व होती है तो हम समझते हैं कि जिन लोगों ने आज तक दरखास्तें दी, 5-7 साल से देते रहे हैं इसलिए रिजर्वेशन का एरिया जो हरिजनों....

श्री दौलतराम सारण : जो आंकड़े सरकार ने दिए हैं सही नहीं है..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आरम्भ रखें।

श्री केदारनाथ : हरिजनों के लिए जो आपने रिजर्वेशन किया, किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए, जो गैर हरिजन लैंडलेस के लिए रिजर्वेशन किया, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। कीमत के बारे में मैंने निवेदन किया और इसके साथ-साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि गंग कैनाल में आपने 1953 से 1960 तक कब्जे को माना है। 1955 से क्यों नहीं मानते 1960 के बाद अगर किसी भूमिहीन को जमीन मिल गई हो टी0 सी0 पर और दर असल लैंडलेस हो, राजस्थानी हो, तो क्या उसका अधिकार नहीं बनता? उसकी वही पोजीशन है। यह डिफरन्सीएशन जब मुख्य मन्त्री जवाब दें, तो स्पष्ट करें।

जमीन के एलाटमेंट के बारे में, वे लोग जो गंग कैनाल में विलेज सर्वेन्ट्स के नाम पर हैं, उनके पास केवल 5-7 बीघा जमीन आएगी और आपने बिना कास्ट दी है, यह ठीक है। आपको कास्ट लेने का अधिकार नहीं, उनकी सेवाओं के व्यू में टिप के तौर पर जमीन दे रहे हैं, लेकिन 5-7 बीघा कोई कीमत नहीं रखती, वह अन्इकानामिक होल्डिंग होती है। उसकी कमी की पूर्ति करनी चाहिए।

इसके साथ जो लोग शरणार्थी हैं, अलवर, भरतपुर में आकर बस गए हैं उनकी जमीन पर स्टेंडर्ड एकड़ की कीमत 160) रुपया रखी गई और वहां पर आपने 450) रखा है। उन्होंने लैंड रेवेन्यू नहीं दिया, दूसरे ड्यूज नहीं दिए, लड़े और एक पार्टी बनकर केन्द्रीय सरकार से फैसला करवाया। आपने एक बार कहा था कि यह मसला हम आगे जाकर रेफर करेंगे। राज्य सरकार इन प्रिन्सिपल, इस बात को मानलें कि कीमत बराबर होनी चाहिए, दोनों डिस्प्लेस्ड परसन्स हैं, दोनों एक कैटेगरी के है। मैं सोचता हूं जो स्टेट पहले पार्टी थी, डिस्पलेस्ड परसन्स के समझौते में वह पार्टी बनकर केन्द्रीय सरकार से बात करे और इसकी कीमत कम लें। ये वे लोग हैं जो बार्डर पर रहते हैं। 5 मील के बैल्ट में रहते हैं जहां नहर की टेल पड़ती है और जिनके पास 12-15 बीघे से ज्यादा नहीं हैं इसलिए पंजाब में उनको रियायतें देते हैं, अन्इकानामिक होल्डिंग्स हैं उनको लैंड रेवेन्यू से और कई फॅसिलटीज देते हैं सिंचाई में और बिजली में और हमारे यहां कीमत वैसी, कोई सहूल्यत नहीं। सारे शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं। जब आप जवाब दें तो लाजमी तौर से उस इलाके को याद रखना चाहिए जिन्होंने

(श्री केदारनाथ)

पाकिस्तान के एग्रेसर्स को वापस भेजा, सिंगल हैंडेड लड़े और गरीब कौम के लोग और खेती मजदूरी उनका पेशा है।

मैं अब लैंड रेवेन्यू की बात लेता हूं। हमारे यहां आज से 20-22 साल पहले जो स्टेट थी, उन्होंने सेटिलमेंट किया और रेट्स बढ़ी। उसके बाद वहां पर आपरेशन्स शुरू हुए। प्रोपोजल्स पेश हुई। फौज में कमी कर दी। आपने 12 ½ प्रतिशत बढ़ाया है। जहां सरचार्ज हुआ सीलिंग लिमिटलागू कर दी तो यह फायदा केवल उन लोगों को हुआ है, जिनके पास 20-25 बीघा जमीन है। उसका आधार हुई बुई है। इसका मतलब जो खुद काश्त नहीं करता हो, तो दरअसल फायदा मिलेगा, पुख्ता काश्त पूरी हो जाय. उस पर लैंड रेवेन्यू लगायें। 12 ½ इन्क्रीज करें मुझे एतराज नहीं, मैं स्वागत करूंगा और साथ-साथ निवेदन करना चाहता हूं कि 25 बीघा अगर वह हुई बुई के डेफीनेशन में नहीं आता, तो लैंड रेवेन्यू से एग्जैम्पशन होना चाहिए। 75 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो 25 बीघा से लेकर 50 बीघा तक के काश्तकार हैं। इसलिये मैंने उसूली तौर पर एक बात कही।

दूसरी बात बैटरमेन्ट लेवी की है। अध्यक्षजी, आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रोजेक्ट इरिगेशन के हैं, जो पेइंग प्रोपोजिशन होने चाहिये, यह प्रोफिट पर चलें। रिजल्ट्स अचीव करें, मैं इस बात को मानता हूं। मगर जितना खर्चा आपने उन पर किया वह लगाइये। उसका इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन करें जो बिजली पानी का फायदा उठाते हैं और मंडीज के विकास का फायदा उठाते हैं, एक से तीन बीघा में कोई फर्क नहीं रखा है, यह रखा गया कि मेचोर एरिया में करेंगे, लेकिन जहां पर बरडन है वहां पर एक पैसे की भी रियायतें नहीं है। मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहूं कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी कायम करें और सही डिस्ट्रिब्यूशन कैसे हो और वहां का काश्तकार लाजमी तौर से स्वागत करेगा और देने में इनकारी नहीं होगी। पंजाब में यह हुआ। यहाँ एजीटेशन हुआ। स्टेट की तरफ से कमिटमेन्ट आया। उसने वापिस कर दिया हरियाणा में कमेटी बनी है। हरियाणा और पंजाब के साथ बैटरमेन्ट लेवी मेल खाती थी। जो स्टेन्डर्ड वहां लागू हो, वह ही यहां लागू हो। कमेटी का निर्माण हो, वसूली स्थगित की जाय और एक्सपर्ट कमेटी बैठे।

इर्रीगेशन रेट्स के लिये निवेदन करना चाहूंगा। 1963 में, 1967 में और 1969 में कॉमर्शियल सेस के नाम से 25 लाख रुपया लगाया वह वापिस लिया। लेकिन आपने इर्रिगेशन रेट्स को इन्क्रीज कर दिया। जो रिपोर्ट्स हैं, सरकारी रिपोर्ट्स तो नहीं हैं, जितना मालूम पड़ा है वीट और चने का कल्टीवेशन एरिया टोटल उसका 75 लाख से कम नहीं होगा। 25 लाख आपने वापिस लिया और उसकी जगह 75 लाख लगा दिया। यह कोई चीज नहीं है। आन्दोलन के दौरान में इरिगेशन रेट्स को बढ़ा दें अच्छी चीज नहीं है। इरिगेशन रेट्स में 50 रुपया जोड़कर रेशनल बेसिस पर बढ़ोतरी कर दें, 50 रुपया जोड़ने का हक नहीं है, बजट स्पीच में इन्क्रीज किया है, आपको हक नहीं है और जो उदारता दिखा कर दी गो चनी पर कर दिया और गेहूं आदि

(श्री केदारनाथ)

पर नहीं । दूसरी फसलों पर नहीं । पंजाब से टैक्सेज का मुकाबला नहीं करता हूं । राजस्थान की इकोनोमी को ध्यान में रखते हुए कभी न कभी आपको यह फैसला करना पड़ेगा कि टैक्सेज की कैपिसिटी क्या होगी। प्रोडेक्शन के लेवल से इसको जोड़ना पड़ेगा । कितना प्रोडक्शन होता है, कितनी कैपेसिटी है, किनको देना है, आज नहीं तो आयन्दा आपको मानना पड़ेगा. उस उसूल की दृष्टि से टैक्सेज लगाते हैं, एक्जेम्प्शन लिमिट बांधते हैं और स्लेब सिस्टम से करते हो तो किसी को कोई एतराज नहीं है । इरिगेशन रेट्स और बेटरमेंट लेवी के लिए कहा ।

अब नहर का पानी किसान को मिले भाखरा, गंग कैनाल राजस्थान कैनाल से किसान को पानी मिले. इस पर काफी समय खर्च हुआ है । कई बार बहस हुई, 11 से लेकर 18 जनवरी तक और मार्च में टेबल पर बैठकर हर चीज को क्रॉस किया । जिस कमेटी का निर्माण किया है, उसको फाइनेन्शियल पावर्स दीजिए । जितने कम्पोनेन्ट्स हैं, उनके साथ बैठकर कमेटी बात करे । गंग कैनाल को जितना पानी दिया, राजस्थान कैनाल को देंगे और पाकिस्तान से पानी रिलीज हुआ जितना पानी हमारा है, भाखरा में आवेगा आज की कन्डीशन्स नहीं है कि हम एवजोल्व कर सकेंगे । पांच लाख कहीं दिया ? कमेटी को पूरे पावर्स नहीं देंगे, फाइनेन्शियल पावर्स नहीं देंगे, सरकार यह मानकर नहीं चले कि इन टोटो हम मान लेंगे । अब हिम्मत नहीं है हमारे जैसे आदमी पंजाब में जाकर हमारे मिनिस्टर कहें,जाइन्ट सिस्टम पर ला नहीं सके और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा सके, दस साल का हिसाब देखें भाखरा बना है, इण्डस्ट्री बनी है, पानी का कितना नुकसान हुआ है, कितने कन्सेशन्स हुए हैं । यह टोटल नुकसान बहुत बड़ा है । कमेटी का फोर्मेशन होना चाहिए ।

डेवलपमेंट की बात है । एक स्टेटमेंट आया । मैं निवेदन करना चाहता हूं बड़े अदब से कि हमने यह हमेशा चाहा है खेती बाड़ी की यूनिवर्सिटी की बात जब आयी तो इस पर हमारी फीलिंग है । खैर वह चली गयी । अब आ नहीं सकती । लेकिन रिसर्च सेंटर वहां हो । पढ़े लिखे नौजवान खेती बाड़ी की ट्रेनिंग लें । इन्टरनल इन्टेन्सिव कल्टीवेशन वहां बढ़ रहा है । ज्यों 2 प्रोडक्शन बढ़ेगा रूरल इकोनोमी टर्न लेगी । रिसर्च और कैडर हो जो नयी फसल और बीमारियों को जानकारी दे । हम यह नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी यहां लाकर रख दें । भाखरा, गंग कैनाल और राजस्थान कैनाल में जब कभी सोचना पड़ेगा, इस दृष्टि से सोचना पड़ेगा । रूरल इकोनोमी, प्लाण्ड डवलपमेंट के लिए यह जरूरी होगा । हमने जिद्द नहीं पकड़ी । हमारा रीजनल कन्सेप्शन नहीं है । चाहे जैसलमेर में, लूणकरणसर में कहीं पर भी खोल दें । कोई जगह हो । हम एक युनिट मानकर चले हैं । यही बात खाद और ट्रेक्टर के कारखाने की है । चाहे मन्डी की बात हो, बिजली की बात है, सड़क की बात हो और डेवलपमेंट की बात हो जितना पैसा हमें मिलना चाहिए, हम यह चाहते हैं कि बैकवर्ड एरियाज को भी लाओ, प्लानिंग के समय यह सोचना पड़ेगा कि कहां कितने रिजल्ट्स एचीव करते हैं और कितना खर्चा करते हैं । जितना मंडीज पर खर्च करेंगे, रोड्स पर खर्च करेंगे,

(श्री केदारनाथ)

बिजली पर खर्च करेंगे, कोलोनाइजेशन पर खर्च करेंगे, इन्डस्ट्रीज पर खर्च करेंगे, उतनी राजस्थान की इकोनोमी में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए हमारी यह फीलिंग है, रीजनल एप्रोच और किसी प्रकार का एप्रोच नहीं है कि राजस्थान को कोस्ट पर हम डेवलपमेंट करें यह हमारे यहां कहीं किसी के मन में नहीं है।

चाहे आपने एलान किया हो गंगानगर में ड्रेन के लिये हम पैसा देंगे और होस्पिटल के लिए पैसा देंगे। अध्यक्षजी, जिस जगह मंडीज बसी हुई हैं, सारे राजस्थान में सबसे बड़ी ग्रेनरी है और डेवलपमेंट के ब्लाक हैं, न होस्पिटल ए क्लास बना, न ड्रेन के लिये पैसा दे पाये। राजस्थान सरकार को न इस तरीके से सोचना चाहिये। और बाकी की मण्डीज के डवलपमेंट के बारे में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, इन सारे के सारे के बारे में एक दृष्टि से सोचें। इस दृष्टि से सोचें कि रूरल इकोनोमी को डवलप करना है। इन्टेन्सिव कल्टीवेशन को बढ़ावा देना है तो मैं समझता हूं राजस्थान कैनाल के पानी को आप डाइवर्ट करेंगे। उसका पानी देने का प्रयत्न करेंगे। हमारी इंटेन्सिटी पानी की बढ़नी चाहिये तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं वहां उत्पादन ज्यादा होगा।

इसके अलावा यहां की आपकी घोषणाओं का क्या असर पड़ेगा, अध्यक्षजी, मैं इसके बारे में गम्भीरता से निवेदन करना चाहूंगा। जिस तबके को फायदा मिलना चाहिये, खेतिहर मजदूरों को, शिड्यूल कास्टस् के लोगों को, वहां के शरणार्थियों को, मुजाहिरों को, उन पर सिवाय लेण्ड रेवेन्यू के बाकी की जो दूसरी घोषणाएं आपने की हैं, उनका उन पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वह आंशिक है। इसलिए क्या हमदर्दी आप इनके साथ बता रहे हैं। ये लोग इस आन्दोलन की नींव हैं, और हजारों की संख्या में वे जेल गये है। वे आज कहीं भी हो, खेतों में हों, घरों में हों, दुकानों पर हों। अस्पताल या स्टेशन पर हों, बाजारों में घूम रहे हो, उनका मन आज नहीं है, यह मै आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं। जब मन खुश न हो तो गुस्सा होना स्वाभाविक है और यह गुस्सा इन्तजार करेगा, वे 7 बजे वाले रेडियो को सुनेंगे, वहां इनको सन्तोष नहीं मिला तो 8-30 का रेडियो सुनेंगे कि क्या घोषणा आज हुई है। क्या चीज उनको मिलने जा रही है। हमने आज तक उसमें भ्रम पैदा नहीं किया है। जैसा स्टेटमेंट आपने दिया उसको वैसा का वैसा न घटाकर और न बढ़ाकर उसको उनके सामने हमने रखा, उसके सामने उसका क्या असर पड़ता है यह भी रख दिया। यहां पर जिस प्रकार का डिसकसन होता है, मैं यह मानकर चलता हूं, खिस प्रकार का डिसकसन हम बाहर जायें, जो डिसकसन का रास्ता वहां दूसरा है। हम यह नहीं चाहते हैं कि आन्दोलन हो। हम तो यह चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हों और आन्दोलन को वापिस लें। यह आन्दोलन, अध्यक्षजी, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है, इसके पीछे कोई इन्डीवीजुअल एप्रोच, रीजनल एप्रोच या पोलिटिकल एप्रोच नहीं है। यह जन आन्दोलन के शक्ल के रूप में शक्ति पकड़ गया और सारे राजस्थान में वह फैल गया। सामाजिक और राजनैतिक जीवन में इस

Page No 175

(श्री केदारनाथ)

आन्दोलन का इम्पेक्ट रहा है। इस आंदोलन की वजह से जो सामाजिक और वैयक्तिक झगड़े थे वे आज हमारे यहां पर समाप्त हो गये और एक जनशक्ति पैदा हो गई है, संगठित हो गई है। मैं सोचता हूं अध्यक्षजी, यदि आप कोई सोशल आर्डर देना चाहते है, नई वैल्यूज क्रियेट करना चाहते हैं, आप अपनी नई पौलिसीज की मार्फत तो जिस तबके को आपको फायदा पहुँचाना चाहिये, फायदा मिलना चाहिये, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अगर आप उसको फायदा पहुँचाने का निर्णय लेंगे तो इसमें आप और हम एक हैं। असेम्बली में कानून बनाकर जो आप एचीव करना चाहते है, वह बाहर इस जनशक्ति के मारफत हम एकचीव कर लेंगे दोनों को मिला कर। अच्छा लेजिस्लेशन कानून यदि यह लेजिस्लेचर बनाती है तो इसके इम्पलीमेंटेशन के लिये मशीनरी बाहर है, वह बाहर उसको रिसीव करने के लिए तैयार खड़ी है। हम इसको तैयार करे और यह जनशक्ति बाहर से हमको सहयोग देगी। मैं सोचता हूं, मुख्य मन्त्रीजी आपको इस बारे में कोई ऐतराज नहीं होगा कि जो हमारी मंशा हैं, आपकी मंशा है और इस बीच में जो नेगोशिएसन आपने शुरू किया, सब के मन में एक चीज थी पहले दिन आफिसरों के तबादले की बात। इन लोगों ने 'यहां के लोगों पर लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई, लोगों के साथ इन्होंने मारपीट की, और जिनके इशारे पर मिलिटरी अलर्ट की गई। उनके कहने से धारा 144 वहां पर लगाई गई, इन्टेलेक्चुअल आदमी को मारा गया, उन आफिसरों का आप पहले तबादला कीजिये तब नेगोशियेसन की स्टेज पर आयेंगे। हमारे मन में यह बात थी और आपका इण्डीकेशन था और दूसरी बातें लेंगे। खुलासा तौर पर बातचीत हो और हमारे लोगों में आपके एश्योरेंस का इन्डीकेशन था कि इस वार्तालाप के बाद एक अच्छा क्लाइमेट पैदा करने के लिये, रास्ता निकालने के लिये तजवीज की जायेगी। मेरा निवेदन है कि आप अगर यह पैदा करना चाहते हैं, तो पहले आप उन आफिसरों का तबादला कीजिये। हम यह नहीं चाहते हैं, कि वे वहीं पर हाजिर रहें। हमने उनका सस्पेंशन नहीं चाहा है। उनके वहां हाजिर रहने पर आप सोच सकते हैं, जो इन्जुरिड है, जो लोग मर गये हैं, उनके दिल में क्या होता है ? वे लोग यहां रहने पर ईवीडेंस को बना पायेंगे और डिफेंस ले पायेंगे। जो ज्युडिशियल इन्क्वायरी आप करा रहे हैं उसकी मेन्डेटरी पावर्स है, यह मैं मानता हूं। जिस आन्दोलन के बारे में आपने 19 जनवरी को बयान दिया, आपने आन्दोलन का असर और उसकी व्यापकता को मानते हुए जो बयान दिया, उसका असर मानते हुए आपने जो घोषणा की थी मुख्य मन्त्री जी, उससे आप ऊंचे उठे थे। इसके बाद ज्यों ज्यों आपके स्टेटमेंट आते रहे, उनसे आप नीचे गिरते गये। उनसे आपका स्टेटस लोवर हुआ है। आन्दोलन की व्यापकता और उसका असर मानते हुए भी आपने इन आफिसरों का तबादला न करके एक नई कन्वेन्शन पैदा कर दी है। आपने जो दूसरी सहूलियत लीगल एडवाइज की इनको दी है, उससे जनता में असन्तोष है। पब्लिक को भी इस प्रकार की सहूलियत मिलनी चाहिये। आप पुलिस के अफसरों को दोषी

(श्री केदारनाथ)

न मानकर क्या इस प्रकार पब्लिक को दोषी नहीं मान रहे हैं। सरकार पुलिस के अफसरों, एस. डी. एम. के साथ, अगर इस तरह आइडेन्टिफाइड होती है, तो वह गलत है। सरकार इससे ऊपर है। आज अध्यक्षजी, यह डेमोक्रेटिक तरीके को सरकार है और अगर आप अपने आपको इन आफिसरों के साथ आइडिन्टिफाय कर लेते हैं, तो कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस की पालिसीज को आप प्रकट नहीं कर रहे हैं। सारे केबिनेट के निर्णय को सारी कांग्रेस पार्टी मान कर चले, तो मैं नहीं समझता कि आप सही तौर से एडमिनिस्ट्रेशन कर पायेंगे। इसके लिए आपको कन्जीनियल क्लाइमेट बनाना पड़ेगा। एक बार सबके साथ इक्वीलिटी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको नये कन्वेन्शन बनाने पड़ेंगे। यह सरकार को मानकर चलाना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब, पींच करने के लिए मैं यह बात कह रहा हूँ, ऐसी मेरी कतई मन्शा नहीं है। मगर अध्यक्षजी आज उस इलाके की हालत क्या है? 50% से अधिक लोग इन बातों को भूल गये हैं कि उनकी मांगें क्या हैं? परन्तु अध्यक्षजी जब वे बाजारों में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, स्टेशन और अस्पताल में जाते हैं, तो उनके सामने वह सीन आ जाता है, फायरिंग का सीन आ जाता है, लोग मरे पड़े हैं, लाशें पड़ी हैं बाजारों के अन्दर, लोगों को दूकानों और मकानों के अन्दर पीछा करके पीटा जाता है, वे सारी घटनायें उनके सामने घूम जाती हैं? अध्यक्षजी आप इसका अन्दाजा नहीं लगा सकते और उन आफिसरों को नहीं हटाने पर लोगों का गुस्सा बढ़ता है, असन्तोष बढ़ता है, उनकी नाराजगी बढ़ती है और वह फिर दूसरी तरफ डाइवर्ट होती है, रांग चेनल्स वे एडाप्ट करते हैं। इस बैक-ग्राऊंड में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इन आफिसरों का तबादला कर देंगे तो लॉ एण्ड आर्डर में वहां पर कोई डेटोरियेशन नहीं होगा, आपकी सर्विसेज डिमोरलाइज नहीं होगी और जो लाठी चार्ज हुआ, मिलीटरी को अलर्ट किया गया, इसके लिये जांच के लिये आप सेन्ट्रल के जांच ब्युरो को सुपुर्द कर दें, जैसा कि आपने स्टूडेन्ट के इन्सीडेन्ट्स के मामले में किया है। कैसे मरडर हुआ, इन सब बातों के अन्दर न जाते हुए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आपने इसको सेन्ट्रल ब्युरो को सौंपना ठीक समझा, उसी तरह से इसको दे दें। वहां पर लाठी चार्ज हुआ, दफ्तरों में, घरों में पीछा करके जिस तरह से पीटा गया, इस केस को हम जस्टीफाय करें, तो मैं समझता हूं और सोचता हूं कि इसको सेन्ट्रल जांच ब्यूरो को सौंप देना चाहिए। इसके साथ ही साथ यह भी मांग है कि इन आफिसरों का तबादला करिये जो लाठी-चार्ज और इन सारी हालातों के लिए जिम्मेवार हैं। उसके बाद सारी हालात ठीक तरह से पैदा हो सकती हैं और जो मांगें रह गई हैं, जिनके बारे में और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जो मांगें हमारी रह गई हैं और जो आपने नहीं मानी हैं, उनके बारे में, इम्पलीमेंटेशन के बारे में, फिर एक बार मौका दें। मैं सोचता हूं कि इस आंदोलन का एक इम्पेक्ट आपके दिमाग पर है। हम लोग बैठकर इसका कोई रास्ता निकाल लेंगे तो राजस्थान में अमन चैन होगा, लॉ एण्ड आर्डर की कोई प्राब्लम नहीं होगी। इन लोगों में डेमोक्रेटिक स्प्रिट पैदा हो....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री केदारनाथ)

लोगों का समाजवाद और लोकतन्त्र में विश्वास पैदा हो, तो हमें बैठ कर एक बार फिर सोचना होगा और उनको पूरा करना होगा।

इस भूमिका के साथ अध्यक्षजी, मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा, मुख्य मन्त्री जी को वे इन हालातों पर गौर करते हुए अपना स्पष्टीकरण और जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से गंगानगर की समस्याओं पर विचार हो रहा है। इस बारे में 25 मार्च को एक वक्तव्य भी मुख्यमंत्री महोदय ने इस सदन में दिया था और उसके बाद आज के वक्तव्य से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सारी समस्यायें केवल गंगानगर जिले की रह गई है बाकी सब जिलों में सभी समस्यायें सुलझी हुई हैं। पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, दवाइयां आदि सब का इन्तजाम गंगानगर जिले के लिये ही आवश्यक है बाकी सब जिलों में सब तरह से सुख शान्ति व्याप्त है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपको दूसरे जिलों में इस प्रकार की आवश्यकताओं की जरूरत नहीं पड़ी ? कारण इसका यह है कि गंगानगर जिले के लोगों ने जिस प्रकार से 6 महीने से जलवा दिखाना शुरू किया. उसके सामने सरकार झुकी, आज उनकी सब समस्याओं को तय करने के लिये तैयार हो गई और उसके लिये घोषणा भी कर दी गई। मुझे इस बारे में यह निवेदन करना है। मैं दिन भर से सुन रहा हूं आबियाना बढ़ाया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस आबियाना में 6।। करोड़ का घाटा रहने वाला है वह आप कहां से पूरा करेंगे ? गंगानगर का आबियाना कम करके आप यह कह दीजिये कि इसको अलवर में लगा देते हैं। जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़ आदि में कितना लगाओगे। हम तो आज भी गंगानगर से डेढ़ा देते हैं। आप हमारे लिये इतना ही कर दीजिये हमारे यहां भी गंगानगर के बराबर कर दीजिये। आपके यहां जितनी सिंचाई की रेट है, आप उतनी ही अन्य इलाकों के लिये कर दीजिये। इसमें भेदभाव क्यों रखते हैं ? गंगानगर के इलाके में बारह मासी पानी मिलता है, हर फसल को पानी मिलता है और सिंचाई की दर इतनी कम है, अन्य इलाकों के मुकाबले यह भेदभाव राज्य में क्यों रख रखा है। क्या इसलिये है कि दूसरे लोगों को बोलना नहीं आता या वे संगठित नहीं है ? या जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन नहीं है या उनके पास आन्दोलन चलाने के लिये पैसा नहीं है। हर जगह लोगों के पास दो दो चार चार बीघा से अधिक जमीन नहीं है। आज जिनके पास एक बीघा या दो बीघा जमीन है उनके पास से आप गेहूं की सिंचाई पांच या 6 रुपया लेते हैं। वहां पर आन्दोलन होता है जहां के लोग पैसे वाले हैं बड़े जमींदार है जिनके पास खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं जिनको आन्दोलन के लिये भेज सकते हैं और 3-4 हजार आदमी भी जेल में भिजवा सकते हैं। आपके पास पैसा खर्च करने के लिये है। आपके पास दो बीघा वालों की आवाज नहीं पहुंचती। दूसरा आपको जमीन का मुकाबला कहां हैं ? आपने गंगानगर के लोगों को 25 बीघा जमीन दी है। दूसरी तरफ आपने गम्भीरी बान्ध के नीचे किसी को पांच बीघा से भी ज्यादा जमीन दी है क्या ? आप दूसरी जगह तो पांच

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

बीघा से ज्यादा नहीं देते हैं। गंगानगर में एक मुरब्बा और चित्तौड़ में पांच बीघा, यह आपकी समानता कहां रही है। यह इसलिये कि मोहनलालजी सुखाड़िया राज करते हैं, इसलिये चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर में तो पांच बीघा और गंगानगर में 25 बीघा। यह अन्तर क्यों ? आपके जोधपुर के जवाई बान्ध के नीचे किसी को 25 बीघा जमीन दी है ? नहीं देंगे। गंगानगर के लोगों को 25 बीघा जमीन देने का एक ही कारण है कि आप वहां के लोगों से घबराते हैं। सारी पार्टियां गंगानगर के लिये एक हो गई...

श्री रामचन्द्र आर्य : आप भी आगे हो जाना।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अरे यार चुप रहो। जब तुम बोल रहे थे, मैंने आपको बाधा नहीं डाली। अक्ल से काम ले। खाली ऊंट चराता हुआ यहां आ कर बैठ गया।

गंगानगर के लोगों को 26 बीघा भूमि हर भूमिहीन को दी जायगी। कोलोनाइजेशन मिनिस्टर साहब आपके इलाके में भी किसी को आपने इतनी जमीन दिलवायी है क्या ? यहां तो आप 15 बीघा बारानी भूमि देते हैं अगर पांच बीघा सिंचित दे दी तो उसको बारानी नहीं देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके भीलवाड़ा में भी किसी के पास पचास बीघा सिंचित भूमि है क्या ? नहीं है। यह इसलिये कि आपको जो जिन्दाबाद बोलते है उनके साथ यह सलूक और जो डरा धमका कर करालें उनको यह फायदा....

श्री रामचन्द्र आर्य : यह खूब सुखाड़ियाजी ने भर कर भेजा है। उनकी तरफ से ये बोल रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आज आपको यह पता होना चाहिये, राजस्थान नहर को कौन बना रहा है, जो मजदूर उस पर काम कर रहा है वह किस इलाके का है ? राजस्थान का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसके गंगानगर इलाके के कितने हैं, बीकानेर, चुरू और बाड़मेर जिले के कितने हैं। आज से दस साल पहले कितने थे ? आज आप यह कर रहे हैं राजस्थान नहर पर जो लोग मजदूरी के लिये गये हैं और वहां रह रहे हैं उनके लिये कहते हो कि तुम्हारे लिए जमीन नहीं। आज आप उन लोगों के लिए कह रहे हो कि जो इस इलाके का रहने वाला है, उसी को जमीन दी जायगी। जिन लोगों ने अपने परिश्रम से दूर दूर से आकर इस नहर निर्माण में योग दिया है, उनको वहां पर जमीन नहीं। यह बहुत ही अनुचित बात है। मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान केनाल जिन लोगों ने बनाई है, जैसे गंगा नहर बनी थी महाराजा गंगासिंह ने उस समय चूरू और बीकानेर जिले के सब लोगों को जमीन दी है। आज यह कहा जाय कि केवल वहीं के लोगों को मिलेगी यह ठीक नहीं है। जो विचारे मजदूरी के लिये वहां आये थे और वहीं पर बस गये उनको, आपने इस तरह से भुला दिया है।

एक मा० सदस्य : वे खेती का काम नहीं जानते।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तुम्हारी तरह से वे चिलम नहीं भरते।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

जहां तक पानी का सवाल है। अनूपगढ़ तहसील बीकानेर जिले में थी....

श्री भैरोंसिह : आपके यहां भी तो नहर बनी है सूरसागर वाली....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप अपने इलाके वालों के लिए क्या कर रहे हो, बता दूंगा। आपके यहां जयपुर में एक करोड़ गैलन पानी रोजाना बह जाता है, उसका उपयोग कराइये। मेरे यहां तो आपसे आधा भी नहीं।

एक मा० सदस्य : क्या आपका पानी उतर गया ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं निवेदन यह कर रहा था कि जब अनूपगढ़ तहसील बीकानेर जिले में थी, कुछ पोलिटिशियन्स, जिनको यह अक्ल थी आपके राज में केनाल आयगी, जिनके दिमाग में यह थी राजस्थान केनाल यहां आयगी, उसके आने के बाद गंगानगर जिले में हमें भूमि का हिस्सा मिलेगा ताकि गंगानगर जिले की जमीन पर हम कब्जा कर पायेंगे....

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तो स्टेट के मर्जर के बाद में हुआ है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप बोले थे उस समय मैं चुप था, चुप रह यार।

श्री रामचन्द्र आर्य : तोड़ मरोड़ कर बात मत कह।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूं। जिस इलाके में पानी जायगा, नहर आयगी, वह गंगानगर जिले में जायगा। आप चुरू और बीकानेर को गंगानगर जिले में मिला दें, गंगानगर जिले का कर्जा भी मिट जायगा। राजस्थान नहर बनायी हमारे यहां के लोगों ने और जमीन दे रहे हो सीकर शेखावाटी के जागीरदारों को वे यहां से क्या मांगते हैं, उनको आपने लाखों एकड़ जमीन दे दी। मेरे यहां मजदूर आदमी जमीन की मांग करता है, तो उसके लिए नहीं है। बीकानेर के लोग इस बात को भूले नहीं, वहां के जागीरदार को एक को भी नहीं मिली....

श्री मदनसिंह : शेखावाटी का जागीरदार कहां, वह तो मामूली किसान है। उस गरीब राजपूत को जागीदार मान लिया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : शेखावाटी के राजपूतों को दे दी, क्योंकि आप उनको तलवार का धनी मानते हैं। मुझे तो आप बता दें कि गरीबों के लिये आपने क्या फैसला किया क्यों नहीं बीकानेर और चुरू के वाशिन्दों को जमीन देते। आपने अकाल के कारण सारे राजस्थान के लोगों को यह आव्हान किया था कि आप राजस्थान नहर के काम के लिये चलिये आपको वहां जमीन मिलेगी। लेकिन उनको तो मिलना दूर रहा, आज आप सरमायेदारों को दे रहे हैं ! पैसे वाले हैं वे चाहें जहां से मजदूर बुला लेंगे। आज बेचारे पढ़े लिखे लोग बेकार फिरते हैं, आज उनको आप वहां जाने नहीं दे रहे हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं लूणकरणसर इलाके के एक हजार परिवार वहां बसे हुए हैं। उनको जमीन नहीं, क्योंकि तुम इस सीमा में नहीं रहते हो। यहीं का रहने वाला जो किसान है वही गरीब है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम कोई दूसरे देश के रहने वाले है, क्या पाकिस्तान के

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

रहने वाले हैं। अगर आपने इस तरह का निजाम कायम किया तो एक एक गांव में संघर्ष शुरू करवा देंगे । बीकानेर के लोगों को, चूरू के लोगों को नहरी पानी देने की व्यवस्था कीजिये। गरीब जो खेतीहर लोग हैं, उनको बाहर जमीन दीजिये। मैं अनूपगढ़ तहसील की बात निवेदन करना चाहता हूँ, उसमें बहुत कम आबादी है और जमीन काफी है। आपने कहा 1955 तक जो गंगानगर में बासिन्दे हो गये हैं उनको देंगे, 1962 में जिन्होंने अपना नाम लिखा दिया हो चाहे वह पंजाब का रहने वाला हो या शिमला का रहने वाला हो, उसको देंगे लेकिन गंगानगर से एक मील दूर जो रात दिन वहीं मजदूरी करता है, आपके राजस्थान केनाल में मजदूरी करता है, उसको इसलिये नहीं मिलेगी क्योंकि उसने नाम नहीं लिखाया। आप यह तय कीजिये कि वहां के लोगों को जमीन देंगे। शिड्यूल कास्ट के लोगों को गंगानगर में जमीन देंगे, लाखों रुपया खर्च करके वे आये हैं। 1962 तक की आप मांग कर रहे हैं, हम तो कहते हैं हम 62 हजार वर्ष पहले नाम लिखा चुके है और जब अब रेगिस्तान में नहर आई है, तो उससे हम वंचित हो रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप तो रामचन्द्रजी के साथ होंगे ?

श्री मदनसिंह : रावण तो उधर बैठे हैं और आप सूर्पनखा हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : ये तो फिजूल की बातें करते हैं, मैं इन बातों में नहीं पड़ता हूँ। अब आपको एक निवेदन यह करना है कि जहां तक...

एक माननीय सदस्य : आप तो मौज करो, आपको नहीं मिलने वाली है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : हम से कहा जा रहा है मौज करो अर्थात् हम लोगों को जमीन नहीं मिलेगी। मैं मानता हूँ आज जैसा समय चला तो किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। जनतन्त्र में पावर पोलिटिक्स चलती है, जिनके हाथों में पावर है, जो राज्य में अपना हिस्सा ले सकते हैं, दे सकते हैं वे ही लाभ उठाने वाले लोग हैं। गरीब लोग कितने ही चिल्लायें वे लोग उनको जमीन नहीं देने देंगे। मौज कहने से काम नहीं चलेगा। आन्दोलन चलाना होगा और गंगानगर के लोग आन्दोलन चला सकते हैं तो हम भी चला सकते हैं। राजस्थान के हर काश्तकार को जमीन दें। आज रेगिस्तानी इलाका पूरा थार का इलाका है। आप यह कह दें कि हम एक जगह के लोगों को देंगे दूसरे लोगों को नहीं देंगे और वह चाहे किसी प्रान्त से आकर बस गया हो तो मेरा यह निवेदन करना है यह ठीक नहीं है। आप इस पर विचार करें, अपने विचारों को बदले और अगर विचार नहीं करना चाहते हैं तो हम भी रामचन्द्र जी आर्य से हजार गुणा आन्दोलन चला सकते हैं। इन्होंने आन्दोलन चलाया ही क्या होगा, ये तो आन्दोलन चलाना ही नहीं जानते।

श्री भैरोंसिह : अपोजीशन में रामचन्द्र आर्य और कांग्रेस पार्टी में आप...

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं कहता हूं इसको आप मजाक में मत लीजिये...

श्री भैरोंसिंह : मै तो आपके साथ हूं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कभी आप शहर की नहीं बोलते हैं । मैं हमेशा शहर की बोलता हूं और गांवों के लिए भी बोलता हूं । आपके मेरे झगड़ा हो इसी बात का है । जब भैरोंसिंह जी बोले तो गांव की नहीं बोलें । आप जयपुर के लिए भी बोले, मेहरबानी करके यहां गरीब रहते हैं । हवेलियां तो यहां अमीरों की हैं बेचारे गरीबों के पास तो किराया देने तक को नहीं है । यहां तो खाने पर भी टैक्स लग रहा है लेकिन आपको कोई शिकायत नहीं हैं । एक पैसा रेवेन्यू का बढ़ा दिया तो आप चिल्लाते हो । हम तो सिंचाई के पैसे देते हैं, वह गंगानगर वालों से ज्यादा देते हैं । गंगानगर वाले तो हमसे चौथाई देते है ।

श्री भैरोंसिंह : उनके लिये भी बोला हूं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : शेखावत जी सिंचाई की दर बरांबर कर दीजिये यह तो कहें । जयपुर में भी गरीब लोग रहते हैं, सैलसटैक्स मत बढ़ावो यह भी तो कहो ।

श्री रामकिशन (वैर) : आप बोल क्या रहे हैं इस समय तक, मैं जरा समझ नहीं पा रहा हूं ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मेरा यह निवेदन करना है कि उस 26 तारीख का जो स्टेटमेंट है, उसमें निश्चित रूप से सुधार कीजिये और सुधार नहीं करते है तो मैं देख चुका हूं हर बोलने वाला आदमी कह देता है देखना, इसका परिणाम क्या होगा यह भी देख लेना । मेरे यहां के एक-एक परिवार वालों ने वहां जमीनें बोई हैं । हर मुरब्बा में उन्होंने हजारों रुपया खर्च किया है और जमीन को सुधारा है । अगर उनको आपने बेदखल किया तो देख लेना उनकी लाशों पर जमीन छीनी जायगी । आन्दोलन चलाने वाले लोग हम भी हैं ।

श्री रामानंद अग्रवाल : आपके बीकानेर में मालपानी सेठ हैं....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैंने तो नाम ही नहीं सुना है मालपानी का ; कौन है यह मालपानी, कोई गाव का नाम है क्या ? मैं तो मागू, चानू, थानू भाई को जानता हूं । कौन हैं ये मालपानी, कहां पैदा हो गया है ये ? बीकानेर में तो मालपानी का नाम ही नहीं है । अग्रवाल साहब, इन सेठों से तो आपका सम्बन्ध है, मेरा तो कोई सेठों से वास्ता नहीं है । यह तो आपका ही काम है, आप ही सेठों से मिले रहते हो । मैं तो गरीबों की बोलता हूं । मेरे साथ चलो मैं आपको दिखा दूं सेठ कहां है और कहां नहीं है । वह तो आपके अलवर में ही रहते हैं । अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने नाजायज कब्जा कर लिया हो, जिन्होंने आपकी जमीन पर वैसे ही कब्जा कर लिया है, उन आदमियों को आपने बेदखल किया है । हमारे अन्दर तो यह पीड़ा दो साल से थी कि इनको बेदखल किया जाना चाहिये । इसकी हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने ऐसे लोगों को बेदखल किया है ।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

लेकिन आप यह तय करें कि भूमिहीनों को भी जमीन देंगे । अध्यक्ष महोदय, जहां के लोग ज्यादा तादाद में हैं, उनकी बात सुनली जाय और जहां पर कम तादाद में

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

लोग हैं, उनकी बात न सुनी जाय, यह जनतन्त्र की बात नहीं है। मेरे इलाके की बात भी सुनिये और उनको जमीन दीजिये। अनूपगढ़ की तहसील वापिस दीजिये, अनूपगढ़ की तहसील को आपने..

श्री रामकिशन : चुनाव क्षेत्र के साथ आपका भाषण बदल जाता है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : वहां के गरीबों की बात करता हूं, पता नहीं आप किस प्रकार की सोसलिस्ट हो, आपको पता ही नहीं है गरीबों का दुख दर्द क्या होता है ऐसे ही हमारे रामानन्द जी हैं, इनको भी कुछ पता नहीं...

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये, इधर उधर नहीं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसलिये मेरा निवेदन है मेहरबानी करके उनको खेती करने दीजिये, गंगानगर को भी जमीन दीजिये तो हमें भी दीजिये। सामन्तों ने हमें गंग कैनाल दी है आप सामन्तों से भी गये गुजरे हो गये हैं क्या? गरीब लोग हैं, उनको जमीन अवश्य दीजिये। सिर्फ कुछ लोगों को राजी करने के लिये राजनैतिक दृष्टि से आप अलाटमेंट करते हैं। कानपुर से जो गंगानगर में बस जाय, शिमला से जो आकर गंगानगर में बस जाय और अपना नाम लिखा लें, उनको आप जमीनें दे देंगे और अनूपगढ़ से एक मील दूर का जो आदमी है, जो रातदिन आपके कैनाल में काम करने जाता है उसको आप जमीन नहीं देंगे यह कौनसा न्याय है आपका?

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी। सदन की अनुमति से माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के भाषण समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाता है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई चौथा पांचवा नाम है। मुझे बोलने का समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं जिनका नाम नहीं है और जो व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं उनको तो आप समय दे रहे हो और मुझे आप बोलने से रोक रहे हो....

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री महोदय....

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दिया जाये। फिर समय होगा तो....

श्री मदनसिंह : मैं खड़ा हो रहा हूं और चौथा समय है....

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री महोदय....

श्री मदनसिंह : मैं निवेदन करूं कि आप खुद जानते हैं जिनके नाम नहीं होते हैं, उनको बोलने दिया जाता है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, बहुत समय हो गया है। मैं समय नहीं दे सकता हूं।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिनके नाम होते हैं उनको टालकर जिनके नाम नहीं होते हैं, उनको बोलने दिया जाता है। इस तरह की व्यवस्था देते हैं, तो यह उचित तो नहीं है और हमारे जो भाव हैं जो रेवे-

(श्री मदनसिंह)

न्यू के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता था, मैं कोई ठोस सजेशन्स देना चाहता था और जितने माननीय सदस्य बोले हैं सिवाय इसके कि रिपीटीशन हुआ है और कुछ नहीं है....

श्री अध्यक्ष : सीलिंग के वक्त में आप बोल लीजिये। अभी मैं समय नहीं दूंगा। मुख्य मन्त्री जी....

श्री मदनसिंह : अच्छा तो यह होता कि आज से एक साल पहले मैंने चाह लिया था, आपके यही भाव हैं कि एक व्यक्ति....

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री मदनसिंह : आज असेम्बली में नहीं बोल सकें उसको आप मजबूर करें तो ठीक है....

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री मदनसिंह : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपने त्यागपत्र की ओर संकेत कर दिया, इसलिए मैं मुलायम हो गया।

श्री मदनसिंह : आपकी मुलामियत राजस्थान गवर्नमेंट की तरह ही है।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये। अब विषय पर आ जाइये।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो तीन मिनट ही लेने हैं। राजस्थान सरकार ने और विशेषकर मुख्य मन्त्री महोदय का बाहर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा नाम है पंचायती राज के लिए और भी बड़ा नाम है लेकिन रेवेन्यू साइड में मुख्य मन्त्री जी ध्यान देते तो यह गंगानगर की प्राब्लम नहीं होती। रेवेन्यू के आपके अधिकारी और रेवेन्यू मिनिस्टर में बहुत बड़ा विचारों का अन्तर है। इधर जनता के प्रतिनिधि हैं और उधर एक कानून के जानने वाले हैं। वह कानून में खींचते हैं और इधर आप जनता में हां हां कर लेते हैं, इसलिए वह हां और कानून का दोनों का मेल नहीं खाता। इसलिए दोनों में मतभेद है। मेरे पूर्व वक्ता ने इतनी सही और सच्ची बात की कि आज राजस्थान का गरीब उदयपुर का भी हो सकता है, दांता रामगढ़ का भी हो सकता है। अगर गरीब है और भूमिहीन है और चाहे किसी भी जाति का है अगर उसको जमीन नहीं मिल सकती तो यह डिस्क्रिमिनेशन तो उचित नहीं है और अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू लाज को वापिस रिवाइज किया जाये। अगर रेवेन्यू एक्सपर्ट बैठे तो यह गंगानगर का ही प्रश्न नहीं है बल्कि सारे राजस्थान का प्रश्न है। कौनसे अलाटमेंट के लिए आपने आदेश नहीं दिया है। आपने आदेश दिया या 5 आदमियों की कमेटी बनाये और अलाटमेंट के सम्बन्ध में यहां बैठकर बात करें। अध्यक्ष महोदय, इस तरह एक नेता या दो नेता सुझाव देते हैं, तो वह कानून नहीं होगा और वह सारे राजस्थान का सुझाव नहीं होगा। जागीरदारों ने आंदोलन किया वह तगड़ा आंदोलन हुआ और यहीं के मुख्य मन्त्री ने आदेश दिया था कि गंगानगर में जाकर आपको बसाया जायेगा और आज उसके विपरीत आंदोलन होता है। गंगानगर के खिलाफ तीसरा आंदोलन होता है इसलिए मैं यह चाहता हूं कि राजस्थान के किसानों के लिए तब ही ठीक होगा कि रेवेन्यू लाज को रिवाइज किया जाये। आज देखना चाहिए कि कौनसी जाति के लोगों को जमीन मिल गयी है। कोई कहता है मैं जाट हूं इसलिए

(श्री मदनसिंह)

जमीन मुझे मिलनी चाहिए और मेरा धन्धा खेती का है. कोई कहता है मैं राजपूत हूं और खेती करने का मेरा धन्धा है और इसलिए काश्तकार मैं हूं । कोई हरिजन अगर एक लाख रुपये से चमड़े का व्यापार करता है तो वह भी खेती जाकर करेगा क्या ?....

श्री बिरदाराम : (अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : मैं बताऊंगा जो आप जैसी टोपी नहीं लगा सकते । मेरा कहना है कि ब्राह्मण आज केवल मन्दिरों के हैं लेकिन आज उनका मन्त्र कौन सुनता है । आज भूमिहीन ब्राह्मण है तो उसकी भी जमीन नहीं मिले और वह करना चाहें तो उचित नहीं है । कहने का मतलब यह है कि किस जाति को खेती के लिए जमीन मिल चुकी है और किस को नहीं और जिसको नहीं मिली है उस जाति के लोगों को जमीन मिलनी चाहिए । यह नहीं होना चाहिए कि जाट है तो जाट को ही मिलनी चाहिए और गूजर है तो गूजर को ही मिलनी चाहिए । इसलिए राजस्थान की रेवेन्यू की समस्या मुख्य मन्त्रीजी साल्व करना चाहते हैं तो इन रेवेन्यू लाज को वापिस रिवाइज करना पड़ेगा । इसके बाद यह देखना पड़ेगा कि किस जाति में कितने आदमी हैं, जिनको जमीन नहीं मिली है....

एक माननीय सदस्य : भूमिहीन पकौड़ी बना सकता है लेकिन हरिजन कौन है जो पकौड़ी बना सकता है ?

श्री मदनसिंह : हरिजन मन्त्री बन सकता है तो पकौड़ी क्यों नहीं बना सकता है ? आप बनाओ तो मैं तो खा लूंगा । कुछ भी हो आपके मन्त्री पकौड़ी बनाना जानते हैं और मैं खाकर आया हूं । राजस्थान की समस्या कोई हल नहीं होगी जब तक की सम्पूर्ण राजस्थान की जातियों को छांटकर देखा जाये कि कौनसी जाति के पास कितना जमीन है । राजस्थान में सबसे अधिक जमीन है तो जिस जाति में नहीं तो उसको जमीन मिलनी चाहिए । यह समस्या तभी हल हो सकती है । एक जाति ऐसी है कि जिसके पास कतई जमीन नहीं है, चाहे छोटी जाति कह दें या बड़ी जाति कह दें । आपके जितने लॉ हैं वह एक से लॉ होने चाहिए । आज गंगानगर का आन्दोलन हुआ उसके रूल्स बना देंगे और भूमि आवंटन के फौजियों के लिए भी 1½ लाख एकड़ भूमि आपने रिजर्व की थी । वह कहां उड़ गयी ? आज यह होगा कि फौजी गंगानगर का नहीं है इसलिए उसको वहां जमीन नहीं मिलेगी । एक नया कानून होगा तो उस फौजी को जमीन नहीं मिलेगी । चाहें वह चाइना में लड़ा हो या पाकिस्तान में लड़ा हो । जिस समय मरा था उस समय उसकी इज्जत हो गयी । चाईना में मरा, पाकिस्तान में मरा और चाहे वह अजमेर का है तो वह गंगानगर में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां आन्दोलन होता है, इसलिए आन्दोलनों के बेसिस पर आप मांगों को स्वीकार करते हैं । लेकिन आन्दोलन के बेसिस पर यह पाबन्दी लगे कि फौजी जो जान देता है वह गंगानगर में नहीं जा सकता क्योंकि वह वहां का रहने वाला नहीं है तो यह कानून क्या आप ठीक समझते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में बिगड़ा हुआ महकमा है तो रेवेन्यू है । पट-

Page No 185

(श्री मदनसिंह)

वारी से लेकर मन्त्री तक और जितने भी रेवेन्यू सैक्रेटरी हैं-रेवेन्यू सैक्रेटरी की अलग चलेगी तो मन्त्री की अलग चलेगी और पटवारी की अलग चलेगी और अगर आपका मन्त्री खुले दिल से किसी को जमीन देगा तो रेवेन्यू सैक्रेटरी आड़ लगायेगा और रेवेन्यू मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है । अगर रेवेन्यू सैक्रेटरी उसके ऊपर कुछ भी कलम चला दे तो, अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है कि उसको ओवररूल कर दे। अध्यक्ष महोदय, कई दफा देखा है। आपके लॉ और मन को एकसा कीजिए और जैसा जनता को विश्वास देते हैं, उसी के माफिक ही लॉ बनाइये । रेवेन्यू सैक्रेटरी लॉज में ऊंचे पड़ते हैं और जब राय देते हैं, तो वह लॉ के अनुसार राय देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप जनता को खुश करने के लिए ऐलान कर देते हैं, इसलिए [आपके एलान आपके रेवेन्यू सम्बन्धी चीजों में अच्छे ऊंचे स्तर का रेवेन्यू अधिकारियों का बोर्ड हो या समिति हो जो कि राज्य की मन्शा माफिक लॉ बनाकर राजस्थान सरकार को दे दे ताकि जो डिस्पेरिटी है, लॉ में डिस्क्रिमिनेशन है....

श्री अध्यक्ष : यह विषय अलग हो गया है।

श्री मदनसिंह : यही मैं कहना चाहता था । एक शब्द होम मिनिस्टर साहब से यह कह देना चाहता था कि आप सारे काम को करकरा कर पानी फेर देते हैं। अगर 5 आदमी मर गये हैं और उनकी यह डिमाण्ड थी कि थानेदार की पलटी कर दें एक छोटा सा काम है । आप अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर उस अधिकारी को अलग कर देते । जांच होती रहती । लेकिन सारा दिमाग के अन्दर है । चिट्ठी हमारे सामने देते हैं । क्यों आते हैं ? मामूली बात है ट्रान्सफर की, वह यहां आ रही है । इसको प्रेस्टीज का सवाल न बनायें । अब आन्दोलन नहीं है, आन्दोलन चला गया, लेकिन उसकी पूंछड़ी जिन्दा है । आन्दोलन समाप्त हो गया । आन्दोलन मैंने भी किये हैं । आप आन्दोलन को जीवित रखने के लिए चीजें छोड़ देते हैं। मामूली सी बात है इसमें जिद्द न करके वहां के कर्मचारियों को, जिन्हें लोग नहीं चाहते हैं, उनकी पलटी कर दें, ताकि वह जोश जिसको रामानन्दजी ने पहले ही कुचल दिया था, ठंडा हो जाता । राजस्थान के इस आन्दोलन को फेल करने में सबसे बड़ा हाथ कम्युनिस्ट लीडर का है, जिन्होंने बीच में धोखाबाजी करके जाकर गवर्नमेंट से साजिश की है । मैंने भी आन्दोलन चलाये हैं और मैंने डटकर मांगें मनवाई हैं । जो चाहा था वे मांगें मनवाई हैं । आपकी तरह से बीच में छोड़कर नहीं भागा हूं। डटने पर मांग मन्जूर होती हैं ।

श्री बिरदाराम : थोड़ा समय मुझे दें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अब समय नहीं रहा । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । (अपने स्थान पर नहीं बैठने पर) दिस इज हाऊ दी रूलिंग पार्टी बिहेव्ज । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।
माननीय मुख्य मंत्रीजी ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर के संबंध में मैंने जो पिछला वक्तव्य, दिया था और आज जो कुछ कहा उसके अलावा अब तक जो कुछ कहा जाता रहा उस पर एक दिन की चर्चा यहां पर रखी थी। उस सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों के विचार मैंने सुने, और मैं ऐसा समझता हूँ कि कुल मिलाकर जो 25 तारीख के दिन हमने जमीन, पानी और टैक्सेज के बारे में व्यवस्था दी थी, उसके बारे में भी यहां पर कुछ चर्चा सामने आई है, लेकिन ज्यादा रूप में उन बातों पर सहमति प्रकट की गई है, ऐसा मैं मान करके चल सकता हूँ।

माननीय अध्यक्षजी, एक सवाल नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा कि जो भी राजस्थान कैनाल के एरिया के अन्दर आते हैं और उसी बात का डिस्प्यूट जनसंघ के माननीय सदस्य का था कि जो भी 1955 के पहले राजस्थान नहर के कमाण्ड के अन्दर काश्तकार थे उनको पूरे खातेदारी के अधिकार जैसे दूसरी जगह दिये गये हैं, उसी प्रकार से दे दिये जायं। मैं समझता हूँ कि यह सदन अच्छी तरह जानता है कि जब हमारे टैनेन्सी एक्ट में 15 ए क्लाज को एड किया गया था, उसके पीछे मन्शा यही थी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में खातेदारी अधिकार इस प्रकार से दे दें और उसके बाद सीलिंग के वक्त वापस जमीन लें और जो अनएक्स्पेक्टेड एडिशन्स इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जमीनों के ऊपर एक साथ उपलब्ध हो जाना वाजिब नहीं समझा जा सकता। अगर किसी के पास 5–10–15 बीघा जमीन सन् 55 से पहले की होती और उसके खातेदारी का सवाल होता, नहर आने के बाद भी, तो समझ में आ सकती है यह बात, लेकिन सैंकड़ों बीघा और उस इलाके में तो कुछ लोगों के पास कुछ हजार बीघे की खातेदारी बन सकती थी। अगर केवल 55 के कानून के आधार पर ही सब को खातेदारी बना दिया जाता, तो फिर उनसे जमीन लेने की बात आती। तो इसी सदन की सहमति से इस बात को तय किया गया था कि हमें उसके ऊपर इस प्रकार का अधिकार नहीं देना चाहिए।

अभी तक जो फैसला किया गया है उसमें सीलिंग की लिमिट को जो कि 30 एकड़ कुछ क्षेत्र के लिए और कुछ क्षेत्र के लिए 43 एकड़ तक होगी जमीन, उस हद तक उनको खातेदारी देने की बात तय की गई है और साथ में रखा गया है कि 25 बीघा तक की जमीन पर मुफ्त खातेदारी इनको मिलेगी, बाकी 25 बीघा के ऊपर जो होगी, वह देनी होगी....

श्री रामचन्द्र आर्य : कीमत वसूल की जाती वह....

श्री अध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष।

श्री रामचन्द्र आर्य : धोखा है।

(सरकारी पक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा श्री रामचन्द्र आर्य को बैठाने के लिए नारे और आवाजें)

श्री दौलतराम सारण। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पक्ष का यह रवैया...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय श्री जगन्नाथ...,

श्री दौलतराम सारण : कांग्रेस के माननीय सदस्यों का रवैया बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। अगर ऐसा उन्होंने किया, तो हम भी मुख्य मंत्रीजी को बोलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री आर्य, आर्डर।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर कोहराम)

माननीय श्री सारण, आर्डर प्लीज।

मैं यह निवेदन कर दूं कि जब मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं तो इन्टरपशन न हों।

श्री रामचन्द्र आर्य : बीच में.... व्यवधान....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य इन्टरपशन्स न हों। उसके बाद में क्लेरिफिकेशन और स्पष्टीकरण का प्रश्न उठाए, माननीय मुख्य मन्त्रीजी के वक्तव्य के बाद।

श्री रामचन्द्र आर्य : बाद में रहेंगे ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : रामचन्द्र आर्य, यह व्यवस्था कुछ जमती नहीं है। मुख्य मन्त्रीजी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी इस आधार को मानकर इसके बारे में हमने 25 तारीख वाला वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्षजी, इस गंगानगर के आंदोलन के सिलसिले में और जो मांगें भी कुछ दलों की तरफ से समय समय पर आई हैं, उसमें विरोधाभास जो सामने आता है, वह मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य समझ गये होंगे। एक तो यह मांग की जाती है कि जिन लोगों के भी जिस जगह जो जमीन की कमी रह गई सबकी पूर्ति की जाय। दूसरी तरफ 50 बीघा तक भूमिहीनों को भूमि दी जाये। खातेदारी अधिकार जितनी जमीन 1955 के पहले उनके पास थी उस पर सब पर खातेदारी अधिकार दे दिये जायें और साथ-साथ सब भूमिहीनों को 50 बीघा जमीन....

श्री रामचन्द्र आर्य : आप कुछ भी न देना चाहें लेकिन आपको देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य.... माननीय श्री आर्य।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, इस प्रश्न पर काफी चर्चाओं के अन्दर, बात-चीत के अन्दर गम्भीरता से चिन्तन किया गया। कुछ चर्चाओं के दौरान भी यह सवाल रखा था कि राजस्थान के अन्दर आज कई इलाकों में सिवाय रेगिस्थानी इलाके के चाहे वह कोटा डिविजन का इलाका हो, चाहे उदयपुर डिविजन का इलाका हो, जयपुर के कई इलाके हैं वहां आज एक एक भूमिहीन को कई जगह 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा अनईरिगेटेड बारानी जमीन मुश्किल से एलाट कर पाते हैं, आज उस हालत में वहां 25 बीघा की लिमिट जो सारा इरिगेटेड है दे रहे हैं, क्योंकि इस बात का सब तरफ से जोर था सब की यह भावना थी और हम भी नहीं चाहते थे कि वहां पर इसके बारे में हम कोई एक प्रकार का रूख लेकर चलें, इस बात से हम सहमत हुए।

माननीय अध्यक्षजी, अभी यहां पर यह चर्चा की गई कि भाखरा के अन्दर हम आमदनी की और दूसरी बातें कहा करते

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हैं कि काफी जमीनें बिकी हैं, काफी आक्शन हुआ है, और काफी आमदनी वहां पर होती है। सरकार यह सवाल बार-बार क्यों उठाती है इस प्रकार का भी जिक्र किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले बारह वर्षों के अन्दर 1958-59 से लगा कर 1969-70 तक जो फिगर मुझे बताये गये हैं, उनके अनुसार तो सारी जमीन, अलाटमेंट उस में आ गया, आक्शन उसमें आ गया, से जो सरकार को आमदनी हुई है वह 8 करोड़ 57 लाख रु. की हुई है, जो मन्डियों की जमीन से आमदनी हुई है वह 1 करोड़ 8 लाख है और जो इरिगेशन रेट्स से आमदनी हुई है वह....

श्री रामानन्द अग्रवाल : बेटरमेंट लेवी से ?

श्री रामचन्द्र आर्य : आप इस हाउस की एक कमेटी बैठा कर जांच करवा दें। तो हम मान लेंगे। आपके यह आंकड़े गलत हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर इसमें फिगर गलत होंगे तो उसको मानने में एतराज नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप जांच करवा दें इस हाउस की एक कमेटी बैठा कर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इरिगेशन रेट से 2 करोड़ 70 लाख रुपये की आमदनी हुई है। इस प्रकार कुल 13 करोड़ 38 लाख होता है। भाखरा का इरिगेशन पोर्शन है, यह इरिगेशन पोर्शन है—इसमें जो टोटल दिया है यह पावर और इरिगेशन का टोटल है इसमें राजस्थान का 13 करोड़ 38 लाख रुपया इरिगेशन पोर्शन में आता है। इसके कम्पेरिजन में बारह साल में मेन्टेनेन्स का 4 करोड़ 39 लाख रुपये और इन 27 करोड़ रुपये के ऊपर बारह वर्ष के अन्दर जो व्याज दिया जाता है वह करीब 15 करोड़ रुपये के आसपास है। इस प्रकार इसके एक्सपेंडीचर के फिगर्स हैं, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज....

श्री रामचन्द्र आर्य : अधिकारियों ने जो खाया है वह भी जोड़ लें। भ्रष्टाचार किया गया है वह भी एडजस्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय नेता सारी संघर्ष समिति के नेता कहलाते हैं, बीच बीच में बोलते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिए कहता हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी मैं बोल रहा हूं....

श्री रामचन्द्र आर्य : हम गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य ! अंकित नहीं हो, कुछ भी बीच में बोलें वह।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXXX

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस प्रकार से करीब 19 करोड़ रुपया, यह पिछले बारह वर्ष के अन्दर खर्च का होता है, जिस

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
खर्च के अन्दर स्टाफ का, डेवलोपमेंट और दूसरी कई चीजों का डेवलोपमेंट वगैरह का मैंने शरीक नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा जो लोन गवर्नमेंट ग्रॉफ इंडिया से मिलता है इस लोन के बारे में जो आधार स्वीकार करके चला जाता है, उसके अनुसार यह लोन पन्द्रह साल के बाद हर साल में जितना लोन लिया जाता है वह लोन इन टोटो वापिस रिफन्ड करने के लिए होता है। मान लीजिये कि किसी साल दो करोड़ रुपये का भाखरा के लिए लोन लिया गया तो पन्द्रह साल के बाद दो करोड़ रुपये का रिपेमेंट होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, पंजाब का जिक्र भी यहां पर बार बार किया जाता है। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि पंजाब के साथ राजस्थान का फाइनेन्सेज के अन्दर कोई मुकाबला नहीं हो सकता। आज हमारी कोस्ट जो वाटर की भी आती है, यहां तक कि पानी लेने के अन्दर, मेन्टेनेन्स के अन्दर और इवेपोरेशन लासेज के अन्दर–यह सब तो है ही, पंजाब के अन्दर नांगल से नहर शुरू हो जाती है और इलाका के पास आ जाती है, लेकिन हमारे यहां मीलों नहर बनने के बाद पानी वहां पहुँचता है...

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष जी, गंग कैनाल के अन्दर और पंजाब के अन्दर और उसके अन्दर कई माननीय सदस्य शायद यह समझ कर चलते हैं कि पंजाब के अन्दर कोई टैक्स नहीं लगता होगा और पंजाब के अन्दर सारी सहूलियतें ही सहूलियतें हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पन्द्रह एकड़ के होल्डिंग को, जो पच्चीस बीघा के करीब होता है, जिसको एक मध्यम तरीके का, और गंगानगर के इलाके के अन्दर एक छोटा होल्डिंग समझ कर चलते हैं, राजस्थान के हिसाब से इरिगेटेड पच्चीस बीघा किसी के पास हो तो उसको बहुत ठीक समझ कर चल सकते हैं–इस होल्डिंग को, माननीय अध्यक्ष जी, पन्द्रह एकड़ बेसिक लैंड रेवेन्यू के तौर पर लें तो हमारे यहां पैंतालीस रुपये के आस पास मान कर चलें, मैं एवरेज ले रहा हूं, लोअर मिडिल और दूसरों का लेकर, जब कि पंजाब के अन्दर साढ़े बाइस रुपये के करीब आता है। पंजाब में सरचार्ज आन लैंड रेवेन्यू 5 रुपये 62 पैसे करीब आ जाता है, उसके बाद पंजाब में एक लोकल रेट फार पंचायत आती है जो 11 रुपये 25 पैसे पन्द्रह एकड़ की जमीन पर आती है, लम्बरदारी टैक्स है वह पन्द्रह एकड़ वाले के ऊपर 1 रुपये बारह आने आता है, और सैस आन कामर्सियल क्राप्स है वह पन्द्रह एकड़ जमीन के ऊपर पांच रुपये आता है, इरिगेशन रेट्स हैं वह वहां पर 190 रुपये समझें राजस्थान के अन्दर दस रुपये का एवरेज मान लें गो कि गेहूं का आठ रुपये और दूसरों का औसत दस रुपये मान लें तो पन्द्रह एकड़ का मैंने वर्क आउट करके देखा है तो वह 150 आता है। इसके साथ ही पंजाब में वाटर लोगिंग है, (श्री रामचन्द्र आर्य के खड़े होने पर) मेरा दृष्टिकोण सुन लें।

श्री रामचन्द्र आर्य : नकल करनी है यहां।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पंजाब में जो ओनर रेट है, उस ओनर रेट में पन्द्रह एकड़ जमीन पर करीब 45 रुपये देना होता है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस का ?

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ओनर रेट के बाद में लोकल रेट, और फिर ओनर रेट और है, तो यह साढ़े बाइस रुपये आता है, लम्बरदारी रेट, फिर फाइव पर्सेन्ट ओनर रेंट–उस पर पच्चीस आता है। इस प्रकार पन्द्रह एकड़ की होल्डिंग पर पंजाब में टोटल 215 आता है, 215.24 और राजस्थान के अन्दर 197.25 आता है....

श्री केदारनाथ : मैं दखल नहीं देना चाहता लेकिन स्टेन्डर्ड ऑफ रेन फाल क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : स्टेन्डर्ड....

श्री केदारनाथ : वह 3.5 है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं गंग कैनाल के फिगर्स दे रहा हूं। स्टेन्डर्ड के बारे में भेद ज्यादा नहीं है। पंजाब में उतने एरिया में वाटर लोगिंग है, बहुत से एरिया के अन्दर और डिफीकल्टी हैं। मैंने यह आपके सामने इसलिए रखा है कि कई माननीय सदस्यों के दिमाग में यह ख्याल हो सकता है कि पंजाब के अन्दर शायद इर्रिगेशन रेट्स कम हैं, लैंड रेवेन्यू कम है और कोई शायद टैक्स नहीं है। लेकिन उन्होंने कई नाम से वक्त वक्त पर कहा, सोशल वेलफेअर एक्टीविटीज के लिए टैक्स लगाया, कहीं और टैक्स लगाया, तो कई प्रकार के टैक्स वहां पर हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री रामचन्द्र आर्य : आप से होशियार हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस वक्त पिछली बार इस सदन में चर्चायें हुई, सदन जानता है कि इर्रिगेशन के ऊपर सरचार्ज केश क्राप्स के लिहाज से, पल्सेज, ग्राम के लिहाज से सरचार्ज पांच रुपये का लगाया गया था। उसके अलावा केश क्राप्स के ऊपर सरचार्ज था, सरकार ने इस बात का फैसला किया कि जो सरचार्ज केश क्राप्स पर है उसको एबालिश कर दिया जाय, और एबालिश करने से रिलीफ मिला डाइरेक्टली सारे राजस्थान को अलग अलग जगह पर, उसके बाद, माननीय अध्यक्ष जी, जो रेट्स सरचार्ज की वजह से इर्रिगेशन की बढ़ी हुई थीं वह कोई पिछले साल नहीं लगाई। दो तीन साल पहले केश क्राप्स के ऊपर इर्रिगेशन का सरचार्ज लग चुका था। अब जो किया गया वह यह किया गया कि उन इर्रिगेशन रेट्स को रेशनलाइज किया गया, उस रेशनलाइज करने में जो पांच रुपये पहिले था उसको आधार करने के बाद सारे रेट्स को अगर कोई देखे तो जो पांच रुपये के करीब दो तीन साल से पे कर रहे थे उसके अन्दर अब जो चेन्ज हुआ है उसमें कहीं चार आने को, कहीं आठ आने की, कहीं बारह आने की, कहीं रुपये को और गेहूं में दो रुपये की बढ़ोत्तरी की बात हुई है। यह बढ़ोतरी के बाद भी गेहूं की रेट गंग कैनाल, भाखरा और राजस्थान कैनाल में आठ रुपये होगी, और राजस्थान के अन्दर फिर भी जो गंगानगर के अन्दर इर्रिगेशन रेट्स हैं, उससे कोटा, बूंदी, उदयपुर डिवीजन और दूसरे इलाकों के अन्दर आज की तारीख के दिन भी इर्रिगेशन की रेट कई चीजों में ज्यादा है...

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज, माननीय अध्यक्ष जी, आज माइनर इर्रिगेशन वर्क्स के अन्दर तमाम जवाई का कमाण्ड एरिया और दूसरे कई तालाबों के कमाण्ड एरिया के अन्दर जहां कभी पानी होता है तालाबों में और वर्षा फेल हो गई तो पानी नहीं होता है, आये दिन उन लोगों को मुसीबत उठानी पड़ती है, वहां पर इस वक्त के ऊपर भी दस रुपया इर्रिगेशन रेट है गेहूं की, यह दूसरे हिस्सों के अन्दर जब कि वहीं पर फिर भी आठ रुपये है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आन्दोलन की धमकी देने की बात बार बार कहना ठीक नहीं होगा। हमने, जितना हम कर सकते थे, किया है। महरबानी करके राजस्थान के दृष्टिकोण से सोचने की दृष्टि रखिये। राजस्थान में और जगहों पर रेट्स क्या हैं, माइनर मीडियम इर्रिगेशन पर और जगहों पर काफी चार्जेज हैं। माननीय सदस्य कह सकते हैं कि और जगहों पर रेट्स कम कर दीजिये, किसने कहा आपको कि ज्यादा चार्जेज रखिये, पर एक तरफ सवाल यह है कि हम हमारे रिसोर्सेज कम करते चले जायं और लोगों की बात जाने दीजिये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, इसका लिंक जोड़ा जाय, गंग केनाल है....

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसा करके एहसान नहीं करते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र, श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं क्या करूं माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : मेरा खयाल है, मैं आज निबट ही लेना चाहता हूं इनसे।

माननीय श्री आर्य, श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मैं बाहर चला जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप चले जाइये।

(श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, मैं जानता था कि उनको आराम इसी में ज्यादा है कि आन्दोलन करवाते रहें, लॉजिक लोगों तक नहीं पहुंचे, ताकि वे नेता बने रहें।

श्री दौलतराम सारण : मुख्य मन्त्रीजी का यह कहना आपत्तिजनक है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो कुल गंगानगर जिले पर आरोप है, मुख्य मन्त्रीजी आप भ्रम में हैं कि गंगानगर के लोग किसी के बहकावे में आकर आन्दोलन कर रहे हैं।

X X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपसे बताऊंगा कि आखिर में इस स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण करने की कोशिश कर रहा था। मैं कोई कारण नहीं समझता था कि माननीय सदस्य कहें कि मैं सुनने को तैयार नहीं, किसी को कहने देना नहीं चाहते, यह क्या रुख दिखाया है ?

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारा यह प्रयत्न रहा है, हम यह लक्ष्य लेकर चले है कि राजस्थान में जितना लिक कर सकते हैं करने की कोशिश करें।

बैटरमेंट लेवी की बात यहां कही जा रही है, मैं निवेदन करूं कि आज हिन्दुस्तान में फाइनेन्स कमीशन ने अवार्ड दिये हैं सिर्फ पांच, छः स्टेट्स ऐसी हैं. फाइनेन्स कमीशन के अवार्ड के बाद पंजाब और हरियाणा सरप्लस स्टेट्स हैं। पर हम फाइनेन्स कमीशन के अवार्ड के बाद भी 180 करोड़ से ऊपर के माइनस से फोर्थ प्लान को चालू कर रहे हैं। सेंट्रल अकोमोडेशन की वजह से हम हमारे रिसोर्सेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पड़ौस में हरियाणा है, वहां बैटरमेंट लेवी ली जा रही है पंजाब में ली जा रही है। हमने तो 11 रुपया की बात कही है, उसे इन्टेन्सिटी के साथ जोड़ा है। इन्टेन्सिटी की बात जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई। उसके लिए हमने डिस्ट्रीब्यूटरी को आधार नहीं माना है, मैन कैनाल को आधार नहीं माना है। हमने माइनरी को आधारमाना है, उसकी इन्टेन्सिटी के आधार पर बैटरमेंट लेवी तय की है, जिससे लोगों को कम तकलीफ हो, जिनको पानी मिलता है, उन्हीं से बैटरमेंट लेवी वसूल हो।

श्री दौलतराम सारण : यह कैसे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूटरी को आधार माना है। हमारे यहां माइनरी को आधार माना है। माइनरी में जितना पानी आयेगा, उससे इन्टेन्सिटी मालूम हो जायेगी। 30% से कम इन्टेन्सिटी रहती है तो बैटरमेंट लेवी नहीं लेंगे। आज हमारे यहां 60-70 प्रतिशत इन्टेन्सिटी की कैपेसिटी है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : पटवारी से मालूम होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पटवारी से नहीं, यह तो सब लोग जानते हैं, जो वहां काम करते हैं।

तो राजस्थान में बैटरमेंट लेवी नहीं वसूल की जाय, इससे सरकार सहमत नहीं हो सकती। जितना प्रैक्टिकली हो सकता है वह करने की बात हमने की है।

जमीनों के अलाटमेंट के बारे में कीमत का सवाल है। कीमत का जहां तक सवाल है आखिर एक के पास वह जमीन रहेगी, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करूं कि जो जमीन की कीमत हमने रखी है, उसको वह किश्तों में देगा पर हमने जमीन की टोटल कीमत पर ब्याज नहीं रखा है। आठ-दस हजार की जमीन है, तो उस पर हम कोई इन्ट्रेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं। एक सवाल आया कि जमीन के अलोटमेंट के साथ एडवान्स के रूप में 5% रकम पहले जमा करायें जिससे उसका जमीन में इन्ट्रेस्ट हो जाये, पहले यह रखा था, पर बाद में यह बात

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हमारे सामने आई कि कोई हरिजन है, भूमिहीन है, वह 5 पर्सेंट एडवांस के रूप में कहां से देगा, इसलिए हमने एडवांस रकम जमा कराने की बात हटा दी। इसके अलावा उसको अलोट की हुई जमीन पर वह पहले साल काश्त करेगा और उससे जो आमदनी उसको होगी उस पर हमने किश्त की वसूली को हटा दिया है, दूसरे साल उस जमीन पर काश्त करे, तो 2½ पर्सेंट किश्त दे, थर्ड ईयर में काश्त पर वह फोर पर्सेंट किश्त दें और फोर्थ ईयर में 5 पर्सेंट किश्त दें अगर वह पैरेनियल रहती है। पौंग डैम नहीं बना तो इण्डस वाटर से पानी मिलने लगा है। इस तरह नोन पैरेनियल के बेसिस पर किसी के पास जमीन है तो 22 वर्षों में जाकर किश्तें चुकानी पड़ती हैं और पैरेनियल होगी तो 8 पर्सेंट चुकानी पड़ती है। कभी 400-600 कभी 800 रुपया है। मेरे से कुछ माननीय सदस्य मिले थे उन्होंने कहा था कि 15 बीघा जमीन अलोटमेंट करने की बात थी, बाद में यह बात आई कि 15 बीघा के स्थान पर अगर 25 बीघा दी जाती है तो उसकी पेईंग केपेसिटी बढ़ जायेगी, यह कन्सिडरेशन सामने रहा इसलिए हमने यह किया है।

इतना और स्पष्ट कर दूं कि जिसको जमीन अलोट की जाती है उसकी जमीन पर अगर पानी नहीं पहुंचता है तो बिना पानी पहुंचे किश्त वसूल करने की कार्यवाही नहीं की जायेगी। उसको पानी मिले और वह खेती कर सके, इस बात को सामने रख कर चला गया है।

माननीय अध्यक्षजी, इसके साथ ही साथ एक प्रश्न और आया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक बात बता दें....

अध्यक्ष : बाद में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह यह है कि दूसरे भूमिहीन किसान जो हरिजन नहीं हैं पर भूमिहीन हैं उनसे जमीन के अलोटमेंट के साथ में एडवांस के रूप में रकम लेने के सम्बन्ध में रियायत देने वाली बात का ऐलान नहीं किया है, उसके सम्बन्ध में दूसरी दिक्कतें हैं, तो मैं आपके जरिये सदन को सूचित करना चाहता हूं कि दूसरा भूमिहीन जिसको नयी भूमि का अलोटमेंट होता है, वह किसी जाति का, किसी वर्ग का है उसको भी किश्त और एडवान्स के बारे में जो सहूलियतें हरिजनों के बारे में दी गई है, वही उसको भी दी जायेंगी, भूमिहीन भूमिहीन के बारे में भेद की बात नहीं रखी जायेगी, क्योंकि वह भी साधनहीन है, इसलिये हम इनमें अन्तर करके नहीं चलेंगे। एक बात इस सम्बन्ध में और कही गई कि जो दो साल तक किश्तें नहीं चुकाये, उस आदमी को बेदखल करने की जो बात कही गई, उसके बजाय एरीयर्स आफ लैण्ड रेवेन्यू के तौर पर कार्यवाही की जाय या कुछ हिस्सा जमीन का ले लिया जाय तो वाजिब होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इरिगेटेड जमीन और राजस्थान कैनाल जैसे क्षेत्र के अन्दर खेती करता है, तो मेरा निश्चित मत है कि जो थोड़ा बहुत खेती का अनुभव रखता है, जिसको 25 बीघा जमीन इरिगेटेड दी गई है, वह 25 बीघा इरिगेटेड वाली किश्त नहीं चुका सके, यह नहीं हो सकता। उनकी मंशा न हो या और तरह से किसी बात के अन्दर आया हो तो इसके लिए किश्त की बात

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की जाय कि किश्त नहीं चुका पायें या और सिच्युएशन पैदा हो और भ्रम में रहें और किश्त नहीं चुकाता हो तो एरीयर्स आफ लैण्ड रैवेन्यू की कार्यवाही होगी। उसके सामने यह सिच्युएशन बहुत क्लियर रहे, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा हित की बात होगी।

यहां पर यह सवाल उठा कि जो पंचायत क्षेत्र के अन्दर जमीनें आती हैं, कुछ मकानात वगैरह बन गए हैं, उसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि जो कॉलोनाइजेशन एरिया में मण्डियों में जमीनों का कैसे बंटवारा हो, क्या किया जाय, उस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है और विचार करके जल्दी उस सम्बन्ध में भी अपने निर्णय से सबको सूचित करेगी।

कुछ सवालात और उठाए गए प्रोसीजर्स के बारे में, कुछ और चीजों के लिए, एलॉटमेंट रूल्स के बारे में उनके लिए हम कमेटी बनायेंगे, और, अध्यक्षजी, हम स्वयं चाहते हैं कि रूल्स के अन्दर ऐसा प्रावधान हो, जिसको भी जमीन एलॉट की जाती है उसके सिवा अगर कोई उस जमीन का यूज किसी तरीके से करता है, तो उस मामले में सख्ती से कार्यवाही का प्रोवीजन होना चाहिए, जिस भूमिहीन के लिए जमीन दी जाय, उसका दुरुपयोग हो हम नहीं चाहते।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि गंगानगर इलाके में कई लोगों ने बोगस एलॉटमेंट्स करवाये, हरिजनों की जमीन पर कब्जा कर लिया है, कई प्रकार के आरोप लगाए जाते थे, मैं समझता हूं कमेटी गई और जो जांच पड़ताल की गई, बहुत से सदस्यों को स्थिति का अन्दाज हो गया होगा। कार्यवाही हम कर रहे हैं। कौन ज्यादा दोषी पाया गया-अन्दाजा हो गया होगा। मैं यहां पर चर्चा करूं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि जानने वाले माननीय सदस्य जानते हैं और उस सम्बन्ध में....

श्री रामकिशन : आपने तो इससे भ्रम पैदा कर दिया, साफ कहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसी माननीय सदस्य का रेफरन्स नहीं है।

श्री रामकिशन : इसका मतलब सबको रख दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोई भी माननीय सदस्य नहीं। क्या किसी के बारे में कहूं, क्यों कहलवाना चाहते हो ? मैं कह रहा था कि वह चीज कुछ हद तक स्पष्ट हुई है। कार्यवाही करने के बारे में कहा गया, वह कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैं राजस्थान के लोगों को गंगानगर के खिलाफ एक वातावरण बनाने की बात कह कर चलता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर में जो आन्दोलन कर रहे हैं, उनसे मेरा मतभेद हो सकता है लेकिन गंगानगर की जनता के साथ मेरा कोई मतभेद की बात नहीं है। गंगानगर की जनता ने पिछले चुनाव में 9 में से 7 जगहों पर कांग्रेस को जिताया। आप गंगानगर की बात कह कर गंगानगर में घुसना चाहते हैं, वह घुस नहीं पायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : हम घुसें या नहीं, लेकिन आप घुसे हैं।

Page No 195

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, वह सम्भव नहीं होने वाला है। अभी आपने कहा कि यहां पर किसान सभा वालों ने यह कर दिया, और बातें अपने कहीं कि मैंने तोड़फोड़ कर दी, मेरा निवेदन है कि आन्दोलन करने वाले दूसरे थे और आप यह बात मानेंगे कि गंगानगर के आन्दोलन में किसान सभाओं का हिस्सा जनसंघ से ज्यादा हो था।

श्री भैरोंसिंह : नहीं था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सब जानते हैं, आप बहुत देर से पिक्चर में आए और जब देखा कि कुछ चल रहा है, तब आपने सोचा हिस्सा ले लें, वरना आप पिक्चर में नहीं थे।

श्री मदनसिंह : वोट लेने के लिए दोनों ही चक्कर में हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने कहा कि मैं वातावरण बनाना चाहता हूं और बीकानेर का जिक्र इसमें किया है। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं, अगर यह बात नहीं कहूं कि गंगानगर में आम तौर से सवाल उठाए जाते हैं कि यह कमी है, यह दिक्कत है, ये ज्यादतियां हो रही हैं तो उसके कम्पेरीजन में हम गंगानगर के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए अगर मैं बताता हूं, टैक्स के लिए कहूं, यहां पर इरिगेशन के रेट्स ये हैं, और दूसरी जगह ये हैं, वहां पर लगान यह है और दूसरी जगह ये हैं, तो मैं नहीं समझता कि यह कारण ही कि द्वेष फैलाना चाहते हैं, लेकिन जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य शायद इस बात को फैलाना चाहते हैं। इस दृष्टि से इस बात पर ज्यादा स्ट्रेस देकर चल रहे हैं यहां भी कि मैंने जो डेवलपमेंट के बारे में आज फिगर्स दिए सड़कों पर इतना खर्चा होने वाला है, इस दृष्टि से मांग आई थी तो मैं बताना चाहता था कि वहां राजस्थान के दूसरे हिस्सों से ज्यादा हुआ है। मैं समझता हूं, यह स्वाभाविक बात है कि उन बातों को कहा जाय, लेकिन जो बात हमने 25 तारीख को कही है, कुछ माननीय सदस्य इस सदन में बैठकर भाषण के तौर पर मानें या न मानें, लेकिन सदन के बाहर उनसे पूछें तो बहुत से सदस्य जो इसके खिलाफ आज बोले हैं, सदन के बाहर वह मानकर चलते हैं कि, बहुत कुछ किया गया है। इस बात को स्वीकार करके चलते हैं कि केवल उन्हीं का नहीं, दूसरे लोग भी मानकर चलते है। मुझसे सैकड़ों आदमी मिल चुके हैं और जनरल सेटिस्फेक्शन की बात कही जाती है।

यह तो ठीक है कहना कि सरकार टैक्स छोड़ दे, जमीन की कीमत छोड़ दे, वह सब पसंद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सुविधायें हों लेकिन प्रश्न इस बात का है कि वाजिब वजन जितना उठा सकते हैं उस वजन से गंगानगर का खुद का भी विकास आगे हो सकेगा, नहरों की कमी-पूर्ति का काम हो सके, राजस्थान पर भी वजन ज्यादा नहीं पड़े, उस लिहाज से विचार किया जाता है तो कोई गल्ती की बात नहीं है। मेरा निश्चित मत है कि अगर कुछ नेता भी गंगानगर के अंदर मेरे नम्र निवेदनों के बाद आंदोलन की तरफ जनता को ले जाना चाहेंगे तो जनता जो इस बारे में हमारा एक दृष्टिकोण रहा है, उसको एप्रीशिएट करेगी, समझेगी कि हमने इस मामले में कन्स्ट्रक्टिव एप्रोच लिया है और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आंदोलन में वे शरीक नहीं होंगे, ऐसा मेरा निश्चित मानना है।

आज इन चीजों के बारे में अभी कहा गया कि अकाली दल के नेताओं को बीच में डाला, किसान सभा वालों को डाला, मैं समझता हूं, जो मुझसे मिलने के लिए आएं, जो भी बातचीत करने के लिए आते हैं, मैं यह तो नहीं कह सकता कि आपसे बात नहीं करूंगा, बात करने के लिए आए, अकाली दल के लोग भी आए, किसान सभा वाले भी आए और जितनी बात कर सकते थे, करने की कोशिश की है, समस्या को जितना हल कर सकें, हल करने का प्रयत्न करेंगे। जब आंदोलन चल रहा था तब जॉइंट फ्रंट बनाने के लिए जनसंघ, स्वतंत्र और दोनों किसान सभाएं और कम्यूनिस्ट एक साथ मिलकर जयपुर में मीटिंग कर सकते हैं लेकिन मैं किसान सभा वालों से बात कर लूं तो कहा जाता है कि तोड़फोड़ कर रहा हूं। मैं इस बात का ध्यान रखूं कि आपकी एकता पूरी कायम रहती है या नहीं। यह भी मुझसे आशा की जाती है, आपके अंदर कोई फर्क पड़े या नहीं। मैं समझता हूं बहुत सी बातें यहां पर उठाई गईं, उनके संबंध में जो कुछ प्रकाश डाल सकता था मैंने डालने का प्रयत्न किया और बीच में भी कई ऐसे सवाल हुए तो उस बारे में भी सचेत रहेंगे।

अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा सब पार्टियों से, वहां के नेताओं से और इस सदन के जरिए गंगानगर की जनता से कि हमने जितना प्रयत्न हो सकता है, किया है और हमें शांति के साथ विकास के क्रम के अंदर सहयोग दें।

(कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री मदनसिंह : पुलिस के संबंध में कुछ नहीं फरमाया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक चीज स्पष्ट कर दूं।

श्री मदनसिंह दांता : एक बात....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप बाद में कह लेना।

श्री मदनसिंह : मेरी बात पहले कैसे जान लेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न नहीं। इन एडीशन है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हरिजनों के सम्बन्ध में एक लाख एकड़ जमीन का एलान किया गया था और बाद में 40 हजार एकड़ ही पर्चे में उपलब्ध हो सकेगी, ऐसा नोट आया था। उसके बाद जानकारी प्राप्त हुई, उसके अनुसार टेम्परेरी और परमानेंट कल्टीवेटर, जिनके खातेदारी वगैरा प्रूफ्स है और 50 से 55 के प्रूफ्स हैं, उसके अन्दर ऐसी मान्यता है ज्यादा जमीन उपलब्ध हो सकेगी और हरिजनों के लिए एक लाख एकड़ भूमि होगी. सरकार उसकी पूर्ति कर सकेगी।

श्री मदनसिंह : गंगानगर की बर्निंग प्रॉब्लम है। इतने बड़े राजनैतिक आंदोलन के अन्दर लोगों को पकड़ा, छोड़ा, केसेज चल रहे हैं। दोषी कर्मचारियों को हटाया नहीं गया। एक ऐसी पूंछ रह गई है। मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं

Page No 197

(श्री मदनसिंह)

कि आपने हल नहीं किया। बड़ी की बड़ी तकलीफ रह सकती है। बहुत दान दे दिया आपने....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पंजाब और दूसरी जगह के आंकड़े हैं....

श्री मदनसिंह : वह सही नहीं हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : आप मुझे कहने दें।

श्री मदनसिंह : आपके नेता मुख्य मन्त्री जी के सामने गलत आंकड़े पेश करते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही....

स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : उधर से कह देते हैं। कोई दो आंकड़े ले आते हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने, आपने, पंजाब के आंकड़े रखे, अगर आपकी यह बात सही है कि पंजाब में 15 एकड़ को वैसे मान कर 220 रु. पड़ता है और यहां 197.24 पैसे आपने बताया। हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो पंजाब का पैटर्न है, उसको स्वीकार कर लें और उसको वैसे मान लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं कि पंजाब के पैटर्न पर इतने टैक्सेज को आप स्वीकार कर लेंगे तो सारे राजस्थान का क्या होगा उसको सोच लें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गंगानगर की बात कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो टैक्स वहां हैं सात आठ तरह के सारे राजस्थान के ऊपर लगेंगे और बिल आवेगा तो सबसे पहले आप ही विरोध करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ज्युडिशियल इन्क्वायरी और उससे सम्बन्धित मांगों के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट अब तक जो कुछ कहा, उसके आगे कोई स्थिति लानी चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गृह मन्त्री जी पहले ही कह चुके हैं। एक रेफरेन्स माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले ने "टर्म्स आफ रेफरेन्स रूल्स के बारे में दिया था, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इन्क्वायरी के बारे में एडॉप्ट किया, उस हिसाब से यह एडॉप्ट किया जावेगा।

श्री दौलतराम सारण : बोलने वाले माननीय सदस्य ने डिस्क्रिमिनेशन, गंग कैनाल के बारे में बताया उस पर प्रकाश नहीं डाला। 25 बीघा कमान्ड जमीन एलॉट करेंगे। दूसरा उदयपुर डिविजन और कोटा बूंदी में वही जमीन बहुत ज्यादा मानी जाती है, यह बताया। मैं जानना चाहता हूं कि 25 बीघा में दो फसल कितने कितने बीघा में होती हैं, कितना पानी लगता है और कोटा बूंदी और उदयपुर डिविजन में रेनफाल का पर्सेन्टेज क्या है

Page No 198

(श्री दौलतराम सारण)

और गंगानगर में क्या है, इसको माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने ध्यान में लिया है या नहीं इस दृष्टि से इसको देखें।

तीसरा प्रश्न यह है कि सरकार ने भूमि के आंकड़े दिये, वे सही नहीं हैं। जहां तक मैं समझता हूं, आपने नौरंगदेसर, सूरतगढ़ शाखा और दूसरी पीछे की शाखे हैं उसमें शायद इन्क्लूड नहीं किया है, इससे जमीन ज्यादा मिलने वाली है। 9 लाख और कुछ हजार आपने बतायी उससे ज्यादा आपको मिलने वाली है जमीन जो आपके पास है।

चौथा यह जानना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि कुछ लोग सदन के बाहर तो घोषणायें सही मानते हैं और सदन में आपके खिलाफ बोल जाते हैं। इस बात को स्पष्ट कर दें सदन में आखिर कौन गलत बताता है। इसकी जानकारी हो जाय।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, जो अलग अलग सिस्टम के भेद हैं उनको मिटाना मुश्किल है। भाखरा में जमीन के एलॉटमेन्ट के रूल्स हैं उनके हिसाब से एलॉट की गयी। राजस्थान कैनाल में जो क्वान्टम ऑफ जमीन का है वह और तरह से है और भाखरा में और तरह से करने जायं तो भूमिहीन को भूमि मिलना थोड़ा बहुत संभव रहा है, वह भी संभव न रह सके। जितना हो सकता था उतना किया गया।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : अब कोई प्रश्न नहीं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आप बीच में बोलने नहीं देते। आप भाग नहीं लेते सदन की पूरी कार्यवाही में...

श्री अध्यक्ष : आपको पूर्ण संतुष्ट करने के लिये काफी मौका दे चुका हूं। सदन की कार्यवाही दिनांक 13–4–70 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 7.28 म. प. पर दिनांक 13 अप्रैल, 1970 के 11 म. पू. तक के लिये स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या 641 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

सूची

अतिक्रमियान ग्राम कुमसा तहसील लछमनगढ़ जिला सीकर

1.	श्री	रामदेव पुत्र जाट	निवासी	कुमास
2.	,,	लादू जाट	,,	,,
3.	,,	सोहन जाट	,,	,,
4.	,,	रिडमल जाट	,,	,,
5.	,,	हणमाना जाट	,,	,,
7.	,,	लुना जाट	,,	,,
6.	,,	नारायणा जाट	,,	,,
8.	,,	हणमाना जाट	,,	,,
9.	,,	गोमा जाट	,,	,,
10.	,,	केसा जाट	,,	,,
11.	,,	मोजा जाट	,,	,,
12.	,,	गोरा जाट	,,	,,
13.	,,	हीरा जाट	,,	,,
14.	,,	चूना जाट	,,	,,
15.	,,	झाबर जाट	,,	,,
16.	,,	मुकन्दा जाट	,,	,,
17.	,,	परमा जाट	,,	,,
18.	,,	लूना व लोठा जाट	,,	,,
19.	,,	लादू पुत्र खुमाण जाट	,,	,,
20.	,,	तिलोका जाट	,,	,,
21.	,,	जोवा जाट	,,	,,
22.	,,	झावर जाट	,,	,,
23.	,,	गांगा जाट	,,	,,
24.	,,	वाला पुत्र मूना जाट	,,	,,

———

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या 642 के भाग (2) व (3) में निर्दिष्ट सूची)

APPENDIX 'A'

NAME OF LOCALITES ELECTRIFIED IN BHILWARA DISTRICT UPTO 31-3-1969 AND IN 1969-70

1. Mandal.
2. Shahpura.
3. Gulabpura.
4. Pur.
5. Sawana.
6. Sanganer.
7. Hurda.
8. Bhilwara.
9. Baneda.
10. Jahazpur.
11. Gangapur.
12. Malen.
13. Meja.
14. Sahara.
15. Dhor.
16. Gudha. Bhavka.
17. Sewasadan.
18. Arni.
19. Dhani Bhav.
20. Kalingjari.
21. Arjiya.
22. Umodnagar.
23. Kaodenkhera.
24. Harni Kalan.
25. Sabalpura.
26. Bholi.

27. Kaoholia.
28. Kabra.
29. Mangrol.
30. Hamirgarh.
31. Sakria.
32. Gurlan.
33. Karothi Kalan & Khurd.
34. Bhanas.
35. Lakhoia.
36. Pechoria Khera.
37. Poltan.
38. Sonania.
39 Jalampura.
40. Pandor.
41. Pachtro ka Khera.
42. Sangas.
43. Amli.
44. Mahandra garh.
45. Dari.
46. Bigoliyan Kalan.
47. Swaroopganj.
48. Kotyan.
49. Kotri.
50. Agucha.
51. Atun.
52. Ragoea.
53. Devli.
54. Sayla.
55. Sawaipur.
56. Kulu Khers.
57. Malikhera (Asind)
58. Bhadli Khera.
59. Chatri Khera.
60. Mandalgarh.
61. Bigod.
62. Ladpura.

Page No 202

63. Suras.
64. Meja.
65. Malikhora urf. Rajpura (Between Mandal town and Meja village).
66. Kotri.
67. Raila.
68. Rampuria (Raipura).
69. Lambia.
70. Balsaria.
71. Kanoli.
72. Kuniari Kheda.
73. Borda (Bonera).
74. Bhaisa Kunwar.
75. Nathriyas.
76. Kherabad.
77. Akola.
78. Naya Gaon.
79. Tharode.
80. Shivrati (Shiwali).
81. Mahuwa Khurd.
82. Mejawas.
83. Patlias.
84. Kodu Kota.
85. Gadar Mala.
86. Dudia.
87. Kalyanpura.
88. Asind.
89. Sareri.
90. Nimbahera.
91. Keria.
92. Mahendi.
93. Laxmipura.
94. Anandpur.
95. Arniawas.
96. Aklingpura.
97. Makadia.

98. Tunka.
99. Baran.
100. Bajera.
101. Daulatgarh.
102. Bhagwanpura.
103. Danta.
104. Kajloadia.
105. Ganeshpur.
106. Sikar.
107. Stunda.
108. Kuradia.

Appendi 'B'

LIST OF THE LOCALITIES ELECTRIFIED DURING THE YEAR 1969-70. IN DISTRICT BUNDI

S. No.	Name of locality.	Tehsil.
1.	Badanaya Gaon	Hindoli.
2.	Raghunathpura.	do
3.	Gudhs.	Bundi
4,	Ramnagar.	do
5.	Beebanba.	do
6.	Bazod.	do
7.	Bimari.	Hindoli.
8.	Suwania.	Nainwa,

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न संख्या 617 के भाग (1) निर्दिष्ट सूची)

पुनर्नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सूची

क्र. सं.	नाम	पुनर्नियुक्त की अवधि
गृह विभाग		
1.	श्री जसवंन्त सिंह आई. पी. एस.	2 वर्ष
2.	श्री हनुमान सहाय	2 वर्ष
उद्योग विभाग (Raj Industrial Mineral Development Corporation)		
3.	श्री बी. मेहता ,, ,,	,,
4.	श्री मोहन लाल ,, ,,	,,
चिकित्सा एवं आयुर्वेद विभाग		
5.	डा. ओ.सी. माथुर डी.डी. एम. एच. एस.	2 -9-70 तक
6.	डा बी.सी. शर्मा	15-10-70 ,,
7.	डा. बी.पी. नाग सी.ए.एस.	7-9-71 ,,
8.	डा. बी.एस. कन्सल ,,	28-2-70 ,,
9.	डा. भंवर सिंह ,,	5-4-70 ,,
10.	डा. पी.एन. भार्गव ,,	8-2-70 ,,
11.	डा. सी.एल. जैन ,,	11-8-70 ,,
12.	डा. दलिप सिंह ,,	19-2-70 ,,
13.	डा. बी.पी, बनर्जी ,,	12-11-70 ,,
14.	डा. एच.एन. हर्ष ,,	7-10-70 ,,
15.	डा. हंस राज शाह ,,	3-3-70 ,,
16.	डा. जगत राम ,,	28-2-70
17.	डा. जै प्रकाश शर्मा ,,	
18.	डा. के.जै. चन्दीरमानी ,,	
19.	डा. एन.डी. महेश्वरी	28-1-70 ,,
20.	डा. ओ.पी. मेहता ,,	28-2-70, ,,
21.	डा. रघुबीर सिंह ,,	28-2-71 ,,

22. डा. आर.एन. वर्मा ,,		19-3-70 ,,
23. डा. एस डी. शर्मा ,,		28-2-70 ,,
24. डा. शादी राम	डी.एच.ओ.	1-7-70 ,,
25. मिस एम.पी. टक्की	मैट्रन	15-7-70 ,,
26. डा. रणजीत सिंह	सी.ए.एस.	28-2-71 ,,
27. डा. ए.एस. गुलाटी	सी.ए.एस.	4-12-70 ,,
28. डा. एस.सी.भार्गव	,,	28-2-71 ,,
29. डा. एच.आर.मेहता	,,	18-1-70 ,,
30. डा. के.सी. बांस	,,	28-12-70 ,,
31. डा. नथमल	,,	11-12-70 ,,
32. डा. रामसिंह राठौड	,,	13-12-70 ,
33. डा. जी.एस. माथुर		10-9-70 ,,
34. डा. एम.पी. माथुर		2 वर्ष
35. डा. मिस ई पीटर्स		2 वर्ष
36. श्री रूद्र दत्त मिश्रा		30-7-69 30-7-71

पंचायत एवं विकास विभाग

37. श्री जी.पी. शुक्ला	

कृषि विभाग

38. श्री एम.पी. भटनागर	10-8-70 ,,

सिंचाई एवं विद्युत विभाग

39. श्री भवानी सिंह	2 वर्ष तक
40. श्री के. एस. शिव प्रकाशन	

एल. एस. जी. एवं टाउनप्लानिंग विभाग

41. श्री दुर्गा चन्द माथुर	
42. श्री गोकुल प्रसाद शर्मा	6 माह ,,
43. श्री एल.एस. गोयल	1 वर्ष ,
44. श्री वी.एस. शर्मा	9-10-67 ,,
45. डा. राम सिंह	6 माह ,,
46. श्री जैनारायण सक्सेना	6 माह ,,

विधि एवं न्याय विभाग

47. श्री डी.एस.आचार्य	2 वर्ष ,,
48. श्री बी. के.डी. जैजल	2 वर्ष ,,
49. श्री बी.सी. ओझा	
50 श्री अनूप सिंह	3 वर्ष ,,
51. श्री गोपाल नारायण शर्मा	3 वर्ष ,,

शिक्षा विभाग

52. श्री एन. एम. भम्भाणी	1 वर्ष ,,
53. श्री जे. एस. हरवानी	1 वर्ष ,,
54. श्री पुनम सिंह	1 वर्ष ,,

———

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न संख्या 660 के भाग (3) में निर्दिष्ट सूचा)

OPERATING EQUIPMENT FOR ROTARY RIG.

S. No.	Descripion.
1.	2" Water Swivel, bail type, capacity 10 ton.
2.	Sub, swivel to 3.3/8" kelly:
3.	4" x 25 ft. suction hose with strainer.
4.	2" x 25 ft. swivel hose, for 1000 pai working pressure.
5.	12-1/2 Ton single sheave travelling block.
6.	Sub, 3.3/8" kelly to 2.7/8" drill pipe.
7.	Sub, 2.7/8" drill pipe to 4.1/2" API regular box.
8.	Sub, 2.7/6" API I box to 3.1/2" API IF pin (drill pipe to drill coller/stabiliser).
9.	Sub, 2.7/8" drill pipe to 6.5/8" API reg. box
10.	Sub, drill pipe to 4.1/2" API reg. box.
11.	Sub, drill pipe to 6.5/8" API reg. box.
12.	2.7/8" hoisting plug bumper type H-275B capacity 20,000 lbs.
13.	2.7/8" centre latch elevator medium weight capacity 15 tons complete with links'
14.	2.7/8" rotary dia overshot.
15.	2.7/8" Fishing tap.
16.	BAASH-ROSS rotary tongs, complete with lug jaws suitable for handlings 2.7/8" drill pipe and tool joints.
17.	24" REDGID pipe Wenches.
18.	36" -do-
19.	48" -do-
20.	WILLIANS double ended and reversible jaws chain tongs.

21. Slips for 2.7/8" drill pipe for use with spider base.
22. slips, for 6.5/8" casing.
23. Slips for 6.5/8" casings.
24. slips for 10.3/4" casings.
25. Slips for 12.3/4" casings.
26. 6.5/8" casing elevator.
27. 8.5/8" casing elevator.
28. 10.3/4" casing elevator.
29. 12.3/4" casing elevator.
30. 6.3/4" x 10 ft. stabilizer with 3.1/2" API IF box up and pin down.
31. Handling sub for stabiliser.
32. Slips for stabilizer.
33. Sub, 3.1/2" API, IF box to 3.1/2" API IF pin.

OPERATING EQUIPMENT FOR PERCUSION

S. No.	Description
1.	Swivel wire rope socket, open sided with 2.3/4" x 3.3/4" A. P. I. Box connection, approximate weight 150 lbs., outside dia. app. 5" provided with wrench square and fishing fins.
2.	Stem Drilling 5" outside dia. 2 3/4" x 3.3/4" A. P. I Pin & box connections 16 ft. length App. weight 1100 lbs., provided with wrench square and fishing fins,
3.	Stem Drilling, 5" O. D., $2\frac{3}{4}$" A. P. I. pin and box connections, 10 ft. length, app. weight 700 lbs., provided with wrench square & fishing fins.
4.	Jar-Drilling (9") strocks, 5" OD., $2\frac{3}{4}$"$\times 3\frac{3}{4}$" A. P. I. pin and box connections, app. 8' length, weight 400 lbs. app. provided with wrench squaie and fishing fins.
5.	Jar-Fishing 18" strocks 5" O. D. $2\frac{3}{4}$"$\times 3\frac{3}{4}$" A P. I. Pin. & Box connections, app. 8 ft. length weight 400 lbs. app. provided with wrench square and fishing fins.
6.	Drilling Bit California pattern (sharpened, ready for use) 15' dia. with $2\frac{3}{4}$" x $3\frac{3}{4}$" A P. I. Pin connection app. weight 800' lbs. provided with wrench square and fishing fins.
7.	Drilling Bit California, pattern (sharpened ready for use, 12" dia. with $2\frac{1}{2}$" x $3\frac{3}{4}$" A. P. I. Pin connections app. weight 600 lbs. provided with wrench square and fishing fins.
8.	Drilling Bit California Pattern (Sharpened ready for use) 10" dia. with $2\frac{3}{4}$" x $3\frac{3}{4}$" A. P. I. Pin connection, app. weight 500 lbs. provided with wrench square & fishing fins.
9.	Mandrel suitable for swivel rape socket given in item No. 1 above.
10.	Bailer flat valve, regular pattern 10" O. D. 10 ft. length app. weight 350 lbs.
11.	Bailer flat valve, regular pattern 12" O. D- 10 ft. length app. weight 400 lbs.

12. Bailer, flat valve, regular pattern, 8" O. D. 10 ft. length approximate weight 225 lbs.

13. Bailer flat valve, regular pattern 6" o. d. 10 ft. length, app. weight 140 lbs.

14. 3/4" dia. ordinary left lay.

15. Casing line 3/4" dia right lay.

16. Sand line 3/8" dia right lay.

17. Drive clamp (square size to suit stem square size).

18. Drive head, male drop type for 15" Casing.

19. Drive head, male drop type for 12" casing.

20. Drive head male drop type 10" Casing.

21. Drive shoes for 15" nominal bore Casing with 4 t. p. i. straight spr. threads (Regular patter).

22. Drive shoes for 12" nominal bore Casing.

23. -do- 10" -do-

24. Screw Jacks 15 tons capacity.

25. -do- 50 -do-

26. Rope spear, centre spear, type with $2\frac{3}{4}$" x $3\frac{3}{4}$" A. P. I. Pin connection.

27. Rope spear, two prong type with $2\frac{3}{4}$" x $3\frac{3}{4}$" A. P. I. Pin connection.

28. Jar Bumper, Regular round shank with solid eye, 12 ft. length approximate weight 300 lbs.

29. Latch Jack, $2\frac{3}{4}$" x $3\frac{3}{4}$" A. P. I. Pin connection suitable for 6" bore approximate weight 130 lbs.

———

परिशिष्ट ५

(तारांकित प्रश्न संख्या 456 के भाग (1) व (2) में निर्दिष्ट सूची)

क्रम संख्या	नाम व पद	परमवीर चक्र	महावीर चक्र	वीर चक्र	अशोक चक्र श्रेणी 1	श्रेणी 2	श्रेणी 3	उन्हें या उनके आश्रितो को सुविधाएं दी गई भूमि	नकद	अन्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1–	प्रतापा ड्राइवर	—	—	—	—	हां	—	विचाराधीन है।			विचाराधीन है।
2–	पी. डबलू. आई. चेतनराम	—	—	—	—	—	हां	विचाराधीन है।			विचाराधीन है। राजस्थान का न होने से भूमि नहीं दी गई हैं।
3–	नं. 3030697 बुद्धाराम	—	—	हां	—	—	—	विचाराधीन है।			विचाराधीन है।
4–	श्री सुगरीवसिंह	—	—	—	—	—	हां	12 बीघा 10 बीसवा	—	—	
5–	मेजर पूर्णसिंह	—	—	हां	—	—	—	25 बीघा	2000)		
6–	ले. नायक भवरसिंह	—	—	हां	—	—	—	25 बीघा	2000)		
7–	2 लेफ्टीनेन्ट जगदीस प्रसाद जोशी	—	—	—	—	—	हां	26 बीघा सिंचित	—		
8–	केप्टिन राजमोहन शर्मा	—	—	—	—	हां	—	विचाराधीन है।			
9–	जमादार छोटूसिंह	—	—	हां	—	—	—	उप आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर में विचाराधीन है।			

Page No 213

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10-ले. नायक गोकुलसिंह	—	—	हां	—	—	—	—	2000)		आवेदन भरने को लिखा गया हैं।
11-सूबेदार लालसिंह	—	—	—	—	हां	—	—	—	—	
12-ले. हवलदार शिवपाल सिंह	—	—	—	—	हां	—	—	—	—	
13-ले. दफेदार सुलतानसिंह	—	—	—	—	—	हां	—	—	—	नियमों के अन्तर्गत नहीं हैं।
14-केप्टिन चन्दनसिंह	—	—	हां	—	—	—	25 बीघा सिंचित	1000		
15-राइफलमेन जैठूसिंह	—	—	हां	—	—	— हां	25 बीघा सिंचित	—		
16-केप्टिन महेन्द्रसिंह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17-ले. कर्नल. रघुवीरसिंह	—	हां	—	—	—	—	विचाराधीन	5000)	—	राजस्व सी विभाग में विचाराधीन हैं।
18-ले. कर्नल रामसिंह	—	हां	—	—	—	—	—	5000)	—	विचाराधीन है।
19-मेजर रामस्वरूप	—	—	हां	—	—	—	—	—	—	
20-नायक सूबेदार प्रभातीसिंह	—	—	हां	—	—	—	— 50	—	—	
21-लैस हवलदार गिरधारीलाल	—	—	हां	—	—	—	50 बीघा असिंचित	2000)	—	
22-सूबेदार भागसिंह	—	—	—	—	—	हां	25 बीघा	—	—	
23-मेजर गोपालाराम	—	—	हां	—	—	—	—	—	—	
24-हवलदार मेजर पीरूसिंह	हां	=	=	=	=	=	=	5000)	=	

Page No 214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25–	ला. ना. लादूराम	—	—	हां	—	—	—	25 बीघा सिंचित	—	—	
26–	सिपाही हनुमानाराम	—	—	हां	—	—	—	—	1000)	—	
27–	ना. बीरबलराम	—	—	हां	—	—	—	—	1000)	—	
28–	हवलदार रिछपालराम	—	—	हां	—	—	—	25 बीघा असिंचित	—	—	
29–	ना. सू. हनुमानराम	—	—	हां	—	—	—	—	1000)	—	
30–	सू. सांवलराम	—	—	हां	—	—	—	25 बीघा सिंचित	—	—	
31–	कैप्टन बंसताराम	—	—	हां	—	—	—	—	1000)	—	
32–	ले. गुगनराम	—	—	हां	—	—	—	—	1000)	—	
33–	सिपाही मोहरसिंह	—	—	हां	—	—	—	—	1000)	—	
34–	जमादार हरिराम	—	—	हां	—	—	—	50 बीघा सिंचित	2000)	—	
35–	ना. रिसालदार मोहम्मद अयुब	—	—	हां	—	—	—	25 बीघा सिंचित	2000)	—	
36–	मेजर शैतानसिंह	हाँ	—	—	—	—	—	50 बीघा सिंचित	1500)	10,000)	शौर्यपुरस्कार एक प्लोट दिया गया
37–	ले. क. मेघसिंह	—	—	हां	—	—	—	25 बीघा सिंचित	2000)	—	
38–	मेजर मलसिंह	—	—	—	—	—	हां	25 बीघा सिंचित	—	—	

परिशिष्ट ६

(तारांकित प्रश्न संख्या 491 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

Ertract from the Summary Record of Decisions taken at the Ninth Meeting of the Committee of Directicn, Rajathan Canal Project, Held at New Delhi on 4th Novemeer, 1965.

Item No. 3 : SETTLEMENT OF COLONISATION POLICY FOR THE RAJASTHAN CANAL PROJECT

The Union Minister for Irrigation & Power stated that as a result of discussions between himself and the Chief Minister of Punjab and Rajasthan, it has been agreed that Rajasthan would set apart a total Area of 3.25 lac acres of land for allotment to the oustees from Punjab and Himachal Pradesh. The Government of Punjab would apportion it to the oustees, taking, into consideration the merits of each case. The lists showing areas poroposed to be allottee to each oustee will be prepared by the Government of Punjab and these lists would be sent by the Government to the Government of Rajasthan, who would issue formal allotment orders.

Recommendation No. (iv)

A total of 1,90,000 acres of land was stated to be available for allotment to the oustees in the first stage of Rajasthan Canal Project. The Committee however felt that as far as possible, all the 3.25 lac acres required for the oustees should be provided by 1970-71.

The Chief Minister, Rajasthan, appreciated the problem but pointed out that the actual availability of land for the oustees would depend on the funds that are made available by the Government of India-for the construction of the Rajasthan Canal. Even the area to the extent of 1.0 lac acres would be available for the oustees, if sufficient funds are sanctioned for completing the present Stage I of the Project by 1970-71. But for making available more area for the oustees the construction programme of Rajasthan Canal will have to be extended beyond the existing Stage I and for that additional funds would be required. He stressed that under these circumstances it was essential to ensure that adequate funds are made available for the construction of the Rajasthan Canal during the next three years. The need for allotment of adequate funds for Rajasthan Canal was strongly supported by the Chief Minister, Himachal Pradesh and the Union Minister for Irrigation & Power: It was decided that the Minister of Irrigation & Power would take up the subject with the Union Cabinet bringing out the various aspects of the problem viz., availability of waters from Pakistan as a result of Indus Water Treaty, the necessity of utilising these waters in the context of the requirements for increasing agricultural production, the necessity of constructing the Pong Dam and Rajasthan Canal to be able to utilise these waters, the problem of sattlement of oustees as a result of the construction, of Pong Dam, the need for accelerating the construction of Rajasthan Canal and development of the Rajasthan Canal area, etc. and stressing the need for allocation of adequate funds for the construction of the Rajasthan Canal and development of the area.

———

Page No 217

परिशिष्ट ७

(तारांकित प्रश्न संख्या 475 के भाग (2) व (3) में निर्दिष्ट सूची)

Statement showing the profit and loss account of Riyan Farm since start.

Sl. No.	Year	Expenditure	Income		Profit (+) Loss (—)
1.	1960–61	21,107.00	7,595.00	(—)	13,512.00
2.	1961–62	21,366.30	14,771.40	(—)	6,494.90
3.	1962–63	21,271.68	12,960.00	(—)	8,311.66
4.	1963–64	16,776.25	9,175.00	(—)	7,601.25
5.	1964–65	17,003.12	17,240.25	(+)	237,13
6.	1965–66	18,454.05	15,575.00	(—)	2,879.45
7.	1966–67	31,025.87	17,207.00	(—)	13,038.87
8.	1967–68	30,403.83	7,151.00	(—)	23,247.83
9.	1968–69	43,956.69	15,034.19	(—)	28,922.50

Statement showing she expenditure incurred on Petrol and repairs of Tractor on Riyan Farm.

Year	Petrol consumption	Repairs of tractors	Total.
1960–61	493.81	—	493.81
1961–62	1638.29	—	1638.29
1962–63	1357.70	369.82	1722.52
1963–64	638.50	—	638.50
1964–65	1354.80	2935.00	4269.80
1965–66	2706.25	645.00	3351.25
1966–67	709.80	245.00	
		220.00 (Tyre & tube)	1174.80
1967–68	2835.03	532.86	7074.79
1968–69	—	—	3212.00

———

Page No 219

परिशिष्ट ८

(तारांकित प्रश्न संख्या 496 के भाग (2) से (4) में निर्दिष्ट सूची)

STATEMENT SHOWING THE SUPPLEMENTARY BILLS

S.No.	Name of the Materials.	Bill No. & Date	Amount
1.	Flats 50 x 10 mm.	I&S/R/66/Supp/182 dt. 6-12'67.	897.85
2.	–do–	I&S/R/66/Supp 154 dt. 6-12-'67.	1748.28
3.	–do–	I&S/R/66/Supp/159 dt. 6-12-67.	3831.12
4.	-do- 50 x 6 mm.	I&S/R/66/Supp/19 dt. 6-12-67	2332.74
5.	–do– 50 x 6 mm.	I&S/R/Supp/69/467 dt. 6-12-67	2822.60
6.	-do- 50 x 12 mm.	I&S/R/Supp/66/160 dt. 6-12-67	2244.00
7.	–do– 50 x 10 mm.	I&S/R/Supp/6 dt. 6-12-67.	5606.32
8.	-do- 45 x 10 mm.	I&S/R/Supp/151 dt. 6-12-67.	336.86
9.	–do– 45 x 10 mm.	I&S/R/Supp/462 dt. 7-12-67.	4380.68
10.	–do– 45 x 6 mm.	I&S/R/Supp/153 dt. 6-12-67.	1124.81
11.	-do- 45 x 6 mm.	I&S/R/66/Supp/155 dt. 6-12-67.	219.05
12.	-do- 45 x 6 mm.	I&S/R/66/Supp/4 dt. 6-12:67.	677.28

13.	-do- 50 x 12 mm	I&S/R/Supp/149 dt. 6-12-67.	4751.50
14.	-do- 45 x 10 mm.	I&S/R/66/Supp/156 dt. 6-12-67.	4829.79
15.	=do- 45 x 6 mm.	I&S/R/66/157 dt. 6-12-67.	4278.90
16.	-do- 40 x 10 mm.	R/67-68/Supp/4 dt. 10-7-68	436.12
		Total :	40,467.29

तालिका ब'

1965-66 में कुल 1364-095 मैट्रिक टन लोहा खरीदा गया जिसके खर्च का विवरण इस प्रकार है:—

क्र0	वर्ष	कार्य में लिया गया खाद्य
1	65-66	181-274 मैट्रिक टन
2	66-67	313-763 "
3	67-68	94-054 "
4	68-69	159-360 "
5	69-70	49-005 "

शेष लोहा 466-649 मैट्रिक टन भण्डार में है।

———— —

परिशिष्ट ६

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

राजस्व सचिव का पद

656. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सचिवालय में कितने ऐसे पद हैं जिन पर नियुक्त अधिकारियों को आयुक्त (Commissioner) कहा जाता है ?

(2) सचिवालय में ऐसे कितने पद हैं जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के प्रवर अथवा इससे उच्च वेतन श्रृंखला (Super time Scale) के पाने वाले व्यक्ति को लगाया गया है ?

(3) उपरोक्त प्रश्नों के भाग (1) व (2) से सम्बन्धित पदों की नियुक्ति किसी निर्धारित प्रणाली अथवा नियमों के अन्तर्गत की जाती है अथवा स्वेच्छा से की जाती है ?

(4) गत 15 वर्षों में राजस्व सचिव के पद पर किस किस अवधि में उच्च वेतन श्रृंखला (Super time Scale) पाने वाले अधिकारी को नियुक्त किया व किस किस अवधि में सामान्य वेतन श्रृंखला पाने वाले अधिकारी को नियुक्त किया गया ? पृथक् पृथक वेतन श्रृंखला पाने वाले अधिकारियों की नियुक्ति का क्या कारण है ?

(5) क्या राज्य सरकार यह अनुभव नहीं करती कि राजस्व विभाग कई अन्य विभागों से महत्वपूर्ण है तथा राजस्थान रेवेन्यू लाज कमीशन (Revenue Laws Commission) की रिपोर्टों को क्रियान्विति के सम्बन्ध में इस अवधि में इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है ?

उत्तर

(1) पांच पद ।

(2) सुपरटाइम स्केल के 6 पद तथा प्रवर वेतन श्रृंखला के कोई नहीं ।

(3) कोई निर्धारित प्रणाली नहीं है । पदस्थापन किये जाने वाले अधिकारी की वरिष्ठता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखा जाता है ।

(4) गत 15 वर्ष में केवल 23-1-66 से 26-5-67 तक की अवधि में ही राजस्व सचिव का कार्य सुपरटाइम स्केल के अधिकारी को दिया गया था । बाकी समय में सामान्य वेतन श्रृंखला (senior-scale of IAS) के अधिकारी ही नियुक्त किये गये आइटम (3) के उत्तर के अनुसार कारण का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(5) वैसे तो शासन सचिवों के सभी पद महत्वपूर्ण हैं, किन्तु इनमें से कुछ पद ऐसे भी हैं जो राजस्व सचिव के पद से अधिक महत्वपूर्ण हैं ।

ग्राम मोढूका बास में जमीन का नियमन

657. **श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मोढूका बास तहसील आमेर में आराजी खसरा न० 5 पर वैद्य भगवान सहाय के अवैध कब्जे का नियमन किया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ?

(2) क्या यह सही है कि वैद्य भगवान सहाय द्वारा नियमन हेतु अपने अवैध कब्जे में बताई गई भूमि से अधिक भूमि का नियमन किया गया है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सिवाय चक भूमि पर अवैध कब्जों का नियमन केवल भूमिहीन व्यक्तियों को ही किया जाता है ? यदि हां, तो क्या वैद्य भगवान सहाय भूमिहीन व्यक्ति हैं ? यदि नहीं, तो इनकी कहां कहां कितनी भूमि और है ?

(4) क्या यह सही है कि यह नियमन जिलाधीश जयपुर के पत्र 5931 दिनांक 22-7-68 के अनुसार नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? क्या सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(5) क्या यह सही है कि इस मामले में सरकारी रेकार्ड में फेर-बदल करने के कारण कोई राजस्व कर्मचारी सस्पेन्ड हो रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 27-7-68 को रकबा 16)3 का नियमन किया गया।

(2) जी हां। श्री भगवान सहाय ने नियमन 16) बीघा भूमि का चाहा था नियमन आदेश 16)3 के दिये गए। इस प्रकार प्रार्थना पत्र से 3 बिस्वा का अधिक नियमन हुआ।

(3) जी हां। श्री भगवान सहाय भूमिहीन नहीं हैं। इनके पास ग्राम मोरीजा में 19।।।2 भूमि बारानी है तथा फतेहपुरा में 15) भूमि जरिये अलोटमैन्ट गैर खातेदारी पर है।

(4) जी हां। इस नियमन के नियम विरुद्ध होने के कारण इसको निरस्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ करदी गई है।

(5) जी हां। पूरणमल पटवारी सस्पेन्ड किया हुआ है।

सीपेज से क्षतिग्रस्त भूमि

658. **श्री मजलिस खां (कामां)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मजलिस खां)

क्या यह सही है कि सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ साथ कृषि भूमि के कारण खराब होती चली जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ओर ध्यान देकर किसानों को कुछ सुझाव दे भूमि को खराब होने से बचाने के उपाय कर सकती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। किसानों की इस समस्या के समाधान हेतु विभाग द्वारा निम्न सुझाव दिये गये हैं:—

(1) नहरी एवं पानी ले जाने वाली नालियों को पक्का करना;

(2) सिंचाई के साथ साथ आवश्यक जलोत्सारण (Drainage);

(3) जलानुवेशन (Water–logging) को जलोत्सारण (Drainage) एवं मृदमें संशोधक (Soil Amendment) द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाना।

पशु चिकित्सा कार्यालय बारां का भवन

659. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां नगर में जो पशु चिकित्सालय कार्यालय है वह किसी व्यक्ति की सम्पत्ति है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति की है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवन के मालिक ने उक्त भवन को जच्चा खाने के लिए दान में दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने बारां में जच्चा खाना उक्त भवन में खोल दिया ? यदि नहीं, तो फिर सरकार ने उक्त भवन पर कब्जा कैसे कर लिया और उसमें पशु चिकित्सा कार्यालय कैसे कायम कर दिया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाड़मेर जिले के ग्रामों का क्षेत्रफल

660. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले के सुन्दरा हस्सांणी मेदूसर, गिराव एवं जैसिधर ग्रामों का क्षेत्रफल कितना है ?

(2) क्या इन गांवों को रेवेन्यू गांवों में विभाजित करने के लिये राजस्व विभाग कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कब से और किस प्रकार ?

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(3) क्या यह सही है कि इस कार्यवाही में अत्यधिक विलम्ब हुआ है ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(4) यह कार्यवाही कब तक पूरी कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) क्षेत्रफल इस प्रकार से है ।

नाम ग्राम	क्षेत्रफल एकड़ में
1–मुन्दरा	3,31,840 ,, ,,
2–हरसाणी	90,439 ,, ,,
3–भेदूसर	79,527 ,, ,,
4–गिराब	1,00,160 ,, ,,
5–जैसिंधर	9,1,379 ,, ,,

(2) इन ग्रामों को रेवेन्यू ग्रामों में विभाजित करने की कार्यवाही नहीं चल रही है लेकिन वर्तमान गांव (मुन्दरा, हरसाणी, भेदूसर, गिराब, जैसिंधर) पटवार सर्किलों को 11 पटवार सर्किलों में विभाजित करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है । यह कार्यवाही सन् 65 से चालू है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जन गणना कार्य के समाप्त होने पर कार्यवाही पूर्ण करने की कार्यवाही की जावेगी ।

सहकारी डिविजन

661. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पाली जिले को जोधपुर सहकारी डिवीजन से निकाल कर उदयपुर सहकारी डिवीजन में मिलाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार के उक्त निर्णय से पाली जिले के सहकारी क्षेत्र में भारी असन्तोष व्याप्त है और क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार अथवा सहकारी विभाग को कोई ज्ञापन प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां । ऐसा निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से लिया गया है ।

(2) जी नहीं । इस विभाग को कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिन पर कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं था ।

स्थगित प्रश्न

(3-4-70)

कस्बा नगर में गांधी स्मारक बाग की भूमि पर कब्जा

528. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के अन्तर्गत कस्बा नगर में गांधी स्मारक बाग के निर्माणार्थ आराजी काश्त खसरा नम्बर 491, 492 एव 493 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां तो किन शर्तों पर ? राज्य आज्ञा जो इस सम्बन्ध में प्रसारित की गई उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्मारक की भूमि पर किन्हीं व्यक्तियों ने अनेक वर्षों से नाजायज कब्जा कर रखा है और उस पर अपने निजी व्यवसाय धन्धे चालू कर रखे हैं ? यदि हां, तो किसने और कब से ?

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में वहां की जनता ने अनेकों बार शिकायतें कीं परन्तु आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई ? यदि की गई, तो क्या ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस भूमि का नामान्तरणकरण तहसीलदार नगर द्वारा तारीख 8-6-56 को स्वीकृत किया गया था और इस आराजी का कुल लगान तहसील में जमा नहीं होता है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा कस्बा नगर जिला भरतपुर में गांधी स्मारक बाग के निर्माण हेतु आराजी खसरा नम्बर 491/2।14, 492/-।3, 493/2।14 तथा 494/-।12 कुल 4 किता 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि 1548) रु० में श्री नत्थीलाल को बेचने की स्वीकृति दी थी। राज आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है, सही यह है कि इस भूमि पर उक्त श्री नत्थीलाल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के अतिरिक्त बाग भी लगाया हुआ है। जिसमें फलदार वृक्ष हैं तथा काश्त भी होती है इस भूमि पर किसी का निजी व्यवसाय नहीं चल रहा है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, यह सही है कि तहसील नगर द्वारा उक्त भूमि का दाखिल खारिज नम्बर 355 दिनांक 12-2-57 को स्वीकृत हुआ है। उक्त आराजी का लगान तहसील में बदस्तूर जमा हो रहा है।

राजस्थान सरकार

राजस्व (क) विभाग

ओर से

राजस्व सचिव,

राजस्थान, जयपुर

निमित,

जिलाधीश, भरतपुर।

संख्या :-6617। एफ 13:43: रा। क। 53   दिनांक 20-4-56

विषय:-कस्बा नगर में गांधी स्मारक बाग के नाम से भूमि अवाप्ति की जाकर श्री नत्थीलाल को बाग लगाने के वास्ते देने के संबंध में।

संदर्भ:-आपका पत्र संख्या आर० 8:1453:12।3 दिनांक 3-3-56 उपरोक्त विषय में हिज हाईनेस राज प्रमुख ने श्री नत्थीलाल को गांधी स्मारक बाग के वास्ते ग्राम नगर में 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि 1,548 रु0 में बेचने की स्वीकृति दी है और निम्न लिखित आज्ञा भी प्रदान की है:-

(1) गांधी स्मारक बाग के प्रबन्ध हेतु जो कमेटी बनाई गई है उसके सदस्य श्री भगवानदास ब्राह्मण व श्री आदित्येन्द्र को नियुक्त किया जाता है।

(2) आयन्दा उक्त कमेटी में सदस्य का पद रिक्त होने पर कलेक्टर की सम्मति से नियुक्ति की जावे।

ह० ब्रह्मदत्त

सहायक सचिव (राजस्व)

परिशिष्ट १०

(तारांकित प्रश्न संख्या 644 के भाग (2) व (3) में निर्दिष्ट सूची)

Statement showing the non-recurring expenditure incurred on the Palsana Farm in Sikar District since its establishment, i. e. in June, 1964.

Particulars	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69
1. Fencing	14681.70	7603.24	1198.00	2365.70	–
2. Levelling leyout	7551.50	–	10419.59	3057.00	2000.00
3. Construction of new wells	–	14447.87	5343.00	–	–
4. Repair of tube wells.	24414.66	–	–	–	–
5. Repair of old wells	–	–	–	2319.50	5242.00
6. Implement shed	–	–	3588.00	–	–
7. Const. of Pumpingset	–	–	4042.00	7074.55	–
8. Const. of reservoiers	–	–	2000.00	2091.00	–
9. Const. of channels	–	–	7104.00	770.37	–
10. Purchase of bullocks	841.75	1015.50	–	–	3400.66
11. Const. of pucca House & tractor implements	–	33.00	1000.00	1189.75	1000.00
12. Purchase of engine	481.58	–	–	–	–
Total :	47971.19	23099.11	34694.59	18873.87	11642.66

Statement of year wise production upto 1968-69 of Government Seed Multiplication Farm, Palsana (District Sikar)

Sl. No.		Name of the corp	Total Production in Qtls.	Expenditure	Income	Loss
			YEAR 1964-65			
1.	Kharif	Bajra R.S.J.	5.20			—
	—	Guar --	3.75			
		Groundnut	3.20			
		Moong RS 4	0.45			
		Cowpea	0.09.500	10707.12	543.12	10,164.00
			YEAR 1965-66			
2.	Kharif	Bajra R.S.J.	7.60			
		Guar	12.40			
		Groundnut	4.56			
		Moong RS 4	7.50			
		Cowpea RS 8	0.48	17,199.76	5,876.79	11,323.97
			YEAR 1966-67			
3.	Kharif	Bajra R.S.J.	19.60			—
		Guar	19.30			
		Groundnut	0.50			
		Moong RS 4	7.50			

Page No 229

		Cowpea RS 9	0.48			
4.	Rabi	Wheat	14.05	18,234.24	4,955.98	13,278.26
			YEAR 1967–68			
5.	Kharif	Bajra R.S.J.	10.00			
		Moong R.S. 4	0.72			
		Groundnut	1.80			
		Guar	2.04			
		Groundnut	1.80			
6.	Rabi	Wheat R.S. 31–1	42.00			
		Wheat S. 227	5.00	24,968.00	6,752.30	18,215.70
			YEAR 1968–69			
7.	Kharif	Bajra R.S.J.	–			
		Moong R.S. 4	1.00			
		Hybrid Bajra	7.10			
		Gori Moth	0.62			
		Guar seed	7.50			
8.	Rabi	Wheat K. Sons	84.00			
		Barley Local	1.21	37,038.17	17,287.12	19,761.05
				1,08,147.29	35,414.31	72,732.98

परिशिष्ट ११

(तारांकित प्रश्न संख्या 653 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

पाली के प्लास्टिक उद्योगों की सूची

क्र0 सं0	इकाई का नाम व पूरा पता	मालिक का नाम	मशीनों का विवरण	श्रमिकों की संख्या	पूर्व श्रमिकों की संख्या	विस्तृत आयात विवरण 1966-67	लाइसेन्स का मो. पाउडर ए0 पी0 1967-68	सी0एन0 1968-69	विशेष विवरण
1-	मै0 नबीबक्स हुसेन अली चूड़ी बाजार, पाली	भागीदारी श्री इन्साफ अली	मोल्डिग मशीन 8 सेमी आँटोमेटिक मशीन 1 कटर 4 इले0मोटर सेट 2 डाइज़ व अन्य उपकरण	20		163398	140351	81698	
2-	मै0 अनवर अली निसार अहमद चूड़ी बाजार, पाली	भागीदार श्री निसार अहमद	मोल्डिग मशीन 7 कटिंग मशीन 1 पम्पिंग सेट 1 इले0 मोटर 1 डाईज़ व अन्य उपकरण	8		74660	58068	37329	

3-	मै0 मानमल घीसूलाल, चूड़ी बाजार, पाली	भागीदारी श्री घीसूलाल	मोल्डिंग मशीन 6 कटर सेट 1 इलै0 मोटर 1 डाईज़ व अन्य उपकरण	6	47820	37193	23910
4-	मै हिम्मतमल उम्मेदमल गांधी चूडी बाजार पाली	भागीदार श्री हिम्मतलाल	मोल्डिंग मशीनें 3 इलै0 मोटर 1 डाईज़ व अन्य उपकरण	4	16669	10,000 (6474) का लाइसेंस सरेंडर किया	8237
5-	मै0 कान्तीलाल बापना चूडी बाजार पाली	श्री सोहनलाल प्रो0	पीस रेट बेसिस		12000	10500	6000
6-	मै0 अब्बास अली असगर अली चूडी बाजार पाली	भागीदारी श्री इसमत अली	मोल्डिंग मशीन 7 एक्टीयूडर 1 कटिंग 4 वफिंग सेट 4 इलै0 मोटर 5 डाईज़ व अन्य उपकरण	7	70986	55657	35493
7-	मै0 अकबर अली हुसेन अली, चूडी बाजार, पाली	भागीदारी श्री आबीदअली	मोल्डिंग मशीन 5 डाईज व अन्य उपकरण	4	10756	10189	5377
8-	मै0 अकबर अली अमानत अली, चूडी बाजार, पाली	भागीदारी श्री मन्जर अली	मोल्डिंग मशीनें 9 एक्टयूडर 1 इलै0 मोटरें 2	9	7424	7424	3711

			इपोजिंग मशीन 1 डाईज़ व अन्य उपकरण				
9-	मै0 आशदअली मो0 अली चूड़ी बाजार, पाली	भागीदारी श्री आशाद अली	मोल्डिंग मशीन 3 डाईज़ व अन्य उपकरण	6	29742	14926	14850
10–	मै0 अनवर अली आशाय अली, चूड़ी बाजार, पाली	भागीदारी श्री अनवर अली	मोल्डिंग मशीन 7 खराद 4 इलै0 मोटर 1 डाईज़ व अन्य उपकरण	8	56402	43866	28200
11–	मै0 सैयद शौकतअली अनवर अली, चूड़ी बाजार, पाली	श्री शौकतअली प्रो0	मोल्डिंग मशीन 3 डाईज़ व अन्य उपकरण	4	10000	10000	5000
12–	मै0 अनवर अली अख्तर अली, चूड़ी बाजार, पाली	भागीदारी श्री अख्तर अली	मोल्डिंग मशीन 2 डाईज़ व अन्य उपकरण	4	1228	1228	614
13–	मै0 अब्बास अली मासूम अली, चूड़ी बाजार, पाली	भागीदारी श्री मासूम अली	मोल्डिंग मशीन 4 कटर 1 बफिंग सेट 1 इलै0 मोटर 1 डाईज़ व अन्य उपकरण	6	27530	14382	13765
14–	मै0 दीदार बक्स बरकतअली, चूड़ी बाजार, पाली	भागीदारी श्री मुश्ताक अली	मोल्डिंग मशीन 9 कटर 1	[illegible]	66260	51535	33129

			एकट्यूडर 1 नाइलर्ड 1 इलै0 मोटर 1 डाईज् व अन्य उपरण			
15–	मै0 तुरवि अली एण्ड सन्स बिरला गली पाली	श्री तुरबी अली	मोल्डिग मशीन 2 डाईज् व अन्य उपकरण	4	7500	7500 अभी तक जारी नहीं हुआ है। 21423
16–	मै0 कादर बक्ष इमामुद्दीन चूडी बाजार पाली	भागीदारी श्री मो. अली	मोल्डिग मशीन 9 वेल्यू मससमोय म0 1 पेट शा 1 कटिग रिव माइण्डम 1 पालिविग पपिग 1 डाईज् व अन्य उपकरण	7		
17–	मै0 खुर्शीद ट्रेडर्स चूडी बाजार पाली	श्री खुर्शीद अहमद भागीदारी	मोल्डिग मशीन 2 बकिग सेट 2 कटर 2 हैण्ड प्रेस 1 इलै0 मोटर 1	2	6000	अभी तक जारी नहीं हुआ है।
18–	मै0 राजा प्लास्टिक एण्ड चूडी बाजा पोयी दौसा पाली	भागीदारी श्री नियामत अली	मोल्डिग मशीन 4 हैण्ड प्रेस 4 कटर 1 इलै0 मोटर 1 डाईज् व अन्य उपकरण	8	—	ई0सी0 रु0 10000 लाइसेन्स अभी तक जारी नहीं किया गया है।

19–	मै0 पी0 एच0 अमीनुद्दीन रहीम बक्ष खसदिया का मोहल्लला पाली	भागीदारी श्री कमर हुसेन	मोल्डिंग मशीन 7 माइन्डर 1 बफिंग 1 इण्ड लेथ 1 चकर्ड 1 डाईज़ व अन्य उपकरण		15942	11486	7971
20–	मै0 एलाइड एण्ड सन्स खरादी मोहल्ला पाली	श्री रमजान अली	मोल्डिंग मशीन 5 नम्बरिंग मशीन 1 स्ट्राचिंग मशीन 1 इलै0 मोटर डाईज़ व अन्य उपकरण	9	14100	11025	7050

परिशिष्ट १२

(तारांकित प्रश्न संख्या 604 के भाग (1) व (2) में निर्दिष्ट सूची)

परिशिष्ट (अ)

गत ५ वर्षों में उपवैद्य से वैद्य पद पर पदोन्नत वैद्यों की सूची।

1. श्री सुरेन्द्र कुमार
2. श्री मदनलाल शुक्ल
3. ,, श्यामसुन्दर
4. ,, आत्म प्रकाश
5. ,, सूरजमल महात्मा
6. ,, अमरसिंह
7. ,, अम्बालाल दवे
8. ,, भंवरलाल
9. ,, किरोडीलाल
10. ,, भगवान सहाय
11. ,, नाथूलाल शर्मा
12. ,, माधवलाल
13. ,, शिवचरणलाल
14. ,, निहालचन्द
15. ,, श्यामलाल जैन
16. ,, शंभुदयाल
17. ,, श्यामसुन्दर शर्मा
18. ,, चेतराम गोड़
19. ,, मनोहरलाल भट्ट
20. ,, द्वारकाप्रसाद शर्मा
21. ,, कल्याणमल शर्मा
22. ,, सूरजमल गोयल
23. ,, रामप्रसाद शर्मा
24. ,, श्रीनारायण शर्मा
25. ,, परमानन्द
26. ,, नन्दलाल
27. ,, रमेशचन्द्र गुप्ता
28. ,, परमेश्वर दयाल
29. ,, हरकलाल
30. ,, रामकुंवार शर्मा
31. ,, कंवरलाल गोतम
32. ,, रामेश्वरलाल छापरवाल
33. ,, नन्दवल्लभ शर्मा
34. ,, गजानन्द
35. ,, नाथूलाल सनाढ्य
36. ,, नानकचन्द
37. ,, भगवतीलाल दुर्गावत
38. ,, हरिश्चन्द्र
39. ,, जगदीशलाल भट्ट
40. ,, नर्वदाशंकर द्विवेदी

41. ,, रतनलाल
42, ,, गणपतलाल
43. ,, रामकृष्ण शर्मा
44. ,, राजेशकुमार
45. ,, भगवानलाल
46. ,, नन्दलाल पालीवाल
47 ,, जयन्तीलाल पन्ड्या
48. ,, रास्वरूप शर्मा
49. ,, ओंकारलाल उपाध्यक्ष

परिशिष्ट : ब :

गत 5 वर्ष में जिन व्यक्तियों का परीक्षा स्वीकृति दी गई तथा उनमें से जो पदोन्नत हुए उनकी सूची।

वर्ष 1965. 65.66।

1. श्री हरकलाल 21:1: 66को पदोन्नती
2. श्री मनोहरलाल 15.–1–66 पदोन्नत
3. ,, मुलचन्द गुप्ता
4. ,, बालूरा
5. ,, नाथूलाल
6. ,, श्यामसुन्दर
7. , द्वारकाप्रसाद
8. ,, कल्याणमल
9. ,, योगेशचन्द्र
10. ,, ओंकारलाल
11. ,, किशनलाल
12. ,, रामदत्त
13. ,, भैरूसिंह
14. ,. भैरूलाल
15. ,, गोवर्धनदास
16. ,, जमनालाल
17. ,, भंवरलाल
18. ,, दुर्गाप्रसाद
19. ,, लालचन्द
20. ,, अमरसिंह

वर्ष १९६५/६६–६७

21. ,, नन्दलाल
22. ,, सुखदेवसिंह
23. ,, अवतारसिंह
24. ,, महेन्द्रकुमार
25. ,, बृजबल्लभ
26. ,, श्री श्रीनिवास
27. ,, पूरणचन्द
28. ,, नारायणदास
29. ,, भंवरलाल
30. ,, रामगोपाल
31. ,, रामचन्द्र
32. ,, सुरेन्द्रकुमार
33. ,, ओमप्रकाश
34. ,, इन्द्रदेव

Page No 237

35. ,, मदनलाल

36. ,, नन्दकिशोर

37. ,, दीनदयाल

38. ,, रामचन्द्र

वर्ष १९६७/६७-६८

39. ,, लक्ष्मणसिंह

40. ,, जमनाप्रसाद

41. ,, जसवन्तराम

42. ,, पूर्णचन्द

43. ,, पन्नालाल

44. श्री गोविन्दप्रसाद

45. ,, गोरीशंकर

46. ,, जमनालाल

47. ,, गोपीलाल

48. ,, रामगोपाल

49. ,, सोहनसिंह

50. श्री नक्षत्रिलाल

51. ,, बनवारीलाल

वर्ष १९६९/६९-७०

वर्ष 69–70 में किसी भी उपवैद्य को वैद्याचार्य, आयुर्वेदरत्न परीक्षा की स्वीकृति नहीं दी गई है ।

परिशिष्ट १३

(अतारांकित प्रश्न संख्या 678 की सूची)

क्रमांक	नाम तहसील	भूमि जो सन् 67 से 69 तक आवंटन हुई एकड़ों में।
1	झालरापाटन	1236-10
2	चिड़ावा	419-00
3	पदमखाड़	2640-00
4	कानपुर	1580-69
5	फुलेरा	1612-00
6	गगवार	1881-00
	योग	9368-89

1-1-69 व 1-1-70 को भूमि जो एलाट की जा सकती है उसका विवरण तहसीलवार निम्न है :—

क्रमांक	1-1-69 को रकबा को आयंटन हो सकता था।	1-1-70 को रकबा जो आवंटन का हैं।
1—पाटन	3401-68	547-56
2—पिड़ावा	2464-88	746-00
3—पचपखाड़	4197-00	6088-00
4—खानपुर	337-00	466-00
5—कालेरा	1643-00	704-00
6—गंगवार	3363-68	3902.00
	योग 15357-24	16640-56

परिशिष्ट १४

(अतारांकित प्रश्न संख्या ६८१ की सूची)

सूची मुकदमात राजस्व व फौजदारी जो एस० डी० ओ० परबतसर के यहां दर्ज हुए व फैसले किये

क्र0 सं0	सन्	किस्म	दायर हुए	फैसले किये
1-	67-68	राजस्व मुकद्दमा	507	388
2-	68-69 से फरवरी 69 तक	,,	275	165
3-	67-68	फौजदारी मुकदमे	802	669
4-	68-69 से फरवरी 69	,,	440	462

परिशिष्ट १५

(अतारांकित प्रश्न संख्या 696 की सूची)

SAWAIMADHOPUR—DISTRICT

RURAL ELECTRIFICATION PROGRAMME FOR THE YEAR 1969-70.

S. No.	Name of the Village.	Tehsil
1.	Jatwara Khurd.	Sawaimadhopur.
2.	Thingla.	do
3.	Kherda.	do
4.	Kandroli.	Hindon
5.	Chandangaon.	do
6.	Sikroda Meena.	do
7.	Nagal Sherpur.	
8.	Pahadi.	
9.	Blaghat.	
10.	Bhandarian-durni.	
11.	Aidalpur.	
12.	Rajor.	Todabhim.
13.	Khorra.	
14.	Padampur-Beroj.	
15.	Gorda.	
16.	Nand.	
17.	Pachhipal.	Sawaimadhopur.
18.	Bharoti.	Malarna Chowk.
19.	Mahu Kalan.	Gangapur.
20.	Garhi Bandwa.	Hindon.
21.	Jamalpur.	do
22.	Reetholi.	do
23.	Chandanhali.	Malana Chowk.

परिशिष्ट १६

(अतारांकित प्रश्न संख्या 615 का भाग (2) व (3) में निर्दिष्ट सूची)

जिलेवार कोटा के आवंटन ट्रैक्टरों की सूची

क्र0 सं0	जिले का नाम जिनमें एलॉट किये गये।	रूमानिया 60 अश्व शक्ति	रूमानिया 65 अश्व शक्ति	जीटर 25 अश्व शक्ति	आर एस 09 25 अश्व शक्ति	डीटी 14 14 अश्व शक्ति
1,	अजमेर	—	5	5	3	2
2.	अलवर	5	9	26	48	2
3.	बांसवाड़ा	1	1	—	1	—
4.	बाड़मेर	—	—	—	—	—
5.	भीलवाड़ा	3	10	7	5	2
6.	बीकानेर	3	3	3	9	2
7.	बूंदी	2	5	9	4	2
8.	भरतपुर	5	15	37	41	3
9.	चितौड़गढ़	–	1	7	9	5
10.	चुरू	1	3	5	7	2
11.	डूंगरपुर	–	–	1	–	–
12.	गंगानगर	6	24	39	64	5
13.	जयपुर	6	18	26	59	7
14.	जैसलमेर	1	2	2	2	1
15.	जालोर	2	4	5	5	4
16.	झालावाड़	—	—	3	3	2
17.	झुंझनू	1	4	4	3	4
18.	जोधपुर	4	5	9	14	4
19.	कोटा	4	3	17	17	3
20.	नागोर	4	9	12	11	6
21,	पाली	3	7	9	9	–
22.	सवाईमाधोपुर	1	3	10	1	6

23.	सीकर	3	5	7	10	5
24.	सिरोही	1	1	3	1	3
25.	टोंक	1	1	3	5	1
26.	उदयपुर	1	1	4	3	3
	योग ।	57	140	252	319	74

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (प्रा०) लिमिटेड

जयपुर-५

आयातित ट्रैक्टरों के आवंटन के नियम

1. जो कृषक राजस्थान के निवासी हैं अथवा जिनकी राजस्थान प्रदेश में खेती योग्य भूमि है, उन्हें ही ट्रैक्टर का आवंटन किया जायेगा।

2. प्रार्थी के पास कम से कम 15 एकड़ जमीन स्वयं की खातेदारी में अथवा संयुक्त रूप से होना आवश्यक है। संयुक्त खातेदारी की दशा में समस्त खातेदारों को संयुक्त आवेदन पत्र देना होगा।

3. प्रार्थी के पास ट्रैक्टर मिलने की तिथि से 3 साल पूर्व की अवधि में प्रत्यक्ष रूप से खरीदा हुआ कोई ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए।

4. ट्रैक्टर के आवंटन हेतु आवेदन पत्र उचित प्रचार द्वारा मांगे जायेंगे।

5. ट्रैक्टर का आवंटन जिलेवार "जिस कृषक का पंजीकरण पहले होगा, उसे पहले दिया जायेगा" के आधार पर किया जायेगा।

6. ट्रैक्टर प्राप्त करने के निर्धारित आवेदन पत्र राजस्थान कृषि उद्योग निगम (प्रा.) लिमिटेड, जयपुर कार्यालय से अथवा निगम के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों से प्राप्त हो सकेंगे। प्रार्थी सादे कागज पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में पूर्ण विवरण सहित, जैसा कि निर्धारित प्रार्थना पत्र में चाहा गया है, आवेदन पत्र दे सकता है। आवेदन पत्र निम्न पते पर भिजवाने होंगे।

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (प्रा०) लिमिटेड
आर-७, सहदेव मार्ग, अशोक नगर, जयपुर-५

7. कृषि निदेशक द्वारा अनुमोदित जिलेवार कृषि उत्पादन के आंकड़ों के अनुपात के आधार पर प्रत्येक जिले में ट्रैक्टरों का आवंटन किया जायेगा।

8. अलग अलग प्रकार के ट्रैक्टरों हेतु आए आवेदन पत्रों को अलग अलग रजिस्टरों में जिलेवार क्रमानुसार दर्ज किया जायगा। प्रत्येक ट्रैक्टर के पंजीकरण का अलग अलग रजिस्टर होगा।

9. आवेदन पत्र के साथ 100) रुपये नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट या मनीआर्डर द्वारा जो कि केवल राजस्थान स्टेट एग्रोइन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के नाम होना चाहिए, भेजा जाना आवश्यक है, अन्यथा ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायगा।

10. प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की उचित जाँच निगम के कार्यालय में होगी। पूर्ण आवेदन पत्रों को अध्यक्ष द्वारा गठित समिति के समक्ष आवंटन हेतु प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. (क) निगम के द्वारा प्राप्त ट्रैक्टरों में से 5 प्रतिशत ट्रैक्टर सैनिक अथवा सेवानिवृत्त सैनिकों को आवंटन हेतु सुरक्षित रखा जायेगा। इनका आवंटन डायरेक्टर जनरल आफ रि–सेटिलमेन्ट, सुरक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार होगा।

(ख) 5 प्रतिशत ट्रैक्टर का आवंटन राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा स्वेच्छिक कोटा (Discretionary quota) के तहत किया जायेगा।

(ग) 5 प्रतिशत ट्रैक्टरों का आवंटन राजस्थान कृषि उद्योग निगम (प्रा.) लिमिटेड द्वारा स्वेच्छिक कोटा (Disrcetionary quota) के तहत किया जायेगा।

(घ) 10 प्रतिशत ट्रैक्टर शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी विभागों, सहकारी समितियों तथा स्थानीय निकाय (Local Body) के लिये कृषि तथा कृषि सम्बन्धी कार्यों हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

(ङ) 5 प्रतिशत ट्रैक्टर किराए पर चलाए जाने हेतु सुरक्षित रखे जायेंगे। इस सम्बन्ध में इन्जीनियरों या उनके द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

12. (क) उपरोक्त वर्णित सुरक्षित कोटा (Reserve quota) का आवंटन निगम द्वारा सम्बन्धित एजेन्सियो को इस सम्बन्ध में नोटिस दिए जाने की तिथि से एक माह की अवधि में हो जाना चाहिए अन्यथा सुरक्षित कोटा साधारण पूल में रख दिया जायगा, जिसका आवंटन निगम द्वारा किया जायगा।

(ख) उपरोक्त सुरक्षित कोटा के अन्तर्गत किए गए आवंटित ट्रैक्टर की डिलीवरी अगर कोई व्यक्ति आवंटन पत्र के प्रेषित होने की तिथि से 30 दिन की अवधि में नहीं लेता है, तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जायगा।

13. अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त शर्तों की वजय से आवंटन नहीं होता है, उस स्थित में अध्यक्ष, राजस्थान कृषि उद्योग निगम को विशेष रूप से अपने निर्णयानुसार आवंटन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. (क). ट्रैक्टर को डिलीवरी लेने का अधिकतम समय 30 दिन आवंटन पत्र के प्रेषित होने की तिथि से होगा। अगर कोई प्रार्थी इस अवधि में अपने ट्रैक्टर की डिलीवरी नहीं लेता है तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जायेगा तथा अगले व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित कर दिया जायेगा।

ट्रैक्टर तथा ट्रैक्टर के साथ राजस्थान कृषि उद्योग निगम द्वारा निर्मित किए जाने वाले यन्त्रों का पूरा मूल्य बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद, ट्रैक्टर आवंटन पत्र के प्रेषित होने की तिथि से एक माह की अवधि में देना आवश्यक है अन्यथा आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

(ख) अगर कोई व्यक्ति बैंक से ऋण प्राप्त होने में देरी की वजह से अथवा अन्य विशेष कारणों की वजह से अवधि बढ़वाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी अवधि इस शर्त पर बढ़ाई जा सकती है कि उसे इस बढ़ाई हुई अवधि का ब्याज 10 प्रतिशत के हिसाब से देना होगा।

15. अगर कोई व्यक्ति अपने ट्रैक्टर की डिलीवरी निश्चित अवधि में नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा कराए गए 100) रुपये जब्त कर लिये जायेंगे तथा उसके उसी प्रार्थना पत्र को पुनः आवंटन हेतु विचार में नहीं लिया जायगा।

16. जिस कृषक को ट्रैक्टर का आवंटन किया जायगा उसे आवश्यक रूप से निम्न दो कृषि यन्त्र, राजस्थान कृषि उद्योग निगम द्वारा निर्मित, लेना आवश्यक होंगे—

1.	तवे वाला हल	2 या 3 तवे वाले
2.	कल्टीवेटर	13, 11, 9 या 7 टाईन्स
3.	तवे वाला हैरो	16, 14, 12, 10 या 8 तवे वाले
4.	ब्लेड टरेसर या लेवलर	7, 6 या 5 फीट
5.	अन्य कृषि यन्त्र जो निगम द्वारा समय समय पर बनाए जायेंगे।	

17. (अ) प्रार्थी एक आवेदन पत्र में एक प्रकार ही ट्रैक्टर के लिए आवेदन करे।
(ब) प्रार्थी द्वारा आवेदन-पत्र में मांगे गये ट्रैक्टर को पुनः दूसरे प्रकार के ट्रैक्टर में बदलने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

18. कृषि अभियान्त्रिक मण्डल द्वारा 30 नवम्बर, 1969 तक प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को आवंटन हेतु विचार में लिया जायेगा तथा उन्हें इस तरह समझा जावेगा जैसे कि आवेदन पत्र कृषि उद्योग निगम के कार्यालय में ही प्राप्त हुए हैं।

परिशिष्ट १७

(अतारांकित प्रश्न संख्या ५५३ का भाग (२ से ५)में निर्दिष्ट सूची)
ट्रैक्टर पर तेल व मरम्मत पर खर्चे की सूची

सन्	तेल	मरम्मत	कुल
1960-61	493·81	—	493.81
1961-62	1638.20	—	1638.20
1962-63	1357.70	369.82	1722.52
1963-64	648.5	—	638.5
1964-65	1354.80	2935.00	4289.80
1965-66	2706.25	645.00	3351.25
1966-67	009.80	245.00	
		220.00 टायर ट्यूब	1174.80
1967-68	2835.03	3706.90	7074.79
1968-69	—	—	3112.00

कृषि फार्म में वर्तमान समय में उपेलब्ध सामान

क्रम सं.	नाम वस्तु	मात्रा	विवरण
1	2	3	4
1.	मोल्ड बोल्ड प्लोव	1	
2.	आर. ए डल्यू 3	5	
3.	पीक टूथ हेरा	2	
4.	हेन्ड होज	3	
5.	थ्रेसर	1	
6.	मिनोवर	1	
7.	ट्रेक्टर एम.एफ	1	
8.	ट्रॉली	1	

Page No 246

9.	ट्रैक्टर मोल्ड वोल्ड प्लोव	1	
10.	डोस प्लोव	1	
11.	ऑफसेट हेरा	1	
12.	टोलर	1	
13.	बैल	4	जोडी दो काम लायक दो कमजोर
14.	चैफ कटर	1	
15.	सैफ	1	
16.	पं. स. केम्बल 15–16 एच पी	1	
17.	,, रस्टन 10–11 एच पी	1	
18.	छकड़ा बैलों का	1	
19.	गोबर गैस प्लान्ट	1	
20.	बिजली की मोटर	2	

एस. डी.–
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, रियां

जमीन, पम्पिग सैट, ट्रैक्टर आदि सामानों की खरीद व लागत की सूचना

क्रम संख्या	दिनांक खरीद	नाम वस्तु	मात्रा	कीमत
1	16–6–1959	जमीन मय दो कुये, एक इंजिन कमरा फैन्सिग व फार्म के चारों ओर डोली भी थी		30,000
2.	10–8–59	एक पम्पिग सैट	1	5.000
3.	16–4–62	मोल्ड वोल्ड प्लोव	1	28.00 रु०
4.	,,	आर० ए० डब्ल्यू० 3	5	90.00
5.	,,	पीक टूथ हैरा	2	84.00

1	2	3	4	5
6.	2-6-62	हैन्ड होज	3	324.00
7.	,,	प्रेशर	1	250.00
8.	,,	बी. नोवर	1	500.00
9.	24-2-61	ट्रेक्टर म० के०	1	विभाग द्वारा खरीद कर पंचायत समिति को दिया गया था यह खरीद कृषि अभियन्ता द्वारा की गई थी। उस समय ट्रेक्टर की कीमत लगभग 16000 थी औजारों की तथा ट्रोली की कीमत अलग है
10.	5-7-61	ट्रॉली	1	
11.		ट्रेक्टर मोल्ड बोल्ड प्लोव	1	
12.		डॉस प्लोव	1	
13.		ऑफसैट हेरा	1	
14.		टोलर	1	
15.	26-6-59	बैल	5 जोड़ी	4650.00
16.	24-4-60	चैफ कटर	1	220.00
17.	14-10-60	सैफ	1	136.35
18.	12-11-60	कैम्बल से 15-16 एच० पी०	1	5350.00
19.	1965	छकड़ा बैलों का	1	
20.	1964	गोबर गैस प्लान्द	1	
21.	1962	रस्टन एन्जिन 10-22 एच० पी०	1	

कृषि फार्म का प्रति वर्ष उत्पादित माल दिया गया विवरण

वर्ष	बीज से राशि की प्राप्ति (बेचने पर)
1	2
1959-60	2545.62
1960-61	7595.00
1961-62	6046.00
1962-63	2691.56
1963-64	5414.50

1	2
1964-65	3930.50
1965-66	7058.78
1966-67	9270.00
1967-68	7080.00
1968-69	15382.80

परिशिष्ट १८

(अतारांकित प्रश्न संख्या 555 के भाग (5) में निर्दिष्ट सूची)

सन् १९५५ के पहिले आरजी काश्तकारान के कब्जे में भूमि

1—सन् 1955 के पूर्व के आरजी काश्तकारान जिन्हें रिकेग्नाइज (recognise) कर लिया गया है उनके कब्जे में अनूपगढ़ शाखा तक श्री गंगानगर में भूमि 2,31,064 एकड़ भूमि

2—अतिरिक्तभू मि ऐसे ही 55 के पूर्व के आरजी काश्तकारों के लिये जिनकी या तो दरख्वास्तें पेण्डिग हैं या जिन्होंने अभी तक दरख्वास्तें पेश नहीं की हैं या जिनके पास 25 बीघा से कम भूमि है उनके लिये आरक्षित 50,000 एकड़ भूमि

Page No 250

परिशिष्ट १६

(तारांकित प्रश्न संख्या 640 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

GENERAL ADMINISTRATION 'C' DEPARTMENT

No. F. 1 (44) GA/C/69/5401 Dated the 18th Nov., 1969.

ORDER

In partial modification of Cabinet Secretariat O & M Section order No. F. 1 (25) O & M/69 dated the 6th Oct., 1969 the Government have decided to allow the following exemptions and relaxations in filling up of vacant posts by fresh appointment:—

(1) The aforesaid ban shall not apply for appointment to following Services and category of posts:—

(i) Posts encadred in the Indian Administrative Service. Indian Police Service, Indian Forest Service, Rajasthan Higher Judicial Service, Rajasthan Judicial Service. Rajasthan Administrative Service, Rajasthan Accounts Service, Rajasthan Police Service, Rajasthan Medical & Health Service, Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch), Rajasthan Secretariat Service, Rajasthan Forest Service, Rajasthan Tehsildar Service & Rajasthan Subordinate Accounts Service.

(ii) In the Office of the High Court. Jodhpur.

(iii) Inspectors. Sub-Inspectors, Assistant Sub-Inspectors, Head Constables, and Constables of the Police Department (this will not include posts of Drivers, Technical, and Class IV posts),

(iv) Compounders and Nursing staff in the Rajasthan State Medical & Health Department. Lady Health educator of Family Planning Department.

(v) Vaidyas, Hakims and Dhatries as well as teaching staff in Ayurvedic College of Ayurved Department.

(vi) Sanskrit teachers under the Directorate of Sanskrit Education.

Any employee rendered surplus in these services/cadres shall be absorbed departmentally before any fresh appoiment is made in the service/cadre.

(2) The ban on fresh appointment shall also not apply where a candidate is to be directly recruited on the recommendations of the Rajasthan Public Service Commission to replace an employee who is working in an Adhoc capacity. The adhoc employee whose service thus become liable to terminate. shall not, however, be appointed to fill up any vacant to which the ban applies.

(3) In emergent cases the Deputy Secretary, General Adminitration (C) Department, and Collectors in the cases of Ministrial and Class IV Servants (Except Jaipur City), on receipt of requisitions, may issue temporary N. A. C authorising provisionally filling up of vacant posts in the following Departments purely as a stap-gap arrangement on the clear condition that the employee who may be temporarily appointed shall have to make room immediately if any surplus employee is subsequently allotted against that vacancy:—

1. Famine Relief Department or post senctioned in connection thereto,
2 Public Health Engineering Department, except Engineer, Ministerial & Class IV posts
3. Primary and Secondary Education Department for appointment of trained teachers only.

(4) The above exemptions and relaxations from the aforementioned ban on fresh appointment, however, do not dispence with the need for obtaining N. A. C. for filling-up of vacant posts by promotion and transfer, from the General Administration (C) Department/Collectors, where required under General Administration (C)

Department order No. F. 1 (34)/GA/C/66 dated 25. 5. 67.

By Order

Sd/—
Deputy Secretary to Government,
& Member Secretary, Absorption
Committee.

Copy forwarded for information & Necessary action:—

1. Secretary to Chief Minister.
2. Private Secretaries to all Ministers/Minister of State/Dy. Ministers & Chief Secretary.
3. All Secretaries to Government.
4. All Sections of Secretariat.
5. All Heads of Departments.
6. Accountant General. Rajasthan Jaipur.
7. All Treasury Officers.

Sd/—
Assistant Secretary to Govt.

Copy also forwarded for information & Necessary action to the:—

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
2. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
3. Registrar, Board of Revenue, Ajmer.
4. Registrar. Rajasthan High Court, Jodhpur.

Sd/—
Assistant Secretary to Govt.

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रेल, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	1	शुक्रवार	शुक्रवार,
1	7	राजस्व	राजस्व,
4	8	गाबों	गांवों
4	14	रखे	रखें
10	14	क्रम	प्रश्न
11 अन्तिम से	4	सुग्रालाल	सुवालाल
12 ,,	12	श्री	647. श्री
13	4	जिन	—
14	18	ायु	आयु
17	10, 23 व 25	रिग	रिग
17	17	निर्णय	निर्णय
17 अन्तिम से	7	रिगें	रिगें
19	8	थी	श्री
20 अन्तिम से	8, 9 व 10	रिंग	रिग
20 ,,	3	पेमीन	फेमीन
22	5	छीं	श्री
22	7	श्र	श्री
22	9	मजूर	मंजूर
23	2	Gost	Government
24 अन्तिम से	2	अनुपस्थिन	अनुपस्थित
24 ,,	1	प्रश्न संख्या 653	—
26 ,,	8	जने	जाने
27	3	मै	में
30 अन्तिम से	18	(लाडनूं)	(लाडनूं) :
30 ,,	10	(भरतपुर)	(भरतपुर) ।
30 ,,	8	वैद्य	वैध

1	2	3	4
30	अन्तिम से 4	सूक्षम	सक्षम
32	,, 11	घटा	घंटा
32	,, 4	(पार्नी)	(पाली) :
33	6	2)	(2)
34	3	इड्जर्न	एडजर्न
37	7 व 12	सैतानसिंह	शैतानसिंह
37	17	(बारां)	(बारां) :
38	अन्तिम से 12	निदेशन	निवेदन
39	,, 4	ससय	समय
40	15 व 16	पोपुलेशन	पोपुलेशन
41	अन्तिम से 8	आधार	आधार पर
42	,, 15	फेयर	फायर
43	,, 14	जबाब	जवाब
44	,, 12	रीहैबिलूटेड	रीहैबिलिटेट
44	,, 6 व 13	काम्पेन्सेशन	कम्पेन्सेशन
46	,, 15	निरन्त	निरन्तर
47	3	फार्मस	फार्म्स
47	11	मे	से
47	अन्तिम से 6	सोनी	सोनी:
48	,, 8	से	में
49	,, 10	पोस्पोन्ड	पोस्टपोन्ड
50	,, 10	जिलों	बिलों
50	,, 9	लैंड	लैंथ
51	8	हें	हैं
51	अन्तिम से 10	श्रलाल	श्रवणलाल
51	,, 3	केसैज	केसेज
54	5	स्तीफा	इस्तीफा
56	16	4964	1964
59	1	आयं	आर्य
59	4	घी	श्री
59	5	सदस्य	माननीय सदस्य
60	9	कहां	कहा
61	अन्तिम से 8	स्वीकृत	स्वीकृति
62	,, 16	इन	प्रश्न

1	2	3	4
62	अन्तिम से 10	सभा	सभा को
65	–70 शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर–10 अप्रेल, 1970–अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर–10 अप्रेल, 1970–तारांकित प्रश्नोत्तर
68	अन्तिम से 13	कुड़ी	कुड़ी
69	,, 7	विल्डिग	बिल्डिंग
70	9	भी	भी
71–80 शीर्षक		अतारांकित प्रश्नोत्तर–10 अप्रेल, 1970–अतारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के–10 अप्रेल, 1970–तारांकित प्रश्नोत्तर–
71	11	तारांकि	तारांकित
71	12	नियुक्तियां	नियुक्तियों
72	9	अनुउपलब्धता	अनुपलब्धता
88	अन्तिग से 16	तहसीलदाल	तहसीलदार
89	1	अथवा	अथवा
89	14	तहसीलनारों	तहसीलदारों
97	10	उररोक्त	उपरोक्त
107	12	(कठूसर)	(कठूमर)
110	11	पहूंन	पहुँच
111	12	प्रस्तव	प्रस्ताव
112		संपर्ण	हैं सन्दर्भ
113	11	द्द्धि	वृद्धि
128	13	नियमबध	नियमबद्ध
131	–132 शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
131	13	जमीद	जमीन
138	13	मुस्तीकन	मुस्तकिल
144	20	स्थागन	स्थगन
160	7	मौनघृत्त	मौनवृत्त
162	20	व्यवस्वा	व्यवस्था
164	20	असिस्टेनन्ट	असिस्टेन्ट
164	20	गवनमेन्ट	गवर्नमेन्ट
170	3	मैं	में
177	18	—	पर
177	19	य नकर	यह मान कर

1	2	3	4
187	17	कश्तकारों	काश्तकारों
195	9	बय	क्रय
198	अन्तिम से 1	छुट दे	छूट दें
200	,, 7	निकलेंगे	निकालेंगे
214	9	हूं	है
221	अन्तिम से 1 व 2 तथा	कराये क्योंकि राजस्थान सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि शेष कार्य निर्धारित को समय में पूरा	
222	1		
232	अन्तिम से 1	चन्ने	चने
235	,, 14	जमी नश्रलाट	जमीन श्लाट
235	,, 1	न	से
241	9	सभापति	सभापति जी
242	अन्तिम से 1	पाणी	पानी
257	,, 6	जर्मीन	जमीन
258	5	प्रपं नेटली	प्रपोर्शनेटली
258	22	उपकी	उसकी
275	शीर्ष	हरदेव	हरिदेव
277	9	(स्वोकृति)	(स्वीकृत)
282	17	माननी, यसदस्य	माननीय सदस्य
282	22	ले	दे
283	अन्तिम से 9	कशतकारी	काश्तकारी
289	,, 6	प्रगोविन्शियलिज्म	प्रोविन्शियलिज्म
293	,, 3	स्वभाविक	स्वाभाविक
301	4	प्रोटेशन	प्रोटेक्शन
304	अन्तिम से 11	अपेण्डमण्ड	अमेंण्डमेन्ट
305	,, 6	जमीने	जमीनें
311	,, 6	मनोनीन	मनोनीत
315	4	प्रिवलेजेज	प्रिविलेजेज
316	अन्तिम से 4	Positions	Position
318	8	मदनसिर	मदनसिंह
318	13	श्र	श्री
319	13	आने	आगे
319	अन्तिम से 9	य	नीय

1	2	3	4
320	11	(नाहर)	नाहर
320	16	यशवन्तसिंहन	यशवन्तसिंह
325	23	जाया	जाय
329–330	शीर्षक	समितियों के निर्वाचित–10 अप्रेल, 1970–सदस्यों के नामों की घोषणा	विशेषाधिकार समिति के–10 अप्रेल, 1970–प्रतिवेदन पर विचार
		रूलस	रूलस
337	13	Mahandra garh	Mahendragarh
399	18	Kulu khers	Kalu khera
399	अन्तिम से 7		